केवलकार्यालयीन प्रयोग हेतु

टी बोर्ड भारत

62वीं वार्षिक रिपोर्ट 2015-16

14, बी.टी.एम.सरणी

कोलकाता-700 001

विषय-सूची

62वीं वार्षिक रिपोर्ट, टी बोर्ड : 2015-2016

.		.
1		01-14
2	% & ' (	15-26
3		27-32
4		33-58
5		59-66
6		67-88
7	4	89-108
8	5 6	109-118
9	7 8	119-124
10	: < =	125-128
11	@	129
12		130
13	C	131
14	D C D 2005	132

संगठनात्मक ढांचा एवं कार्य

बोर्ड का गठन

चाय अधिनियम 1953 के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुरुप टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 में की गई थी । टी बोर्ड को भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास का कार्य प्रभारित किया गया है और यह केन्द्र सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रसाशनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है ।

बोर्ड का संगठन

बोर्ड का गठन अध्यक्ष एवं भारत सरकार द्वारा नियुक्त चाय उद्योग के विभिन्न विभागों से संबन्धित 30 सदस्यों से हुआ है। प्रत्येक तीन वर्ष में बोर्ड का पुर्नगठन होता है।

दिनांकः 2 नवंबर, 2015 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, नए बोर्ड का गठन 2015-2018 की अवधि के लिए किया गया है ।

टी बोर्ड का कार्य

चाय अधिनियम की धारा 10 के तहत वर्णित टी बोर्ड के कार्य व्यापक है एवं संक्षिप्त रुप से प्रस्तुत हैं ।

1. चाय बागानों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना ।
2. चाय की गुणवत्ता में सुधार ।
3. लघु चाय कृषकों में सहकारिता प्रयासों का संवर्धन ।
4. चाय अनुसंधान एवं विकास को समर्थन ।
5. निर्यात एवं घरेलू खपत में वृद्धि हेतु संवर्धन अभियान का निष्पादन ।
6. विनियामक कार्य-चाय बागानों, फैक्ट्रियों, प्राथमिक क्रेताओं का पंजीकरण एवं ब्रोकरों, नीलामी संगठनों, निर्यातकों तथा चाय अपशिष्ट डीलरों हेतु अनुज्ञापन जारी करना ।
7. स्वास्थ्य, आरोग्य शास्त्र, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के क्षेत्र में रोपण कर्मियों एवं उनके संतान हेतु कल्याणकारी उपाय ।
8. चाय आंकड़ों का संग्रहण एवं वितरण
9. केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ऐसी अन्य गतिविधियाँ ।

निधि का स्त्रोत :

उपर्युक्त कार्य हेतु निधि बोर्ड को केन्द्र सरकार द्वारा योजना एवं गैर-योजना बजट आवंटन के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है ।

गैर योजना निधि का समग्र उपयोग प्रशासनिक एवं स्थापना प्रभारों के लिए किया जाता है जिसका चाय पर लगाया गया उपकर मुख्य स्त्रोत है । योजना निधि का उपयोग बोर्ड के विविध विकासात्मक, संवर्धनात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु किया जाता है ।

चाय उपकरः

चाय अधिनियम, 1953 की धारा 25(1) के तहत भारत में उत्पादित सभी चायों पर 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उपकर लगाया जाता है केवल दार्जिलिंग चाय जिसपर उपकर 20 पैसे प्रति किलोग्राम की है । उपकर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा संग्रहीत की जाती है एवं संग्रह प्रभार काट कर शेष भारत के समेकित निधि में जमा की जाती है ।

प्रशासनिक ढांचाः

बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है एवं इसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा उनकी सहायता के लिए मुख्यालय में उपाध्यक्ष एवं गुवाहाटी (असम) तथा कुन्नूर (तमिलनाडु) में स्थित बोर्ड के क्षेत्रिय कार्यालय में तैनात दो कार्यपालक निदेशक हैं । भारत में बोर्ड के बाईस (22) तथा विदेश में दो (02) कार्यालय अर्थात् मॉस्को व दुबई है ।

टी बोर्ड का प्रशासनिक ढांचा

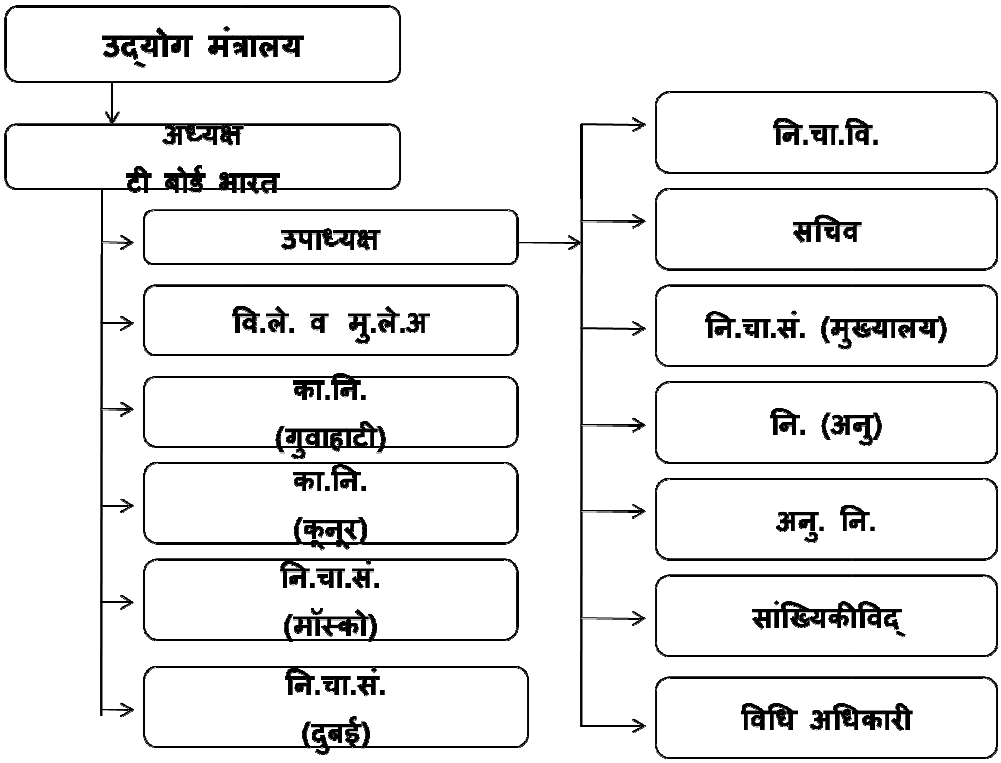

भारत में कार्यालय :

कोलकाता, कूनूर, नई दिल्ली, मुम्बई, पालमपुर, कार्सियांग, जलपाईगुड़ी, सिलिगुड़ी, गुवाहाटी, जोरहट, सिलचर, डिब्रुगढ़, तेजपुर, अगरतला, कोयम्बटूर, कोच्ची, गुडालूर, ईटानगर, कोटागिरि, कुमिली एवं कुण्डा, । (अनुलग्नक - I)

लघु रोपक विकास निदेशालयः लघु क्षेत्र जिसका राष्ट्रीय चाय उत्पादन में लगभग 33% का हिस्सा होता है, की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान एक अलग निदेशालय कार्य कर रही है । इस निदेशालय के तहत सभी क्षेत्रों में 67 उप- क्षेत्रिय कार्यालयों की स्थापना की गई है जहाँ लघु उत्पादकों के साथ गहन अंतःप्रदेश बनाए रखने के लिए लघु-उत्पादक संकेन्द्रित होते है एवं लघु क्षेत्र से उत्पादित चाय की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार लाने हेतु उत्पादकों को विकासात्मक एवं विस्तृत सेवा प्रदान की जाती है।

समुद्रपारीय कार्यालय :

दो समुद्रपारीय कार्यालय, दुबई एवं मॉस्कों में कार्य कर रहे है । इन कार्यालयों का प्रबंधन दूतावास के कार्याधिकारियों द्वारा उनके अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंधित किया जाता है । वे चाय निर्यात संवर्धनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ भारतीय चाय के आयातकों के संबंधित क्षेत्रों एवं भारतीय निर्यातकों के साथ संपर्क का कार्य भी करते हैं ।

दार्जिलिंग, चाय अनुसंधान एवं विकास केन्द्रः बोर्ड का कार्सियांग (दार्जिलिंग) में अपना चाय अनुसंधान केन्द्र है जो क्षेत्रों में दार्जिलिंग के विशिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों एवं उत्तर बंगाल की आवश्यकता को पूरा करता है । सिलिगुड़ी में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला ने दिनांक 5 जनवरी, 2016 से कार्य करना आरंभ कर दिया है।

मुख्यालय की कार्यकारी गतिविधियाँ:

(क) सचिव द्वारा निदेशित **सचिवालय** स्थापना/प्रशासनीक कार्य का देख रेख की जाती है एवं विविध विभागों के साथ समन्वित स्थापित किया जाता है ।

(ख) लेखा का रख-रखाव, बागानों को विकास योजना के तहत निधि विमोचन एवं आंतरिक/बाह्य लेखा परीक्षा संचालित करने का दायित्व वित्तिय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा निदेशित **वित्तिय शाखा** पर है ।

(ग) विविध विकासात्मक योजनाओं के निरुपण एवं कार्यान्वयन तथा उद्योग एवं चाय संपदाओं की सहायता के लिए आवश्यक इनपुटों/मशीनरियों इत्यादि की खरीद, विवरण और संचालन के लिए चाय विकास निदेशक द्वारा निदेशित **विकास निदेशालय** उत्तरदायी है ।

(घ) चाय संवर्धन निदेशक द्वारा निदेशित **संवर्धन निदेशालय**, भारत एवं विदेशों में चाय संवर्धन व विपणन संबंधी कार्यों की देख-रेख करता है ।

(ड.) अनुसंधान निदेशक द्वारा निदेशित **अनुसंधान निदेशालय** देश में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों द्वारा किए गए चाय अनुसंधान के अन्वेषण के लिए उत्तरदायी है एवं परियोजना निदेशक द्वारा निदेशित कार्सियांग में टी बोर्ड के अपने अनुसंधान केन्द्र एवं सिलिगुड़ी में स्थित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला के कार्यों का निरक्षण करती है ।

(च) चाय संपदाओं एवं विनिर्माण कारखानों का पंजीकरण और अनुमति तथा चाय निर्यातकों, क्रेताओं, ब्रोकरों, नीलामी संघों, चाय भण्डारण एवं 'चाय अपशिष्ट' के संचालन के निरीक्षण के लिए अनुज्ञापन नियंत्रण द्वारा निदेशित **अनुज्ञापन विभाग** उत्तरदायी है ।

(छ) बोर्ड के कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी कार्य जो रोपण श्रम अधिनियम 1951 के तहत नही आते हैं, को नि.चा.वि के पर्यवेक्षण के अधीन कल्याण संपर्क अधिकारी द्वारा **श्रम कल्याण विभाग** में देखा जाता है ।

(ज) चाय क्षेत्रों, उत्पादन, निर्यात एवं संबंधित अन्य सभी आकड़े तथा सरकार को प्रसारित सूचना, व्यवसाय एवं उद्योग से संबंधित सांख्यिकी संग्रहण के लिए सांख्यिकीवित द्वारा निदेशीत **सांख्यिकी विभाग** उतरदायी है ।

(ञ) **स्थापना शाखाः** स्थापना शाखा से संबंधित प्रशासनिक/नितिगत मामलों सहित बोर्ड में कार्यरत कर्मियों के मामलों का कार्य सहायक सचिव की देखरेख में किया जाता है ।

सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ: विधि प्रकोष्ठ में विभिन्न प्रकार्यात्मक विभागों द्वारा उपरिलिखित मामलों में उत्पन्न होने वाली सभी कानूनी मुददों की देखरेख विधि अधिकारी के नेतृत्व में किया जाता है। टी बोर्ड सतर्कता प्रकोष्ठ, बोर्ड के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्य करता है, जिन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा बोर्ड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रकोष्ठ जानकारी/शिकायत से उत्पन्न होने वाली सभी मामलों में उचित कार्रवाई करने के अलावा निगरानी और निवारक सतर्कता के कार्य में संलिप्त रहता है । भारत सरकार और केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त प्रश्नों का उत्तर प्रकोष्ठ द्वारा तैयार किया जाता है। मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार की जाती है और वाणिज्य मंत्रालय और केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजी जाती है। समग्र सतर्कता गतिविधियाँ मुख्य सतर्कता अधिकारी की देखरेख में की जाती है।

आई टी प्रकोष्ठ: टी बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रों, टी बोर्ड की वेबसाइट आदि का नियमित रखरखाव और अद्यतन करने, कंप्यूटरीकरण व सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु प्रणाली विश्लेषक जिम्मेदार है।

टी बोर्ड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की मुख्य विशेषताएं:

उपर्युक्त विभागों द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किए गए कार्यों का उल्लेख पृथक रूप से इस रिपोर्ट के अलग-अलग अनुभाग में किया गया है। बोर्ड द्वारा चाय उद्योग को दी जाने वाली सेवाओं का संक्षिप्त सारांश निम्नवत है:

चाय विकासः

चाय उत्पादकता एवं उत्पाद में समग्र सुधार तथा उत्पादन की गुणवता सुधार हेतु बेहतर चाय प्रक्रमण सुविधाओं के सृजन करने के उद्देश्य से टी बोर्ड द्वारा अनेक वित्तीय सहायता योजनाओं का परिचालन किया जाता है । सभी संस्थाओं जैसे वृहद, मध्यम एवं लघु रोपण के हितों पर सम्यक विचार किया जाता है । अन्य उद्योगों की तरह, कुछ चाय ईकाईयों को भी समय-समय पर *रुग्णता* का सामना करना पड़ता है एवं ऐसे चाय बागानों के मामलों को चाय अधिनियम के प्रावधानों के तहत देखा जाता है । चाय बागानों के बेहतर कार्य के लिए वित्तीय सहायता के अलावा रियायती कर (आयकर अधिनियम की धारा 33 कख) के रुप में राजकीय प्रोत्साहन भी बोर्ड द्वारा दिया जाता है ।

विकास हेतु ध्यान देने वाले क्षेत्रों में लघु उत्पादक भी एक क्षेत्र है । लघु-ईकाइयों की निम्न उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने विविध विकासात्मक उपायों जैसेः- चाय खेती की उन्नत पद्धतियों पर प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन, सहायिकी मूल्य पर रोपण सामग्रियों की आपूर्ति हेतु चाय नर्सरियों की स्थापना, विभिन्न चाय रोपण क्षेत्रों के परिदर्शन हेतु रोपणकर्ताओं के लिए अध्ययन दौरे की व्यवस्था करने के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार किया है ।

चाय अनुसंधानः

चाय उद्योग के विकास के लिए अनुसंधान एक आवश्यक इनपुट है । परंपरागत रुप से चाय पर अनुसंधान स्वयं उद्योग द्वारा ही किया जाता है । चाय अनुसंधान संघ का टोकलाई प्रयोगात्मक स्टेशन (टीआरए) एवं दक्षिण भारत में उपासी का चाय अनुसंधान संस्थान देश में चाय पर अनुसंधान के लिए दो महत्वपूर्ण अनुसंधान केन्द्र है । दार्जिलंग चाय की विशिष्ट जरुरतों को पूरा करने के लिए टी बोर्ड, कार्सियांग में एक अनुसंधान केंद्र की देख रेख करता है । कंगरा अंचल के पर्वतीय क्षेत्र की समस्या के लिए पालमपुर में आईएचबीटी एवं हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व विद्यालय (एचपीकेवीवी) द्वारा भी कुछ कार्य किया जाता है ।

टीआरए, उपासी-टीआरएफ, एपीकेवीवी एवं असम कृषि विश्व विद्यालय (जोरहाट) को अनुसंधान कार्य करने तथा चाय बागानों को सलाहकारी सेवा प्रदान करने के लिए टी बोर्ड पर्याप्त सहायता अनुदान प्रदान करती है । सहायता अनुदान के अलावा टीआरए एवं उपासी टीआरएफ दोनों को विविध अनुसंधान व विकास योजनाओं के परिचालन के लिए योजनागत परियोजनाओं के तहत अनुदान दिया जाता है ।

अनुसंधान *अन्वेषणों* का लाभ चाय बागानों तक पहुँचाने के लिए टीआरए एवं उपासी-टीआरएफ के पास सलाहकारी केन्द्रों का एक अच्छा नेटवर्क है । विशेष रुप से दक्षिण भारत में लघु-उत्पादकों की सहायता हेतु उपासी एक के वी के चला रही है ।

उत्तर पूर्व राज्यों में तकनीकी मानव-शक्ति विकसित करने एवं टीआरए द्वारा संचालित चाय संस्कृति पर प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार द्वारा नामांकित व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए टी बोर्ड वित्तीय सहायता प्रदान करती है । टी बोर्ड विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं तकनीकी संस्थानों जैसे इंडियन इन्स्टीट्यूटस ऑफ पैकेजिंग, सीएफटीआरआई को विशिष्ट परियोजनाओं पर अनुसंधान करने जो टीआरए एवं उपासी टीआरएफ के अनुसंधान कार्यक्रम में शामिल नहीं है, को सहायता अनुदान भी प्रदान करती है।

अनुसंधान गतिविधियों को समृद्ध करने एवं अनुसंधान के नए एवं विविध क्षेत्रों पर योजनाओं की शुरुआत करने के लिए चाय उद्योग एवं नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से राष्ट्रीय चाय अनुसंधान संघ (एनटीआरएफ) की स्थापना की गई है ।
अनुसंधान के संवर्धन व संचालन के अतिरिक्त वैकल्पिक टी पैकेजिंग, आईएसओ/एफएसएसआर 2011 विशेषीकरण, गुणवता अवरोध, विशिष्ट उत्पादों का विकास, जैव/ईको चाय आदि से संबंधित बहुविध तकनीकी कार्यों की देखरेख बोर्ड के अनुसंधान निदेशालय द्वारा की जाती है । चाय अनुसंधान पर विविध तकनीकी समितियों में अनुसंधान निदेशक द्वारा टी बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया जाता है ।

श्रम कल्याणः

टी बोर्ड रोपण श्रमिकों को कुछ खास श्रम कल्याण उपाय प्रदान कर रहा है एवं ये उपाय उन क्षेत्रों को सुनिश्चित करता है जो रोपण श्रम अधिनियम व इसके तहत बनाये गए नियमों के अधीन नहीं आते हैं । टी बोर्ड का कल्याण उपाय के रुप में बागान कर्मियों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक अनुदान प्रदान करना, साथ ही साथ चाय बागान क्षेत्रों के विद्यार्थियों में स्काउटिंग व गाइडिंग गतिविधियों तथा, विशिष्ट चिकित्सीय उपचार हेतु एंबुलेंस एवं चिकित्सीय उपकरणों इत्यादि की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है । चाय बागान कर्मियों को उनके घरों में सुरक्षित पेयजल तथा साफ व सुरक्षित शौचालयों के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है ।

चाय संवर्धनः

टी बोर्ड का संवर्धनात्मक कार्य साधरणतः मुख्यालय स्थित संवर्धन निदेशालय तथा इसके विदेशों में स्थित कार्यालय के माध्यम से किया जाता है । जबकि संवर्धनात्मक कार्य भारतीय चाय के मूल्यवर्द्धन

रुप जैसे-पैकेट चाय, चाय थैली एवं इन्सटेंट चाय के रुप में लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया जाता है । टी बोर्ड यूके, यूएसए/कनाडा एवं जर्मनी जैसे विदेशों में चाय परिषद के माध्यम से चाय को पेय के रुप में लोकप्रिय बनाने में सहयोग प्रदान कर रहा है ।

विदेशों में स्थित कार्यालयों की गतिविधियों में सम्मिलित है- अंतर्राष्ट्रीय मेले एवं प्रदर्शिनयों, में भागेदारी, विशिष्ट रुप से खाद्य एवं पेय कार्यक्रम, विशिष्ट भणडारों/सुपर बाजारों में फिल्ड सैम्पलींग, मीडिया प्रसारण, क्रेता-विक्रेता बैठक, भारतीय निर्यातकों/मूल्यवर्धन चाय के विदेशी आयतकों को अपने संवर्धनात्मक व विपणन प्रयासों में संवर्धनात्मक सहयोग प्रदान करना, आयतकों एवं निर्यातकों के बीच गहन संपर्क स्थापित करने हेतु पी आर गतिविधियां, तथा भारत एवं आयतक देशों के बीच चाय प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान, नियमित विपणन लोगो के अलावा टी बोर्ड ने देश के विविध क्षत्रों की चायों को लोकप्रिय बनने के लिए जिला चाय लोगो को सफलतापूर्वक लागू किया है ।

<u>टी बोर्ड की जन-शक्ति</u>

दिनांक 31/03/2016 तक टी बोर्ड की कुल जन-शक्ति (बोर्ड के विदेश स्थित कार्यालयों को छोड़कर) 558 थी । बोर्ड के भारत में स्थित कार्यालयों के विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों एवं कर्मी सदस्यों की वर्तमान संख्या सारणी-1 में दर्शायी गयी है ।

सारणी -1

31.03.2016 तक भारत में बोर्ड की समूहवार जन -शक्ति

	ग्रुप - ए	ग्रुप -बी	ग्रुप -सी	कुल
मुख्यालय	17	74	151	242
क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालय	54	107	151	312
टी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी	4		-	4
कुल	75	181	302	558

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	कुल
ग्रुप - ए	11	04	16	31
ग्रुप - बी	33	05	33	71
ग्रुप - सी	53	19	24	96
कुल	97	28	73	198

<u>समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की जन-शक्ति में बदलाव</u>

1. पदोन्नति

i. श्री देबी प्रसाद सरकार, स.प्र.अधि.के पद को दिनांक 16/04/2015 से अनुभाग अधिकारी (भंडार) के पद पर पदोन्नत किया गया ।

ii. श्री जगदीश प्रसाद सहायक निदेशक चाय विकास को 14/09/2015 से उप निदेशक चाय विकास (पी) के पद पर पदोन्नत किया गया ।

iii. श्री रमेश्वर कुजूर, स.नि.चा. को दिनांक 14/09/2015 से उपनिदेशक चाय विकास (पी) के स्तर पर प्रोन्नत किया गया ।

2. **अतिरिक्त दायित्वः** श्री एस. बनर्जी, प्रणाली विश्लेषक को सहायक सचिव, टी बोर्ड का अतिरिक्त भार दिनांक 01/03/2016 से तदर्थ आधार पर सौंपा गया है ।

3. **पद त्यागपत्र एवं त्याग**

i. श्री अनिल कुमार सिंह, मृदा वैज्ञानिक ने दिनांक 19/05/2015 को पद त्याग दिया ।

ii. श्री अंबालवनम रामास्वामी (आई ए & एएस 94) ने दिनांक 20/06/2015 को कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, कूनूर के पद से कार्यमुक्त किया गया ।

iii. श्री सिद्धार्थ, भा.प्र.से. (प.बं.83), अध्यक्ष ने अध्यक्ष पदभार को दिनांक 25/06/2015 से त्याग दिया ।

4. **नियुक्तियां:**

i. श्री सी पॉलरासू को दिनांक 23/06/2015 से कार्यपालक निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया ।

ii. श्री संतोष कुमार सारंगी, भा.प्र.से. (ओ.आरः 94) ने दिनांक 30/06/2015 अध्यक्ष, टी बोर्ड का कार्यभार ग्रहण किया ।

iii. वर्तमान संयुक्त सचिव के अतिरिक्त श्री संजीओ कुमार, आईएफएस की नियुक्ति दिनांकः 12/02/2016 से पांच वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड के उत्तर पूर्व मंडल कार्यालय में कार्यपालक निदेशक के रुप में हुई ।

5. **सेवनिवृत्तिः**

i. श्री नरेन्द्र कुमार, वरि. वैज्ञानिक अधिकारी दिनांक 31/08/2015 को बोर्ड की सेवा से निवृत्त हुए ।

ii. श्री बी.के. विश्वास, सहायक सचिव दिनांक 30/11/2015 को बोर्ड को सेवा से निवृत्त हुए ।

iii. श्री रंजन दास, उ.नि.चा.वि. दिनांक 31/01/2016 को बोर्ड की सेवा से निवृत्त हुए ।

iv. श्री डी.पी. सरकार, अनुभाग, अधिकारी दिनांक 29/02/2016 को बोर्ड की सेवा से निवृत्त हुए ।

v. श्री डी.टी. खाड़े, अनुभाग अधिकारी, दिनांक 29/02/2016 को बोर्ड की सेवा से निवृत्त हुए ।

अनुलग्नक-I

भारत तथा विदेशों में स्थित टी बोर्ड कार्यालयों का पता :

भारत में स्थित कार्यालय

कोलकाता

टी बोर्ड

14, बीटीएम सारणी ,

कोलकाता - 700001,

दूरभाष : 033-22351331/ फ़ैक्स : 033-22215715

ईमेल : secyteaboard@gmail.com

वैबसाइट : www.teaboard.gov.in

दिल्ली

टी बोर्ड

13/2 जाम नगर हाउस , शाहजहाँ रोड ,

नई दिल्ली -110011,

दूरभाष : 011-23074179, फ़ैक्स-236 25930

मोबाईल : 09811100236, 23543513-आ.

ईमेल : nasstats@gmail.com

कूनूर

कार्यपालक निदेशक , टी बोर्ड ,

शेलवूड कूनूर क्लब रोड ,

पोस्ट बॉक्स न. - 6,

कूनूर -643101, नीलगिरि , दक्षिण भारत,

दूरभाष : 0423-2231638/2230316*[डी]

फ़ैक्स : 0423-2232332, 2231484-आ.

ईमेल : teaboardcoonoor@rediffmail.com

कोची

संयुक्त अनुज्ञापन नियंत्रक,

टी बोर्ड

इन्दिरा गांधी रोड , विलिंगडॉन आइलैंड,

कोची - 682003 , केरल ,

दूरभाष : 0484-2666523/2340481

टेली फ़ैक्स : 0484-2666648

ईमेल : teaboardkochi@hotmail.com/ *kpvkumar.tbi@nic.in*

गुडलूर

सहायक निदेशक चाय विकास

टी बोर्ड , एश्वर्या बिल्डिंग,

टी.के.पेट कालीकट रोड,

गुडलूर-643212

ईमेल : teaboardgudalur@gmail.com

कोटागिरि

सहायक निदेशक चाय विकास,

टी बोर्ड,

रामचंद स्कवायर कोटागिरि-643217

नीलगिरी, तमिलनाडु

ई मेलः teaboardkotagiri@gmail.com

कुंडाह

सहायक निदेशक चाय विकास,

टी बोर्ड,

सं. 3/253,सी, कील कुंडाह,

मेन रोड, मनजुर

नीलगिरी-643219

तमिलनाडु

ई मेलः regionalofficekundah@gmail.com

कुमिली

सहायक निदेशक चाय विकास

टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय,

कुमिली क्षेत्रीय कार्यालय

हाई रेंज प्लाज़ा ,2 तल,

इदुक्की जिला , केरल - 685 509,

दूरभाष : 04869 - 222628 ,

ईमेल : teaboard.kumily@gmail.com

कोयम्बटूर

श्रम कल्याण अधिकारी,

टी बोर्ड,

सं0.12/278, टी ट्रेड एसोसिएशन कॉम्प्लेक्स ,

जीएम मिल्स पोस्ट,

मेट्टुपल्लयम रोड ,

कोयम्बटूर - 641029

ईमेल : teaboardcoimbatore@gmail.com

गुवाहाटी

उप निदेशक , चाय विकास,

हाउसफेड कॉम्प्लेक्स , 5वां तल ,

बेलतला बशिष्ठ रोड ,

दिसपुर, गुवाहाटी -781006,

दूरभाष : 0361-2234257/2234258

फ़ैक्स : 0361-2234251

ईमेल : teaboardghy@hotmail.com

जोरहाट

कार्यपालक निदेशक,

उत्तर पूर्व आंचलिक कार्यालय

टी बोर्ड, टी रिसर्च एसोशिएशन कॉम्प्लेक्स ,

सिन्नामारा , जोरहाट - 785001 ,

असम

दूरभाष : 0376-2360066 / फैक्सः 2360068

ईमेल : teaboardjorhat@gmail.com

डिब्रूगढ़

सहायक निदेशक चाय विकास (रोपण),

टी बोर्ड, वेस्ट चौकीदींगी टी.आर. फुकन रोड

डिब्रूगढ़– 786 001, टेली फ़ैक्स : (0373) 2322932

ईमेल: teaboarddibrugarh@gmail.com

तेजपुर

सहायक निदेशक चाय विकास ,

टी बोर्ड,

मिशन चाराली, व्यापार एवं उद्योग भवन के विपरीत ,

पी.ओ. : डेकारगाँव , तेजपुर -784501,

जिला - सोनीतपुर, असम ,

दूरभाष : 03712-255664,

ईमेल : teaboardtezpur@yahoo.com

सिल्चर

सहायक निदेशक चाय विकास ,

टी बोर्ड , क्लब रोड , सिल्चर -788001 ,

जिला - कछार , असम ,

दूरभाष : 03842-232518,

ईमेल : silchar_tboard@rediffmail.com

अगरतला

सहायक निदेशक चाय विकास ,
अखौरा रोड, फायर ब्रीगेड, चौमुहानी
आगरतला-799001, त्रिपुरा (पश्चिम)
दूरभाष (फैक्स) 0381-2324182
ईमेल आईडी: teaboard.agartala@gmail.com

इटानगर

सहायक निदेशक चाय विकास
टी बोर्ड , क्षेत्रीय कार्यालय ,
प्राइवेट रेसीडेंस , 2 तल ,
किंगकप स्कूल के निकट ,
वी.आई.पी. रोड , इटानगर - 791 111
अरुणाचल प्रदेश
दूरभाष व फैक्स : 0360-2292124
ईमेल आईडी: teaboarditanagar@gmail.com

सिलीगुड़ी

उप निदेशक , चाय विकास (रोपण),
शहीद भगत सिंह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स,
(3 तल), सेकेंड माइल , सेवोक रोड ,
सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल
दूरभाष : 0353-2544778/2540209
ईमेल : kkbkolkata@gmail.com

जलपाईगुड़ी

सहायक निदेशक चाय विकास ,
टी बोर्ड , रुबी कॉटेज,
शिबाजी रोड, हाकिमपाड़ा,
जलपाईगुड़ी,
दूरभाष : 03561-225146
ईमेल : *teaboardjal@gmail.com*

पालमपुर

सहायक निदेशक चाय विकास ,
टी बोर्ड, मिशन रोड ,
पालमपुर -176061
जिला- कांगड़ा ,
हिमाचल प्रदेश ,
दूरभाष : 01894-230524
फैक्स : 01894-231748
ईमेल : teaboardpalampur@gmail.com

दार्जिलिंग (डीटीआर व डी.सी.)

परियोजना निदेशक
टी बोर्ड,
आचार्य भानू पथ ,,
कार्सियांग -734 203, दार्जिलिंग ,
दूरभाष - 0354 -230287
फ़ैक्स : 0354-230218 (फ़ैक्स व दूरभाष)
ईमेल : tea2darjeeling@yahoo.co.in

मुंबई

अधीक्षक,
टी बोर्ड, रेशम भवन,
78, वीर नरीमन रोड, मुंबई - 400020,
टेलीफ़ैक्स : 022-22041699, जी.एच (टेली) 23675401
ईमेल : mumtea@vsnl.net

लघु चाय रोपण विकास निदेशालय, डिब्रूगढ़

सहायक निदेशक चाय विकास

"विजय भवन"

अमोलापट्टी, पी.ओ. - डिब्रूगढ़,

जिला : डिब्रूगढ़ , असम ,

पिन कोड न. : 796001,

दूरभाष : (0373) 2324982 / 2328941

फ़ैक्स : (0373) 2325506

ईमेल: teaboardsgdd@gmail.com

विदेश स्थित कार्यालय

दुबई

श्री वी. जॉर्ज जेनर, आईएफएस,

निदेशक चाय संवर्धन,

टी बोर्ड ऑफ इंडिया,

पी.ओ. बॉक्स न. 2415, फ्लेट सं. 5, अल अब्बास बिल्डिंग्स,

बैंक स्ट्रीट, बुर्ज दुबई , दुबई यूएई ,

दूरभाष : 009714 3522612 / 3522613

फ़ैक्स : 0097143522615

मोबाइल : 00971567449828

ईमेल: teaboard@emirates.net.ae; vgjenner@gmail.com

मॉस्को

डॉ. शकिर हुसैन, आईआरपीएस

निदेशक चाय संवर्धन ,

टी बोर्ड ऑफ इंडिया ,

4, वोरोंत्स्वो पोलये- भारतीय दूतावास ,

रशियन फ़ैडरेशन , मॉस्को ,

दूरभाष/ फ़ैक्स: +7 (495)916 3724, +7-495 783 7535

एक्स: 293 + 7(495)917 1657

आवास : +7(495)952 0524

मो. : +0079653862273

ईमेल : teaboard@indianembassy.ru , dtp@indianembassy.ru

वैश्विक व भारतीय चाय परिदृश्य का एक व्यापक सिंहावलोकन

वैश्विक चाय परिदृश्य

उत्तर अमरीका को छोड़कर सभी महाद्वीपों के 35 से अधिक देशों में जिनकी जलवायु 42^0 उ. (जिर्योजिया) व 35^0 द अक्षांश (अर्जेन्टिना) के मध्य है, में चाय उगायी जाती है । 2014 में आकलित वैश्विक उत्पादन एवं खपत 5305 मिलियन कि.ग्रा. व करीब 4999 मिलियन कि.ग्रा. रहा । 2015 के दौरान उत्पादक देशों से कुल निर्यात ने 1805 मिलियन कि.ग्रा. जोड़ा । मुख्य चाय उत्पादक एवं निर्यातक देश चीन, भारत, केन्या व श्रीलंका, है एवं वैश्विक उत्पादन एवं निर्यात का 79% एवं 73% दर्शाते हैं । (तालिका-1)

तालिका-1.

मुख्य उत्पादक एवं निर्यातक देशों का उत्पादन व निर्यात अंश

	2015			
देश	**उत्पादन**		**निर्यात**	
	मिलियन कि.ग्रा.	**% हिस्सा**	**मिलियन कि.ग्रा.**	**% हिस्सा**
चीन	2278	43	325	18
भारत	1209	23	229	13
केन्या	399	7	443	25
श्रीलंका	329	6	301	17
अन्य	1090	21	507	27
विश्व कुल	**5305**	**100**	**1805**	**100**

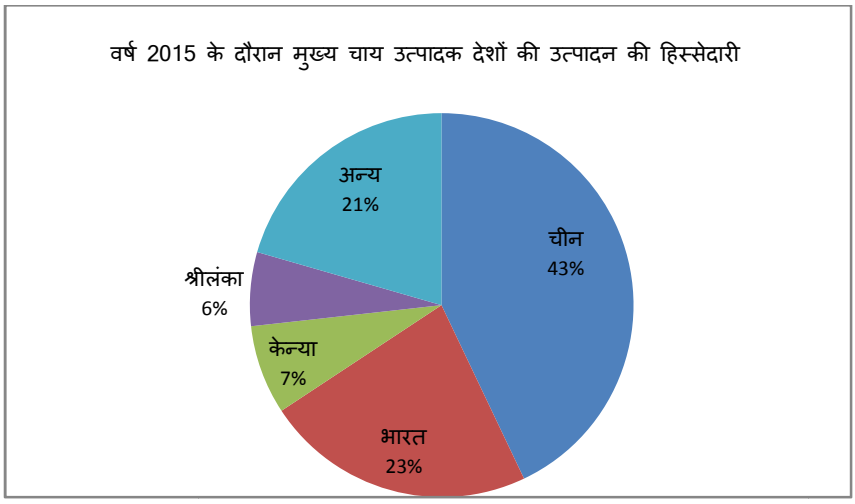

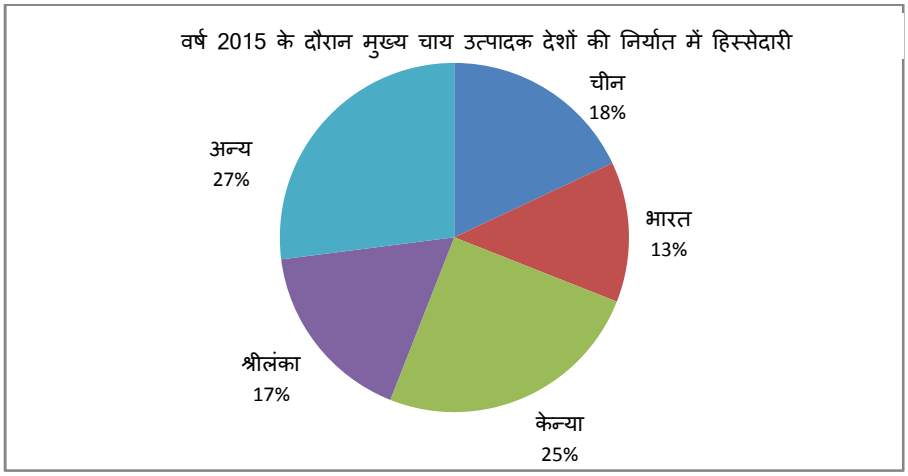

तालिका-2 : चाय का विश्व नीलामी मूल्य

वर्ष	विश्व नीलामी मूल्य यू.एस $/कि.ग्रा.					
	भारत	बांगलादेश	श्रीलंका	इंडोनेशिया	केन्या	लिम्बे
2013	2.20	2.46	3.44	1.98	2.41	1.82
2014	2.08	2.28	3.53	1.66	2.03	1.43
2015	1.94	2.41	3.01	1.56	2.73	1.56

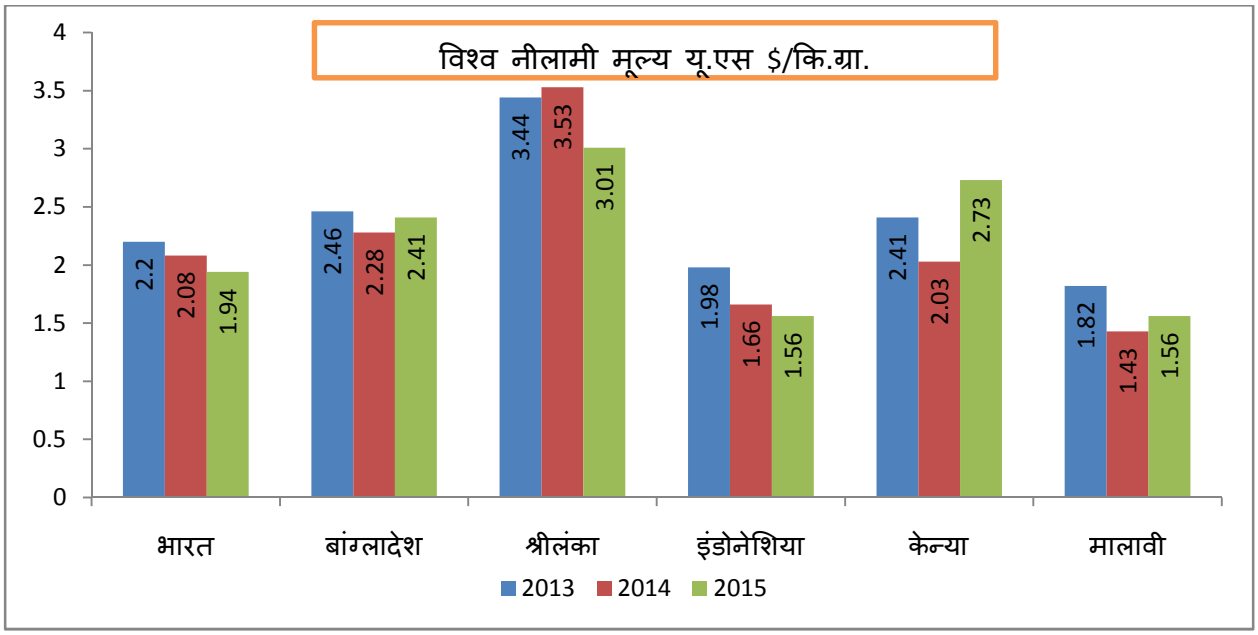

औसतन प्रति व्यक्ति चाय की खपत भिन्न-भिन्न देशों में अलग-अलग किस्मों की चाय पर निर्भर करती है । अधिकतम खपत तुर्की (3.18 कि.ग्रा.) में है, करीब 2 कि.ग्रा. अफगानिस्तान, युनाईटेड किंगडम लिबिया, मोरक्को, कतर, ताईवान एवं आयरलैंड में है । श्रीलंका, पाकिस्तान, चीन, ईरान व ईराक में 1 किलोग्राम के लगभग एवं भारत में 800 ग्राम की खपत है । हालांकि प्रति व्यक्ति खपत में भारत सबसे नीचे है, उसकी वृहत्तम आबादी के चलते कुल उत्पादन का लगभग 78 प्रतिशत खपत देश में ही होती है । इस प्रकार वैश्विक उत्पादन के 19% चाय की खपत भारत में ही होता है। यह स्थिति अन्य चाय उत्पादनकारी देशों की तुलना में पर्याप्त व्यतिरेकी है, विशेषकर केन्या और श्रीलंका जिनकी अपनी घरेलू खपत कम है, और इसी कारण वे अपने अधिकतर उत्पादित चाय का निर्यात करते हैं ।

2015 में वैश्विक चाय की स्थिति :

उत्पादन

वर्ष 2014 की तुलना में 2015 में कुल चाय उत्पादन में 41 मि.कि.ग्रा. की वृद्धि हुई । सारणी-3 में देखा जा सकता है कि काली चाय उत्पादन में सभी देशों में कमी आई केवल भारत में सीमांत वृद्धि हुई । परन्तु, चीन में उत्पादन में 134 मि.कि.ग्रा. की वृद्धि जिससे ग्रीन टी में वृद्धि हुई ।

सारणी-3: मुख्य चाय उत्पादक देशों में चाय उत्पादन:

देश	2015	2014	2014 की तुलना में वृद्धि
भारत	1209	1207	2
श्रीलंका	329	338	-8
केन्या	399	445	-46
चीन	2278	2096	182
अन्य	1090	1110	-20
कुल	5305	5196	109

स्रोतः आईटीसी वार्षिक बुलेटिन सांख्यिकी 2016 (भारत को छोड़कर)

निर्यात 2014 की तुलना में 2015 में कुल वैश्विक निर्यात में, 58 मिलियन कि.ग्रा. की कमी आई जो करीब 3% था (सारणी-4) । परन्तु, भारत व चीन अपनी क्रम में अग्रणी स्थान पर बरकरार रखा ।

सारणी-4

मुख्य उत्पादक देशों में निर्यात (मिलियन कि.ग्रा. में)

देश	2013	2014	2014 की तुलना में वृद्धि
केन्या*	**443**	**499**	**-56**
चीन	**325**	**302**	**23**
श्रीलंका	**301**	**318**	**-17**
भारत	**229**	**207**	**22**
अन्य	**507**	**506**	**1**
कुल विश्व निर्यात	**1805**	**1832**	**-27**

स्रोतः आईटीसी वार्षिक बुलेटिन सांख्यिकी 2016 (भारत को छोड़कर)

* केन्या के निर्यात में पड़ोसी अफ्रीकी देशों का उत्पादन भी शामिल है ।

चाय मूल्य:

2015 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय चाय मूल्य स्थिर रहा । श्रीलंका एवं जकार्ता नीलामी केन्द्र को छोड़कर औसत नीलामी मूल्य में भारत, मोम्बासा, चिट्टगोंग व लिम्बे में 2014 की तुलना में वृद्धि हुई । (सारणी-5)

सारणी-5

सारणी-5 : 2015 के दौरान चाय मूल्य सम्बंधित राशि प्रति कि.ग्रा.

नीलामी केन्द्र	2014	2015	>/< 2014 की तुलना में वृद्धि
भारत	126.88	124.48	-2.40
उत्तर भारत			
कोलकाता `	161.40	158.35	-3.05
गुवाहाटी `	139.41	138.90	-0.51
सिलिगुड़ी `	125.55	119.89	-5.66
दक्षिण भारत			
कोच्ची `	101.70	99.30	-2.40
कोयम्बटूर `	80.41	77.08	-3.33
कूनूर `	73.06	72.41	-0.65
बांग्लादेश			
चित्तगोंग टका	177.30	187.16	-9.86
श्रीलंका			
कोलम्बो श्री. रु.	461.35	402.14	59.21
इंडोनेशिया			
जकार्ता यूएस $ सी	165.70	156.15	9.55
केन्या			
मोम्बासा यूएस $ सी	203.00	273.00	70.00
मालावी			
लिम्बे यूएस $ सी	142.89	156.09	-13.20

(स्रोत: आईटीसी वार्षिक बुलेटिन सांख्यिकी 2015 भारत को छोड़कर एवं भारतीय नीलामी को छोड़कर मासिक सांख्यिकीय सारांश)

<u>भारतीय चाय परिदृश्य</u>

भारत में चाय का उत्पादन 15 राज्यों में होता है जिनमें से, **असम, पश्चिम बंगाल, तामिलनाडू एवं केरल मुख्य चाय उत्पादित राज्य हैं ।** कुल उत्पादन का 97% हिस्सा इन चार राज्यों में होता है । परम्परागत राज्यों में जहाँ छोटे पैमाने पर चाय उगाई जाती वे राज्य हैं—त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार एवं कर्नाटक । गैर-परम्परागत राज्य, जिन्हें हाल ही में भारत के चाय नक्शे में शामिल किया है, उनमें शामिल हैं--- अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, एवं सिक्किम ।

भारत विश्व की बेहतरीन चायों का उत्पादन करता है—जैसे दार्जिलिंग, असम एवं नीलगिरी कांगड़ा जो अपनी नरम सुगंध, दृढ़ता व उज्जवलता के लिए मशहूर है । विविध सस्य जलवायुगत स्थितियों में, भारत विभिन्न प्रकार के स्वाद वाले चायों का उत्पादन करता है जो उपभोक्ताओं को बहुत ही पसंद आती हैं । प्रत्येक प्रान्त की अपनी अलग विशिष्टता होती है, जो उसे अन्य क्षेत्रों से अलग करती है ।

उत्पादन : 2014-15 की तुलना 2015-16 के दैरान कुल चाय उत्पादन में 36.00 मि.कि.ग्रा. की वृद्धि हुई क्योंकि उत्तर भारत में मुख्य चाय उत्पादन क्षेत्रों में बेहतरीन जलवायु स्थिति है । (सारणी-6)

<u>सारणी-6. भारत में चाय का उत्पादन</u> (मिलियन कि० ग्रा० में.)

कैलेण्डर वर्ष	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत	**वित्तीय वर्ष**	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत
2013	958.62	241.79	1200.41	**2013-14**	965.07	243.71	1208.78
2014	965.2	242.11	1207.31	**2014-15**	955.82	241.36	1197.18
2015	981.09	227.57	1208.66	**2015-16**	1008.56	224.58	1233.14

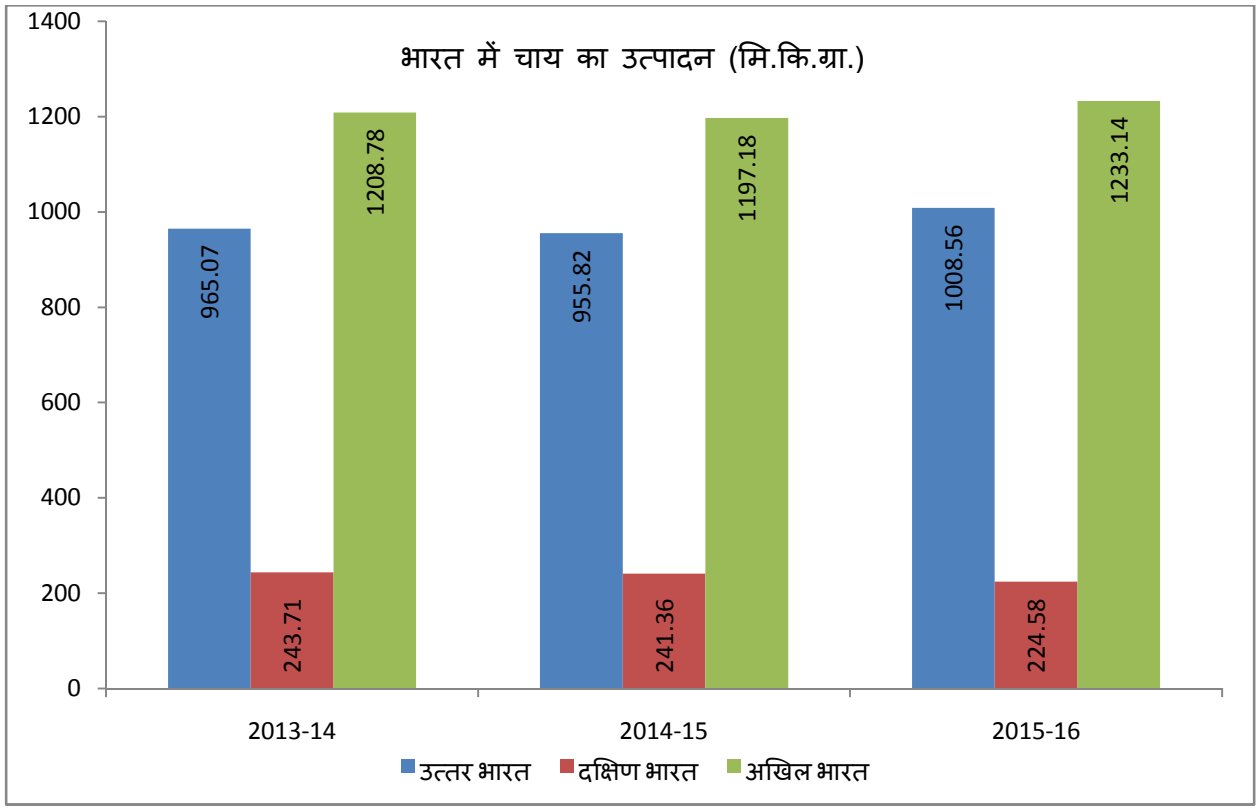

<u>निर्यात</u>

विगत वर्ष की तुलना में कैलेण्डर तथा वित्तिय वर्षो के दौरान भारत से चाय के निर्यात में 21.22 मि.कि.ग्रा. व 33.84 मि.कि.ग्रा. की वृद्धि हुई साथ ही मूल्य वसूली में भी वृद्धि हुई । (सारणी-7)

सारणी-7

गत 3 वर्षो के दौरान भारत से चाय का निर्यात

मात्रा= मिलियन कि.ग्रा.; मूल्य=रू. करोड में ई.मू= रू में इकाई मूल्य/कि.ग्रा.

कैलेण्डर वर्ष	मात्रा.	मूल्य	ई.मू.	वित्तिय वर्ष	मात्रा	मूल्य	ई.मू
2013	219.06	4355.23	198.81	**2013-14**	225.76	4509.09	199.73
2014	207.44	4054.02	195.43	**2014-15**	199.08	3823.64	192.07
2015	228.66	4355.32	190.47	**2015-16**	232.92	4493.10	192.90

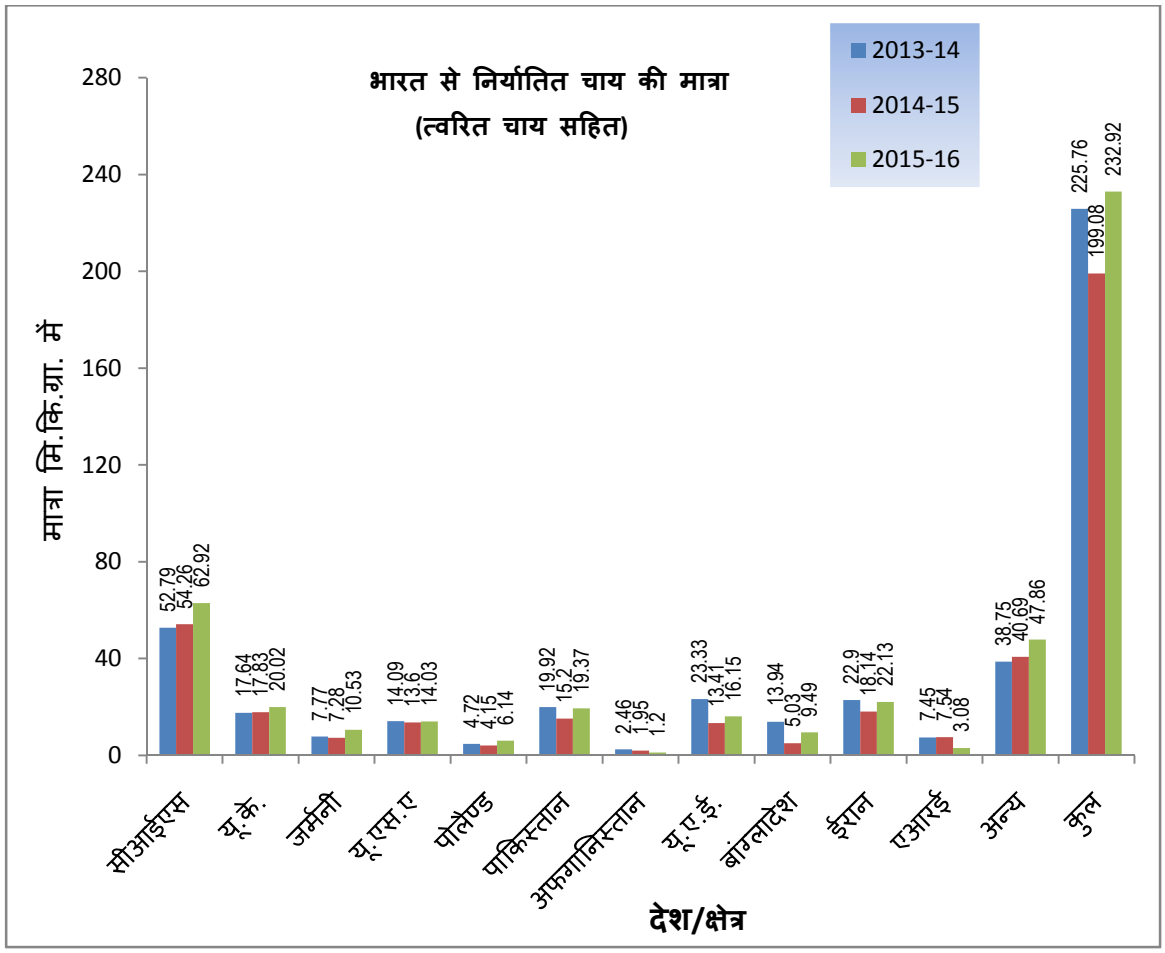
भारत से निर्यातित चाय की मात्रा
(त्वरित चाय सहित)
2013-14
2014-15
2015-16
मात्रा मि.कि.ग्रा. में
280
240
200
160
120
80
40
0
52.79 54.26 62.92
17.64 17.83 20.02
7.77 7.28 10.53
14.09 13.6 14.03
4.72 4.15 6.14
19.92 15.2 19.37
2.46 1.95 1.2
23.33 13.41 16.15
13.94 5.03 9.49
22.9 18.14 22.13
7.45 7.54 3.08
38.75 40.69 47.86
225.76 199.08 232.92
सीआईएस
यू.के.
जर्मनी
यू.एस.ए
पोलेण्ड
पाकिस्तान
अफगानिस्तान
यू.ए.ई.
बांग्लादेश
ईरान
एआरई
अन्य
कुल
देश/क्षेत्र

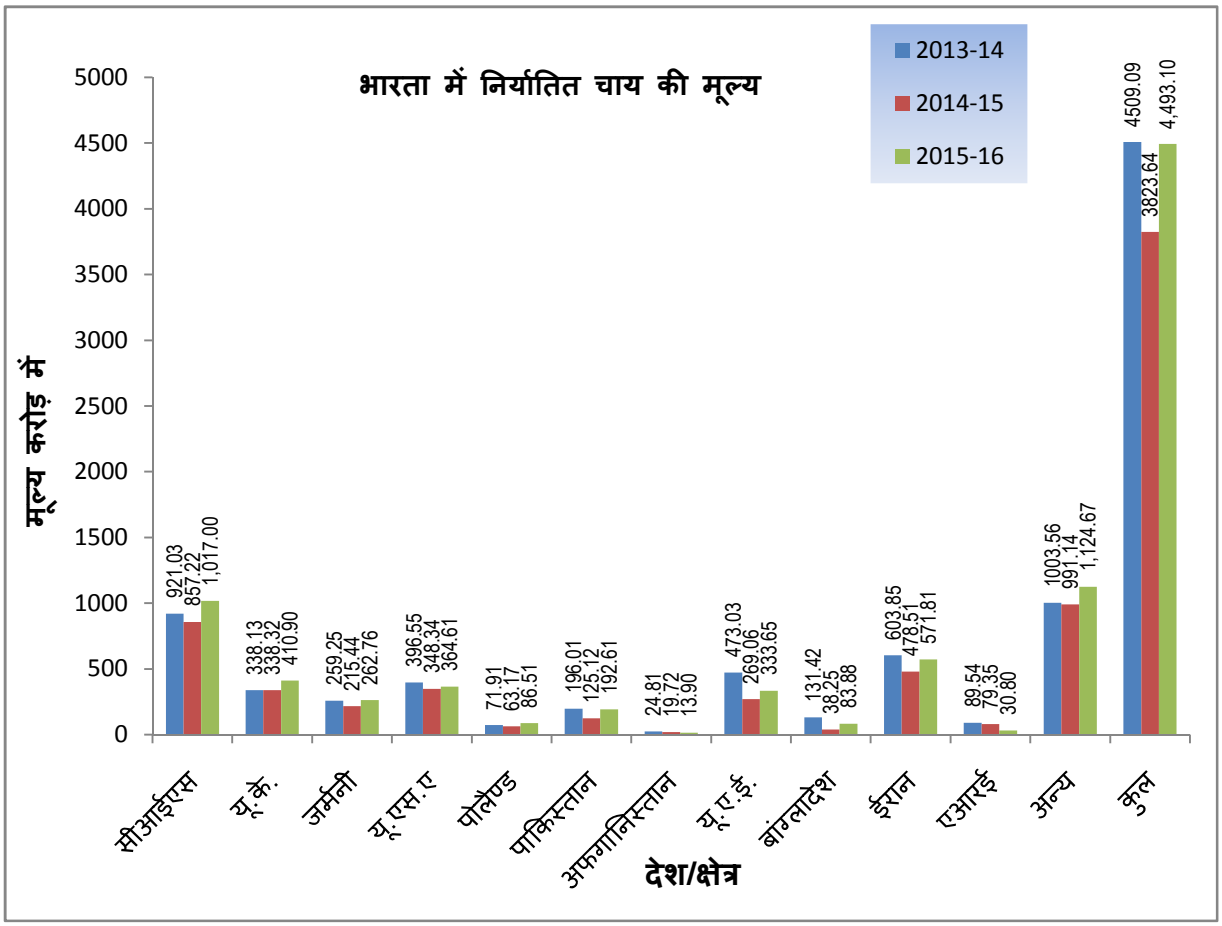

गत 3 वर्षो में विभिन्न रूपों में निर्यात (सारणी - 08 से 11)

सारणी-8: थोक चाय का निर्यात

वर्ष	मात्रा (मि.कि. ग्रा.)	मूल्य (रू करोड.)	इकाई मूल्य (रू /कि.ग्रा)
2013-14	199.55	3534.36	177.13
2014-15	173.28	2938.58	169.58
2015-16	206.12	3522.33	170.89

सारणी -9

पैकेट चाय का निर्यात

वर्ष	**मात्रा** (**मि.कि. ग्रा**.)	**मूल्य** (**रू करोड**.)	**इकाई मूल्य** (**रू /कि.ग्रा**)
2013-14	12.36	351.39	284.30
2014-15	13.15	343.35	261.08
2015-16	12.59	347.71	276.14

सारणी -10

चाय थैले का निर्यात

वर्ष	**मात्रा** (**मि.कि. ग्रा**.)	**मूल्य** (**रू करोड**.)	**इकाई मूल्य** (**रू /कि.ग्रा**)
2013-14	10.27	448.21	436.43
2014-15	10.15	423.42	417.20
2015-16	10.40	435.24	418.46

सारणी -11

त्वरित चाय का निर्यात

वर्ष	**मात्रा** (**मि.कि. ग्रा**.)	**मूल्य** (**रू करोड**.)	**इकाई मूल्य** (**रू /कि.ग्रा**)
2013-14	3.59	175.13	487.83
2014-15	2.50	118.29	474.11
2015-16	3.81	187.82	493.09

<u>प्राथमिक विपणन:</u>

विगत तीन वर्षों में विभिन्न माध्यमों द्वारा चाय बागानों ने चाय का विक्रय किया एवं सार्वजनिक नीलामी में औसत मूल्य सारणी-12 और 13 में दर्शाया गया है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 46% कुल चाय उत्पादन का विक्रय सार्वजनिक नीलामी, विगत वर्ष में वृद्धि तथा अन्य माध्यमों द्वारा किया गया ।

सारणी -12: भारत में उत्पादित चाय की निपटान पद्धति

वर्ष	**नीलामी के माध्यम से बिक्री चाय की मात्रा**	**अग्रेषित निविदा के तहत सीधे बागान से निर्यात**	**सीधे बागान से निजी बिक्री**
2013	532 (44.33)	90 (7.50)	578 (48.17)
2014	542 (44.90)	61 (5.05)	604 (50.05)
2015	562 (46.48)	62 (5.13)	585 (48.39)

(मिलियन कि. ग्रा. में मात्रा. कुल उत्पादन के आंकड़े % कोष्ठक में दिये गये)

सारणी -13:नीलामी के माध्यम से बिक्री चाय का औसत मूल्य

कैलेण्डर वर्ष	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत	वित्तीय वर्ष	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत
2013	139.95	98.75	128.46	2013-14	137.61	95.82	126.12
2014	143.07	82.89	126.88	2014-15	141.46	81.15	125.59
2015	139.79	81.40	124.48	2015-16	142.91	85.64	127.62

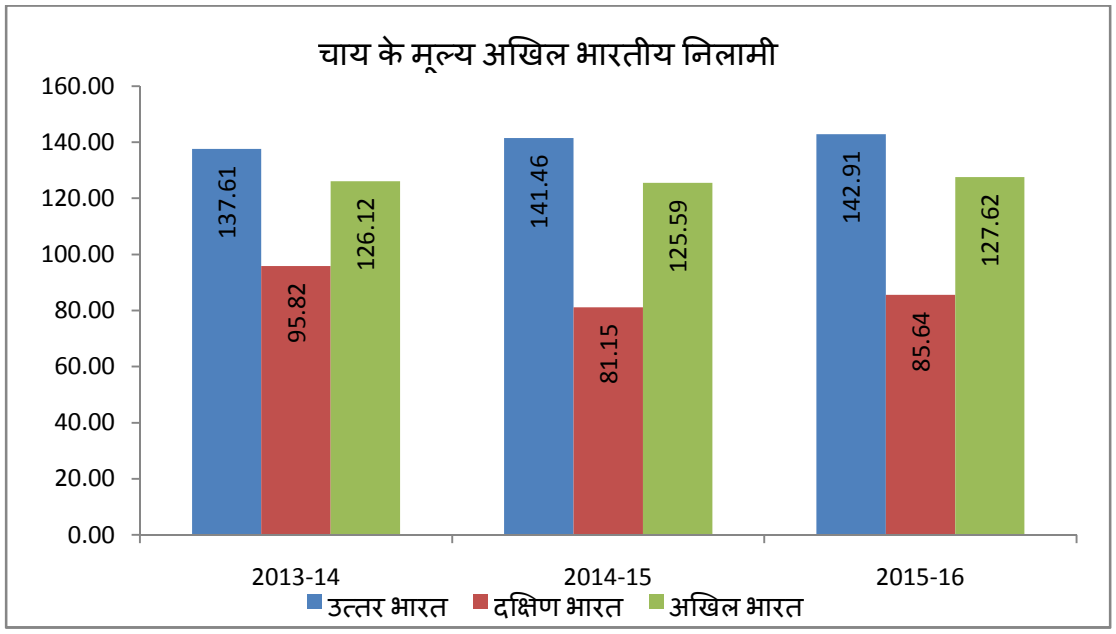

घरेलु खपत

वर्ष 2015-16 में चाय की आन्तरिक खपत 1018 मि.कि.ग्रा. थी जबकि 2014-15 में चाय की आन्तरिक खपत 1019 मि.कि.ग्रा. थी ।

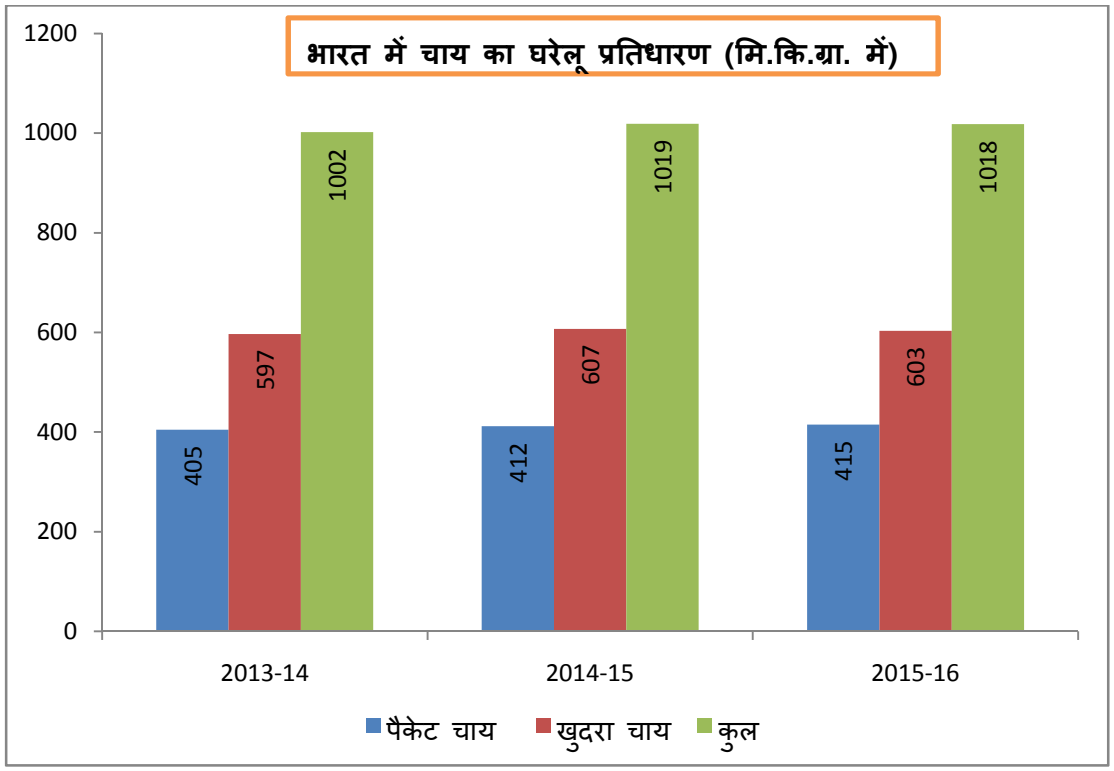

प्रस्तावना

चाय अधिनियम की धारा 25 एवं 26 के अनुसार चाय उपकर की आमदनी और देश में उत्पादित सभी किस्मों की चाय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा की गई उपकर की वसूली को भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है और केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वार्षिक बजट के तहत बोर्ड की आवश्यकता के अनुसार निधि प्रदान करती है । चाय अधिनियम की धारा 25 में विहित शर्तों के संबंध में 1 जून 2011 से प्रभावी वर्तमान में दार्जिलिंग एवं दार्जिलिंग इतर तैयार चाय पर उपकर प्रभार क्रमश: 0.20 ` प्रति कि.ग्रा. तथा 0.50 ` प्रति कि. ग्रा. की दर से लगाया जाता है ।

अनुदान, सहायिकी एवं भारत सरकार द्वारा कथित अधिनियम की धारा 26ए के तहत मुक्त किए गए ऋण, बोर्ड की आय का अन्य मुख्य स्रोत है । बोर्ड के राजस्व प्राप्ति के अन्य लघु स्रोत भी है जैसे: अनुज्ञाप्तियों पर शुल्क, ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज तथा विविध आय जैसे: तरल चाय की बिक्री, हरी पत्तियों की बिक्री, आवेदन पत्रों एवं अन्य प्रकाशनों इत्यादि की बिक्री । ऐसे सभी लेखों की आय आईईबीआर में जमा होती है ।

अत:, चाय अधिनियम की धारा 26 एवं 26ए के तहत बोर्ड हेतु उपलब्ध सभी निधियाँ वार्षिक संयुक्त बजट के माध्यम से गमन करती है । अधीनस्थ विधायन के संदर्भ तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत और सरकार की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के विषय में चाय अधिनियम की धारा 10 में प्रतिस्थापित प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के कार्य के लिए ऐसी निधियों को उपयोग में लाया जाता है । बोर्ड के बजट को दो संघठित तत्वों में समाविष्ट किया जाता है जैसै गैर-योजना एवं योजना ।

<u>उपकर आय</u>

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के पावती बजट के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उपकर संग्रहण ` 5286.00 लाख था । वर्ष 2015-16 के दौरान चाय अधिनियम 1953 की धारा 26 के तहत उपकर की आय के प्रति टी बोर्ड को गैर-योजना के रूप में ₹ 5245.50 लाख (अथ शेष छोड़कर) सरकार द्वारा विनिर्मुक्त किया गया था ।

अनुसंधान एवं विकास अनुदान

वर्ष 2015-16 के दौरान अनुसंधान एवं विकास अनुदान के प्रति सरकार से ₹1550.00 लाख की राशि प्राप्त की गयी ।

अनुसंधान (एएसआईडीई)

वर्ष के दौरान सरकार से अनुदान के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई । तथापि अथ शेष ₹50.00 लाख था ।

सहायिकी

वर्ष के दौरान सरकार से सहायिकी के रूप में ₹1150.00 लाख की राशि प्राप्त हुई ।

विशेष प्रयोजन चाय निधि-पुंजीगत

वर्ष के दौरान, एसपीटीएफ पूंजी अंशदान के प्रति सरकार से कोई राशि नहीं प्राप्त हुई ।

<u>गैर-योजना प्राप्तियाँ एवं व्यय</u>

क. प्राप्तियाँ

वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-योजना के विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्तियाँ निम्नवत थी :

(₹ लाख में)

चाय अधिनियम की धारा 26 के तहत प्राप्त राशि	5245.50
अनुज्ञापनों/टीएमसीओ, 2003 के बाबत वसूले गए शुल्क	21.08
एचएसीसीपी के बाबत वसूले गए शुल्क	00.00
तरल चाय की बिक्री, हरी पत्तियों की बिक्री, प्रकाशनों की बिक्री, नियत जमा पर ब्याज इत्यादि सहित विविध प्राप्तियाँ	568.38
अग्रिम पर ब्याज	6.66
डीसीटीएम के बाबत वसूले गए पंजीकरण शुल्क, असम ट्रेड चिह्न, नीलगिरि ट्रेड चिह्न व लोगो प्रशासन	20.80
अन्य प्राप्तियाँ	128.22
कुल	5990.64

ख. <u>व्यय</u>-

वर्ष 2015-16 के दौरान गैर-योजना व्यय निम्नवत थी:

(₹ लाख में)

पुस्तकालय सहित प्रशासन	2720.53
भारत में चाय संवर्धन	449.64
भारत से बाहर चाय संवर्धन	46.96
पेंशन उपदान सहित	1715.36
कर्मचारियों को अग्रिम	(-)10.35
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	85.01
कार्य	7.48
अन्य प्रशासन व्यय	473.36
ऋण भुगतान	493.18
नियत आस्तियों का क्रय	9.53
कुल	5990.70

ग. <u>व्यय-अनुसंधान एवं विकास अनुदान</u>

(₹ लाख में)

टीआरए/उपासी को सहायता अनुदान	1252.39
आईएचबीटी को अनुसंधान अनुदान	34.85
अन्य संस्थाओं को अनुसंधान अनुदान	10.49
कूनूर में व्यय	19.78
एएयू को वित्तिय सहायता	3.00
सीएसकेएचपीकेवी को वित्तिय सहायता	5.06
एनबीयू को वित्तिय सहायता	2.98
एसयु को वित्तिय सहायता	1.36
डीटीआर व डीसी का वित्तिय उन्नयन	58.24
कार्यशाला / *संगोष्ठी* इत्यादि	3.16
संविदागत स्टाफ को वेतन (मुख्य)	4.92
क्यूसीएल सिलिगुड़ी व्यय	73.66
टीआरए/उपासी को छोड़कर अनुसंधान परियोजना	40.03
मूल्यांकन व अनुवीक्षण	8.86
अन्य विविध व्यय	56.35
कुल	1575.13

घ. <u>व्यय - सहायिकी</u>

(₹ लाख में)

रोपण सहायिकी योजना	4900.90
गुणवत्ता उन्नयन व उत्पाद विविधिकरण योजना	360.03
मानव संसाधन विकास योजना	491.84
अर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	3007.44
बाजार संवर्धन योजना	1432.74
अनुसूचित जाति सह योजना	260.92
एसजीडीडी	545.12
एनपीटीआर	125.01
कुल	11124.00

ड. व्यय- अनुसंधान योजना (एएसआईडीई)

(₹ लाख में)

व्यय	33.96
कुल	33.96

च. <u>व्यय-ऋण योजना</u>

(₹ लाख में)

ऋण योजना हेतु आवर्ती कार्पस निधि	460.15
एसपीटीएफ	3706.19
कुल	4166.34

<u>वर्ष 2015-16 के दौरान योजना पर कुल व्यय</u>

<u>(सी + डी + ई)</u> = ₹12733.09 **लाख**

चाय विकास

प्रस्तावना:

टी बोर्ड के प्राथमिक कार्यों में से एक कार्य चाय उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता उन्नयन, मूल्य संवर्धन उत्पादन मिश्रण श्रृंखला में आगे बढ़ने हेतु क्षमता निर्माण करना कार्मिकों से लेकर प्रबन्धकों तक सभी स्तरों पर कौशल में सुधार करना है ।

विकास समितिः

बोर्ड की विकास समिति बोर्ड के विकासात्मक कार्यों के निर्वहन में एक सलाहकार निकाय के रुप में मार्गदर्शन करती है । विकासात्मक समिति, जो विभिन्न विकासात्मक क्रियाकलापों के क्रियान्वयन में बोर्ड की सहायता करता है । रिर्पोटाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी हैः

1. श्री संतोष सारंगी, अध्यक्ष, चाय बोर्ड, समिति के पदेन अध्यन
2. श्री पी. नागराजन, माननीय सांसद
3. श्री डी. हेगड़े, द निलगिरिज़ तमिलनाडु
4. श्री दिलिप मोरान, माननीय विधायक, असम
5. श्री पी. मोहनन, केरल-सदस्य
6. रिक्त
7. रिक्त

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, विकास समिति ने निम्न तारीख को बैठक आयोजित कीः

बैठक सं.	बैठक की तारीख	स्थान
227 वीं	9 फरवरी, 2016	कोलकाता

टी बोर्ड की बारहवीं प्लान योजनाएं:

चाय बोर्ड की चाय विकास और संवर्धन योजना की रूपात्मकता, 10/12/2014 से क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित थी । इस तारीख से पूर्व, विभिन्न प्लान योजनओं के अन्र्तगत । अप्रैल, 2012 के बाद से प्राप्त आवेदनों को सरकारी आदेशानुसार, ग्यारहवीं प्लान के दिशा-निर्देशों के तहत 30/10/2014 तक

प्रक्रमित किए गए । इस अन्तरिम अवधि के दौरान प्राप्त आवेदनों के लिए, ग्यारहवीं प्लान दिशानिर्देशों को 9/12/2014 तक बढ़ाने हेतु सरकार को एक पत्र भेजा गया था ।

विभिन्न घटकों सहित बारहवीं प्लान चाय विकास एवं संवर्धन योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय नीचे प्रस्तुत हैः

सारणी-1

क्र.सं.	**क्रियकलाप**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**कुल**
1	**रोपण विकास**						
1		63.5	70	80	90	96.5	**400**
2	**ऑर्थोडोक्स उत्पादन सहित गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण**						
2		52.5	38.25	65.35	69.45	74.45	**300**
3	**बाज़ार संवर्धन**						
3		22.75	32.35	47.7	49.3	47.9	**200**
4	**अनुसंधान और विकास**						
4		10.85	26	43.15	38	32	**150**
5	**मानव संसाधन विकास**						
5		**10.4**	**17.4**	**33.7**	**44.25**	**44.25**	**150**
6	**लघु उत्पादकों का विकास**						
6		0	5	54	65	76	**200**
7	**राष्ट्रीय चाय विनियमन कार्यक्रम**						
7		0	1	10	7	7	**25**
कुल		**160**	**190**	**333.9**	**363**	**378.1**	**1425**

निम्नलिखित चाय विकास एवं संवर्धन योजना के विभिन्न घटक समीक्षाधीन वर्ष के दौरान क्रियन्वित किए गए ।

सारणी-2

क्रम सं.	**घटक का नाम**	**वित्तिय परिव्यय (राशि करोड़ रु. में)**	**वास्तविक प्राप्त (राशि, करोड़ में)**
1	रोपण विकास	**90.00**	**52.42**
2	ऑर्थोडॉक्स उत्पादन सहित गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण	**69.45**	**29.94**
3	लघु उत्पादकों का विकास	**65.00**	**5.02**

भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ :

वर्ष 2015-16, बारहवीं प्लान (पंच वर्षीय योजना) का चौथा वर्ष है । रिपोर्ट के अधीन वर्ष के दौरान उपरोक्त उल्लिखित योजनाओं की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ इस प्रकार थीं :

1. रोपण विकासः

चाय रोपण विकास का मुख्य उद्देश्य पुनर्रोपण/प्रतिस्थापनरोपण जीर्णोद्धार प्रुनिंग/विस्तार रोपण/सिंचाई और यान्त्रिकीकरण को बढ़ावा देकर उत्पादन और भूमि उत्पादकता तथा चाय की गुणवत्ता में वृद्धि करना है । हिताधिकारियों को प्रदान की जानें वाली वित्तीय सहायता का विवरण नीचे प्रस्तुत हैं :

सारणी-3

पुनर्रोपण और प्रतिस्थापन रोपण (रु./हेक्ट)					
अ. पारम्परिक					
क्रम सं.	क्षेत्र	इकाई लागत	सहायकी @30%	पहली किश्त सहायकी का @60%	दूसरी किश्त सब्सिडी का @40%
1	असम	633790	190137	114082	76055
2	दोआर्स और तराई	648775	194633	116780	77853
3	कछार	544840	163452	98071	65381
4	त्रिपुरा	493224	147967	88780	59187
5	दार्जिलिंग	873615	262085	157251	104834
6	तमिलनाडु, कर्नाटक	820188	246056	147634	98423
7	केरल	853288	255986	153592	102395
अ. जैविक खाद कृषि					
पारम्परिक दर से 25% अधिक					
नए रोपण (रू./हैक्टे.)					
अ. परम्परागत					
क्रम सं.	क्षेत्र	इकाई लागत	सहायकी @30%	पहली किश्त सहायकी का @60%	दूसरी किश्त सब्सिडी का@40%
1	असम	633790	158448	95069	63379
2	दोआर्स और तराई	648775	162194	97316	64878

3	कछार	544840	136210	81726	54484
4	त्रिपुरा	493224	123306	73984	49322
5	दार्जिलिंग	873615	218404	131042	87362
6	तमिलनाडु, कर्नाटक	645055	161264	96758	64506
7	केरल	662055	165514	99308	66206

ब. जैविक कृषि

पारंपरिक दर से 25% अधिक

नये रोपण (रु./हेक्ट)

इकाई लागत	सहायकी @30	पहली किश्त सहायकी का @60	दूसरी किश्त सब्सिडी का @40
203794	61138	36683	24455

सिंचाई

इकाई लागत	सब्सिडी	किश्त
मूल लागत 80,000 रु./हेक्ट. से अधिक नहीं, प्लान अवधि में 200 रु./हेक्ट. अधिकतम सीमा	मूल लागत का 25%	एक किश्त

भूमि यांत्रिकीकरण

मूल लागत	मूल लागत का25%	एक किश्त

वर्ष 2015-16 के दौरान पी.डी.एस. के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां

सारणी-4

	लक्ष्य		उपलब्धियां	
क्रियाकलाप	**भौतिक (हेक्टेयर/संख्या)**	**वित्तीय (हेक्टेयर /संख्या)**	**भौतिका (हेक्टेयर /संख्या)**	**वित्तीय (हेक्टेयर /संख्या)**
पुनर्रोपण/प्रतिस्थापन रोपण (हेक्टेयर)	9000	46	3282.32	39.58
जीर्णोद्धार (हेक्टेयर)	1500		327.89	1.40
नया रोपण (हेक्टेयर)	1500		0.26	0.0034
सिंचाई (हेक्टेयर)	1000		14343.70	7.48
भूमि यांत्रिकीकरण (हेक्टेयर)	-		25	0.37
कुल				48.83

वर्ष 2015-16 के दौरान पी.डी.एस. के अंतर्गत राज्यवार भौतिक और वित्तिय उपलब्धियां पुनर्रोपण, प्रतिस्थापन रोपण और जीर्णोद्धार

सारणी-5

	पुनर्रोपण			प्रतिस्थापन रोपण			जीर्णोद्धार			कुल
राज्य	**सं.**	**क्षेत्र (हेक्ट.)**	**राशि (रु. लाख में)**	**सं.**	**क्षेत्र (हेक्ट.)**	**राशि (रु. लाख में)**	**सं.**	**क्षेत्र (हेक्ट.)**	**राशि (रु. लाख में)**	**राशि (रु. लाख में)**
असम	211	2112.44	2626.16	25	324.11	318.77	16	140.57	67.98	3012.91
त्रिपुरा	1	4.66	6.44	-	-	-	3	13.78	2.33	8.77
पश्चिम बंगाल	44	702.22	769.95	2	52.96	40.18	6	46.16	10.59	820.72
कर्नाटक	1	13.84	22.20	-	-	-	-	-	0.57	22.77
केरल	6	31.33	114.68	-	-	7.88	2	35.83	15.03	137.59
तमिलनाडु	4	40.76	52.18	-	-	0.00	3	73.43	36.47	88.65
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	3	18.12	6.90	6.90
कुल	**267**	**2905.25**	**3591.61**	**27**	**377.07**	**366.84**	**33**	**327.89**	**139.87**	**4098.32**

वर्ष 2015-16 के दौरान पी.डी.एस. के अंतर्गत राज्यवार भौतिक और वित्तिय उपलब्धियां
सिंचाई, नया रोपण और भूमि यांत्रिकीकरण
सारणी-6

वर्ष 2015-16 के दौरान पी.डी.एस. के अंतर्गत राज्यवार भौतिक और वित्तिय उपलब्धियां									
	भौतिक					**वित्तीय**			
राज्य	**सिंचाई**		**नया रोपण**		**भूमि यांत्रिकीकरण**	**सिंचाई**	**नया रोपण**	**भूमि यांत्रिकीकरण**	**कुल**
	सं.	**क्षेत्र (हेक्ट)**	**सं.**	**क्षेत्र (हेक्ट)**	**सं.**	**राशि (रु. लाख में)**	**राशि (रु. लाख में)**	**राशि (रु. लाख में)**	**राशि (रु. लाख में)**
असम	76	8724.51	-	-	1	476.18	-	6.24	482.42
कछार	25	2192.47	-	-	1	147.27	-	0.37	147.64
त्रिपुरा	1	37.21	-	-	1	1.97	-	0.29	2.26
पश्चिम बंगाल	25	2733.94	-	-	-	101.46	-	-	101.46
एच.ओ. पश्चिम बंगाल	6	655.57	-	-	-	20.78	-	-	20.78
तमिलनाडु	-	-	-	-	16	-	-	21.34	21.34
केरल	-	-	-	-	5	-	-	8.72	8.72
हिमाचल प्रदेश	-	-	1	0.26	1	-	0.34	0.2850	0.63
कुल योग	**133**	**14343.70**	**1**	**0.26**	**25**	**747.66**	**0.34**	**37.25**	**785.25**

2. **ऑर्थोडोक्स उत्पादन सहित गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरणः**

बारहवीं प्लान स्कीम का मुख्य उद्देश्य चाय विनिर्माण इकाइयों, वेयरहाउसेस, चाय के मूल्य संवर्धन जैसे- मिश्रण पैकिंग, टी बैंगिंग, फ्लेवर टी से संबंधित इकाइयों के आधुनिकीकरण के लिए, गुणवत्ता प्रमाणन प्राप्त करने के लिए स्पेशलिटी टी इकाइयों/ऑर्थोडोक्स या ग्रीन टी विनिर्माण इकाइयों, कार्बनिक चाय उत्पादन और ऑर्थोडोक्स/ग्रीन टी के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान कर चाय की गुणवत्ता में वृद्धि करना है ।

सारणी-7

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
1.	पुराने एवं जीर्ण शीर्ण हुए कारखानों का आधुनिकीकरण	ग्यारहवीं प्लान स्पील ओवर मामलों के लिएः मशीनरी के मूल लागत पर 25% सहायिकी, या अधिकतम सीमा 25 लाख रु. तक, इनमें से जो कम हो बारहवीं प्लान स्पील ओवर मामलों के लिएः (i) किसी *भी* एक मशीनरी पर न्यूनतम निवेश 5 लाख रु. से कम नहीं होगा (ii) साल में किया जाने वाला न्यूनतम निवेश 25 लाख रु. से कम नहीं होगा (iii) @25% की दर से कुल देय सब्सिडी सम्पूर्ण प्लान अवधि के दौरान 150 लाख से अधिक नहीं होगी । (iv) कारखानों में 100% सी.टी.सी. ऑर्थोडॉक्स चाय तैयार करने के लिए मशीनरी के प्रापण और स्थापना हेतु उपरोक्त उल्लिखित शर्तों के अनुसार @40% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी ।
2	सफाई, ब्लेंडिंग, रंग चयन, व पैकेजिंग इत्यादि हेतु अतिरिक्त आधारभूत संरचना का निर्माण का मूल्य संवर्धन	मूल लागत पर 40% की सब्सिडी बशर्ते, प्रत्येक कारखाना के लिए उच्चतम सीमा 25 लाख रु., जिसमें प्रति कारखाना के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 लाख की उच्चतम सीमा
3.	ग्रीन टी, ऑर्थोडॉक्स टी, और स्पेशलिटी टी, (उत्पाद विविधिकरण) के उत्पादन के लिए नए कारखानों की स्थापना	संयंत्र और मशीनरी (भूमि लागत के अलावा) के मूल लागत का 40% की दर से सब्सिडी, बशर्ते, उच्चतम सीमा सम्पूर्ण योजना अवधि के दौरान 200 लाख प्रति कारखाना रहेगी ।
4	आई.एस.ओ./एच.ए.सी.सी.पी. तथा ऑरगेनिक टी के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणन	एच.ए.सी.सी.पी. के लिए, आई.एस.ओ. 22000 के लिए तथा अन्य खाद्य सुरक्षा मानक प्रमाणनों के लिए गुणवत्ता प्रमाणन शुल्क पर 50%
5	चाय के समुचित भंडारण के लिए वेयर हाऊसिंग	नए वेयरहाऊसिंग या वर्तमान वेयरहाऊसिंग में अतिरिक्त जगह के निर्माण/जीर्णोद्धार/संबंध अवसंरचना/तोलनपत्र/तोलन सेतु/ फॉर्कलिफ्ट्स/कार्गो लिफ्ट्स इत्यादि के निर्माण के लिए मूल लागत पर 40% की सब्सिडी बशर्ते, प्रत्येक कारखाना के लिए उच्चतम सीमा 25 राख रु. जिसमें प्रति कारखाना के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए 150 लाख की उच्चतम सीमा ।
6	ऑर्थोडॉक्स टी और ग्रीन टी के	पत्ती और चूर्ण श्रेणियों दोनों ही श्रेणियों के लिए मूल उत्पादन पर 3

	उत्पादन के लिए प्रोत्साहन	रु./- प्रति किलोग्राम की दर से एक समान सब्सिडी । अधिक उत्पादन की स्थिति में, डी जानी वाली प्रोत्साहन राशि का निर्धारण पिछले पाँच वर्षों में गतिशील औसत उत्पादन को ध्यान में रख कर किया जाएगा जिसे आधार उत्पादन को ध्यान में रख कर किया जाएगा यदि, वास्तविक उत्पादन, आधार उत्पादन से अधिक होती है, तो उनके बीच के अंतर को अतिरिक्त प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन मात्रा मान लिया जाएगा ।

वर्ष 2015-16 के दौरान क्यू.यू.पी.डी.एस. के अंतर्गत राज्यवार भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां

सारणी-8

अ.क्यूयूपीडीएस	लक्ष्य		उपलब्धि	
क्रियाकलाप	भौतिक (मिलियन कि.ग्रा./संख्या)	वित्तीय (राशि करोड़ में)	भौतिक (मिलियन कि.ग्रा./संख्या)	वित्तीय (राशि करोड़ में)
कारखाने का आधुनिकीकरण	160	43	15	1.34
मूल्य संवर्धन	12		16	2.00
प्रमाणन	100		45	0.16
क्यू.यू.पी.डी.एस. के लिए प्रशासनिक प्रभार	NA		NA	NA
उप-कुल क्यू.यू.पी.डी.एस.	NA		76	3.5
ब. ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	115		उपलब्धि	
कूनूर			43.62	13.09
गुवाहाटी			46.71	14.02
मुख्यालय/पालमपुर			2.41	0.72
सिलिगुड़ी			5.86	1.76
ऑर्थोडॉक्स सहायिकी योजना हेतु प्रशासनिक प्रभार आदि	NA	NA	NA	NA
उप-कुल ऑर्थोडॉक्स	115	NA	98.60	29.58
कुल (अ+ब)	387	43	174.60	33.08

वर्ष 2015-16 के दौरान क्यू.यू.पी.डी.एस. के अंतर्गत राज्यवार भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां

सारणी- 9

क्यू.यू.पी.डी.ए स.	कारखाने का आधुनिकीकरण		मूल्य संवर्धन		नए कारखाने की स्थापना		प्रमाणन		कुल	
राज्य का नाम	सं.	राशि (रु. लाख में)	सं.	राशि (रु. लाख में)	सं.	राशि (रु. लाख में)	सं.	राशि (रु. लाख में)	सं.	राशि (रु. लाख में)
असम	8	55.74	10	112.01	0	0	28	9.35	18	177.10
त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पश्चिम बंगाल	-	-	2	28.42	-	-	-	-	2	28.42
मुख्यालय, पश्चिम बंगाल	7	78.15	1	15.12			13	4.49	21	97.75
तमिलनाडु	-	-	1	25.00	-	-	-	-	1	25.00
केरल	-	-	2	19.69	-	-	-	-	2	19.69
कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	2	1.36	2	1.36
उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	2	0.73	2	0.73
कुल	15	133.89	16	200.24	0	0	45	15.92	48	350.05

वर्ष 2015-16 के दौरान ओ.आर.पी.डी. के अंतर्गत राज्यवार भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां

सारणी **10**

ओ.आर.पी.डी.	ऑर्थोडॉक्स		
राज्य का नाम	**सं.**	**उत्पदान (मि.कि.ग्रा.)**	**राशि (रु. लाख में)**
असम	361	46.4	1391.89
त्रिपुरा	2	0.30	9.18
पश्चिम बंगाल	80	5.865	175.95
मुख्यालय, (पश्चिम बंगाल)	15	1.61	48.28
तमिलनाडु	88	31.62	948.47
केरल	35	12	360.12
कर्नाटक	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	38	0.8	24.04
उत्तराखंड	4	0.0164	0.4912
कुल	**623**	**98.60**	**2958.421**

बन्द चाय संपदाएं:

चाय संपदाओं के बीमार हालत/बन्द होने के प्रमुख कारण इनमें से हो सकते होः

- खराब ऊपज
- पुरानी हो रहीं चाय की झाडियाँ और अधिक खालीपन
- नगन्य (आमतौर पर शून्य) जड़ उन्मूलन/पुनर्रोपण
- खराब बागान प्रबन्धन उपायें (प्रचलन)
- गुणवत्ता और कीमत वसूली में गिरावट
- असहज (यद्यपि साधारणतः उग्र नहीं) औद्योगिक सम्बन्ध परिदृश्य
- सम्पूर्ण रुप से विकास दृष्टिकोण की कमी
- बहुत ही (अति) ऋण उन्मुख फण्डिंग रणनीति
- स्वामित्व के लिए विवाद

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसे चाय बागान जो बंद किए गए, वे इस प्रकार हैं :

बंद चाय संपदाएं					
सं.	चाय एस्टेटस का नाम	रोपण/क्षेत्र/राज्य	बंद की तारीख	कर्मचारियों की संख्या (स्थायी एवं अस्थायी सहित)	टिप्पणी
1	ढेकलापाड़ा	डुअर्स, पश्चिम बंगाल	11.03.2006	804	इस चाय एस्टेट्स को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा परिसमाप्त कर दिया गया था । इस बागान को माननीय कलकत्ता उच्च-न्यायालय (आधिकारिक परिसमापक)
2	बुंदपानी	डुअर्स, पश्चिम बंगाल	13.07.2013	1283	भूमि का पट्टा समाप्त होने पर, राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर, 2014 को भूमि को अपने अधिकार में कर लिया ।
3	धरनीपुर	डुअर्स, पश्चिम बंगाल	19.10.2013	807	राज्य सरकार ने 18 नवंबर 2014 को भूमि अपने कब्जे में ले लिया है ।
4	रेबैंक	डुअर्स, पश्चिम बंगाल	19.10.2013	1588	भूमि का पट्टा समाप्त होने पर, राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2015 को भूमि को अपने अधिकार में कर लिया ।
5	सुरेन्द्रनगर	डुअर्स, पश्चिम बंगाल	19.10.2013	451	राज्य सरकार ने दिनांक 14/11/2014 के एक आदेश द्वारा भूमि की पट्टी रद्द कर दी है । तथा राज्य सरकार ने 13/01/2015 को भूमि अपने कब्जे में कर ली है ।
6	मधु	डुअर्स, पश्चिम बंगाल	23.09.2014	947	अनाधिकारिक सूचना के अनुसार, संपत्ति की बिक्री की प्रक्रिया चल रही है ।
कार्य निलंबनाधीन चाय संपदाएं					

7	पानीघाटा	तराई, पश्चिम बंगाल	10.10.2015	787	मजदूरों द्वारा पूजा बोनस की मांग तथा धरना प्रदर्शन करने के कारण कार्य का निलंबन
8	रहिमाबाद	तराई, पश्चिम बंगाल	5.1.2016	669	मजदूरों द्वारा पूजा बोनस की मांग था धरना प्रदर्शन करने के कारण कार्य का निलंबन

प्रमुख घटनाएः

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के चाय सेक्टर पर दावेदारों की परामर्श बैठकः चाय क्षेत्र (सेक्टर) में विकास की समीक्षा करने तथा विभिन्न मुद्दों पर दावेदारों के साथ परामर्श करके भावी विकास के लिए कार्य प्रणाली की अनुशंसा के लिए, 17 मई, 2015 को माननीया राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य और उद्योग, भारत सरकार, श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में, चाय क्षेत्र के विभिन्न दावेदारों की एक बैठक हुई थी । बैठक का आयोजन भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और भारतीय चाय बोर्ड द्वारा किया गया था ।

पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में, बंगाल के बन्द/संकटग्रस्त चाय बागानों पर दावेदारों की परामर्श बैठकः बन्द या संकटग्रस्त चाय बागानों विकास की स्थिति की समीक्षा करने तथा दावेदारों के साथ विभिन्न मुद्दों पर परामर्श करके भावी विकास के लिए कार्य प्रमाली की अनुशंसा करने के लिए, माननीय वाणिज्य और उद्योग, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार, श्रीमती निर्मला सीतारमन, की अध्यक्षता में 04 जनवरी 2016 को सिलीगुड़ी में सरकारी अधिकारियों बैंकर्स, बन्द चाय एस्टेट्स तथा चाय क्षेत्र के उत्पादक संघों की बैठक हुई थी । बैठक का आयोजन भारत सरकार के वाणिज्य विभाग और भारतीय चाय बोर्ड द्वारा किया गया था ।

<u>3.लघु उत्पादक विकास निदेशालयः</u>

लघु चाय उत्पादक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रुप में उभरा है जिसका देश में उत्पादित चाय में एक तिहाई योगदान है । इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान और लघु उत्पादकों के समग्र विकास के लिए बढ़ते ध्यान के लिए, चाय बोर्ड द्वारा अप्रैल 2016 में लघु उत्पदाक विकास निदेशालय के नाम से एक अलग निदेशालय की स्थापना की गई और असम के डिब्रूगढ़ में इसके मुख्यालय के साथ यह कार्यरत बन गया है । सभी प्रमुख क्षेत्रों में जहाँ लघु उत्पादक केन्द्रित हैं, ऐसे उप-कार्यालयों की संख्या 69 है ।

लघु उत्पादक विकास निदेशालय के अंतर्गत उप-क्षेत्रिय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों का विवरणः

सारणी-11

क्षेत्र	विकास अधिकारियों द्वारा शाषित उप-क्षेत्रीय कार्यालय	कारखाना सलाहकारी अधिकारियों द्वारा शाषित उप-क्षेत्रीय कार्यालय	सहायक निदेशक चाय विकास द्वारा शाषित सेट-अप	क्षेत्रवार कुल
पूर्वोत्तर क्षेत्र	29	9	7	45
उत्तर भारतीय क्षेत्र	1	---	-----	1
उत्तर बंगाल-बिहार क्षेत्र	11	4	2	17
दक्षिण भारतीय क्षेत्र	1	----	3 (लघु उत्पादक विकास निदेशालय के प्रेषण व्यवस्था के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय कोटागिरी, कुंडाह और गुडलुर)	4
कुल				**67**

लघु उत्पादक विकास निदेशालय के अंतर्गत राज्यवार कार्यालयों का विवरणः

क्र.सं.	**राज्य**	**कुल**
1	असम	39
2	त्रिपुरा	3
3	मिज़ोरम	1
4	अरुणाचल प्रदेश	1
5	मेघालय	1
6	पश्चिम बंगाल	15
7	बिहार	2
8	उत्तराखंड	1
9	तमिलनाडु	3
10	केरल	1
	कुल	**67**

उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से टी क्लस्ट4स तक बोर्ड की उपस्थिति ने चाय की खेती में संलग्न समुदायों के जीवन को हर रुप में छुआ है, विस्तार, आमने-सामने की वार्तालाप से बीएलएफ तथा अन्य दावेदारों सहित सम्पूर्ण लघु चाय उत्पादक समूह लाभान्वित हुआ है ।

लघु उत्पादक विकास निदेशालय निम्नलिखित मेनडेटस के साथ कार्य कर रहा हैः

- ✓ देश के प्रत्येक लघु उत्पादक को इनूमरेशन और स्मार्ट कार्ड जारी करना
- ✓ भूमि में अच्छे कृषिगत उपायों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्तिकरण या क्षमता निर्माण तथा खेतों एवं कारखानों में कार्यरत उत्पादकों और मजदूरों के एक सुरक्षित जीवनयापन के लिए बेहतर चाय उत्पादन और उच्चतर मेहनताना सुनिश्चित करने के लिए कारखानों में अच्छे विनिर्माण उपाय।
- ✓ उत्पादकों में सामूहिक खेती को प्रोत्साहित करना और अपने अनाज (फसल) की अच्छी दर पाने के लिए मोलभाव की क्षमता का निर्माण करना। स्वयं सहायता समूह के निर्माण के लिए अधिक बल (चोर) दिया जाता है ।

विनियामक कार्यों में निम्नलिखित प्रमुख हैः-

- ✓ छोटे होलडिंग्स और क्रमित पत्ती कारखानों का पंजीकरण
- ✓ गुणवत्ता मानदण्डों न्यूनतम ग्रीन लीफ प्राईस तथा प्राईस शेयरिंग फॉर्मूला का क्रियान्वयन
- ✓ चाय विपणन नियन्त्रण आदेश और चाय अपशिष्ट नियन्त्रण आदेश का क्रियान्वयन
- ✓ लघु चाय क्षेत्र के लिए प्लान योजना के अन्तर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन
- ✓ मार्केटिंग और फीसीबिलिटीज स्टडीज के लिए एक संसाधन केन्द्र के रुप में उभरना/एसटीजीएस से संबंधित मामलों के लिए सरकार की नीति निर्माण की इनपुट मुहैया कराना ।

हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए और अधिक केन्द्रित एवं तैयार सेवाएं प्रदान करने के प्रयास में, बाहरवीं प्लान में चाय विकास और संवर्धन योजना के अन्तर्गत “लघु चाय उत्पादक विकास” नामक एक अलग घटक को मंजूरी दे दी गई है । इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता का स्वरुप निम्न रुप से हैः-

सारणी-13

नया रोपण (रु./हेक्ट)					
पारंपरिक					
क्रम सं.	क्षेत्र	इकाई लागत	सहायिकी @25%	पहली किश्त सहायिकी का @60 सहायिकी	दूसरी किश्त सहायिकी का @40 सहायिकी
1	असम	633790	158448	95069	63379
2	दोवार्स और तराई	648775	162194	97316	64878
3	कछार	544840	136210	81726	54484
4	त्रिपुरा	493224	123306	73984	49322
5	दार्जिलिंग	873615	218404	131042	87362
6	तमिलनाडु, कर्नाटक	645055	161264	96758	64506
7	केरल	662055	165514	99308	66206
जैविक					
पारंपरिक दर से 25% अधिक					
पुनर्रोपण (रु./हेक्ट)					
पारंपरिक					
क्रम सं.	क्षेत्र	इकाई लागत	सहायिकी @30%	पहली किश्त सहायिकी का @60 सहायिकी	दूसरी किश्त सहायिकी का @40 सहायिकी
1	असम	633790	190137	114082	76055
2	दोवार्स और तराई	648775	194633	116780	77853
3	कछार	544840	163452	98071	65381
4	त्रिपुरा	493224	147967	88780	59187
5	दार्जिलिंग	873615	262085	157251	104834
6	तमिलनाडु, कर्नाटक	645055	193517	116110	77407
7	केरल	662055	198617	119170	79447

जैविक			
पारंपरिक दर से 25% अधिक			
पुनर्रोपण (रु./हेक्ट)			
इकाई लागत	सहायिकी @30%	पहली किश्त सहायिकी का @60 सहायिकी	दूसरी किश्त सहायिकी का @40 सहायिकी
20374	61138	36683	24455

सिंचाई		
इकाई लागत	सहायिकी	किश्त
मूल लागत 80,000 रु./हेक्ट. से अधिक नहीं, प्लान अवधि में 200 रु./हेक्ट. अधिकतम सीमा	मूल लागत का	एक किश्त
भूमि यांत्रिकीकरण		
मूल लागत	मूल लागत का 25%	एक किश्त

सारणी-14

स्वयं सहायता समूह		
क्र.सं.	**वस्तु**	**टिप्पणी**
1	फील्ड इनपुट के लिए परिक्रामी निधि	अधिकतम सीमा 15,000- प्रति हेक्ट
2	इनपुट भंडारण और कार्यालय के लिए लागत पूंजी	अधिकतम सीमा 1,00,000/- प्रति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
3	प्रति दिन हर 5000किलो ग्राम तोड़ी गई पत्तियों के लिए पत्ती संग्रह शेड@ 1	मूल लागत का 100% या अधिकतम 50,000/रु. की सीमा, इनमें से जो भी कम हो
4	प्रति स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के लिए दो (2) वजन काँटा	वास्तविक व्यय का 100% अथवा अधिकतम राशि 3500/- जो भी न्यूनतम होगा प्रयोज्य।

5	हरी पत्तियों को वहन करने के लिए प्लास्टिक क्रेट्स और नाईलॉन की प्लास्टिक थैलियाँ .	प्लास्टिक क्रेट्स @ 300/- रु./प्रति तथा 40/- रु./प्रति नाईलॉन की प्लास्टिक की थैली । क्रेट्स की संख्या इसप्रकार सीमित होगीः प्रति दिन हर 20 किलो ग्राम हरी पत्ती के लिए 1 क्रेट तथा हर 15 किलोग्राम हरी पत्ती के लिए @1 नाइलॉन की थैली ।
6	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के हर 10 हेक्ट. चाय क्षेत्र के लिए @1 प्रूनिंग मशीन	मूल लागत का 100% या अधिकतम 40,000/- रु. की सीमा, इनमें जो भी कम हो
7	परिवहन वाहन हर 2,000 किलोग्राम हरी पत्ती के लिए ट्रैक्टर/ट्रेलर/एल.सी.वी. मूल लागत का 100%1 वाहन, (जून से सितंबर तक)	मूल लागत पर@ 50% की सब्सिडी
8	हार्वेस्टिंग मशीन	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों के हर 10 हेक्ट. चाय क्षेत्र के लिए @ 1 मशीन । मशीन के मूल लागत का 50% सब्सिडी के रुप में दिया जाएगा ।
9	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)/या सहकारी/उत्पादक कंपनी द्वारा नया कारखाना स्थापित करने के लिए	संयंत्र और मशीनरीज़ के मूल लागत पर @40% की दर से सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें अधिकतम सीमा 200 लाख रु./प्रति कारखाना होगी ।
10	सोसाइटी के रिकॉर्ड्स के रखरखाव के लिए कम्प्यूटरस	प्रति सोसाइटी के लिए एक प्रिंटर और अन्य सहायकियों के साथ-साथ एक डेस्कटॉप कम्प्यूटर । सब्सिडी की सीमा मूल लागत का 80% जिसमें अधिकतम सीमा 40,000/- रु.
11	टी नर्सरी अनुदान	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा देख-भाल किए गए पौधों के लिए @ 2रु./प्रति पौधा की दर से नर्सरी अनुदान
12	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य उत्पादकों से जुड़े श्रमिकों का कल्याण	लघु. चाय उत्पादक श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए सहायता, इसमें निम्न बातें शामिल हैः I लघु चाय उत्पादक श्रमिकों और उनके आश्रितों का ग्रुप इन्शरेंस II मजदूरों के बच्चों को वृत्ति ।

13	उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को वार्षिक पुरस्कार	प्रत्येक चाय क्षेत्र से उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले एसएचजी, एसएचटी तथा बी.एल.एफ. को एक मान्यता प्राप्त प्रमाण-पत्र और 25,000/- से 1 लाख रु. तक का नकद पुरस्कार टी बोर्ड द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रमों में दिया जाएगा ।
14	स्वयं सहायता समूहों के लिए एनजीओ की नियुक्ति	स्वयं को प्राथमिक उत्पादक समूहों/स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने के लिए लघु उत्पादकों को अभिप्रेरित करने हेतु अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले एन.जी.ओ / लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों को बोर्ड द्वारा पैनल में रखा जाएगा । एन.जी.ओ. को @ 500 रु. प्रति हेक्ट की दर से समूह निर्माण प्रोत्साहन राशि दी जाएगी बशर्ते पी.पी.जी./ स्वयं सहायता समूह के पास कम से कम 20 हेक्टेयर की भूमि हो और लघु उत्पादकों की सदस्यता 30 से कम न हो ।
15	लघु सिंचाई	सिंचाई के लिए निपेशित राशि का @ 40% की दर से सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें वाजर पम्पस, स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरण, नियंन्त्रण बाँध आदि का प्रापण शामिल है ।
16	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (लघु उत्पादकों के लिए सेवा प्रदाता का विस्तार)	चाय बोर्ड द्वारा प्रमाणित स्वतन्त्र भूमि सलाहकारों की एक टीम को फोकस्ड और गहन प्रशिक्षण द्वारा टी.आर.ए./उपासी-टी.आर.एफ. में रखा जाएगा ।
लघु चाय कारखानें		
17	छोटे/लघु चाय कारखानों की स्थापना	छोटे और लघु चाय कारखानों को वास्तविक या मूल लागत के @25% की दर से सब्सिडी प्रदान की जाएगी ।
18	अध्ययन यात्रा/चाय कन्वेंशन/कार्यशालाएँ	नई गतिविधियों का ज्ञान देने तथा कौशल कर्मियों को दूर करने के दृष्टि से डिजाइन्ड किया गया है ।

2015-16 के दौरान लघु उत्पादक विकास के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धि

सारणी- 15

लघु उत्पादक विकास	भौतिक		वित्तीय
क्रियाकलाप	**सं.**	**क्षेत्रफल (हेक्ट)**	**राशि (रु. लाख में)**
नया रोपण (हेक्ट)	170	63.70	73.54
पुनर्रोपण	40	9.11	12.92
जीर्णोद्धार प्रुनिंग	964	330.01	127.92
सिंचाई (हेक्ट)	3	7.77	1.16
स्वयं सहायता समूह (समूहों) को अनुदान	26	1116.72	98.41
अध्ययन दौरा	41	322.00	15.19
कार्यशाला/प्रशिक्षण	488	30124	52.43
फील्ड कार्यालयों को सुदृढ़	-	-	153.2
कुल	**1732**	**31973**	**534.77**

2015-16 के दौरान लघु उत्पदाक विकास के अंतर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धि

सारणी- 16

	नया रोपण			पुनर्रोपण			जीर्णोद्धार प्रुनिंग			सिंचाई			स्वयं सहायता समूह	
	भौतिक		वित्तीय	भौतिक		भौतिक	वित्तीय		भौतिक	भौतिक		वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
क्रियकलाप	सं.	क्षे.(हे.)	रु. लाख में	सं.	क्षे.(हे.)	रु. लाख में	सं.	क्षे.(हे.)	रु. लाख में	सं.	क्षे.(हे.)	रु. लाख में	सं.	रु. लाख में
असम	36	39.15	41.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	75.49
कछार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.17	0.56	-	-
मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.32
त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
तमिलनाडु	57	5.93	13	25	7.11	9.39	752	238.37	96.76	-	-	-	7	17.6
केरल	74	18.12	16.03	15	2	3.53	195	82.3	24.73	1	.60	0.6	-	-
कर्नाटक	1	-	0.47	-	-	-	2	1.05	0.39	-	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	2	0.5	2.62	-	-	-	15	8.289	6.04	-	-	-	-	-
कुल	170	63.70	73.54	40	9.11	12.92	964	330.01	127.92	3	7.77	1.16	26	98.41
													कुल	**313.96**

टी बोर्ड द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित अध्ययन दौरा, कार्यशाला/प्रशिक्षण का राज्यवार विवरण

सारणी- 17

राज्य	अध्ययन दौरा			कार्यशाला/प्रशिक्षण/सेमिनार		
	कार्यक्रमों की सं.	हिताधिकारियों की संख्या	राशि लाख रु. में	कार्यक्रमों की सं.	हिताधिकारियों की संख्या	राशि लाख रु. में
असम	32	264	11.99652	194	15209	32.97192
अरुणाचल प्रदेश	2	13	0.89005	7	700	1.48979
मिज़ोरम	2	6	0.78	7	650	1.805
मेघालय	1	7	0.46	4	150	0.57
त्रिपुरा	-	-	-	19	970	2.768
नागालैंड	2	10	0.963	-	-	-
मणिपुर	-	-	-	2	75	0.26075
पश्चिम बंगाल				59	4925	8.2900
बिहार				3	145	0.3400
हिमाचल प्रदेश	2	22	0.10	15	666	1.3397
उत्तराखंड				2	160	0.3780
तमिलनाडु	0	0	0.00	169	5713	1.0100
केरल	0	0	0.00	6	461	1.0300
कर्नाटक	0	0	0.00	1	300	0.1800
कुल	**41**	**322**	**15.18957**	**488**	**30124**	**52.43318**

4. अनुसूचित जाति उप-नियोजन योजनाः

अनुसूचित जाति के लघु उत्पादकों के लिए अनुसूचित जाति उप-नियोजन योजना नामक एक विशेष योजना क्रियान्वित की रही है । लघू उत्पदक के अधीन स्वयं सहायता समूह को दी जाने वाली वह सभी लाभ अनुसूचित जाति के प्रत्येक लघु उत्पादकों को भी दिया जा रहा है।

अनुसूचित जाति उप-प्लान योजना निधि की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का विवरण निचे प्रस्तुत हैः

2015-16 के एस.सी.एस.पी. के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि-संवितरण कार्यालय

सारणी-18

संवितरण कार्यालय	राशि (रु.)
कूनूर	3,809,818
गुवाहाटी	19,412,159
तेज़पुर	67,867
पालमपुर	91,600
एस.जी.डी.डी.	2,940,978
कुल	**26,322,422**
सिलीगुड़ी (2014-15) पुनर्संवितरण 2015-16 में	758,789
कुल	**27,081,211**

2015-16 के एस.सी.एस.पी. के अंतर्गत राज्यवार वित्तीय उपलब्धि-संवितरण कार्यालय

सारणी-19

राज्य	एस.सी.एस.पी. क्रियाकलाप	हिताधिकारियों की संख्या	भुगतान की गई राशि (रु.)
असम	इनपुट लागत	194	1930250
	इनपुट लागत, लीफ़ शेड, लीफ़ थैलियाँ, तुला (तराजू), भंडारण	102	4220600
	इनपुट लागत, लीफ़ शेड, लीफ़ थैलियाँ, तुला (तराजू), गाड़ी और प्रुनिंग मशीन	326	12440806
	इनपुट सब्सिडी	342	1212550
	एल.सी.वी.	2	229105
	अध्ययन दौरे	167	970528
	कार्यशाला (संगोष्ठी, प्रशिक्षण आदि सहित)	1751	1076352
	कुल	**2884**	**22080191**
हिमाचल प्रदेश	प्रुनिंग मशीन	3	91600
	कुल	**3**	**91600**
तमिलनाडु	इनपुट सब्सिडी	31	124680
	एल.सी.वी.	14	3685138
	कुल	**45**	**3809818**
त्रिपुरा	इनपुट लागत	12	220503
	अध्ययन दौरा	13	98800
	कार्यशाला	100	30500
	कुल	**125**	**349803**
	सकल कुल	**3057**	**26331412**

प्रमुख क्रियाकलापः

वर्ष 2015-16 के दौरान टी बोर्ड लघु उत्पादक निदेशालय द्वारा जो प्रमुख क्रियाकलाप किए गए, उसका विवरण नीचे प्रस्तुत हैः

(क) लघु उत्पादकों का शुमार तथा परिचय-पत्र जारी करने का मुद्दा:

बोर्ड के कार्यालयों द्वारा लघु उत्पादकों का शुमार करना एवं परिचय पत्र वितरण के कार्य पर विशेष बल देना ताकि इस कार्यक्रम के अधीन लघु चाय उत्पादकों को अधिक सुधारात्मक कवरेज मिल सके । अब तक 151741 उत्पादकों की पहचान की जा चुकी है तथा पूरे देश में 82332 लघु चाय उत्पादकों को परिचय पत्र जारी किया जा चुका है । लघु उत्पादकों का शुमार करने एवं उन्हें परिचय पत्र वितरण करने संबंधी प्रगामी प्रगति (मार्च, 2016 माह तक) का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है:

दिनांक 31/03/2016 तक शुमार स्थितिः

सारणी-20

राज्य	**उत्पादकों की संख्या**	**जारी की गई बायोमेट्रिक कार्ड स्मार्ट कार्ड की संख्या**
असम	87816	53211
अरुणाचल प्रदेश	451	0
मेघालय	482	443
मिज़ोरम	814	0
त्रिपुरा	2709	2447
कुल	**92272**	**56101**
हिमाचल प्रदेश	1300	843
उत्तराखंड	748	0
कुल	**2048**	**843**
तमिलनाडु	41196	18102
केरल	6671	2756
कुल	**47867**	**20858**
बिहार	986	667
पश्चिम बंगाल	8568	3863
कुल	**9554**	**4530**
कुल योग	**151741**	**82332**

(ख) <u>चयन का प्रकाशन लघु चाय उत्पादकों के लिए एक समाचार पत्रिका;</u>

लघु चाय उत्पादकों के लिए चयन नामक पत्रिका का प्रथम संस्करण विभिन्न भाषाओं में विभिन्न चाय उत्पादक राज्यों के लिए, जहां लघु उत्पादक हैं, प्रकाशित की गई थी । मौसम संबंधी भूमि ओपरेशन्स करने के लिए कृषि-तकनीकी की विस्तृत जानकारी इस पत्रिका के माध्यम से दी गई ।

(ग) <u>हरी चाय पत्तियों का मूल्य निर्धारणः जिला स्तर पर प्राइस मानिटरिंग</u>

हरी चाय पत्तियों की कीमत तय करने के लिए जिला स्तर पर प्राईस मानिटरिंग कमिटी (डीएलपीएमसी) की बैठकें विभिन्न चाय उत्पादक जिलों में की गई ।

एसआर मोरन, असम के अधीन मानव संसाधन विकास घटक को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यशाला।

असम में छोटे उत्पादक द्वारा डिजाइन बांस कंटेनर में निर्मित चाय

एसआरओ के अधीन तेवॉयनगर असम में लघु चाय उत्पादक कार्यशाला

लघु चाय उत्पादको का सिक्किम में ऑर्गेनिक चाय संपदा का अध्ययन दौरा

लेपेटकाटा चा सं. में पीपीसी संबंधी जागरूकता कार्यक्रम

लघु चाय उत्पादक असम द्वारा हाथ से बने हरी निर्मित चाय का प्रदर्शन

प्रूनिंग संबंधी प्रदर्शन

कंपोज निर्माण प्रदर्शन

2015-16 की बार्षिक रिपोर्ट हेतु छायाचित्र
अध्याय-4 (चाय विकास)

श्रीमती निर्मला सीतारमन माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चाय उद्योग के हितधारकों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ सिलीगुड़ी में 17 मई, 2015 को बैठक करतीं हुई।

श्रीमती निर्मला सीतारमन माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सिलीगुड़ी में 17 मई, 2015 को चाय उद्योग के हितधारकों को सम्बन्धित करतीं हुई।

श्रीमती निर्मला सीतारमन माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 17 मई, 2015 को सिलीगुड़ी में हुई चाय उद्योग के हितधारकों के साथ बैठक के बाद प्रेस बैगठक करतीं हुई। उपस्थित हैं श्री एस.एस.आहलूवालिया माननीय सांसद, दार्जिलिंग (एकदम दाहिने) श्री आर.आर.रश्मि, तत्कालीन अपर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एवं टी बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ (एकदम बाएँ)

हवूकल चाय फैक्ट्री में दिनांक 16 नवम्बर, 2015 को उपस्थित हैं, श्री संतोष सारंगी, अध्यक्ष, टी बोर्ड (मध्य में) श्री एस.सौंदरराजन, निदेशक चाय विकास (बाएँ) एवं श्री पालरासू कार्यपालक निदेशक, कूनूर (एकदम बाएँ)

श्री संतोष सारंगी, अध्यक्ष चाय बोर्ड को लघु चाय उत्पादकों द्वारा मशीनों के सफल प्रयोग को दर्शाते हुए श्री एस. सौन्दरराजन, निदेशक चाय विकास, साथ में हैं श्री पालरासू कार्यपालक निदेशक।

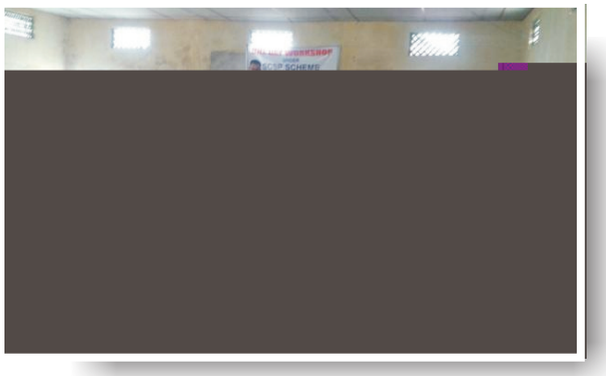

तेजपुर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2016 को आयोजित लघु चाय उत्पादकों हेतु कार्यशाला।

मेघालय के लघु चाय उत्पादकों हेतु चाय बोर्ड की विभिन्न योजनाओं की जानकारी सम्बन्धी दिनांक 12 जून, 2015 को रिभोई जिले में आयोजित जागरुकता कार्यक्रम।

श्री संतोष सारंगी, अध्यक्ष टी बोर्ड, 5 दिसम्बर, 2015 को बोर्ड के पालमपुर स्थित नवीन कार्यालय भलन का उद्घाटन करते हुए। साथ में हैं श्री ए.के.दास उपाध्यक्ष टी बोर्ड (एकदम दाहिने) और निदेशक चाय विकास श्री एस. सौन्दरराजन।

श्री संतोष सारंगी, अध्यक्ष टी बोर्ड, 5 दिसम्बर, 2015 को रिबन काटकर पालमपुर कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन करते हुए। साथ में है श्री ए. के. दास, उपाध्यक्ष श्री एस. सौन्दरराजन, निदेशक चाय विकास एवं पालमपुर के उप निदेशक चाय विकास श्री गगनेश शर्मा।

नए पालमपुर कार्यालय के दिनांक 5 दिसम्बर, 2015 को हुए उद्घाटन के बाद चाय टेस्टिंट सत्र के दौरान उपस्थित हैं बोर्ड के अध्यक्ष श्री संतोष सारंगी।

बोर्ड के पालमपुर कार्यालय के नए भवन के दिनांक 5 दिसम्बर, 2015 को हुए उद्घाटन के बाद रोपकों से चर्चा करते हुए अध्यक्ष श्री संतोष सारंगी। उपस्थित हैं बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री ए. के. दास (एकदम दाहिने) एलं निदेशक चाय विकास श्री एस. सौन्दरराजन।

ID card distribution for Small Tea Growers at Balla (Nagri), Himachal Pradesh, on 20th January 2016

Mechanized plucking at Mansimble Tea Estate, Himachal Pradesh,on 28th June 2015

चाय अनुसंधान

अन्य विकासात्मक एवं नियामक कार्यकलापों के अतिरिक्त चाय उपभोग में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु अनुसंधानात्मक कार्यकलापों में भारतीय चाय उद्योग के नियामक संस्था के रूप में टी बोर्ड भारत का अग्रणी एवं सतत योगदान रहा है । सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के मूल तत्वों के समन्वय एवं मूल्यांकन, चाय उत्पादकों एवं चाय उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न चाय अनुसंधान संस्थानों जैसे कि दार्जिलिंग चाय अनुसंधान एवं विकास केंद्र (डीटीआर व डीसी), कार्सियोंग, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल ; चाय अनुसंधान संघों (टीआरए) जैसे कि जोरहाट , असम और दक्षिण भारत के संयुक्त रोपक संघ (यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सौदर्न इंडिया)- चाय अनुसंधान संस्थान (उपासी - टीआरएफ़) द्वारा प्रयुक्त एवं नियामक शोध करा कर चाय उद्योग के जरूरतों एवं तेजी से बढ़ते हुए ज्ञान को मुहैया कराने में अनुसंधान निदेशालय का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है । गुणवत्ता एवं चाय विनिर्माण के व्यापक क्षेत्रों, उत्पादकता में शोध, आनुवांशिकी एवं जैव अभियांत्रिकी के द्वारा शुष्कता प्रतिरोधी चाय का विकास, कीट एवं रोग प्रबंधन इत्यादि पर और अधिक ज़ोर दिया जा रहा है । टी बोर्ड का अनुसंधान निदेशालय देश में होने वाले चाय शोधों का समन्वय, निगरानी एवं मूल्यांकन करता है तथा चाय उद्योग के जरूरत पर आधारित आवश्यकताओं पर ध्यान देकर एवं समय - समय पर विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाएँ तैयार कर चाय अनुसंधान को सुगम बनाता है। इन प्रयासों के द्वारा चाय उद्योग विशेषकर उभरते हुए परिदृश्य एवं प्रतियोगी बाज़ारों की वृद्धि एवं विकास होने की संभावना है । हाल के घटनाक्रमों एवं नियामक निकायों तथा उद्योग द्वारा उठाए गए नए मांगों के कारण इस निदेशालय की नीति एवं दृष्टिकोण निमन्वत है :

- हितधारकों के जरूरत पर आधारित चाय शोध को प्राथमिकता देना ।
- यह सुनिश्चित करना कि इन शोधों का परिणाम हितधारकों तक प्रसारित हो ।
- अनुसंधान की नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन ।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियामक निकायों की जरूरतों के साथ समन्वय करना ।

सहायता अनुदान

2015-16 में अनुसंधान एवं विकास हेतु फंड का आवंटन रु 15.50 करोड़ था। 49% के दर पर टीआरए एवं उपासी को दिये गए सहायता अनुदान का परिमाण क्रमशः रु 9.81 करोड़ एवं रु 2.71 करोड़ था । इसके अतिरिक्त गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी), टी पार्क, सिलीगुड़ी के उन्नतिकरण हेतु रु 73.65 लाख खर्च किया गया था । आधुनिक उपकरण की खरीद एवं वैज्ञानिकों की नियुक्ति भी इसमें शामिल है ।

चाय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) के अनुसंधान की मुख्य बातें :

निम्नलिखित कार्यकलाप जारी है एवं विगत एक वर्षों में अनुसंधान के क्षेत्रों की उपलब्धियाँ निम्नवत है :

1. **टोकलाई अनुसंधान संस्थान , टीआरए**

- क्लाइमेट स्मार्टेनिंग : असम चाय रोपण परिस्थितियों का भविष्य में निरंतरता बनाए रखने हेतु क्लाइमेट स्मार्टनिंग कार्यक्रम जारी किया जा रहा है । टी आर ए ने स्मार्ट (आवेदन सं. 323/कोल/2014 दिनांक 15.03.2014) के पैटेंट हेतु आवेदन भी किया है ।
- अध्ययन से पता चला है कि डिजालेट थियाफ्लेविन के निर्माण में गालोकेटेचिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । यह पाया गया था कि ईजीसीजी (ईजीसीजी) तत्वों में वृद्धि के साथ थियाफ्लेविन डिजालेट का निर्माण भी बढ़ गया है । अपक्षय के दौरान पत्ती के तापमान में 30-32° से अधिक हो जाने पर पत्ती में क्लोरोफिल की अवनति होने से तैयार चाय के रूप-रंग में अनचाहा प्रभाव देखने को मिलता है । यह भी पाया गया था कि अपक्षय की अवधि व्हाइट टी के रूप-रंग को प्रभावित करती है ।
- रोपण सामग्री जिसमें उन्नत क्लोन एवं चयनित क्लोन भी सम्मिलित रहता है, को परामर्शी केंद्र, टीआरए, मेघालय एवं नॉर्थ बैंक परामर्शी केंद्र को अपने-अपने कृषि जलवायु संबन्धित परस्थितियों में प्रचार करने हेतु आपूर्ति कराया जाता है । वृद्धि की लक्षणों को भी देखा जाता है। आनुवांशिकी परिवर्तन आरंभ करने एवं आण्विक चिन्हक का प्रयोग करते हुए अध्ययन को संचालित करने हेतु टीएस450 के इन-विट्रो (पात्रे) कलियों को इथाईल मीथेन सल्फ़ोनेट के विभिन्न सांद्रता के साथ प्रवर्तन किया गया था।
- सूक्ष्मजीव सहायता-संघ (कंसोरटियम) अजैविक पोषकों का बेहतर प्रयोग हेतु फील्ड मूल्यांकन का द्वितीय वर्ष है । मृदा नमूनो का विश्लेषण , पैदावार एवं गुणवत्ता मानकों का आंकड़ा नियमित रूप से दर्ज किया जा रहा है ।
- मशीनीकरण हेतु युनिलीवर के साथ एक सहयोगी परियोजना संचालित की जा रही है । रोलर स्थापन एवं मसृणीकरण तकनीक में बदलाव पर विशेष ध्यान देते हुए विनिर्मान परीक्षण कार्य

प्रगति पर है । मशीन द्वारा पत्ती तोड़ने हेतु (क्रॉप हार्वेस्टिंग) कावासाकी जापान के साथ एक अन्य सहयोगपूर्ण परियोजना चल रही है, परिणाम द्वारा यह संकेत मिला है कि कम छटाई किए हुए चाय-पौधों में हाथ द्वारा प्लकिंग के तुलना में मशीन का निरंतर प्रयोग से पैदावार में मामूली वृद्धि होती है ।

- टीआरए में शुष्कता लक्षण पर अध्ययन अभी जारी है । टीएस 463 के जीवसंख्या का संतति आईएसएसआर चिन्हक से भिन्न पाया गया है । शुष्कता ईएसटी-एसएसआर प्राइमर्स का प्रयोग करते हुए संतति में और जांच की गयी थी । जीवसंख्या में अनुवांशिकी संबंधों के अध्ययन हेतु टीएस463 के जीवसंख्या नमूनों से डीएनए लिया गया था। टीएस463 के जीवसंख्या के साथ जनक टीवी1 एवं टीवी19 का शुष्कता संबन्धित एसएसआर प्राइमर्स का प्रयोग करते हुए पीसीआर विश्लेषण संचालित किया गया था । शुष्कता सहित जैविक एवं अजैविक तनाव के प्रतिक्रिया में डब्ल्यूआरकेवाई अनुलेखन कारक नियंत्रक का अध्ययन कैमेलिया सिनेसिस अनुक्रमों एवं अराबिडोप्सिस थालियाना के तुलनात्मक जैवसूचना विज्ञान द्वारा किया गया था । डब्ल्यूआरकेवाई अनुक्रम अब सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र के डेटाबेस में उपलब्ध है ।
- ब्लैक टी उत्पादन में जीएमपी हेतु कार्यप्रणाली व संस्तुतियों का नियमावली (कोड) को टीआरए में विकसित किया गया है ।

2. उपासी - टीआरएफ़

- चाय बगानों में शॉट होल बोर पर नियंत्रण हेतु कैरामोन ट्रेप्स विकसित किया गया है ।
- टी मोस्क़ुइटों बग पर नियंत्रण हेतु गोंद के साथ फेरोमोन ट्रेप्स का दक्षिण भारत के चाय बगानों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है । अध्ययन से पता चला है कि एक नयी तृणनाशक अनु, सफ्लूफेंसिल का परीक्षण किया गया है एवं दक्षिण भारत में घाँस-पतवार नियंत्रण हेतु प्रतिषिद्ध तृणनाशक 2, 4-डी, को प्रतिस्थापित करने में उपयोगी पाया गया है ।
- ब्लैक टी उत्पादन में जीएमपी हेतु कार्यप्रणाली व संस्तुतियों का नियमावली (कोड) उपासी टीआरएफ़ द्वारा विकसित किया गया है ।
- मन्नार क्षेत्रों में ओर्थोडॉक्स एवं ग्रीन टी के गुणवत्ता रूपरेखा को कागजी प्रमाण देने हेतु चाय के कई बैचो का विश्लेषण किया गया है । टोटल पोलीफिनोल, केटेचिन, कैफीन, सुगंध सूचकांक, टीएफ (थियाफ्लेविन), टीआर (थियारूबीगिन), एचपीएस (हाई पोलीमीराइज्ड सब्सटेन्स) एवं टीएलसी (टोटल लिकर कलर) का पता लगाने हेतु ओर्थोडॉक्स एवं ग्रीन टी के विभिन्न श्रेणियों का विश्लेषण किया गया था । परिणाम से पता चला है कि ग्रीन टी का सूचकांक मान उच्च है ।

उपासी-टीआरएफ़ में मादा जनक द्वारा परिपक्व बीज संग्रहीत किया गया था जहाँ पर नियंत्रित संकरण कार्यक्रम संचालित किया गया था एवं उपासी के प्रयोगात्मक फार्म नर्सरी में बालू के फर्श (बेड) पर अंकुरित किया गया था । हाई (उच्च) एंथोसाईनिन पिगमेनटेंशन (रंजकता) हेतु चयनित संभावित अनुवृद्धियों का कलम बांध कर मातृ झाड़ियों का त्वरित स्थापन कार्यक्रम संचालित किया गया था । अन्नामलाई में हाई (उच्च) एंथोसाईनिन पिगमेनटेंशन (रंजकता) के सभी अनुवृद्धियों को क्लोन जांच कार्यक्रम द्वारा संग्रहित किया गया था ।

- एक अन्य उत्पन्न कैलस के भ्रूणीय (इम्ब्रोइड) कैलस को टीडीजेड (थिडियाजुरोन) के विभिन्न सांद्रता में उपसंवर्धित किया गया था एवं अंगविकास हेतु 4° एवं 22° सेल्सियस पर सेना गया था । जहां 4° सेल्सियस पर सेने गए भ्रूण (इम्ब्रोइड) के आकार में वृद्धि हुई, वहीं 22° सेल्सियस पर सेने गए भ्रूण (इम्ब्रोइड) में दो सप्ताह बाद उभार दिखाई दिया । एक सदस्य टी इस्टेट में इसाबीओन (पौधों के संतुलित पोषण हेतु प्राकृतिक रूप से उत्पन्न एक व्यापारिक उत्पाद) पर एक अन्य परीक्षण आरंभ किया गया था एवं प्रस्तावित अध्ययन नीति के तहत पर्णिल प्रयोग किया गया था । समरथा (पौधो की वृद्धि को बढ़ाने वाली जैविक रसायन जिसे वाईटलाइज़र कहते हैं) पर एक प्रायोजित परीक्षण भी किया गया था ।

3. दार्जिलिंग चाय अनुसंधान व विकास केंद्र (डीटीआर व डीसी)

- डीटीआर व डीसी के छोटे इकाई में विभिन्न जैवरसायनिक मानदंड पर विश्लेषण हेतु क्लोन चाय तैयार किया गया था । तैयार चाय के नमूनों को आईआईटी , खड़गपुर में वीएफसी व विश्लेषण तथा गुणवत्ता मानदंडों का विश्लेषण हेतु गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी / क्यूसीएल), सिलीगुड़ी में भेजा गया था ।
- ग्रीन लीफ़ पैदावार पर विविध अध्ययन किया गया था । 5 वर्षीय प्रूनिंग चक्र में गोपालधारा टी इस्टेट में उच्चतम ग्रीन लीफ़ (310.5 किग्रा. / हेक्टेयर) दर्ज किया गया था एवं 6 एवं 7 वर्षीय प्रूनिंग चक्र में न्यूनतम ग्रीन लीफ़ (258.9 किग्रा. / हेक्टेयर) पाया गया था ।
- फास्फोरस विलेयता (सोलुबिलीज़िंग) बैक्टीरिया (पीएसबी) से मृदा नमूना संगृहीत किया गया था । प्रायोगिक प्लॉट को विभिन्न PSB कॉन्सोरटियम के साथ संसाधित किया गया एवं जीवाणुतत्व संबंधी अध्ययन हेतु उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय (यूबीकेवी) भेजा गया था । पोटाशियम तत्व का पता लगाने हेतु एकीकृत पोषण प्रबंधन परीक्षण का विश्लेषण किया गया था ।

12 वीं योजना के अनुसंधान परियोजनाएँ :

टी बोर्ड ने चाय उद्योग में दीर्घकालिक फायदा हेतु चाय अनुसंधान संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों को सम्मिलित कर 12वीं योजना के निम्नलिखित चार समन्वित परियोजनाओ को अनुमोदित किया है :

1. उत्पादकता , गुणवत्ता एवं दबाब सहनशीलता हेतु परंपरागत एवं गैर-परंपरागत प्रजनन प्रणाली के एकीकरण द्वारा नए क्लोनों का विकास ।
2. टी हार्वेस्टिंग (पत्ती की तुड़ाई) हेतु मशीनों का विकास एवं शस्यरीति प्रचालन (कल्चरल प्रैक्टिसेस) का मशीनीकरण ।
3. चाय की गुणवत्ता एवं विद्यमान चाय प्रसंस्करण इकाईयों को क्षमता में वृद्धि करने का दृष्टिकोण।
4. चाय के किसी भी प्रकार के फफूँद रोग पर नियंत्रण हेतु फॉस्फेट विलेयता राइजोबैक्टीरिया का प्रयोग कर जैव-कीटनाशकों का विकास ।

उपरोक्त दीर्घकालिक अनुसंधान परियोजना के अतिरिक्त 2016 में टीआरए के आवश्यकता पर आधारित दो अल्पकालिक परियोजनाओं में पूँजी लगाया गया था ।

1. **डुअर्स के डोलोमाईट प्रभावित चयनित बगान के मृदा प्रकृति का अध्ययन :** चयनित चाय बगानों के मृदा के भौतिक-रसायनिक प्रकृति के प्रारम्भिक पर्यवेक्षण से पता चला था कि pH में भारी बदलाव हुआ है । कैल्सियम एवं मैग्नीशियम तत्वों की मात्रा से चाय झड़ियों में कारणता हुआ है।
2. **चाय के कीटनाशक के जैव - संवेदी कम्प्यूटिंग पहचान :** इस परियोजना के तहत 96 कूप प्लेट के नमूनों के इंजाइम आधारित आमापन एवं स्कैनर आधारित प्रणाली द्वरा विश्लेषण तथा ओपीएच निर्माण करने वाली बैक्टीरिया के सेल फ्री एक्सट्रैक्ट (सीएफई) का मूल्यांकन कीटनाशक में मिलाया हुआ चाय टहनी के नमूनों का प्रयोग कर किया गया था ।

<u>नियामक मुद्दे :</u>

- **अधिकतम अवशिष्ट सीमा (एमआरएल) स्थिरीकरण :** चाय पेय में एमआरएल स्थिरीकरण हेतु निर्देशन दस्तावेज़ सहित रसायनों के अगली सीसीपीआर प्राथमिकता तालिका में शामिल करने हेतु 12 कीटनाशकों के अवशिष्ट आंकड़ा राष्ट्रीय कोड बिन्दु (नेशनल कोडेक्स पॉइंट) के तहत जेएमपीआर (कीटनाशक अवशिष्ट पर साझा बैठक) को प्रस्तुत किया गया है ।

- **एसपीएस टीबीटी मुद्दे :** एपीजे एसएलजी द्वारा अग्रेषित 10 एसपीएस टीबीटी अधिसूचना का उत्तर 2015-16 में दिया गया था ।
- **पौध संरक्षण कोड (पीपीसी) :** तालिका में अवस्थित अतिरिक्त 2 और पौध संरक्षण योग (पीपीएफ) के अलावा पौध संरक्षण कोड का संस्करण 4 एवं 5 जारी किया गया है ।
- **आइरन फिलिंग्स :** 4 दिसंबर , 2015 को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा जारी किए गए मसौदा अधिसूचना के उत्तर में टी बोर्ड ने एफएसएसएआई को इस मसौदा अधिसूचना के विरुद्ध में एक अभ्यावेदन इस आग्रह के साथ प्रस्तुत किया था कि उचित औचित्य के साथ अधिकतम सीमा 250 मिग्रा. / किग्रा. कर दिया जाय ।

  एफएसएसएआई को यह सूचित किया गया था कि आइरन फिलिंग्स के आकलन हेतु प्रयोगशालाओं में अनुसरण किए जाने वाले मानक संचालन प्रक्रिया (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) में दोष हैं , जिसके परिणामस्वरूप तैयार चाय में वास्तविक रूप से विद्यमान आइरन फिलिंग की मात्रा के तुलना में उच्च मात्रा की पहचान हो जाती है ।

  उपरोक्त के संबंध में एफएसएसएआई ने कार्यालय आदेश सं.12(4)/2016/मिसलेनियस/ ईएनएफ/एफएसएसएआई/2016 दिनांक 19.05.2016 द्वारा यह अधिसूचित किया था कि मूल्यांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने तक प्रवर्तन प्राधिकारी खुदरा दुकान के बजाय टी फ़ैक्टरियों में निरीक्षण यह सुनिश्चित करने हेतु कर सकते हैं कि एफबीओ (फूड बिज़नस ऑपरेटर) आइरन फिलिंग को हटाने हेतु अपेक्षित उपकरणों का इस्तेमाल करें ।

- **एंथ्राकुइनोन मुद्दा :** यूरोपियन यूनियन (ईयू) द्वारा निर्धारित सीमा के बाहर एंथ्राकुइनोन की उपस्थिती से ईयू को निर्यात होने वाली चाय के लिए चिंता का विषय बन गया है एवं ईयू ने यह सूचित किया है कि एंथ्राकुइनोन पर इम्पोर्ट टोलेरेन्स आवेदन विषाक्तता आंकड़ा के साथ लगाया हुआ होना चाहिए । ईयू के आवश्यकतानुसार विषाक्तता आंकड़ा हेतु, एंथ्राकुइनोन पर अपेक्षित आंकड़ा तैयार करने हेतु सीएसआईआर-आईआईटीआर से संपर्क किया गया है ।

- **ईरान मुद्दा :**
  - भारत (नवम्बर , 2015) एवं ईरान (फ़रवरी, 2016) में कार्य दल के सदस्यों की दो सभाएं आयोजित की गयी थी ।
  - ईरान को 5 कीटनाशकों के अवशिष्टों का आंकड़ा उनके विचार एवं एमआरएल के सामंजस्य के आग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया था ।
  - भारी धातुओं की सीमा पर चर्चा जारी है ।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला: टी बोर्ड ने भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एएसआईडीई (एसिसटेंस टू स्टेटस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्मेंट ऑफ एक्सपोर्ट) योजना के तहत टी पार्क , सिलीगुड़ी में उच्च प्रौद्योगिकीय क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी की स्थापना की ।
है । क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी का उदघाटन 5 जनवरी , 2016 को माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) , श्रीमति निर्मला सीतारमन द्वारा कराया गया था । यह लैबोरेटरी उत्तर बंगाल के चाय उद्योग के लंबे समय से महसूस की गई जरूरत थी । गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला (क्वालिटी टेस्टिंग लैबोरेटरी) का लक्ष्य राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय नियामक निकायों के मानकों के अनुसार चाय नमूनों के गुणवत्ता मानक , कीटनाशक अवशिष्ट , जैव कीटनाशक , जैव उर्वरक , भारी धातु , जीवाणुतत्व संबंधी अशुद्धियाँ इत्यादि का जांच करना है । लैबोरेटरी द्वारा चाय जांच करने हेतु एन ए बी एल (नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लेबोरेटरीज) प्रमाणन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

महत्वपूर्ण सभाएं :

- 7 सदस्यों वाली ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने 22-27 नवम्बर , 2015 के दौरान आयोजित पहली इंडो-ईरान संयुक्त कार्य - दल बैठकों में भाग लेने हेतु भारत का दौरा किया था । कीटनाशक अवशिष्ट , भारी धातुओं एवं गुणवत्ता संबंधी अन्य नियामक मामलों पर भारत के मुद्दों , चिंता एवं नजरियों का ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा हुई थी ।
- अनुसंधान निदेशक ने 14-16 अक्टूबर , 2015 में आयोजित एफएओ आईजीजी बैठक में भाग लेने हेतु इटली का दौरा किया था । उन्होंने विभिन्न तकनीकी दलों पर हुए चर्चों में भाग लिया था।
- **अनुसंधान अधिकारी ने सीसीपीआर(सेंटर फॅर सिविल एंड पोलोटिकल राइटस) के 47वीं सत्र हेतु आगे की कार्रवाई हेतु कृषि भवन , नई दिल्ली में 13 नवम्बर को आयोजित शैडो समिति के बैठक में भाग लिया था । चाय से संबन्धित मुद्दों पर चर्चा हुई थी जिसमें 2016 में सीसीपीआर अनुसूची के अनुसार टी बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए जीएपी आंकड़ा भी शामिल था ।**

- अनुसंधान निदेशक ने 22 दिसंबर , 2015 में आयोजित सभी राष्ट्रीय बोर्ड के प्रतिनिधियों एवं आईसीएआर (इंडियन काउसिंल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च) अधिकारियों के बीच विमर्श सभा में भाग लेने हेतु नई दिल्ली का दौरा किया था । इस बैठक में कृषि आधारित वस्तुओं के त्वरित संवर्धन हेतु कृषि विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न कमोडिटी बोर्ड के बीच मजबूत संपर्क विकसित करने हेतु चर्चा हुई थी ।
- अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान कार्यकलापों की जाँच-पड़ताल हेतु दार्जिलिंग चाय अनुसंधान व विकास केंद्र एवं टीआरए, नागरकाटा के दोनों केन्द्रों का दौरा 20-22 जनवरी, 2016 के दौरान किया था । उन्होंने विश्व व्यपार संगठन (डबल्यूटीओ) के सदस्य देशों द्वारा जारी किए गए एसपीएस अधिसूचना के प्रतिक्रिया की समीक्षा हेतु बुलाये गए बैठक में भाग लेने हेतु 29 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली का भी दौरा किया था ।
- अध्यक्ष, टी बोर्ड के नेतृत्व में, चाय उद्योग (उत्पादक व व्यापारी निर्यातक) के वरिष्ठ सदस्यों एवं वैज्ञानिकों द्वारा गठित 22 सदस्यों वाली भारतीय चाय प्रतिनिधिमंडल ने 14-18 फरवरी, 2016 के दौरान ईरान (तेहरान व तबरीज़) का दौरा किया था । प्रतिनिधिमंडल का विभिन सरकारी विभागों के साथ कई बैठकें हुई थी जिसमें इंडो-ईरान संयुक्त कार्य दल (जेपीजी) बैठक, स्वास्थ्य मंत्रालय, ईरानी राष्ट्रीय मानक संगठन (आईएसआरआई), ईरान सीमा शुल्क का ईरानी गणराज्य, तेहरान चंबर ऑफ कॉमर्स एवं क्रेता-विक्रेता मिलन कार्यक्रम (बीएसएम) इत्यादि भी शामिल था ।

5 जनवरी 2016 को सिलिगुड़ी में टी पार्क स्थित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन करतीं हुई श्रीमती निर्मला सीतारमन माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उपस्थित हैं। श्री एस. एस. अहलुवालिया माननीय सांसद, दार्जिलिंग एवं श्री आर. आर. रश्मि तत्कालीन अपर सचिव वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय।

5 जनवरी 2016 को टी पार्क सिलिगुड़ी में नव उद्घाटित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में श्रीमती निर्मला सीतारमन माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग की जानकारी देते हुए निदेशक (अनुसंधान) डॉ. विश्वजीत बेरा उपस्थित हैं। माननीय श्री एस.एस. अहलुवालिया, माननीय सांसद दार्जिलिंग एवं श्री आर.आर. रश्मि तत्कालीन अपर सचिव वाणिज्य वं उद्योग मंत्रालय।

दिनांक 5 जनवरी 2016 को टी पार्क सिलिगुड़ी में नवउद्घाटित गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का एक दृश्य।

मार्च 2016 में टी बोर्ड मुख्यालय में आयोजित चाय अनुसंधान संपर्क समिति की बैठक का एक दृश्य।

चाय संवर्धन

परिचय :

टी बोर्ड के प्रमुख कार्यों में से एक संवर्धनात्मक क्रियाकलाप संचालित करना है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को गुणवत्ता को चाय का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाना है । भारतीय चायों के अनेक क़िस्मों एवं अनेक प्रकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि करने हेतु संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में इस लक्ष्य के साथ तेजी लायी गयी है कि लक्षित बाज़ारों में भारतीय चायों की हिस्सेदारी बढ़े एवं साथ ही साथ घरेलू खपत में भी वृद्धि हो । चयनित देशों में केन्द्रित ध्यान दिया गया था, जहाँ पर निर्यात को बढ़ावा देने हेतु अधिक संभावनाएँ थे । निर्यात तथा विदेश में भारतीय ब्राण्डों के विपणन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय निर्यातकों को भी सभी संभव सुविधा मुहैया कराई गयी थी । वर्ष 2015-16 में निर्यात में 232.92 मि.किग्रा. के साथ तेजी दर्ज की गयी थी, जो **2014-15** के तुलना में लगभग 34 मि.किग्रा. या 17% उच्चतर है । हासिल की गई यह मात्रा पिछले 35 सालों के दौरान निर्यात में दर्ज की गयी उच्चतम मात्रा थी ।

2015-16 के दौरान भारत में चाय खपत एवं भारत से निर्यात की समीक्षा

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान भारत ने 1233.14 किलोग्राम चाय का उत्पादन किया था जो देश में अभी तक दर्ज किए गए मात्रा में उच्चतम है । 2014-15 के तुलना में कुल चाय उत्पादन में 35.96 मि.किग्रा. की वृद्धि हुई थी (3% की वृद्धि) ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान भारतीय चाय ने और एक उपलब्धि हासिल की थी जब 35 वर्षों के बाद 230 मि.किग्रा. की सीमा को पार करते हुए निर्यात परिमाण में 232.92 मि.किग्रा. दर्ज की गयी थी जिसकी कीमत रु. 4493.10 करोड़ था । 1980-81 के दौरान भारत ने 231.74 मि.किग्रा. चाय निर्यात किया था । इससे पहले, 1976-77 एवं 1956-57 के दौरान भारत ने क्रमशः 242.42 मि.किग्रा. एवं 233.09 मि.किग्रा. चाय निर्यात किया था ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के तुलना में निर्यात किए गए चाय के परिमाण में 33.84 मि.किग्रा. (17%) की वृद्धि हुई थी । वहीं कीमत के नजरिए से रु. 669.46 करोड़ (17.51%) की वृद्धि हुई थी ।

निर्यात के परिमाण में यह वृद्धि केवल रूस, ईरान, जर्मनी, पाकिस्तान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, यूके, पोलैंड एवं चीन को किए गए निर्यात में ही दर्ज की गयी थी ।

पिछले वर्ष के समरूप अवधि के तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष हेतु देशानुसार निर्यात विवरण अनुलग्नक - 2 में दिया गया है । संक्षेप में तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गयी है :

2015-16					2014-15				
मि. किग्रा. में परिमाण	रु. करोड़ में मूल्य	मि. यूएसडी में मूल्य	वृद्धि रु./ किग्रा.	वृद्धि ($/Kg.)	मि. किग्रा. में परिमाण	रु. करोड़ में मूल्य	मि. यूएसडी में मूल्य	वृद्धि रु./ किग्रा	वृद्धि ($/Kg.)
233	4493	687	192.90	2.95	199	3824	626	192.07	3.14

वर्ष 2015-16 के दौरान संवर्धनात्मक क्रियाकलापों की समीक्षा

वर्ष 2015-16 के दौरान टी बोर्ड भारतीय चाय के मांग में वृद्धि एवं रूस , कजाखस्तान , ईरान , मिश्र , संयुक्त राज्य अमेरिका , जर्मनी , यूके , जापान , संयुक्त अरब अमीरात , ऑस्ट्रेलिया , चीन के प्रमुख बाज़ारों में विपणन हिस्सेदारी में वृद्धि हेतु लंदन , मास्को एवं दुबई में अवस्थित अपनी दो समुद्रपारीय कार्यालयों तथा मुख्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की संवर्धनात्मक क्रियाकलाप संचालित करती है । अन्य क्रियाकलापों में रूस, कजाखस्तान, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिश्र जैसे प्रमुख देशों में महत्वपूर्ण इवेंटों द्वारा भारतीय चाय की निरंतरता, बाजार विश्लेषण एवं उपभोक्ता प्रवृति पर नजर रखने, भारतीय चायों तथा एकल क्षेत्र निर्मित चायों की हिस्सेदारी को बढ़ाने हेतु विविध संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में बोर्ड के प्रतीक चिन्हों के व्यवहार को लोकप्रिय बनाना है ।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान चिन्हित देशों जैसे - ईरान, रूस, कजाखस्तान,यूएसए एवं मिश्र में 5-5-5 परियोजना के तहत परिकल्पित क्रियाकलापों को जारी रखना साल के महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था । एक जैसे व्यापार एवं उपभोक्ताओं के साथ संपर्क बनाने हेतु "भारतीय चाय" को एक अति महत्वपूर्ण अम्ब्रेला ब्रांड के रूप में स्थान दिलाने हेतु यह परियोजना लक्षित था । मध्यम से लंबी अवधि तक "भारतीय चाय" हेतु महत्वपूर्ण ब्रांडों की वापसी के परिणाम की आशा की जा रही है ताकि लक्षित बाज़ारों के बाजार साझेदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकें ।

तक "भारतीय चाय" हेतु महत्वपूर्ण ब्रांडों की वापसी के परिणाम की आशा की जा रही है ताकि लक्षित बाज़ारों के बाजार साझेदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकें ।

ईरान एवं रूस के प्रमुख ओर्थोडॉक्स चाय बाज़ार एवं मिश्र के बड़े सीटीसी बाजार में क्रेता-विक्रेता मिलन पर विशेष ज़ोर देते हुए व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के आदान -प्रदान पर ज्यादा ज़ोर दिया गया था । ईरान के लिए, अक्टूबर 2015 के दौरान ईरान से भारत में एक प्रतिनिधिमंडल आया था एवं भारत तथा ईरान (आईएसआईआरआई मानक) में अनुसरण किए जाने वाले गुणवत्ता व सुरक्षा प्रोटोकाल, जीएमपी पंजीकरण व नवीनीकरण, ईरानी सीमा-शुल्क निर्धारण इत्यादि जैसे विविध मुद्दों पर ध्यान देने हेतु फरवरी 2016 में अध्यक्ष, टी बोर्ड भारत के नेतृत्व में भारत का एक प्रतिनिधिमंडल ईरान गया था ।

रूस के लिए, सितंबर 2015 के दौरान एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल रूस गया था एवं उसी समय "वर्ल्ड फूड मास्को" में भी हमारी भागीदारी भी हुई थी जिसमें रुपया-रुबल व्यापारिक तंत्र संबन्धित रणनीतिक मुद्दों, प्रतिष्ठित रीटेल शृंखलाओं द्वारा भारतीय चाय का संवर्धन , मनमाने सीमा-शुल्क निर्धारण के साथ - साथ नमूना चाय भेजने में समस्याओं, कुछ भावी क्रेताओं को भारतीय चाय सतत मुहैया कराने हेतु संभावित समझौतों इत्यादि जैसे मुद्दों पर पर आपसी विचार-विमर्श किए गए थे।

मिश्र के लिए, मार्च 2016 के दौरान उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक व्यापरिक प्रतिनिधिमंडल मिश्र गया था । मिश्र की आपूर्ति व आंतरिक व्यापार मंत्रालय (एमएसआईटी) द्वारा भारतीय चाय के आयात की असीम संभावनाओं , मूल्य वर्धन क्रियाकलापों संचालित करने हेतु मिश्र के क्रेताओं के साथ जे वी इकाई स्थापित करने हेतु सहयोग एवं काहिरा तथा अलेक्सजेंडरीया में चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा भारतीय चाय का स्थायी संवर्धन हेतु साझेदारी के संबंध में अत्यंत सफल साबित हुई है ।

अगले तीन वर्षों के लिए एक कंपित ढंग से नई निर्यात रणनीति के कार्यान्वयन का उद्योग के साथ परामर्श कर मूर्तरूप दिया गया था।

भारतीय चाय के निर्यात में बढ़ोतरी के साथ-साथ स्वदेशी बाजार में भारतीय चाय की खपत हेतु समुद्रपारीय एवं घरेलू दोनों संवर्धनतमक क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण चाय संवर्धन विभाग द्वरा किया जाता है । समुद्रपारीय बाज़ारों में संचालित किए जा रहे संवर्धनतमक कार्यकलापों का पर्यवेक्षण मास्को, दुबई के साथ - साथ प्रधान कार्यालय द्वारा भी किया जाता है ।

भारत ने अमेरीका, जापान और कनाडा की चाय परिषदों की सदस्यता को जारी रखा और चाय परिषदों द्वारा आयोजित सामान्य चाय को बढ़ावा देने से लाभ भी हुआ।

वर्ष 2015-16 के दौरान टी बोर्ड भारत द्वारा ग्यारह (11) अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया गया और क्रेता व विक्रेताओं के बीच दो तरह के आदान-प्रदान को प्रभावशाली बनाने के लिए तथा भारतीय चाय को स्ट्रीमिंग अगंतुकों के बीच स्वास्थ्य एवं तंदुरस्ती रखने वाली पेय के रूप में उसके फायदे को प्रचार करने के लिए एक (1) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया गया। ईतर देशों के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में विज्ञापन के माध्यम से चाय के गुणों का चित्रण किया गया । इसके अलावा, टी बोर्ड भारत ने इसी अवधि के दौरान सत्रह (17) घरेलू व्यापार के विभिन्न स्थानों पर मेले में भाग लिया।

बाजार संवर्धन योजना (एमपीएस) के तहत संवर्धनात्मक क्रियाकलाप निम्नलिखित शीर्षों के तहत संचालित की गयी थी :

1) समुद्रपारीय संवर्धन

- मुख्य रूप से प्रजातिगत चायों के संवर्धन हेतु बोर्ड के मुख्यालय एवं तीन विदेशी कार्यालयों द्वारा यूएसए व कनाडा के चाय परिषदों, जापान चाय संघ, मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों के व्यवस्था द्वारा व्यापार सरलीकरण, बाजार सूचनाओं का प्रसार इत्यादि क्रियाकलापें की गयी गयी थी ।
- परियोजना 5-5-5 के तरह पाँच चिन्हित देशों संबन्धित क्रियाकलापों की रूपरेखा बनायी गयी थी, जहाँ "इंडिया टी" हेतु ब्रांड वापसी प्रेरण के विशिष्ट उद्देश्यों के साथ केन्द्रित क्रियाकलापें कार्यान्वित की जा रही है ।

2) **घरेलू संवर्धन**

- प्रजातिगत चाय संवर्धन अभियान चलाया गया, जिसमें शामिल हैं - देशी मेलों व प्रदर्शनियों में भागीदारी (अनुलग्नक-1 में एक तालिका दी गयी है) एवं विविध प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देना । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान टी बोर्ड द्वरा भाग लिए गए देशी इवेंटों की तालिका अनुलग्नक-2 में दी गयी है ।
- नवयुवकों एवं गृहणियों को शामिल करने के लक्ष्य हेतु कुछ चयनित नगरों में बी-2-सी अभियान चलाया गया ।
- टी बोर्ड के मुंबई में अवस्थित "टी सेंटर" द्वरा सेवा प्रदान करना जारी रखा गया है एवं उपभोक्ताओं के बीच भारतीय चाय के गुणवत्ता छवि के प्रसार हेतु गुणवत्ता चाय का विक्रय करता है ।

प्रचार-सामग्री तैयार करना

- भारतीय चाय के विभिन्न पहलुओं पर विविध प्रचार-सामग्री / विवरण-पुस्तिका तैयार किए गए एवं छपवाए गए जो उद्योग के द्वारा सम्पूर्ण रूप से स्वीकृत की गयी ।

निर्यातकों को प्रोत्साहन

- आईसीडी अमीनगाँव, असम द्वारा निर्यात किए गए चायों हेतु यातायात सहायिकी प्रदान की गयी ।
- समुद्रपारीय बाज़ारों के व्यापारिक मेलों में भाग लेने हेतु योग्य निर्यातकों को यात्रा एवं भागीदारी लागतों का प्रतिपूर्ति भी दिया गया ।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर) संरक्षण एवं प्रवर्तन

- दार्जिलिंग चायों के संरक्षण एवं प्रमुख बाज़ारों में इसकी भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु गहन निगरानी तंत्र लागू किया गया है, जो सुनिश्चित किया गया है - i) असल दार्जिलिंग चाय के सभी विक्रेताओं को प्रमापित ट्रेड मार्क प्रशासन के तहत अनुज्ञापित किया गया है, एवं ii) भारत एवं विदेशों में दार्जिलिंग चाय के रूप में विक्रय होने वाली सभी चाय असल है ।

12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के प्रथम तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय :

(करोड़ रुपया में)

मुख्य शीर्ष	**2015-16**	**2014-15**	**2013-14**	**2012-13**	**11वीं योजना कुल (2007-12)**
घरेलू संवर्धन	1.56	1.15	0.86	1.49	19.48
समुद्रपारीय संवर्धन	5.59	6.99	9.14	7.18	19.71
व्यापार संबंधी क्रियाकलापें	0.32	1.22	0.38	0.76	13.39
निर्यातकों / संघों को प्रोत्साहन	2.58	2.67	5.94	0.11	23.20
प्रचार सामग्री	1.18	2.09	1.72	1.94	5.27

विधिक / परामर्शी	0.94	1.24	0.49	1.40	3.43
ई-नीलामी	0.01	3.99	1.21	3.86	16.39
विविध	1.07	1.39	0.94	0.43	7.61
कुल	**13.25**	**20.74**	**20.68**	**17.17**	**108.48**

बोर्ड के मुख्यालयों द्वारा संचालित किए गए कार्य-कलापें

1. समुद्रपारीय कार्यालयों के साथ-साथ देशी बाज़ारों के अधीन नहीं आने वाले व्यापरिक मेलों एवं प्रदर्शनियों में बोर्ड की भागीदारी का व्यवस्था करना ।
2. बोर्ड के प्रतिनिधिमंडलों के दौरों की व्यवस्था करना, महत्वपूर्ण देशों जैसे - रूस व ईरान के अंतर्राष्ट्रीय बैठकों एवं क्रेता-विक्रेता मिलन में भागीदारी हेतु चाय प्रतिनिधिमंडलों को ले जाना, प्रमुख देशों जैसे ईरान से आने वाले व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों की व्यवस्था करना ।
3. चाय व्यापार के साथ संपर्क-कार्य स्थापित करना, व्यापारिक पूछताछों का जवाब देना, ईरान जैसे प्रमुख बाज़ारों के गुणवत्ता व सुरक्षा विनियम संबन्धित विविध मुद्दों को देखना, निर्यात के साथ-साथ बाजार एवं व्यापारिक सूचना के प्रसार संबन्धित तरक्की के संबंध में चाय व्यापारियों को अवगत कराना ।
4. भारतीय चाय के छवि को बनाए रखने एवं लोगों की प्रवृत्ति को टी बोर्ड के प्रति सकारात्मक रूप से बनाए रखने हेतु प्रभावित करना ।

विविध मेलों एवं प्रदर्शनियों में तथा समय-समय पर विविध स्त्रोतों से सूचना प्रसार के अंश के रूप में प्राप्त व्यापारिक सूचनाओं को उद्योग के सदस्यों के साथ साझा किए गए ।

समुद्रपारीय संवर्धन

समुद्रपारीय कार्यालयों द्वारा संवर्धनात्मक क्रियाकलापें

मास्को कार्यालय

मास्को कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले देशों का नाम
टी बोर्ड का लंदन कार्यालय स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल देशों (सीआईएस राष्ट्रों) जैसे - रूस, कजाखस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, जार्जिया, आर्मेनिया, मॉल्डोवा एवं लातविया, एस्टोनिया व लिथुनिया के बाल्टिक राष्ट्रों में भारतीय चाय के संवर्धन का देख - रेख करती है ।

स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल देशों (सीआईएस क्षेत्र) के प्रमुख देशों में चाय का बाजार आकार

देश	**बाजार आकार मि. किग्रा.**	**प्रति व्यक्ति उपभोग / प्रति वर्ष**
रूस	151	1.27
कजाखस्तान	31	1.50
यूक्रेन	19	0.94
उज्बेकिस्तान	17	0.80

सीआईएस क्षेत्रों में कुल बाज़ार आकार का आकलन 241 मिलियन किग्रा किया गया है एवं इस क्षेत्र में उपरोक्त देश सामूहिक रूप से 90% चाय का आयात करता है ।

<u>रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित इवेंटों हेतु टी बोर्ड भारत की भागीदारी व्यवस्थित की गयी थी :</u>

(क) **<u>व्यापारिक मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा संवर्धन</u>**

1) दिनांक 14-17 सितंबर 2015 के दौरान वर्ल्ड फूड मास्को ।

2) दिनांक 3-8 नवम्बर 2015 के दौरान कजाखस्तान के अल्माती में आयोजित वर्ल्ड फूड कजाखस्तान में भागीदारी ।

दिनांक 4-6 नवम्बर, 2015 के दौरान अल्माती, कजाखस्तान में आयोजित वर्ल्ड फूड कजाख में टी बोर्ड भारत ने टी बोर्ड पवेलियन से प्रदर्शनी करते हुए निम्नलिखित निर्यातकों के साथ भाग लिया :

i) मेसर्स विक्रम इंपेक्स
ii) मेसर्स जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
iii) मेसर्स क्रोमेटन एक्स्पोर्ट्स
iv) मेसर्स गिरनार फूड प्रोडक्टस
v) मेसर्स प्रिमियर्स टी लिमिटेड

टी बोर्ड के पवेलियन के तहत टी बूथ पर आयोजित चाय नमूना चयन कार्यक्रम के तहत एक स्फूर्तिकारक फुटबाल मैच भी आयोजित किया गया था । इस कार्यक्रम में बड़े संख्या में व्यपारिक पूछताछ भी हुई थी ।

(ख) 14-17 सितंबर, 2015 के दौरान रूस में भारतीय चाय प्रतिनिधिमंडल द्वारा किए गए दौरा का निम्नलिखित परिणाम था :

1. चाय आपूर्ति हेतु अहमद टी कंपनी, ओरिमी ट्रेड, फूड एंपायर जैसे प्रतिष्ठित पैकरों के साथ एक - एक बैठकें आयोजित की गयी थी ।

2. स्टोर द्वारा संवर्धन हेतु संबंध बनाने हेतु 7 कोंटीनेंट, माइग्निट, ईकोस जैसे नामी रीटेल चैन्स के साथ भी बैठकें आयोजित हुई थी ।

3. भविष्य में भारतीय चाय के बड़े पैमाने पर संवर्धन हेतु श्री रमीज चंटरिया, महानिदेशक, रूस टी कॉफी असोशिएशन के साथ एक-एक कर बैठकें भी आयोजित हुई थी ।

दुबई कार्यालय

दुबई कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले देश
टी बोर्ड का दुबई कार्यालय पश्चिम एशिया, उत्तर अफ्रीका सहित कुवैत, ईरान, इराक, बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, येमेन, जॉर्डन, सिरिया, एआरई(मिश्र), लिबया, सूडान, टूनीसिया, अल्जीरिया, मोरक्को, टर्की, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में भारतीय चाय के संवर्धनात्मक कार्यों की देख-रेख करती है ।

बाजार परिदृश्य

भारतीय चायों का लगभग 35% भाग पश्चिम एशिया एवं उत्तर अफ्रीकी (वाना) देशों में निर्यात होता है। इन देशों में विशेषकर यूएई, ईरान, मिश्र, पाकिस्तान , सऊदी अरब एवं अफगानिस्तान में प्रति व्यक्ति उपभोग उच्च है एवं चाय को थोक माल के रूप में आयात किया जाना जारी है तथा भविष्य में इसमें वृद्धि होने की संभावनाएं है ।

वाना क्षेत्रों (इस क्षेत्र में कुल बाजार आकार की 518 मि. किग्रा. या 84% के साथ संयुक्त आयात बाजार की संयुक्त भागीदारी के साथ) में यूएई (दुबई), ईरान, इराक, सऊदी अरब, मिश्र, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं लीबिया प्रमुख बाजार है । मूल्य एवं गुणवत्ता के नजरिए से मध्य पूर्व बाजार अधिक प्रतिस्पर्धी है। यहाँ चाय अधिकांश रूप से दूध के साथ पिया जाता है एवं पसंद के लिए चाय का रूप - रंग सर्वप्रथम मानदंड है । चाय के प्रमुख उपभोग क्षेत्र होने के कारण अफ्रीकी चाय अपनी मूल्य प्रतियोगितात्मकता एवं गुणवत्ता में जलवायु संबंधी बहुत कम बदलाव होने के कारण इन बाज़ारों में जगह बना रही है । फिर भी, यह देखा गया है कुछ देशों जैसे - ईरान, सिरिया, सऊदी अरब, जो पारंपरिक रूप से ओर्थोडोक्स चाय को तरजीह देते है, हाल के समय में सीटीसी चाय की मांग में वृद्धि हो रही है । यूएई में भारत एवं पाकिस्तान के प्रवासियों की तादाद ज्यादा होने के कारण सीटीसी चाय बहुत लोकप्रिय है ।

संयुक्त राज्य अमीरात (यूएई)

अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति एवं उत्तम संभार तंत्र एवं भंडारण सेवाओं के कारण विशेषकर दुबई टी ट्रेडिंग सेंट (डीटीटीस) के तहत दुबई मल्टी - कमोडिटी सेंटर के अंदर जेबेल अली फ्री जोन के कारण यूएई, अंतर्राष्ट्रीय चाय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । डीटीटीसी एक मात्र अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्यात चाय केंद्र होने कारण भंडारण, मिश्रण, आस्वादन एवं पैकेट बनाने के लिए चाय व्यापारियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करती है । इसका बाजार आकार लाभग 86 मिलियन किलोग्राम का है । कुल वैश्विक पुनः निर्यात में यूएई का भागीदारी लगभग 70% है । यूएई में पुनः निर्यात का 86% भौगोलिक वितरण तीन देशों : इराक(42%) , ईरान(21%) एवं रूस(23%) में देशित था।

यद्यपि यूएई का घरेलू बाजार लघु जनसंख्या के कारण चाय के लिए बहुत बड़ा नही है, तथापि यह पुनः चाय निर्यात बाजार केंद्र के रूप में बहुत बड़ा है। यहाँ के बाजार में मुख्य रूप से टी बैग एवं पैकेट टी हावी है एवं ओर्थोडॉक्स चाय (पत्ती/खंडित) का स्थिर बाजार है । सीटीसी ग्रेड जैसे- बीओपी, बीपी, पीडी मुख्य रूप से टी बैग में उपयोग किया जाता है । फिर भी जहां पैकेट चाय में शुद्ध असम सीटीसी

उपलब्ध है, वहीं भारतीय एवं केन्याई चाय या शुद्ध श्रीलंकाई चायों की मिश्रण द्वरा निर्मित टी बैग का भी प्रयोग किया जाता है ।

मिश्र अरब गणराज्य

83 मिलियन जनसंख्या वाली मिश्र का अरब गणराज्य का बाजार आकार 103 मिलियन किलोग्राम है एवं प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति उपभोग 1.22 किलोग्राम है । सरकार जन वितरण हेतु 25-20-मिलयन किलोग्राम चाय आयात करती है एवं बाकी मांगो की पूर्ति निजी कंपनियों द्वारा की जाती है । सामग्री महाप्राधिकार (जीएएससी)यह निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होता है कि सरकार को चाय की कितनी मात्रा जरूरत है एवं उतनी ही मात्रा सार्वजनिक क्षेत्र की दो संगठनों जैसे -मेसर्स ईएल नसर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को तथा मेसर्स मिस्र एक्सपोर्ट एवं इम्पोर्ट कंपनी द्वारा खरीदी जाती है । अब निजी कंपनियाँ चाय का आयात कर रही हैं । फिलहाल मिश्र सेना ने अपने प्रयोग हेतु भारत से प्रत्यक्ष रूप से चाय का आयात करना आरंभ कर दिया है ।

यहाँ की बाजार मांग मुख्यतः सीटीसी चूर्ण एवं फेनिंग्स के लिए है । 95% सीटीसी के रूप में उपभोग के साथ चाय (चूर्ण एवं फेनिंग्स) यहाँ का पसंदीदा पेय है । साधारणतः चायें थोक रूप में आयात की जाती है, फिर घरेलू उपभोग के लिए निजी कंपनियों द्वारा मिश्रित एवं पैक की जाती है । पैकेट चाय की कम मात्रा भी आयात की जाती है। "टी बैग्स" एक छोटा एवं धीरे-धीरे बढ़ने वाला क्षेत्र है । भारत की 6% एवं श्रीलंका की 3% की भागीदारी के तुलना में केन्या अभी भी 88% आयात हिस्सेदारी के साथ जबर्दस्त बहुमत रखता है ।

ईरान

14 मिलियन किलोग्राम चाय उत्पादन के साथ ईरान चाय उत्पादक देश है । प्रति वर्ष 1.05 किलोग्राम प्रति व्यक्ति उपभोग के साथ वार्षिक उपभोग लगभग 68 मिलियन किलोग्रा है (मुख्यतः आर्थोडॉक्स टी)। ईरान ने 2013 के 80 मि. किग्रा. (24% ह्रास) की तुलना में 2014 में लगभग 61 मि.किग्रा.ओर्थोडोक्स चाय का आयात किया था । ईरान ने कुल उत्पादन का लगभग 9%सीआईएस देशों - यूएई, अफगानिस्तान इत्यादि देशों में पुनः निर्यात किया । हालांकि ईरानी चाय खराब गुणवत्ता वाली होती है, इसे आयातीत चाय के साथ मिश्रित करके घरेलू बाजार में उपभोग योग्य बनाया जाता है । उपभोग के अनुसार 90% ओर्थोडोक्स एवं 10% सीटीसी का मिश्रण होता है । उच्च गुणवत्ता वाली सीटीसी चाय की ग्रहणशीलता के साथ टी बैग का बाजार भी बढ़ रहा है ।

वर्ष 2014 के दौरान ईरान ने 16.60 मि. किग्रा. (27%) चाय भारत से आयात किया था । ईरान को चाय आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश श्रीलंका (44%) है, इसके बाद भारत है ।

सऊदी अरब

सऊदी अरब में चाय संस्कृति अभी भी बहुत मजबूत है, जो उनकी परिवार एवं सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है । हालांकि कॉफी के परिमाण में तीव्र वृद्धि दिखाई दे रही है, गर्म पेय के श्रेणी में चाय अभी भी पसंद किया जाता है। ब्लैक टी (16 मिलियन किलोग्राम का अनुमानित परिमाण) का समूहिक रूप से 69% हिस्सेदारी में चार देशों -भारत(18%) , श्रीलंका(27%) , केन्या(20%) तथा वियतनाम(9%) आयात के साथ मजबूत बना हुआ है । उपभोक्ता मुख्यतः आर्थोडॉक्स चाय पसंद करता है, फिर भी यहाँ सीटीसी चूर्ण का स्थिर बाजार है।

भारतीय चाय (मुख्यतः सीटीसी चाय) का निर्यात हेतु **पाकिस्तान** एवं **अफगानिस्तान** दो महत्वपूर्ण बाजार है । पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान का बाजार आकार तथा प्रति व्यक्ति उपभोग क्रमशः 152मिलियन किलोग्राम व 0.73किलोग्राम प्रतिवर्ष तथा 53मिलियन किलोग्राम व 2.73किलोग्राम प्रति वर्ष है ।

2015-16 के दौरान पाकिस्तान ने 19.37 मिलियन किग्रा. भारतीय चाय प्रमुख रूप से सीटीसी किस्म का आयात किया था , जो 2014-15 के तुलना में 4.17 मिलियन किलोग्राम (27.43%) अधिक था । 2015-16 के दौरान अफगानिस्तान ने भारत से लगभग 1.2 मिलियन किग्रा. चाय का आयात किया था।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रमों हेतु टी बोर्ड भारत की भागीदारी सुनियोजित की गयी थी :

(क) <u>व्यापारिक मेलों एवं प्रदर्शनियों द्वारा संवर्धन</u>

1) <u>नवम्बर 14-17, 2015 के दौरान वर्ल्ड ऑफ टी, तेहरान में भागीदारी</u>

टी बोर्ड ने 72 वर्ग मीटर के स्टैंड पर बने हुए टी बोर्ड पवेलियन से प्रदर्शनी करने वाले निम्नलिखित निर्यातकों के साथ नवम्बर 14-17 , 2015 के दौरान वर्ल्ड ऑफ टी, तेहरान में भाग लिया था :

i) शाह ब्रदर्स

ii) जे.वी. गोकल प्राइवेट लिमिटेड

iii) लक्ष्मी टी लिमिटेड

iv) टीम यूनाइटेड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

v) यूनाइटेड नीलगिरी टी इस्टेट कंपनी लिमिटेड (चामराज)

vi) इंदरचंद सीताराम

गहन एवं केन्द्रित इंटेरेक्शन्स के साथ "चाय" पर एक विशिष्ट प्रारूप में एक विशेषीकृत प्रदर्शनी आयोजित हुआ था । सुनियोजित एवं सुंदर तरीके से लगाए गए टी बोर्ड ऑफ इंडिया लाउंज में ईरानी गृह मंत्रालय के 2 अधिकारियों एवं ईरानी चाय संघ के अध्यक्ष सहित काफी संख्या में दर्शक आए थे । ईरानी बाजार हेतु शाह ब्रदर्स, जे.वी. गोकल प्राइवेट लिमिटेड, लक्ष्मी टी, टीम यूनाइटेड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड जैसे अनुभवी निर्यातकों के साथ-साथ यूनाइटेड नीलगिरी टी इस्टेट कं. लि. जैसे नए निर्यातकों के लिए व्यापारिक नेतृत्व के निर्माण के नजरिए से यह प्रदर्शनी सफल साबित हुआ था ।

2) 21-25 फरवरी , 2016 के दौरान आयोजित गल्फ फूड , दुबई में भागीदारी

टी बोर्ड भारत ने मध्य पूर्व के सबसे बड़ा गल्फ फूड , 2016 में 57 वर्ग मीटर के स्थान से निम्नलिखित आठ निर्यातकों के साथ भाग लिया था :

i) प्रीमियर्स टी लिमिटेड - का 37 देशों में ब्रांड उपस्थिती है ,

ii) गोल्डेन टिप्स टी को. प्रा. लि. - का चीन , मध्य पूर्व , जापान एवं सीआईएस देशों में ब्रांड उपस्थिती है,

iii) जे.वी. गोकल प्राइवेट लिमिटेड - अंतर्राष्ट्रीय चाय ब्रांडो को अपनी सेवा देते हुए सबसे बड़ा निजी लेवल पैकर है,

iv) साकेत इंपेक्स - थोक निर्यातक,

v) यूनाइटेड नीलीगीरी प्लांटेशन्स - थोक एवं पाकेट का निर्यात करने वाले प्रमुख दक्षिण भारतीय रोपण,

vi) वेराइटी फूड प्रोडक्टस - मुख्यतः कैफे वगेरह में सेवा प्रदान करता है,

vii) आदित्य ट्रेडिंग को. - खाड़ी में केन्द्रित थोक एवं पैकिंग किया हुआ उत्पाद,

viii) जयश्री टी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड - मुख्य रूप से थोक में कारोबार करने वाला भारत के सभी हिस्सों में स्थित बगानों के साथ बड़ा उत्पादक है ।

श्री संतोष सारंगी, संयुक्त सचिव (वाणिज्य विभाग , भारत सरकार) व अध्यक्ष , टी बोर्ड एवं श्रीमति अनीता कर्ण, निदेशक (रोपण, वाणिज्य विभाग , भारत सरकार) ने अपनी उपस्थिती से टी बोर्ड पवेलियन का शोभा बढ़ाये ।

इस भागीदारी की प्रमुख विशेषताएँ निमन्वत है :

- ✓ टी बोर्ड बूथ पर निरंतर तरल चाय का नमूना चयन एवं चाय आस्वादन कार्यक्रम आयोजित किया गया था,
- ✓ ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, कुवैत से आए व्यापारिक पूछताछ को शामिल करते हुए अनेकों व्यापारिक पूछताछ अंत्यन्त उत्साहवर्धक था,
- ✓ असम सीटीसी चाय के लिए अधिकतम व्यापारिक पूछताछ थी,
- ✓ कुछ पुराने व्यापरिक संबंधें जो हमने श्रीलंका के समक्ष खो दिये थे, भारत के पास पुनः वापस आने हेतु इच्छा जताए हैं,
- ✓ भारतीय चाय की दुबई के बाजार में बहुत मांग है एवं लोग अच्छी गुणवत्ता वाली भारतीय चाय हेतु भुगतान हेतु तैयार हैं,
- ✓ इस इवैंट में भागीदारी के अतिरिक्त दुबई टी ट्रेडिंग सेंटर, जो जेबेल आली फ्री ज़ोन में अवस्थित दुबई मल्टी कोमोडिटी सेंटर का एक अंश है, में एक दौरा भी किया गया था । इस दौरा के दौरान टी बोर्ड के अध्यक्ष सहित निदेशक (रोपण) एवं श्रीमति सुनीथा मुर्थी (ग्रहक संबंध प्रबन्धक) व डीटीटीसी के प्रतिनिधि श्री अजय कुमार (व्यापार विकास प्रबन्धक) के बीच एक इंटेरेक्शन्स भी आयोजित की गयी थी ।
- ✓ टी बोर्ड के अध्यक्ष ने भारत में चाय हेतु वैसा ही सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित करने हेतु टी बोर्ड एवं डीएमसीसी/डीटीटीसी के बीच जेवी साझेदारी हेतु संभावना तलाशने पर अपना विचार व्यक्त किया था ।
- ✓ इंडिया पवेलियन का एक और दौरा वैश्विक गाँव (ग्लोबल विलेज), दुबई में आयोजित किया गया था एवं निदेशक (रोपण) ने राजदूत (वाणिज्य) व चाय संवर्धन के कार्यकारी निदेशक - दुबई को भारी संख्या में पर्यटकों के आने के कारण इस स्थान पर एक टी बुटीक / सेवा केंद्र स्थापित करने हेतु संभावना तलाशने हेतु निदेश दिया है ।

(ख) 2015-16 के दौरान भारतीय चाय प्रतिनिधिमंडल एवं ईरानी तथा मिश्र के चाय प्रतिनिधिमंडल के आपसी दौरों का निम्नलिखित परिणाम था :

(1) **23-26 नवम्बर , 2015 के दौरान ईरान से आए प्रतिनिधिमंडल**

वार्ता के दौरान भारत एवं ईरान के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा गठित संयुक्त कार्य दल(जेडब्ल्यूजी) निम्नलिखित हेतु सहमत हुए थे :

i) सीआईबी व आरसी के तालिका में नहीं स्थित 6 कीटनाशकों के एमआरएल में समंजस्य /आरोही संसोधन

ii) **4** भारी धातुओं जैसे - सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक एवं मर्करी के एमआरएल का आरोही संसोधन

iii) चिन्हित कीटनाशकों के संबंध में जोखिम मूल्यांकन आंकड़ा एवं कार्यप्रणाली की प्रस्तुति

(2) **14-18 फरवरी, 2016 के दौरान ईरान में गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल**

i) भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का ईरान द्वारा 5 कीटनाशकों के एमआरएल में वास्तविक स्तर तक आरोही संसोधन हेतु प्रयोग किया जाएगा ।

ii) चाय में एमआरएल स्थिरीकरण हेतु अतिरिक्त कीटनाशकों हेतु आंकड़ा ईरान को दिया जाएगा ।

iii) भारी धातुओं (सीसा, कैडमियम, आर्सेनिक एवं मर्करी) हेतु ईरान द्वारा प्रस्तावित निम्न एमआरएल को काफी हद तक वाणिज्य को प्रभावित किए वगैर अलारा सिद्धांत का अनुसरण कर देखा जाएगा ।

iv) जीएमपी प्रमाणपत्रों का पंजीकरण एवं फिलहाल 3 वर्षों हेतु जारी किए जाने वाली मान्यता को ईरान द्वारा निर्यात इकाइयों के गुणवत्ता मूल्यांकन करने के पश्चात 3 वर्षों हेतु नवीनीकृत किया जाएगा ।

v) जीएमपी प्रमाणपत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन की प्रस्तुति 3 महीने पूर्व की जानी चाहिए ।

vi) ईरान द्वारा आयात किए गए विभिन्न श्रेणियों हेतु मासिक औसत नीलामी कीमत आंकड़ा निम्नतम सीमा-शुल्क निर्धारण को जारी रखने हेतु सीमा-शुल्क विभाग , ईरान को सौंपा जाएगा ।

(3) **19-23 मार्च के दौरान मिश्र में गए भारतीय प्रणिधिमंडल**

i) आपूर्ति व आंतरिक वाणिज्य मंत्रालय (एमएसआईटी), मिश्र एवं टी बोर्ड व आईटीए के साथ रणनीतिक संबंध विकसित कर भारतीय चाय के निर्यात में संभावना । मिश्र

सरकार लगभग 30 मिलियन किलोग्राम चाय आयात करती है एवं विभिन्न विक्रय-केन्द्रों में आपूर्ति करता है ।

ii) कार्य-विधि तैयार करने हेतु टी बोर्ड , आईटीए व आपूर्ति व घरेलू व्यापार मंत्रालय को लेकर एक समिति गठित किया गया था । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय , भारत सरकार को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है ।

iii) मिश्र सरकार किसी भी प्रकार के मैत्री के लिए तैयार है । मूल्य वर्धन कार्यकलापों हेतु जेवी इकाई की स्थापना की संभावना हेतु मिश्र में निर्यात व मिश्र से पुनः निर्यात हेतु मिश्र के कंपनियों के साथ साझदारी हो रहीं है । वे सहयोग हेतु ईजिप्सियन शुगर एवं एकीकृत कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हेतु प्रस्ताव भी कर रहे हैं ।

iv) भारतीय चायों की प्रदर्शनी हेतु 23 अप्रैल - 7 मई, 2016 तक आयोजित 'इंडिया बाई नील वीक' में भागीदारी ।

v) मिश्र में भारतीय चाय के संवर्धन एवं सपर्क स्थापन हेतु स्थानीय परामर्शदाता की नियुक्ति ।

vi) काहिरा एवं एलेक्सजेंड्रिया में चेम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से भारतीय चाय का मौलिक संवर्धन ।

समुद्रपारीय कार्यालय के अधीन आने वाले देशों के अलावा दूसरे देशों में संवर्धनात्मक कार्यकलापें

विदेश में अवस्थित विशिष्ट शिष्टमंडलों के सक्रिय सहयोग से टी बोर्ड का प्रधान कार्यालय विभिन्न प्रकार की संवर्धनात्मक कार्यकलापें संचालित करती है एवं निम्नलिखित प्रमुख देशों में बाजार स्थितियों का निगरानी भी करता है ।:

संयुक्त राज्य अमेरिका

वर्ष 2014 के दौरान भारत से 14.61 मि. किग्रा. आयात के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 2015 में लगभग 130 मिलियन किलोग्राम का अनुमानित बाजार आकार था । पौष्टिक एवं चाय उपभोग का स्वास्थ्य लाभ चाय विक्री का प्राथमिक प्रेरक बल है, जहां ऑर्गैनिक , ग्रीन टी में जबर्दस्त अभिरुचि पाई जाती है। स्पैशलिटी टी की एक अन्य श्रेणी है, जहां उपभोक्ता क्षेत्र - विशिष्ट चाय के प्रति विशेष अभिरुचि ले रही है । यह वैश्विक रूप में चाय उपभोग में 3रीं स्थान रखती है । संयुक्त राज्य अमेरिका में चाय का उपभोग अधिकतर आइस टी (95%) के रूप में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय चाय का निर्यात हेतु अत्यधिक संभावनाएँ है ।

भारत, जो **यूएस टी काउंसिल** का निर्माता सदस्य है, ने विभिन्न अवसरों पर यूएस चाय उद्धोग के प्रमुख भागीदार के साथ कुछ प्रमुख विचार-विमर्श में भाग लिया था ।

5-5-5 परियोजना के तहत संचालित किए गए कुछ निम्नलिखित कार्यकलाप हैं :

- चाय पत्रिका में विज्ञापन एवं उनके सामाजिक तथा डिजिटल आधार जैसे कि फ़ेसबूक, टीमैग.कॉम, डिजिटल पत्रिका संस्करण द्वारा संवर्धन।

- यूएसए के स्पैशलिटी टी इंस्टीट्यूट के टेक्ससोम कार्यक्रम द्वारा भारतीय चाय का संवर्धन ।

- टी असोशिएशन ऑफ यूएसए के द्वारा टेलीविज़न पर प्रचारित सारा माउलटोन्स कूकेरी शो द्वारा संवर्धन।

- सितंबर 2015 के दौरान आयोजित " 6वीं नॉर्थ अमेरिकन टी कॉन्फ्रेंस में भागीदारी ।

<u>22-24 सितंबर , 2015 के दौरान सेन एंटोनियो , टेक्सास , संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित 5वीं नॉर्थ अमेरिकन टी कॉन्फ्रेंस में टी बोर्ड की भागीदारी</u>

टी बोर्ड ने 22-24 सितंबर, 2015 के दौरान सेन एंटोनियो, टेक्सास, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित 5वीं नॉर्थ अमेरिकन टी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था । टी बोर्ड ने 22 सितम्बर को वैल्कम ईवनिंग इवैंट एवं रात्रि भोजन को प्रायोजित किया था एवं इस सम्मेलन में यूएस चाय बिरादरी के प्रमुख अदाकार द्वारा गठित प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया था । यह कार्यक्रम टी क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ संपर्क स्थापित करने एवं यूएस के बाजार में भारतीय चाय की उपस्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु एक प्रमुख मंच था । देश में "गोल्ड मेडल टी कॉम्पटिशन" कोटि में मेसर्स अम्बुटिया का भव्य प्रदर्शन रहा, जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया ।

कनाडा:

17.28 मिलियन किलोग्राम आयात परिमाण के साथ महत्वपूर्ण चाय बाजार है, जहाँ 2015-16 के दौरान भारत ने 2.2 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया था । संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत कनाडा की लगभग 60% जनसख्या हॉट टी उपभोग करती है । भारत से कनाडा को निर्यात होने वाली भारतीय चाय का परिमाण लगभग 1.38 मिलियन किलोग्राम है । हालांकि, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्यात का परिमाण भले ही निम्न है लेकिन इकाई कीमत प्राप्ति उच्च है जिससे पता चलता है की स्पैशलिटी टी लोकप्रिय हो रहा है एवं इस क्षेत्र में वृद्धि की संभावनाएँ हैं ।

ऑस्ट्रेलिया:

लगभग 11 मिलियन किलोग्राम आयातित एवं विश्व आयात में 1% से कम भागेदारी के साथ 3.47 मि. किग्रा. की निर्यात के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख निर्यातक देश है । अनेकों मूल्य वर्धित चायों की गुंजाइस विशेष रूप से ब्रांडेड ब्लैक टी के लिए छोटे बाजार प्रस्तुत करती है।

इस बाजार को अब नए गंतव्य के रूप में सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है क्योंकि इसमें और अधिक निवेश एवं विस्तार की बहुत अधिक संभावनाएँ हैं । भारतीय चाय का निर्यात अधिकतर इंस्टेंट टी, टी बैग्स व पॉकेट टी के रूप में होता है ।

सितंबर, 2015 के दौरान भारतीय दूतावास के सक्रिय सहयोग से टी बोर्ड ने पाँच निर्यातकों के साथ "फ़ाइन फूड ऑस्ट्रेलिया" में भाग लिया।

जापान:

जापान 31 मिलियन किग्रा चाय का आयात करता है जिसमें ब्लैक टी एवं ग्रीन टी की हिस्सेदारी क्रमशः 44% एवं 15% है एवं शेष हिस्सेदारी अन्य प्रकार के चायों की है । 2015-16 के दौरान भारत से जापान को निर्यात होने वाली चाय का परिमाण 3.27 मिलियन किग्रा था। जापान गुणवत्ता दार्जिलिंग चाय का बाजार है । उच्च स्तरीय पत्ती चाय किस्म के अलावा जापान ने धीरे -धीरे असम सीटीसी चाय के व्यवहार को बढ़ाया है । यह चाय या तो टी बैग्स के रूप में उपयोग होता है या बोतलबंद दूध चाय -जो युवा पीढ़ी का प्रिय उपभोग वस्तु है, के निर्माण के लिए व्यवहृत होता है ।

जापान में "भारतीय चाय" हेतु संवर्धनात्मक कार्य मुख्य रूप से टोकियो में जापान टी एसोशिएशन (जेटीए) के सहयोग से भारतीय दूतावास द्वारा संचालित की जाती है । भारतीय दूतावास एवं जापान टी एसोशिएशन के संयुक्त प्रयास से प्रत्येक तिमाही में भारतीय चाय संबन्धित सेमिनार आयोजित की जाती है ।

टी बोर्ड ने निर्यातकों के दल के साथ मार्च 2015 में आयोजित फूडेक्स में भाग लिया एवं क्रेता-विक्रेता मिलन कार्यक्रम भी संचालित किया गया था ।

चीन:

चीन के बाजार के हालिया प्रवृति को देखने से पता चलता है कि विगत कुछ सालों से परिमाण एवं कीमत दोनों मामलों में इंस्टेंट टी का बाजार काफी हद तक बढ़ा है । यह ग्रीन टी , जिसकी अतीत में बाजार में बहुत मांग थी, के तुलना में सबसे बड़ा श्रेणी है। इंस्टेंट टी युवा पीढ़ियों में विशेष रूप से लोकप्रिय है । परिणामस्वरूप युवा पीढ़ी हेतु रेडी-टू-ड्रिंक टी या इंस्टेंट टी बनाने हेतु ब्लैक टी का आयात किया जा रहा है । 2015-16 के दौरान चीन को निर्यात किए जाने वाले भारतीय चाय का परिमाण 4.79 मि.किग्रा. था । यद्यपि चीन विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है (विशेषकर ग्रीन टी जो कुल उत्पादन का 70% है), चीन ने देशी उपभोग हेतु विशेषकर ब्लैक टी का बड़े परिमाण में आयात करना आरंभ कर दिया है ।

टी बोर्ड भारत ने पाँच निर्यातकों के साथ 15-19 अक्टूबर, 2014 के दौरान आयोजित चीन (जियामेन) इंटरनेशनल टी फेयर एवं 13-15 अगस्त, 2015 के दौरान आयोजित हाँग काँग इंटरनेशनल टी फेयर के माध्यम से 9 निर्यातकों के साथ एक पृथक इंडिया पवेलियन के तहत भाग लिया था ।

इन दोनों व्यापारिक मेलों में अग्रणी निर्यातकों के समर्पित भागीदारी ने आयातकों के साथ - साथ उपभोक्ताओं, मुख्य रूप से चीन, ताईवान एवं दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों के समक्ष विभिन्न श्रेणी समेत विभिन्न आकार वाले चाय पैकेट के प्रदर्शनी को सक्षम बनाया था । इसके परिणामस्वरूप अनेकों व्यवसायिक नेतृत्वों का निर्माण एवं व्यवसायिक अवसरों का उपयोग हुआ था । टी बोर्ड के स्टैंड पर भारतीय मूल के दार्जिलिंग, असम एवं नीलगिरी क़िस्मों ने दर्शकों के काफी संख्या को आकर्षित किया था, जिसने उत्तम क़िस्मों विशेषकर दार्जिलिंग चाय के आस्वादन हेतु रास्ता तैयार किया था । भारतीय चाय का सफल चाय आस्वादन सत्र इन दोनों कार्यक्रमों का प्रमुख विशेषता था ।

जर्मनी:

2014 के दौरान 58 मिलियन किलोग्राम (जिसका 2/3 भाग ब्लैक टी एवं शेष ग्रीन का) की कुल आयात के साथ यूरोपियन यूनियन क्षेत्रों में जर्मनी, यूके के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय बाजार है । यह भारत की उच्च गुणवत्ता वाली दार्जिलिंग चाय के प्रति विशेष झुकाव के साथ एक गुणवत्ता संवेदी प्रीमियम बाजार है । जर्मनी में भारतीय चाय विशेषकर दार्जीलिंग चाय का प्रति इकाई कीमत प्राप्ति उच्च है (लगभग औसत रूप में 5.5 यूएसडी) । 2015-16 में भारत ने जर्मनी को 10.53 मिलियन

किलोग्राम चाय निर्यात किया था । जर्मनी जैविक पण्य-सामग्री समेत चाय हेतु एक अग्रणी व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर कर आया है । वर्तमान में दार्जीलिंग का अधिकांश चाय जैविक होता है एवं जैविक खाद्य-सामग्री एवं पेय का संवर्धन हेतु बायोफाक एक प्रमुख इवैंट है ।

जैविक खाद्य हेतु बायोफाक एक प्रिमियर व्यापारिक मेला है जहाँ खाद्य एवं पेय उद्योग का उत्पादक, आपूर्तिकर्ता एवं क्रेतागण सूचना को साझा करने हेतु मिलते हैं तथा साझेदारी के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के आधार का निर्माण हेतु खाद्य एवं पेय क्षेत्र के अनेकों प्रभावशाली पेशेवर के साथ व्यवसाय करते हैं । लक्ष्यता को बरकरार रखने एवं जैविक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चाय संवर्धन हेतु टी बोर्ड ने पाँच जैविक प्लेयर्स के साथ इस प्रतिष्ठित मेला में 52 वर्ग मीटर के स्थान से भाग लिया था ।

क्षेत्र निर्मित गुणवत्ता चायों के नमूनों जैसे कि दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी, मन्नार ग्रीन टी (जैविक), सिक्किम चाय (जैविक) के ओर्थोडोक्स प्रकार के विभिन्न श्रेणियों का पूरे देश भर में केन्द्रित संवर्धन के लक्ष्य के साथ प्रदर्शित किया गया था । इन पूरे चार दिनों के दौरान इस प्रदर्शनी ने काफी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया था, जो शुद्ध भारतीय चाय के प्रति उल्लसित थे । भारतीय मूल के दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी एवं मन्नार ग्रीन टी के मुफ्त नमूना चयन ने हमारे स्टॉल पर काफी दर्शकों को आकर्षित किया था जिसने उत्तम क़िस्मों विशेषकर दार्जीलिंग चाय के आस्वादन हेतु रास्ता तैयार किया था ।
कंपनियों ने जैविक क़िस्मों के विभिन्न आकारों वाले पैकेट में अपने - अपने ब्रांडों को प्रदर्शित किया था।

पाँच निर्यातकों हेतु विभिन्न समूहों में गहन विमर्शों के परिणामस्वरूप अनेकों व्यवसायिक नेतृत्वों का निर्माण एवं व्यावसायिक अवसरों का खोज हमारे प्रदर्शनी के प्रमुख विशेषताएँ थे ।

लाभदायक तरीकों में नेटवर्क एवं संबंध बनाने हेतु संवादमूलक सत्र सह मिलनसार सभा का आयोजन एक प्रख्यात भारतीय रेस्तरां में 12 फरवरी से 16 फरवरी के दौरान शंध्या में किया गया था जिसमें अनेकों क्रेताओं एवं विक्रेताओं ने भाग लिया था । भारतीय चाय एवं इसकी भावी संभावनाओं के संबंध में अतिथियों के मध्य में लाभदायक सूचनाओं के आदान-प्रदान में यह इंटेरेक्सन अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ था ।

टी बोर्ड ने दो निर्यातकों के साथ इंडिया पवेलियन के माध्यम से 10-14 अक्टूबर , 2015 के दौरान एनुगा , कोलोन में भाग लिया था । खाद्य एवं पेय के साथ विभिन्न तथा अंतर्राष्ट्रीय विस्तृत समूह के प्रदर्शकों को लेकर यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा व्यापारिक मेला है जो संबन्धित क्षेत्रों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता को एक साथ लाता है । टी बोर्ड भारत के स्टैंड पर भाग लेने वाले कपनियों के काउंटर में सामान्य से अधिक दर्शकगण आए थे एवं इस प्रक्रिया के द्वारा अनेकों व्यापार बढ़तें मिली । भारतीय चाय विशेषकर दार्जीलिंग व असम किस्में अपनी उत्पत्ति व स्वाद के तरह, निरंतर उत्पाद नवप्रयोग, अच्छा विनिर्माण पद्धतियों के बहुमुखी आयाम के संबंध में सभी पाँचों दिनों में दर्शकों की भारी भीड़ के साथ अनेकों इंटेरेक्शन्स हुए थे ।

पोलैंड:

पोलैंड सीटीसी चाय हेतु एक बड़ा बाजार एवं पूर्वी यूरोप हेतु यह एक पुनः निर्यात केंद्र है । यह 34 मिलियन किलोग्राम का बाज़ार है। भारत ने 2014-15 के 4.15 मिलियन किलोग्राम के तुलना में 2015-16 में 6.14 मिलियन किलोग्राम चाय (48% की वृद्धि) चाय निर्यात किया था ।

टी बोर्ड ने एक निर्यातक के साथ 21-24 सितंबर, 2015 तक आयोजित **प्लोग्रा, पोजनान में इंडिया पवेलियन के माध्यम से भाग लिया था** ।

अनुलग्नक - 1

2015-16 के दौरान स्वदेशी इवेंटों में भागीदारी

क्र.सं.	**कार्यक्रम का नाम**	**स्थान**	**दिनांक**
1	उत्तर पूर्व विकास शिखर सम्मेलन	गुवाहाटी	26-27 मई 2015
2	11वीं फूड एंड टेक्नालजी एक्स्पो	नई दिल्ली	29-31 जुलाई , 2015
3	अन्नपूर्णा - भारत	मुंबई	14-16 सितंबर , 2015
4	इंडियापैक	मुंबई	8-11 अक्टूबर, 2015
5	16वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी	कोलकाता	7-9 सितंबर ,2015
6	बायोफाक इंडिया	कोची	5-7 नवम्बर ,2015
7	विश्व टी एंड कॉफी एक्स्पो	मुंबई	1-3 अक्टूबर , 2015
8	अंतर्राष्ट्रीय कृषि तकनीकी मेला	नासिक	26-30 नवम्बर, 2015
9	भारत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मेला	नई दिल्ली	14-27 नवम्बर, 2015
10	अंतर्राष्ट्रीय एग्री-होर्टी एंड फूड टेक एक्स्पो	भोपाल	29-30 अक्टूबर, 2015
11	उत्तराखंड श्राजन राष्ट्रीय एक्स्पो एवं सम्मेलन	उत्तराखंड	15-18 अक्टूबर , 2015
12	कटक में रुरल प्रमोशन	उड़ीसा	27th नवम्बर, 2015
13	मेरी दिल्ली उत्सव	दिल्ली	31 Oct - 2 नवम्बर 2015
14	कोणार्क नृत्य उत्सव में चाय संवर्धन	कोणार्क	1-7 दिसंबर
15	विजन जम्मू एंड कश्मीर 2016	जम्मू	22-24 जनवरी 2016
16	अंतर्राष्ट्रीय एग्री-होर्टी शो	गुवाहाटी	6-9 जनवरी 2016
17	इंडिया फूड फॉरम	मुंबई	19-21 जनवरी 2016

अनुलग्नक - 2

2014-15 के दौरान प्रमुख देशों के अनुसार निर्यात 2015-16

देश का नाम	2015-16					2014-15					वृद्धि					समग्र				
	परिमाण (मि. किग्रा.)	मूल्य (करोड़)	मूल्य (मिल US$)	इकाई कीमत (रु./किग्रा.)	इकाई कीमत ($/किग्रा)	परिमाण (मि. किग्रा.)	मूल्य (करोड़)	मूल्य (मिल US$)	इकाई कीमत (रु./किग्रा.)	इकाई कीमत ($/किग्रा)	परिमाण (मि. किग्रा.)	मूल्य (करोड़)	मूल्य (मिल M US)	अप रु./किग्रा	अप $/किग्रा	परिमाण (मि. किग्रा.)	मूल्य (करोड़)	मूल्य (मिल M US)	अप रु./किग्रा	अप $/किग्रा
रूस महासंघ	48.23	670.57	102.48	139.04	2.12	39.4	582.28	95.26	147.79	2.42	22.41	15.16	7.58	-5.9	-12.4	8.83	88.29	7.52	-8.75	0.03
उक्रेन	3.21	45.03	6.88	140.28	2.14	2.68	40.09	6.56	149.59	2.45	19.78	13.32	4.88	-6.22	-12.65	0.53	4.94	0.32	-9.31	-0.31
कजाखस्तान	10.2	271.36	41.47	266.04	4.07	11.48	220.16	36.02	191.78	3.14	-11.15	23.26	15.13	38.72	29.62	1.28	512	5.45	74.26	0.93
अन्य सीआईएस राष्ट्र	1.28	30.04	4.59	234.69	3.59	0.7	14.69	2.4	209.86	3.43	82.86	104.49	91.25	11.83	4.66	0.58	15.35	2.19	24.83	0.16
कुल सीआईएस	62.92	1017	155.42	161.63	2.47	54.26	857.22	140.24	157.98	2.58	15.96	18.64	10.82	2.31	4.26	8.66	15.78	15.18	3.65	-0.11
यूनाइटेड किंगडम	20.02	410.9	62.8	205.24	3.14	17.83	338.32	55.35	189.75	3.1	12.28	21.45	13.46	8.16	1.29	2.19	72.58	7.45	15.49	0.04
निदरलैंड	3.31	82.11	12.55	248.07	3.79	2.87	86.64	14.17	301.88	4.94	15.33	-5.23	-11.43	-17.82	-23.28	0.44	-4.53	-1162	-53.81	-1.15
जर्मनी	10.53	262.76	40.16	249.53	3.81	7.28	215.44	35.25	295.93	4.84	44.64	21.96	13.93	-15.68	-21.28	3.25	47.32	4.91	-46.4	-1.15
आयरलैंड	1.98	70.18	10.73	354.44	5.42	1.86	72.33	11.83	388.87	6.36	6.45	-2.97	-9.3	-8.25	-14.78	0.12	-2.15	-11	-34.43	-1.08
पोलैंड	6.14	86.51	13.22	140.9	2.15	4.15	63.17	10.33	152.22	2.49	47.95	36.95	27.98	-7.44	-13.65	1.99	23.34	2.89	-11.32	-0.94
यूएसए	14.03	364.61	55.72	259.88	3.97	13.6	348.34	56.99	256.13	4.19	3.16	4.67	-2.23	146	-5.25	0.43	16.27	1.27	3.75	-0.34
कनाडा	2.22	64.73	9.89	291.58	4.46	1.48	39.56	6.47	267.3	4.37	50	63.62	52.86	9.08	2.06	0.74	25.17	3.42	24.28	-0.22
यूएई	16.15	333.65	50.99	206.59	3.16	13.41	269.06	44.02	200.64	3.28	20.43	24.01	15.83	2.97	-3.66	274	64.59	6.97	5.95	0.09
ईरान	22.13	571.81	87.39	258.39	3.95	18.14	478.51	78.29	263.79	4.32	22	19.5	11.62	-2.05	-8.56	3.99	93.3	9.1	5.4	-0.12
सऊदी अरब	3.23	77.37	11.82	239.54	3.66	3.04	71.69	11.73	235.82	3.86	6.25	7.92	0.77	1.58	-5.18	0.19	5.68	0.09	3.72	-0.37
मिश्र (ARE)	3.08	30.8	4.71	100	1.53	7.54	79.35	12.98	105.24	1.72	-59.15	-61.18	-63.71	-4.98	-11.05	-4.46	-48.55	-8.27	-5.24	-.02
अफगानिस्तान	1.2	13.9	2.12	115.83	1.77	1.95	19.72	3.23	101.13	1.65	-38.46	-29.51	34.37	14.54	7.27	-.75	-5.82	-1.11	14.7	0.19
बांग्लादेश	9.49	83.88	12.82	88.39	1.35	5.03	38.25	6.26	76.04	1.24	88.67	119.29	104.79	16.24	8.87	4.46	45.63	6.56	12.35	0.12
चीन	4.79	93.18	14.24	194.53	2.97	3.27	65.15	10.66	199.24	3.26	46.48	43.02	33.58	2.36	-8.9	1.52	28.03	3.58	-4.71	0.11
सिंगापुर	0.44	11.23	1.72	255.23	3.9	0.4	11.53	1.89	288.25	4.72	10	-2.6	-899	11.46	-17.57	0.04	0.03	0.17	-33.02	-0.29
श्रीलंका	1.86	28.65	4.38	154.03	2.35	2.93	37.15	6.08	126.79	2.07	-36.52	-22.88	-27.96	21.48	13.53	-107	8.5	1.7	27.24	-0.82
केन्या	2.69	27.51	4.2	102.27	1.56	1.71	16.9	2.76	98.83	1.62	57.31	62.78	52.17	3.48	-3.7	0.98	10.61	144	3.44	0.06
जापान	3.27	139.82	21.37	427.58	6.53	3.2	145.74	23.84	455.44	7.45	2.19	-4.06	-10.36	-6.12	-12.35	0.07	-5.92	.247	-27.86	-0.92
पाकिस्तान	19.37	192.61	29.44	99.44	1.52	15.2	125.12	20.47	82.32	1.35	27.43	53.94	43.82	20.8	12.59	4.17	67.49	8.97	17.12	0.17
ऑस्ट्रेलिया	3.47	119.51	18.26	344.41	5.26	3.23	107.22	17.54	331.95	5.43	7.43	11.46	4.1	3.75	-3.13	.24	12.29	6.72	12.46	0.26
अन्य देश	20.6	410.38	62.72	199.21	3.04	16.7	337.23	55.17	201.93	3.3	23.35	21.69	13.68	-1.35	-7.88	39	73.15	7.55	2.72	-0.19
कुल	232.92	4493.1	686.67	192.9	2.95	199.08	3823.64	625.55	192.07	3.14	17.00	17.51	9.27	0.43	-6.05	33.84	669.46	61.12	0.83	

गल्फ फूड 2016 में टी बोर्ड पैवेलियन में प्रदर्शकों के मध्य उपस्थित हैं बोर्ड के अध्यक्ष श्री संतोष सारंगी।

गल्फ फूड 2016 में टी बोर्ड बूथ पर श्रीमती अनिता कर्ण (बाएं) निदेशक (रोपण) वाणिज्य विभाग।

ईरान में 15 फरवरी, 2016 को आयोजित क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में टी बोर्ड अध्यक्ष श्री संतोष सारंगी।

15 फरवरी, 2016 को ईरान में आयोजित क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में ईरानी चाय आयातक।

दिनांक 25 नवम्बर, 2015 को ईरान से आगत प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए श्री संतोष सारंगी।

बायोफैक, 2016 जो 10-13 फरवरी, 2016 के दौरान न्यूरेमबर्ग जर्मनी में आयोजित हुआ में उपस्थित टी बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री ए. के. दास (बाएं से दूसरे) श्री जयदीप विश्वास, निदेशक चाय संवर्धन (एकदम दाएं)।

श्री ए. के. दास, उपाध्यक्ष, टी बोर्ड (मध्य में) के नेतृत्व में भारतीय चाय प्रतिनिधिमंडल ने 19-23 मार्च, 2016 को मिश्र का दौरा किया।

20 मार्च, 2016 को काहिरा मिश्र में आयोजित क्रेता-विक्रेता सम्मेलन।

20-23 सितम्बर, 2015 तक आयोजित फाइन फूड आस्ट्रेलिया प्रदर्शनी में टी बोर्ड के पैवेलियन का उद्घाटन करते हुए भारत के सिडनी स्थित वाणिज्य दूत श्री संजय सुधीर। साथ में परिलक्षित हैं श्री ए. के. दास, उपाध्यक्ष, टी बोर्ड।

13-15 अगस्त, 2015 को हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय चाय मेले में टी रिसेप्शन में श्री जे. विश्वास उ.नि.चा.सं।

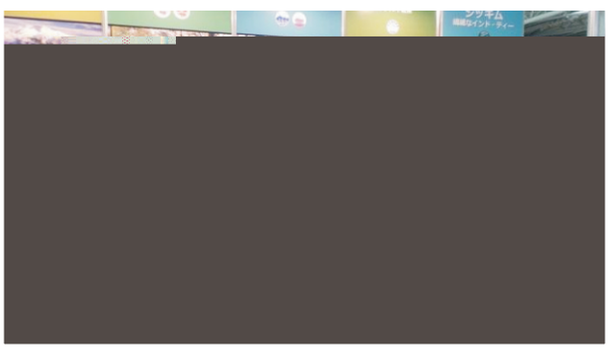

8-11 मार्च, 2016 तक आयोजित फूडेक्स, टोक्यो में उप निदेशक चाय संवर्धन श्रीमती नंदिनी दत्ता।

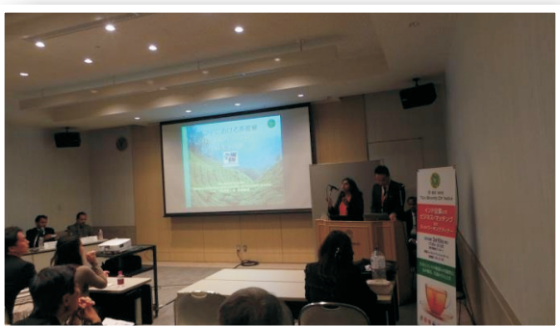

फूडेक्स टोक्यो जो 8-11 मार्च, 2016 को आयोजित हुआ में क्रेता-विक्रता सम्मेलन को सम्बोधित करती हुई उप ि नदेशक चाय संवर्धन श्रीमती नंदिनी दत्ता।

3-8 नवम्बर, 2015 को आयोजित वर्ल्ड फूड, कजाकिस्तान अलमाटी में भारतीय पैवेलियन।

दिनांक 21 से 24 सितंबर 2015 तक कोझनान पोलैंड में आयोजित पेलाग्रा खाद्य मेला मे श्री अजय बिसारिया पोलैंड में भारत के राजदूत (मध्य में) ने टी बोर्ड के स्टॉल का परिभ्रमण किया। श्री एस. सौंदराजन निदेशक चाय विकास (एकदम वायें) एवं श्रीमती रजनीगंधा शील नस्कर, अनुज्ञापन नियंत्रक (बायें से दूसरी) भी उपस्थित रहे।

27 मई 2015 को टी बोर्ड मुख्यालय में अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कनाडा का प्रतिनिधि मंडल।

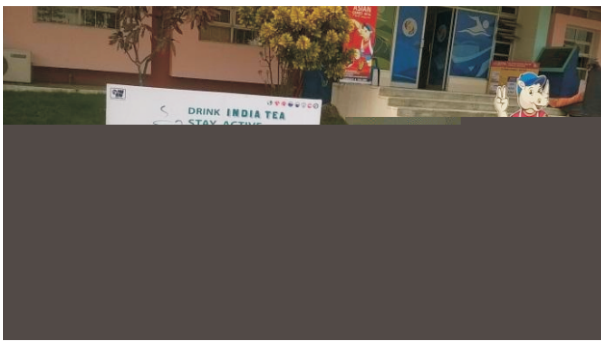

5 फरवरी से 16 फरवरी 2016 तक आयोजित 12 वें दक्षिण एशियाई खेलों में टी बोर्ड की ब्रांडिंग।

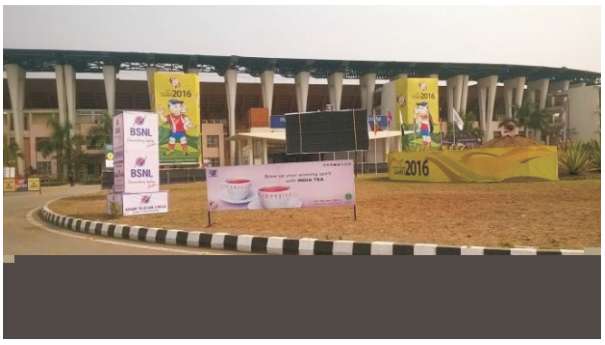

5 फरवरी से 16 फरवरी 2016 तक आयोजित 12 वें दक्षिण एशियाई खेलों में टी बोर्ड की ब्रांडिंग।

7.1 **प्रस्तावना**

भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न सांविधिक एवं विनियमन आदेशों के कार्यान्वयन हेतु बोर्ड की अनुज्ञापन शाखा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । शाखा के मुख्य कार्यकलापों में स्टेकहोल्डरों गतिविधियों के विनियमन व निरीक्षण शामिल है ताकि समय-समय पर जारी टी बोर्ड एवं केन्द्रीय सरकार के विभिन्न निदेशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके । इसके अतिरिक्त, चाय अधिनियम व विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत अनुज्ञापन शाखा चाय उद्योग व व्यापार को चाय से संबंधित वित्तीय नीति व विभिन्न विधियों के विषय में चाय उद्योग व व्यापार को आवश्यक स्पष्टीकरण व मार्गदर्शन प्रदान करती है । विभाग विभिन्न विनियामक नीतियों को सूत्रबद्ध करने, वर्तमान नियंत्रण आदेशों के संशोधन अनुज्ञापन जारी करने हेतु गाइडलाइन की तैयारी, नीलमी पद्धति के निरीक्षण आदि के लिए उत्तरदायी है जो कि चाय व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है ।

वर्ष 2015-2016 के दौरान इस शाखा द्वारा किए गए विभिन्न सांविधिक कार्यों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :-

7.2 विनियामक प्रावधान- चाय अधिनियम की धारा 30 की उप-धारा (3) एवं (5) द्वारा प्रदेय शक्तियों के प्रयोग में, निम्न सांविधिक प्रावधान केन्द्रीय सरकार द्वारा सूचित किए गए है :-

1. **चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003**

2. **चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005**

3. **चाय अवशेष (नियंत्रण) आदेश, 1959**

4. **चाय भंडारगार (अनुज्ञापन) आदेश, 1989**

7.2.1 चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश,2003

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 के प्रावधानों के तहत हितधारकों जैसे- विनिर्माता, नीलामी आयोजक व दलालों को भागीदारी/नीलामीकर्त्ता चाय विनिर्माण एवं/या सहभागिता नीलामी आयोजन करने से पूर्व टी बोर्ड से पंजीकरण/अनुज्ञापन प्राप्त करना अपेक्षित है ।

लोक नीलामी द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि अथवा कलेंडर वर्ष में पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उत्पादित तैयार चाय की समय-समय पर विनिर्दिष्ट पंजीकृत प्राधिकारी द्वारा तैयार चाय की निर्धारित प्रतिशत के विक्रय के लिए पंजीकृत उत्पादक द्वारा टीएमसीओ की खंड सं. 21 अनुबंधित करता है । वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित गजट अधिसूचना दिनांक 01/10/2015 (वाणिज्य विभाग) देखें, प्रत्येक उत्पादक को यह निदेश दिया गया है कि वे कलेंडर वर्ष में कुल चाय उत्पादन का पचास प्रतिशत लोक चाय नीलामी द्वारा विक्रय करें, इस आदेश के प्रावधान के तहत यह चाय नीलामी अनुज्ञापन के संरक्षण अथवा नियंत्रण में आयोजित की जाती है ।

पंजीकृत उत्पादकों द्वारा पंजीकृत क्रेताओं को लोक नीलामी के बाहर तैयार चाय के विक्रय अपने रिटेल आउटलेट द्वारा अथवा प्रत्यक्ष निर्यात द्वारा विक्रय के प्रावधान को टीएमसीओ की खंड सं.22 अनुबंधित करता है ।

तैयार चाय के विक्रय गतिविधियों के आधार पर चाय पत्ती पूर्तिकर्ताओं व उत्पादकों के बीच विक्रय गतिविधियों के लिए मूल्य शेयरिंग सूत्र के नियतन के सम्बंध में टीएमसीओ की खंड सं. 30 अनुबंधित करता है । वाणीज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) द्वारा दिनांक 01/04/2015 01/10/2015 को प्रकाशित गजट अधिसूचना के अनुसार , चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 में कुछ अन्य संशोधन है । मुख्य संशोधन निम्नवत हैः-

1. “बॉट लीफ फैक्ट्री” का अर्थ है एक ऐसा चाय का कारखाना जहाँ एक कलेंडर वर्ष के दौरान किसी अन्य चाय

उत्पादक से अपने चाय पत्ती की आवश्यकता के इक्यावन प्रतिशत से सम्बंधित है ।

2. समय-समय पर पंजीकृत प्राधिकारी द्वारा सीटीसी व ऑर्थोडाक्स हेतु प्रतिशत की अधिकता पृथक रुप से अधिसूचित की जाए ।

3. जिला के उपयुक्त अथवा संग्राहक के तहत प्रत्येक चाय उत्पादक जिले में जिला ग्रीन लीफ मूल्य निरीक्षण समिति का गठन किया जाए जिसमें चाय उद्योग से प्रतिनिधि है जो मूल्य शेयरिंग सूत्र द्वारा ऐसे जिला के लघु चाय उत्पादक को देय औसतन मूल्य का

निरीक्षण करेगी एवं लघु चाय उत्पादक को औसत मूल्य का भुगतान हुआ या नहीं इस पर ध्यान देगा ।

7.2.1 (क) चाय विनिर्माण इकाई का पंजीकरण

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के प्रावधानों के अनुसार कोई व्यक्ति टी बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना तैयार चाय के निर्माण हेतु फैक्टरी की स्थापना नहीं कर सकता अथवा किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित अथवा चाय विनिर्माण इकाई के मालिक के रूप में टी बोर्ड द्वारा वैध पंजीकरण होने के उपरांत ही चाय विर्निमाण संबंधी गतिविधियाँ कर पाएगा । विर्निमाता लाईसेंस प्राप्त करने हेतु पंजीकरण शुल्क 2500/- रू(दो हजार पांच सौ रूपए) हैं ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान टी बोर्ड ने निम्नलिखित नए विनिर्माताओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत किए

अनुज्ञापन की प्रकृति	**जारी अनुज्ञापन की सं.**	**संग्रहीत राशि (रु. में)**
अनापत्ति प्रमाणपत्र	64	शून्य
पंजीकरण प्रमाणपत्र	42	1,05,000/-

7.2.1 (ख) क्रेताओं का पंजीकरण

टीएमसीओ 2003 के खण्ड 4(1) में यह अनुबंध है कि कोई भी क्रेता (भारत में चाय व्यापार के स्थान सहित) टी बोर्ड द्वारा अनुज्ञापित सार्वजनिक चाय नीलामी से चाय क्रय नहीं करेगा अथवा चाय के विनिर्माता से प्रत्यक्ष रूप से नहीं खरीदेगा जब तक कि उसके पास टी बोर्ड से प्राप्त विधिमान्य पंजीकरण न हो ।

यह पंजीकरण प्रमाणपत्र जो टी बोर्ड द्वारा एक बार ही प्रदान किया जाता है निलंबन नहीं होने की स्थिति तक विधिमान्य रहता है । पंजीकरण हेतु रु. 2500/- का शुल्क प्रभारित किया जाता है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान टी बोर्ड ने निम्नलिखित क्रेताओं का नए क्रेता के रुप में पंजीकरण कियाः

अनुज्ञापन की प्रकृति	जारी अनुज्ञापन की सं.	संग्रहीत राशि (रु. में)
क्रेता पंजीकरण	267	6,67,500/-

7.2.1 (ग) नीलामी आयोजकों/नीलामी दलालों का पंजीकरण

चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश 2003 का खण्ड 9 यह अनुबंधित करता है कि टी बोर्ड द्वारा प्राप्त लाइसेंस के अतिरिक्त कोई भी चाय निलामी आयोजक अपने नियंत्रणाधीन सार्वजनिक चाय निलामी के आयोजन, होल्डिंग का व्यवसाय नहीं चला पाएगा । ऐसे अनुज्ञापन प्रतिवर्ष नवीकृत किए जाते हैं एवं प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक वैध रहता है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान टी बोर्ड ने 06(छह) नीलामी आयोजकों के पक्ष में अनुज्ञापन नवीकृत किया एवं कोई नया अनुज्ञापन जारी नहीं किया गया । समीक्षाधीन अवधि के दौरान नवीकरण हेतु (रू.500/-की दर से) प्रति नीलामी आयोजक की दर से कुल धनराशि रू. 3000/- (तीन हजार केवल) संग्रहीत हुई ।

टीएमसीओ 2003 के खंड 10 यह अंकुश लगाता है कि टी बोर्ड से जारी अनुज्ञापन प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति चाय नीलामी केन्द्र में दलाली का व्यवसाय नहीं चला सकेगा । ऐसे अनुज्ञापन प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक वैध होगा एवं वार्षिक रूप से नवीकृत किया जाना अपेक्षित है । वर्ष 2015-16 के दौरान टी बोर्ड ने 11 दलालों के अनुज्ञापन नवीकृत किया एवं एक(01) नया अनुज्ञापन दलाल के पक्ष में जारी किया । इस अवधि के दौरान कुल संग्रहीत राशि रू0. 5,500/- पाँच हजार पाँच सौ रुपए केवल) नवीकरण हेतु (500/- रु. की दर से प्रति दलाल एवं नए अनुज्ञापन हेतु रु. 2500/- (रुपए दो हजार एवं पांच सौ रुपए) प्राप्त हुए ।

7.2.2 चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005:

चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 भारत से चाय निर्यात के पूर्व टी बोर्ड से चाय निर्यातक के रूप में अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु प्रावधान को अनुबंधित करता है, चाय अधिनियम 1953 (1953 के 29) की धारा 30 का 5 एवं उप-धारा 3 में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे लागू किया गया । आदेश की उल्लेखनीय विशेषताएं निम्नवत है :-

- भारतीय चाय के निर्यात एवं आयात की गई चाय के वितरण हेतु निर्यातकों को एवं वितरक अनुज्ञापन जारी करना ।
- भौगोलिक पहचान के रूप में अभिहित चाय के लिए स्रोत प्रमाणपत्र जारी करना ।
- गैर-वरीय मूल प्रमाणपत्र जारी करना ।
- निरीक्षण एजेंसियों का नामिकायन
- विभिन्न अनुज्ञापनों के निलंबन/रद्दकरण हेतु प्रावधान
- अन्य विनियामक प्रावधानों को उपर्युक्त अनुज्ञापनों द्वारा संकलित किया जाएगा ।

7.2.2 (क) निर्यातक अनुज्ञापन

चाय (संवितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश 2005 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो चाय निर्यातक के रूप में व्यापार करना चाहता है, उसे निर्यातक अनुज्ञापन की आवश्यकता होगी । निर्यातक अनुज्ञापन की विधिमान्यता की अवधि जारी तिथि से 3(तीन) वर्षों हेतु प्रभावी होगी तथा एक बार व्यापार अनुज्ञापन को यदि नवीकृत किया जाता है तो वह नवीकरण तिथि से और तीन वर्षों के लिए विधिमान्य रहेगी बशर्ते व्यापार अनुज्ञापन विधिमान्य अवधि के दौरान निलंबित व रद्द न हो । आवेदक को नये लाइसेंस जारी करने/नवीकरण हेतु 1000/- रू (एक हजार रूपए) के अनुज्ञापन शुल्क अपेक्षित होगी ।

प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी चूँकि निर्यातक है, यदि अपने व्यापार अनुज्ञापन को स्थायी अनुज्ञापन में परिवर्तित करना चाहता है तो द्वितीय प्रति में एक आवेदन, व्यापार अनुज्ञापन की विधिमान्यता अवधि के समापन के 3(तीन) माह से पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी को करना होगा । ऐसा आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनुज्ञापन प्राधिकारी उस अनुज्ञापन को स्थाई अनुज्ञापन में बदल देगा बशर्ते-

(क) व्यापार अनुज्ञप्तिधारी निर्यातक है ।

(ख) ऐसे अनुज्ञप्तिधारी ने चाय अधिनियम, 1953 या चाय नियम, 1954 या टी बोर्ड उप विधि 1955 के या अधिनियम के तहत बनाये गए किसी अन्य आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान विधिमान्य व्यापार अनुज्ञापन धारण करने वाले निर्यातक सालाना चाय निर्यात की मात्रा 1,00,000 कि.ग्रा. से कम न हो ।

आवेदक द्वारा ₹ 2500/- (दो हजार पांच सौ रूपए) शुल्क का भुगतान करना होगा ताकि अस्थायी निर्यातक अनुज्ञापन को स्थायी अनुज्ञापन में बदला जा सके ।

तालिका-1 2104-15 एवं 2015-16 के दौरान निर्यातक अनुज्ञापन की स्थिति:

क्रम.सं.	निर्यातक अनुज्ञापन	2014-15		2015-16	
		जारी अनुज्ञापन (संख्या)	एकत्रित राशि (रू.)	जारी अनुज्ञापन (संख्या)	एकत्रित राशि (रू)
1.	विधिमान्य नवीन अनुज्ञापन (अस्थायी)	242	2,42,000/-	236	2,36,000/-
2.	अनुज्ञापन का नवीकरण (अस्थायी)	46	46,000/-	40	40,000/-
3.	स्थायी अनुज्ञापन	4	10,000/-	2	5,000/-
	कुल	**292**	**2,98,000/-**	**278**	**2,81,000/-**

चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के प्रावधान के तहत, प्रत्येक व्यापार अनुज्ञापनकर्ता को अनुज्ञापन प्राधिकारी के समक्ष मासिक विवरण प्रस्तुत करना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त, कथित आदेश के खंड 27 (1) (ई) के अनुसार, यदि व्यवसाय अनुज्ञापनकर्ता अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, व्यवसाय अनुज्ञापन निलंबित अथवा रद्दकरण हेतु जिम्मेदार होगा ।

7.2.2 (ख) वितरक अनुज्ञापन:

चाय (संवितरण व निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के तहत भारत सरकार ने 01.04.2005 से चाय वितरक अनुज्ञापन को प्रस्तावित किया है । आदेश के खंड 3 के प्रावधान के तहत, कोई भी वितरक बिना वैध व्यवसाय लाइसेंस के आयातित चाय का वितरण नहीं कर पाएगा । वितरक अनुज्ञापन जारी करने के बाबत देय शुल्क रू 2500/- (दो हजार पांच सौ रूपए) है । वर्ष 2015-16 के दौरान जारी वितरक अनुज्ञापन की संख्या 12 है एवं अनुज्ञापन के बाबत संग्रहीत राशि रू0.30000/-(तीस हजार रुपए) है ।

7.2.2 (ग) चाय परीक्षण प्रयोगशाला का सूचीयन

चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 के प्रावधान के तहत, अनुज्ञापन प्राधिकारी परीक्षण एजेंसियों को चाय के कंटेनर अथवा पैक सहित परीक्षण एवं निर्यात हेतु अन्य दस्तावेज़ों का अनुमोदन प्रदान करें ताकि इस आदेश के प्रावधान सहित अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके ।

वर्ष 2015-16 के दौरान चाय परीक्षण प्रयोगशाला के सूचीयन एवं नवीकृतों की संख्या निम्नवत हैः

अनुज्ञापन की प्रकृति	जारी अनुज्ञापन की सं.	संग्रहीत राशि (रु. में)
नये सूचीयन	2	40000/- (Rs. 20000/-*2)
नवीकरण	9	50000/-

7.2.3 चाय अवशेष (नियंत्रण) आदेश, 1959

चाय अवशेष अनुज्ञापन एवं नवीकरण पर चाय अवशेष (नियंत्रण) आदेश, 1959 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाता है । चाय अवशेष (नियंत्रण) आदेश, 1959 का प्रमुख उद्देश्य चाय अवशेष के दुरूपयोग को रोकना तथा चाय अवशेष के निपटान को नियमित करना, जिससे उसका लाभदायक उद्देश्यों के लिए उपयोग हो सके । तदनुसार सही व्यक्तियों को ही जिनमें अवशेष क्रेता तथा विक्रेता शामिल है, के आवेदन पत्रों के अन्वेषण तथा जाँच के बाद ही अनुज्ञापन जारी किए जाते हैं । इस आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति न तो चाय अवशेष खरीदेगा न भण्डारण करेगा, न बिक्री करेगा, अगर वह इस सम्बन्ध में टी बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुज्ञापन की शर्तों तथा निबंधनों का पालन नहीं करता है । चाय अवशेष सामान्यत: केफीन और इन्सटैंट चाय निर्माताओं द्वारा प्रयोग की जाती है ।

केफीन विनिर्माताओं हेतु चाय अवशेष का प्रयोग विप्राकृत तरीके से प्रयुक्त होता है जबकि इंस्टैंट चाय हेतु विनिर्माता गैर विप्राकृतिक चाय अवशेष का प्रयोग करता है । जब न्यूट्रियेन्ट व जैव उर्वरक के विनिर्माताओं द्वारा गैर विप्राकृत चाय अवशेष का प्रयोग किया जाता है । चाय अवशेष अनुज्ञापन निलम्बित अथवा निरस्त न होने की स्थिति में जारी होने वाले वर्ष के 31 दिसम्बर, तक वैध रहती है एवं प्रत्येक वर्ष नवीकृत की जा सकती है । वर्ष 2015-16 के दौरान 86 नए चाय अवशिष्ट अनुज्ञापन जारी करने के बाबत संग्रहीत राशि रू. 8600/- तथा 991 अनुज्ञापन नवीकृत करने के बाबत संग्रहीत राशि रू.49,550/- की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 127 नए अपशिष्ट अनुज्ञापन जारी करने के

बाबत (राशि रू. 12,700/- संग्रहीत हुए) तथा 979 अनुज्ञापन नवीकृत किए जाने के बाबत कुल (राशि रू.48,950/- शुल्क के रूप में संग्रहीत) प्राप्त हुए।

दिनांक 31-08-2001 को हुए संशोधन के अनुसार कूनूर व गुवाहाटी में अवस्थित टी बोर्ड के आंचलिक **कार्यालयी** द्वारा भी चाय अवशेष अनुज्ञापन जारी किया जा रहा है तथा संबंधित कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन के मामले में चाय अवशेष अनुज्ञापन नवीकृत कर रहे हैं । दिनांक 05.03.2002 से प्रभावी संशोधन के अनुसार चाय अवशेष व तैयार चाय की न्यूनतम मात्रा 2:100 कि.ग्रा. के अनुपात में होनी चाहिए जब फैक्ट्री में चाय पत्तियों, कलियों व कैमेलिया साईनेसिस (एल) ओ कुण्टजे पौधे की नरम टहनियों से प्रकृमित होती है ।

तालिका-3 वर्ष 2015-2016 के दौरान चाय अवशिष्ट अनुज्ञापन के नवीकरण/निर्गमण की स्थिति निम्नवत है :

क्षेत्र	**100/- की दर से जारी नए अनुज्ञान**		**50/- की दर से नवीकृत अनुज्ञापन**		**कुल**
	संख्या	**राशि(रू)**	**संख्या**	**राशि(रू)**	**राशि(रू)**
उत्तर भारत	57	5700/-	723	36150/-	41850/-
दक्षिण भारत	29	2900/-	268	13400/-	16300/-
अखिल भारत	86	8600/-	991	49550/-	58150/-

7.2.4 चाय भंडारण (अनुज्ञापन) आदेश, 1989

यह आदेश भंडागार मालिकों को भंडारण, मिश्रण अथवा चाय की पैकेजींग सम्बंधी गतिविधियों से पूर्व अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए प्रावधान अनुबंधित करता है ।

तालिका-4 वर्ष 2015-2016 के दौरान चाय भंडारण अनुज्ञापन के नवीकरण/निर्गमण की स्थिति निम्नवत है:

क्षेत्र	रू.1000/- की दर से जारी नए अनुज्ञापन		रू.200/- की दर से नवीकृत अनुज्ञापन		कुल
	संख्या	राशि (रू)	संख्या	राशि (रू)	राशि (रू)
उत्तर भारत	24	24000/-	79	15800/-	39800/-
दक्षिण भारत	27	27000/-	58	11600/-	38600/-
कुल	51	51000/-	137	27400/-	78400/-

7.3 पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आर.सी.एम.सी.)

थोक चाय, पैकेट चाय थैलों एवं इन्सटैंट चाय के प्रत्येक पंजीकृत निर्यातक को पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आर सी एम सी) प्राप्त करने हेतु टी बोर्ड के पास पंजीकृत होना पड़ता है जिससे कि उन्हें भारत सरकार की आयात निर्यात नीति के तहत आयात/निर्यात लाभ की हकदारी प्राप्त हो ।

हालांकि पूर्ववर्ती समय में आरसीएमसी के जारी/नवीकृत करने के बाबत टी बोर्ड द्वारा कोई प्रभार नहीं लिया जाता था तथापि बोर्ड ने दिनांक 9 फरवरी, 2016 को हुई अपनी बैठक में टी बोर्ड द्वारा जारी/नवीकृत आरसीएमसी के बाबत पंजीकरण की दिशा में रु. 5000/- के संग्रहण हेतु प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गयी ।

वर्ष 2015-16 के दौरान जारी एवं नवीकृत आरसीएमसी को संख्या निम्नवत हैः

अनुज्ञापन की प्रकृति	जारी अनुज्ञापन की सं.	संग्रहीत राशि (रु. में)
नये आरसीएमसी	30	शून्य
नवीकरण	223	शून्य

** दिनांक 9 फरवरी, 2016 के उपरांत कोई आरसीएमसी जारी/नवीकृत नहीं हुए ।

दिनांक 01/04/2014 से 31/03/2015 तक की अवधि के दौरान टी बोर्ड द्वारा ऐसे पंजीकृत निर्यातकों की संख्या 276 थी, जिन्होंने पंजीकरण सह-सदस्यतता-प्रमाण-पत्र प्राप्त/नवीकृत किए ।

7.4 स्वादयुक्त चाय विनिर्माताओं का पंजीकरण

घरेलू बाजार में स्वादयुक्त चाय की बिक्री लम्बे समय तक बन्द रही । इसका कारण नीलगिरि चाय एम्पोरियम बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश थे । भारत सरकार ने घरेलू बाजार में स्वादयुक्त चाय की बिक्री के मामले की जाँच की तथा खाद्य मानक की केन्द्रीय समिति के विशेषज्ञों से सलाह परामर्श करने के बाद चाय में अतिरिक्त स्वाद मिलाने को स्वीकारा गया ।

तदोपरान्त, भारत सरकार , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 7 दिसम्बर, 1994 को एक अधिसूचना सं. जी एस आर 847(ई) के द्वारा पी.एम.ए. नियम, 1955 को संशोधित कर दिया । इस संशोधन के प्रावधानों के अनुसार स्वादयुक्त चाय बिक्री की शर्तें निम्नलिखित रूप में अधिसूचित की गई है ।

(i) स्वादयुक्त चाय केवल उन विनिर्माताओं द्वारा बेची जाएगी या विक्रय के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी जो टी बोर्ड द्वारा पंजीकृत हैं । लेबल पर पंजीकरण संख्या का उल्लेख होना चाहिए ।

(ii) इसे केवल पैकेटकृत अवस्था में बेचा जाना चाहिए जिसमें लेबल घोषणा निम्नवत हो (अ) स्वादयुक्त चाय स्वीकृत स्वाद का सामान्य नाम/प्रतिशत/पंजीकरण संख्या शुरूआत दौर में केवल एक ही स्वाद अर्थात् वैनिलीन ही 8.5 प्रतिशत की वजन तक स्वाद मिलाकर बेचने की अनुमति घेरलू बाजार के लिए दी गई थी ।

तत्पश्चात् भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना सं.जीएसआर 698(ई) दिनांक 26/10/1995 जारी कर वैनिलीन के अलावा कुछ और स्वाद मिलाने की अनुमति दे दी है एवं उन तत्वों को चाय के स्वाद में मिलाने की प्रतिशत का उल्लेख निम्नवत है:-

तालिका-5. चाय में अनुज्ञेय स्वाद

स्वाद	% वजन द्वारा (अधिकतम)
वैनिलीन	8.5
इलायची	2.8
अदरक	1.0
बर्गामोट	2.0
नींबू	1.6
दालचीनी	2.0
उपर्युक्त स्वादों का परस्पर मिश्रण	प्रत्येक स्वाद की मात्रा के ऊपर विनिर्दिष्ट परिमाण से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएफए नियम को दिनांक 11/10/1999 को अधिसूचना सं. जीएसआर 694(ई) जारी कर पुन: संशोधित किया जिसकी प्रभावी तिथि 11/4/2000 है । उक्त अधिसूचना का उद्देश्य सभी प्राकृतिक स्वादों एवं प्राकृतिक स्वादों का अर्क पृथक रूप से अथवा संयुक्त रूप से मिलाने की अनुमति प्रदान करना शामिल है । " प्राकृतिक स्वाद एवं प्राकृतिक स्वादयुक्त अर्क" की परिभाषा उप नियम (ए) अथवा पीएफए नियम 63 में दर्शाया गया है । अन्य शर्तें जो उक्त अधिसूचना में विहित है वह यह है कि "स्वादयुक्त चाय विनिर्माताओं को स्वादयुक्त चाय के विपणन के पूर्व अपना पंजीकरण टी बोर्ड के समक्ष कराना अनिवार्य होगा " ।

दिनांक 11.10.1999 में जारी अधिसूचना में निहित उपर्युक्त शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशालय के पत्र सं. पी-1501/5/97-पीएच(फूड) दिनांक 18/2/2000 में निम्नलिखित शर्तों को नियमबद्ध किया है:

(क) चाय में स्वाद के प्राक्कलन हेतु कार्यविधि की आपूर्ति टी बोर्ड को विनिर्माताओं द्वारा किया जाएगा ।

(ख) सत्यापन हेतु सेण्ट्रल फूड लैबोरेटोरीज में विनिर्माता द्वारा आपूर्ति की गई कार्यविधि की जाँच की जाएगी ।

(ग) तदनुपरान्त विनिर्माताओं का पंजीकरण किया जाएगा ।

वस्तुत: दिनांक 11.10.1999 को किए गए संशोधन का उद्देश्य वर्तमान प्रक्रिया के साथ संयोजन कर चाय स्वाद के इस्तेमाल के दायरे को बढ़ाने के लिए एवं पीएफए के नियम 63 में उल्लिखित परिभाषा अपरिवर्तनीय है जो कि चाय सहित सभी खाद्य मद के लिए प्रयोज्य है । पीएफए नियम के नियम 63 में उल्लिखित परिभाषा से भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि खाद्य पदार्थ में जानवर मूल के स्वाद का प्रयोग करना, किन्तु जहाँ चाय का प्रश्न है वहां यह स्वाद मिलाया नहीं जा सकता क्योंकि इसे टी बोर्ड से पंजियन की शर्त लागू होती है एवं टी बोर्ड कभी ऐसे स्वाद को मिलाने की इजाजत नहीं देगा ।

फिर भी, ऐसी शंकाओं से परहेज करने के लिए परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने पुन: पीएफए नियम में संशोधन एक अधिसूचना सं. जीएसआर 770(ई) दिनांक 4/10/2000 जारी कर किया है । इसका उद्देश्य यह था कि केवल उन "प्राकृतिक स्वाद एवं प्राकृतिक स्वादयुक्त अर्क" का प्रयोग करना जो कि पौधों के मूल की सामग्री से प्रत्यक्ष प्रसंस्करण के लिए प्राप्त किया गया या तो मानव खपत के लिए प्रसंस्करण अथवा उनके प्राकृतिक स्वरूप से प्राप्त किया जाता है ।

वर्ष 2015-16 के दौरान सुगंधित चाय के रूप में 42 विनिर्माता टी बोर्ड के साथ पंजीकृत हुए एवं इस प्रयोजन हेतु कुल एकत्रित शुल्क रू. 2,88,000/- (दो लाख अटठासी हजार रूपए) था ।

7.5 <u>विस्तारण/पुन:रोपण परमिट:</u>

टी बोर्ड की अनुज्ञापन शाखा वर्तमान चाय सम्पदाओं का विस्तार तथा प्रतिस्थापन रोपण हेतु परमिट प्रदान करती है । नवागतों को भी चाय रोपण हेतु परमिट जारी किये जाते हैं । ऐसे परमिट चाय अधिनियम तथा चाय नियम के ढाँचे के अन्तर्गत प्रदान किए जाते हैं ।

तालिका-6 वर्ष 2015-16 के दौरान जारी परमिटों की स्थिति निम्नवत है:

कार्यालय-वार	विस्तार परमिट		प्रतिस्थापन परमिट	
	संख्या	(क्षेत्र हेक्टेयर में)	संख्या	(क्षेत्र हेक्टेयर में)
उत्तर भारत	02	23.35	07	86.74

दक्षिण भारत	शुन्य	शुन्य	06	42.30
कुल अखिल भारत	**02**	**23.35**	**13**	**129.04**

<u>चाय रोपण हेतु अनुमति:</u>

चाय अधिनियम 1953 की धारा 12 के तहत चाय संपदाओं के स्वामित्व में परिवर्तन के अभिलेखीकरण सहित नवागत के रूप में चाय संपदाओं के पक्ष में चाय रोपण हेतु अनुमति अनुज्ञापन शाखा प्रदान कर रही है ।

तालिका-7. वर्ष 2015-16 के दौरान रोपण चाय हेतु प्राप्त अनुमति की स्थिति निम्नवत है:

क. अखिल भारत में चाय बागान का पंजीकरण	कुल	
	सं.	क्षेत्र हे. में
क) गैर पारम्परिक चाय उत्पादन क्षेत्र (10.12 हे. तक)	0	0
ख) गैर पारम्परिक चाय उत्पादन क्षेत्र (10.12 हे. के ऊपर)	0	0
ग) अन्य गैर पारम्परिक चाय उत्पादन क्षेत्र (10.12 हे. तक)	46	26.63
घ) अन्य गैर पारम्परिक चाय उत्पादन क्षेत्र(10.12 हे. के ऊपर)	1	16.154
कुल	47	42.784

7.6 स्वामित्व के परिवर्तन की रेर्काडिंग :-

टी बोर्ड स्वामित्व के परिवर्तन का रेकार्ड भी रखती है, सभी प्रकार के अनुज्ञापनों के बाबत जब भी आवेदन दर्ज किए जाते है ।

तालिका-8. वर्ष 2015-16 के दौरान स्वामित्व परिवर्तन अभिलेखित स्थिति निम्नवत है:

स्वामित्व में परिवर्तन			**कुल**	
	संख्या	**राशि (रू.)**	**संख्या**	**राशि (रू.)**
संपदा	**40**	400000/-	**86**	860000/-
फैक्ट्री	46	460000/-		

7.7 ई-नीलामी स्थिति:-

चाय नीलामी प्रतियोगितात्मक रूप से बृहत स्तर के क्रेताओं तक अपने उत्पादन के विपणन का ज़रिया है ताकि सही मूल्य प्राप्त किया जा सके । सार्वजनिक चाय नीलामी कलकत्ता में 1861 में प्रथम चाय नीलामी केन्द्र स्थापित होने से एक दशक में चाय के प्राथमिक विपणन हेतु मुख्य वाहक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है । संबद्ध हितधारक नीलामी आयोजक, 'तैयार चाय' (क्रेता) के उत्पादक, नीलामकार/ब्रोकर, क्रेता तथा भंडारगार मालिक होते हैं ।

1984 से पूर्व, समय-समय पर संबंधित नीलामी आयोजकों द्वारा नीलामी पद्धति एवं नीलामी नियम बनाए जाते थे । टी बोर्ड ने 1986 ने में पनली लार हअजा कमिटी की रिपोर्ट एवं नीलामी स्टेकधारकों से प्राप्त प्रतिवेदन की दृष्टि से चाय नीलामी आयोजकों के आधारपर इस मामले में पहली बार हस्तक्षेप किया ।

हस्त नीलामी प्रक्रिया में कुछ खामियाँ थी जैसे सीमित नीलामी हॉल की जगह, सिरियल बिडिंग के कारण 'फेयर' 'प्राइस डिस्कवरी' के लिए कम समय, बीड इतिहास का कोई रिकार्ड नहीं, केवल विजेता बीड का रिकार्ड रहता है, नितिगत निर्णय लेते वक्त चाय के विभिन्न ग्रेड/श्रेणी/प्रकार पर पृथक रूप से प्रतियोगिता की प्रकृति पर निर्णय लेना संभव नहीं हो पाता, सिरियल बिडिंग के कारण बिडिंग की गुणवत्ता में कटौती होती है एवं किसी लॉट के लिए बिडिंग समय के दौरान क्रेताओं के परिचय एवं उनकी प्रतिलागिता की समय सीमा दृश्यमान नहीं होती आदि । अतएव प्रणाली में विद्यमान खामियों को हटाने के लिए हस्त प्रणाली से इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता पड़ी । ए.एफ.फरगुसन ने वर्ष 2002 में प्रस्तुत अध्ययन रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मोड में बदलाव का सुझाव दिया । सर्वप्रथम चाय हेतु इलेक्ट्रॉनिक नीलामी वर्ष 2009 में केवल भारत में शुरू की गई । अन्य चाय उत्पादन देशों में चाय विक्रय हस्त "आउटक्राई" प्रणाली द्वारा ही जारी रहा ।

मैनुअल प्रणाली की तुलना में चाय की ई-नीलामी प्रणाली से लाभ:

- वेब आधारित नीलामी के चलते विक्रेताओं की व्यापक प्रतिभागिता ।
- किसी भी नीलामी सभागार में सीमित जगह के कारण सीमित संख्या में कायिक नीलामी प्रणाली में बोलीकर्ता/क्रेताओं की व्यापक प्रतिभागिता हेतु ई-नीलामी सुविधा प्रदान करती है ।
- ई-नीलामी न्याय संगत मूल्यों को आश्वस्त करती चूंकि ई-नीलामी उत्पाद के गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए एक वांछित मूल्य स्तर पर आवश्यक उत्पाद क्रय करने हेतु क्रेता/बोलीकर्ता को सुविधा प्रदान करता है, उक्त उत्पाद के सामग्रिक मांग-पूर्ति स्तर को देखता है एवं किसी भी

समय पर क्रय हेतु प्राप्य उत्पाद हेतु क्रेता के उच्चतम आवश्यकता सीमा के स्तर को सुविधा प्रदान करना ।

- नीलामी क्रय सूचना के प्रसारण में सुधार ।
- पूर्व नीलामी, नीलामी पद्धति व नीलामी कार्यकलापों के लिए संव्यवहार समय व लागत में कटौती ।
- नीलामी इतिहास व उसके विश्लेषण का आसानी से उपलब्धिकरण हेतु क्रेताओं व अन्य हितधारकों को योजना मुहैया कराना ।

तालिका-3 लाईव ई-नीलामी का विवरण निम्नवत है:-

नीलामी केन्द्र	लाईव ई-नीलामी की स्थिति
कोलकाता	20/21 जुलाई 2011 से अर्थोडाक्स चाय पत्ती हेतु, 3 अप्रैल 2010 से सीटीसी पत्ती हेतु, मई 2012 से कांगड़ा चाय, एवं सभी चूर्ण 17 जून 2009** से 100% लाईव ई नीलामी
गुवाहाटी	5 जनवरी 2010 से सीटीसी पत्ती एवं अर्थोडाक्स पत्ती चाय एवं 20 मई 2009 से सभी चूर्ण चाय हेतु 100% लाईव ई-नीलामी
सिलीगुड़ी	8 अक्टूबर 2010 से पत्ती एवं चूर्ण चाय दोनों के लिए पूर्ण इलेक्ट्रानिक नीलामी
जलपाईगुड़ी	9 मई 2012 से पत्ती एवं चूर्ण चाय दोनों के लिए पूर्ण इलेक्ट्रानिक नीलामी
कोचीन	14 जुलाई 2009 से पत्ती एवं चूर्ण चाय दोनों के लिए पूर्ण इलेक्ट्रानिक नीलामी
कून्नूर	7 जुलाई 2009 से पत्ती एवं चूर्ण चाय दोनों के लिए पूर्ण इलेक्ट्रानिक नीलामी
कोयम्बटूर	8 मई 2009 से पत्ती एवं चूर्ण चाय दोनों के लिए पूर्ण इलेक्ट्रानिक नीलामी
	**दार्जिलिंग पत्ती मैनुअल तौर पर बेची जाती है ।

तालिका-4 वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान ई-नीलामी के द्वारा चाय का विक्रय:

नीलामी केन्द्र	**अप्रैल,** 2014 **से मार्च, 2015**		**अप्रैल, 201**3 **से मार्च, 201**4	
	मात्रा(मिकिग्रा)	मूल्य(रू0/किग्रा)	मात्रा(मिकिग्रा)	मूल्य(रू0/किग्रा)
कोलकाता लीफ	93.35	162.59	103.59	157.94
कोलकाता डस्ट	35.00	156.54	40.48	153.69
कुल	**128.36**	**160.94**	**144.07**	**156.75**
गुवाहाटी लीफ	100.40	138.21	96.09	136.33
गुवाहाटी डस्ट	43.58	146.93	42.87	142.91
कुल	**143.98**	**140.85**	**138.96**	**138.36**
सिलिगुड़ी लीफ	103.34	123.31	106.01	124.89
सिलिगुड़ी डस्ट	14.63	117.91	15.58	119.50
कुल	**117.97**	**122.64**	**121.59**	**124.20**
कोचीन लीफ	9.40	115.46	8.17	105.42
कोचीन डस्ट	44.92	101.09	46.44	98.41
कुल	**54.32**	**103.58**	**54.61**	**99.46**
कूनूर लीफ	39.02	73.90	38.62	70.67
कूनूर डस्ट	18.00	80.34	18.21	75.31
कुल	**57.02**	**75.93**	**56.83**	**72.15**
कोयम्बटूर लीफ	5.40	75.52	5.16	73.36
कोयम्बटूर डस्ट	10.96	84.03	11.35	80.47
कुल	**16.36**	**81.22**	**16.51**	**78.24**
जलपाईगुड़ी लीफ	0.07	96.89	0.0982	108.96
जलपाईगुड़ी डस्ट	0.00	92.16	0.0019	119.00
कुल	**0.07**	**96.64**	**0.1001**	**109.16**
कुल योग	**518.08**	**128.74**	**532.67**	**127.18**

तालिका-5. वित्तीय वर्ष 2014-2015 की तुलना में 2015-2016 के दौरान मैनुअल नीलामी के माध्यम से दार्जिलिंग चाय विक्रय का विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	मात्रा (मिकिग्रा में)	मूल्य (रू./किलो)
2014-15	2.724	262.49
2015-16	2.548	290.02

अखिल भारतीय नीलामी:-

विगत पांच वर्षों से उपलब्ध आंकड़ों एवं नीलामी विक्रय के आंकड़ों से, यह देखा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक निलामी प्रणाली के आरंभ के बावजूद निलामित चाय की मात्रा में कोई महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी नहीं हुई । आदर्श रूप से इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रणाली संकल्पना क्रेताओं द्वारा प्रतिभागिता में बढ़ोतरी के विचार से किया गया था साथ नी अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के चाय प्रदान कर सके । यह वेब सक्षम प्रणाली द्वारा प्रतिभागिता को प्रोत्साहित करता है तथा निलामी हॉल क्षेत्र की सीमाओं को हटाता है ।

अत: मौजूदा नीलामी प्रणाली की बाधाओं को दूर करने के क्रम में, चाय बोर्ड ने अखिल भारतीय नीलामी प्रणाली की संकल्पना की है, जिससे उन्नत प्रक्रियाओं सहित क्रेताओं की सहभागिता में वृद्धि होगी। इस सिस्टम से होने वाले फायदे निम्नवत है:

1. एक पंजीकरण से सभी नीलामी केन्द्रों पर क्रेताओं की सहभागिता ।
2. सभी नीलामी केन्द्रों पर एक ही तरह का नियम होना।
3. दार्जिलिंग चाय की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी की शुरूआत।
4. ऑनलाइन निपटानोत्तर प्रक्रिया की शुरूआत ।
5. **वास्तविक भुगतान की उगाही के उपरांत ही** सिस्टम से डेलीवरी आदेश सुनिश्चित करना।

वर्तमान स्थिति:-

पैन इंडिया ई-नीलामी संबंधी अंतिम नियम अपने परिपत्र दिनांक 18 फरवरी, 2016 के माध्यम से परिचालित कराया गया । यद्यपि, कुछ नियमों के संबंध में कई अभ्यावेदन बोर्ड द्वारा प्राप्त किया गया जिसे आगे छानबीन के उपरांत या अन्यथा शामिल कर लिया गया है। पैन इंडिया ई-नीलामी के संबंध में अंतिम नियम परिचालन हेतु एवं आगे की क्रियान्वयन हेतु अभी तैयार किया जा रहा है ।

सिस्टम के विकास/संशोधन यथा परिचालित पैन इंडिया ई-नीलामी के नियम के अनुसार सम्पन्न कर लिया गया है एवं उपयोगकर्ताओं द्वारा अभ्यास परीक्षण भी कर लिया गया है। अभ्यास सत्र के दौरान हितधारकों द्वारा और लिखित अभ्यावेदन के माध्यम से यथाकथित प्रणाली के संबंध में दिए गए सुझाव पर टी बोर्ड और एनएसईआईटी द्वारा विश्लेषण के उपरांत परिवर्तन हेतु बोर्ड द्वारा स्वीकार करने की दिशा मे कार्य चल रहा है।

नई प्रणाली अगले वित्त वर्ष के प्रथमार्द्ध में लागू होने की संभावना है।

7.8 चाय परिषद:-

टी बोर्ड ने चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश, 2005 एवं चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 लागू किया है ताकि प्रस्तावित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निर्यात एवं आयात के लिए चाय की गुणवत्ता सुनिश्चित कर सके । इसी के साथ, वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान टी बोर्ड भारत द्वारा स्थापित भारतीय चाय परिषद, एक सलाहकारी निकाय, एक सलाहकारी निकाय, विशेषरूप से चाय का निर्यात एवं आयात का निरीक्षण करती है । इसका मुख्य उद्देश्य है एफएसएसएआई एवं टी बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार चाय की प्रामाणिकता के रखरखाव को सुनिश्चित करना । चाय परिषद के स्टेकहोल्डर-नियार्तक, आयातकार, निरीक्षण एजेंसी एवं सीमा शुल्क । चाय परिषद प्रबंधकर्ता की भूमिका निभाता है ताकि भारत द्वारा निर्यात अथवा आयात हेतु चाय के मानक की निगरानी कर सके, बोर्ड ने दो कमिटि गठित की है:- (क) उत्तर भारत चाय परिषद (टीसीएनआई) एवं (ख) दक्षिण भारत चाय परिषद (टीसीएसआई) यह प्रणाली 1 जून, 2013 से क्रियाशील है ।

देश में चाय के निर्यात अथवा आयात से पूर्व, संबंधित निर्यातक अथवा आयातकार को चाय परिषद के पोर्टल (www.teaauction.gov.in/teacouncil) में अपने परेषण के विवरण को जमा करना आवश्यक है एवं एक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करें । लॉग इन किए हुए निर्यातकों के आवेदत प्रणाली द्वारा यादृच्छिक तौर पर पूर्व परिभाषित तूक के अनुसार सैम्पलिंग हेतु चुते जाते हैं । 1000 कि.ग्रा. से अधिक वज़न की चाय सहित जमा किए गए आयातकारों के आवेदन परीक्षणाधीन है । यादृच्छिक तौर पर चुने गए आवेदन एफएसएसएआई द्वारा प्रस्तावित मानकों के अनुसार विश्लेषित किए जाते हैं एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी अन्य प्रकार की अधिसूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है ।

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान वास्तविक निरीक्षत सैम्पलों की संख्या के समक्ष प्रस्तावित मानकों को अनुपालित आवेदनों की संख्या का आलेखीय प्रस्तुतीकरण निम्नवत है:-

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान चाय परिषद में निर्यातको की आवेदनों परीक्षित & गुणवत्ता पुष्टि

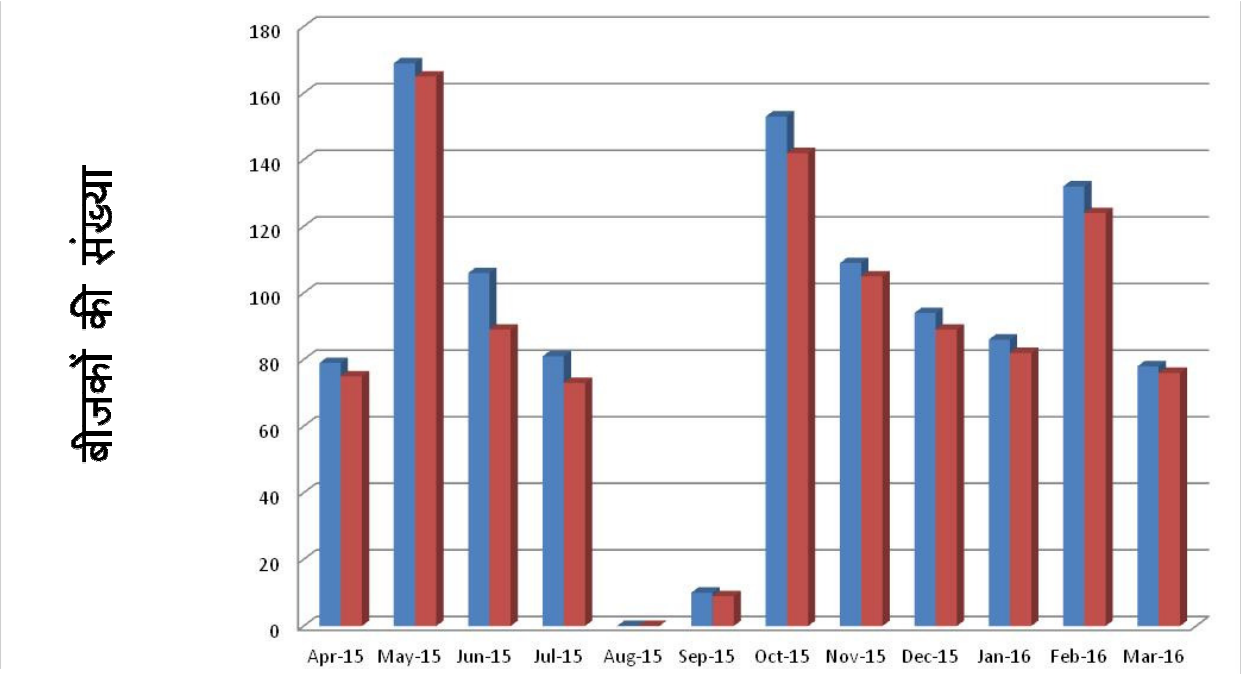

	अप्रैल 2015	मई 2015	जून 2015	जुलाई 2015	अगस्त 2015	सितंबर 2015	अक्टूबर 2015	नवंबर 2015	दिसंबर 2015	जनवरी 2016	फरवरी 2016	मार्च 2016
• परीक्षित आवेदन	79	169	106	81	0	10	153	109	94	86	132	78
• गुणवत्ता पुष्टि आवेदन	75	165	89	73	0	9	142	105	89	82	124	76

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान चाय परिषद में आयातक की आवेदनों परीक्षित & गुणवत्ता पुष्टि

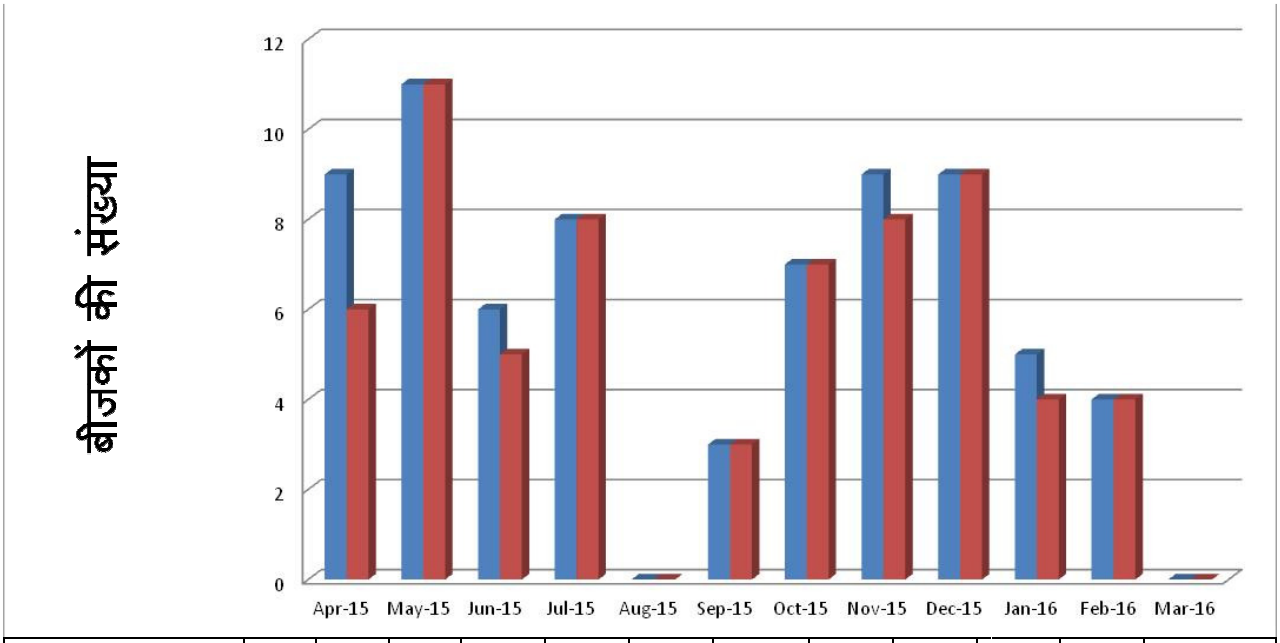

	अप्रैल 2015	मई 2015	जून 2015	जुलाई 2015	अगस्त 2015	सितंबर 2015	अक्टूबर 2015	नवंबर 2015	दिसंबर 2015	जनवरी 2016	फरवरी 2016	मार्च 2016
• परीक्षित आवेदन	79	169	106	81	0	10	153	109	94	86	132	78
• गुणवत्ता पुष्टि आवेदन	75	165	89	73	0	9	142	105	89	82	124	76

सांख्यिकी

प्रस्तावना:

चाय बोर्ड की सांख्यिकी शाखा का प्राथमिक कार्य–चाय उद्योग के सभी पहलुओं के संबंध में परिवपन एवं समावलोकन कर सांख्यिकिक सूचना संग्रह करना तथा कृषि, उत्पादन, उत्पादकता, देश में उत्पादित चाय की किस्मों, प्राथमिक बाजार मूल्य, निर्यात एवं निर्यात हेतु गंतव्य स्थल, कर एवं चाय पर लगने वाले उपकर, चाय रोपण से संबद्ध श्रमिकों की नियुक्ति आदि के अंतर्गत सभी सूचनाओं को एकत्रित करना है। ऐसी सूचनाएं बोर्ड एवं उद्योग तथा भारत सरकार की नीति निर्णय प्रक्रिया में आवश्यक अभिसूचना उपलब्ध करवाता है ।

साप्ताहिक नीलामी मूल्य, मासिक उत्पादन एवं निर्यात संबंधी सूचनाओं को बोर्ड के वेबसाइट www.teaboard.gov.in. पर व्यवसाय, उद्योग, अनुसंधान विज्ञान आदि के लिए अपलोड किया जाता है।

चाय मूल्यों का अनुवीक्षण:

सांख्यिकीय शाखा क्रमश: रोपण फसलों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से संबंधित वाणिज्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को नीलामी मूल्य की अपेक्षित सूचनाओं का अनुवीक्षण उपलब्ध कराता है । विभिन्न शहरों/नगरों में चाय के खुदरा मूल्य का अनुवीक्षण भी सांख्यिकी शाखा द्वारा किया जाता है ।

कर एवं शुल्क

उत्पाद शुल्क: इंस्टैंट चाय पर 10 प्रतिशत यथा मूल्य जो कि शीर्ष 2101.20 के तहत आता है ।

निर्यात शुल्क : शून्य

आयात शुल्क: निर्यातोन्मुख इकाई (इओयू) एवं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (सेज़) इकाईयों द्वारा पून: निर्यात के प्रयोजन हेतु आयातित चायों पर आयात शूल्क शून्य है । यद्यपि, घरेलू बाजार हेतु आयातित चायों पर प्राथमिक आयात शुल्क का 100 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अधिभार तथा प्राथमिक शुल्क एवं अधिभार पर 4 प्रतिशत का विशेष अतिरिक्त शुल्क को आकर्षित करेगा (मार्च 2002 से) । प्रति कैलेण्डर वर्ष में श्रीलंका से 15 मि.कि.ग्रा. की मात्रा तक आयातित चाय पर प्राथमिक शुल्क का 7.5 प्रतिशत की रियायत के अलावा अन्य सामान्य अधिकार लागू रहेगा ।

चाय उपकर : चाय अधिनियम, 1953 की धारा 25(1) के तहत भारत में सभी चाय उत्पादनों पर उपकर लागू होता है । उपकर की दर दार्जिलिंग चाय पर 20 पैसे और अन्य सभी चायों पर 50 पैसे लगाया गया था ।

वर्ष 2014-15 के दौरान चाय उद्योग एवं व्यवसाय की स्थिति

2015-16 में क्षेत्र व उत्पादन

राज्य/जिला	चाय के अधीन क्षेत्र (हजार हेक्टेयर में)*	उत्पादन (मिलियन कि.ग्रा.)
असम	307.08	652.95
पश्चिम बंगाल	140.44	329.70
अन्य उत्तर भारतीय राज्य (त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मेघालय, मिजोरम व सिक्किम)	12.29	25.91
कुल उत्तर भारत	459.81	1008.56
तमिलनाडू	69.62	161.46
केरल	35.01	56.63
कर्नाटक	2.22	6.46
कुल दक्षिण भारत	106.85	224.58
अखिल भारत	566.66	1233.14

*अनंतिम, पुनरीक्षण की तर्ज़ पर

गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान भारत में चाय का उत्पादन

(मि.किग्रा. में)

वर्ष	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत
2013-14	965.07	243.71	1208.78
2014-15	955.82	241.36	1197.18
2015-16	1008.56	224.58	1233.14

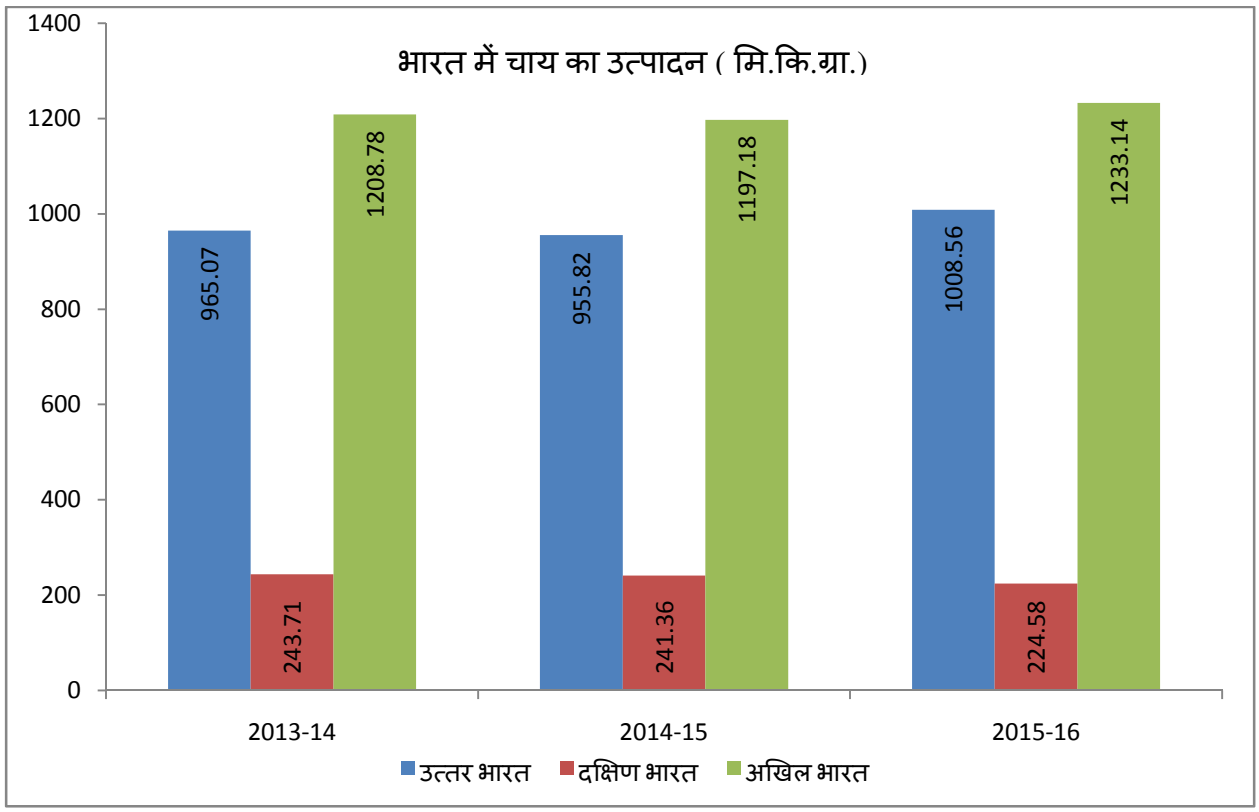

2014-15 के दौरान भारत में श्रेणीवार चाय का उत्पादन

(मि.किग्रा. में)

श्रेणी	उत्तर भारत	दक्षिण भारत	अखिल भारत
सी टी सी	941.51	179.84	1121.35
अर्थोडॉक्स(दार्जिलिंग + हरी)	67.05	44.74	111.79
कुल	**1008.56**	**224.58**	**1233.14**

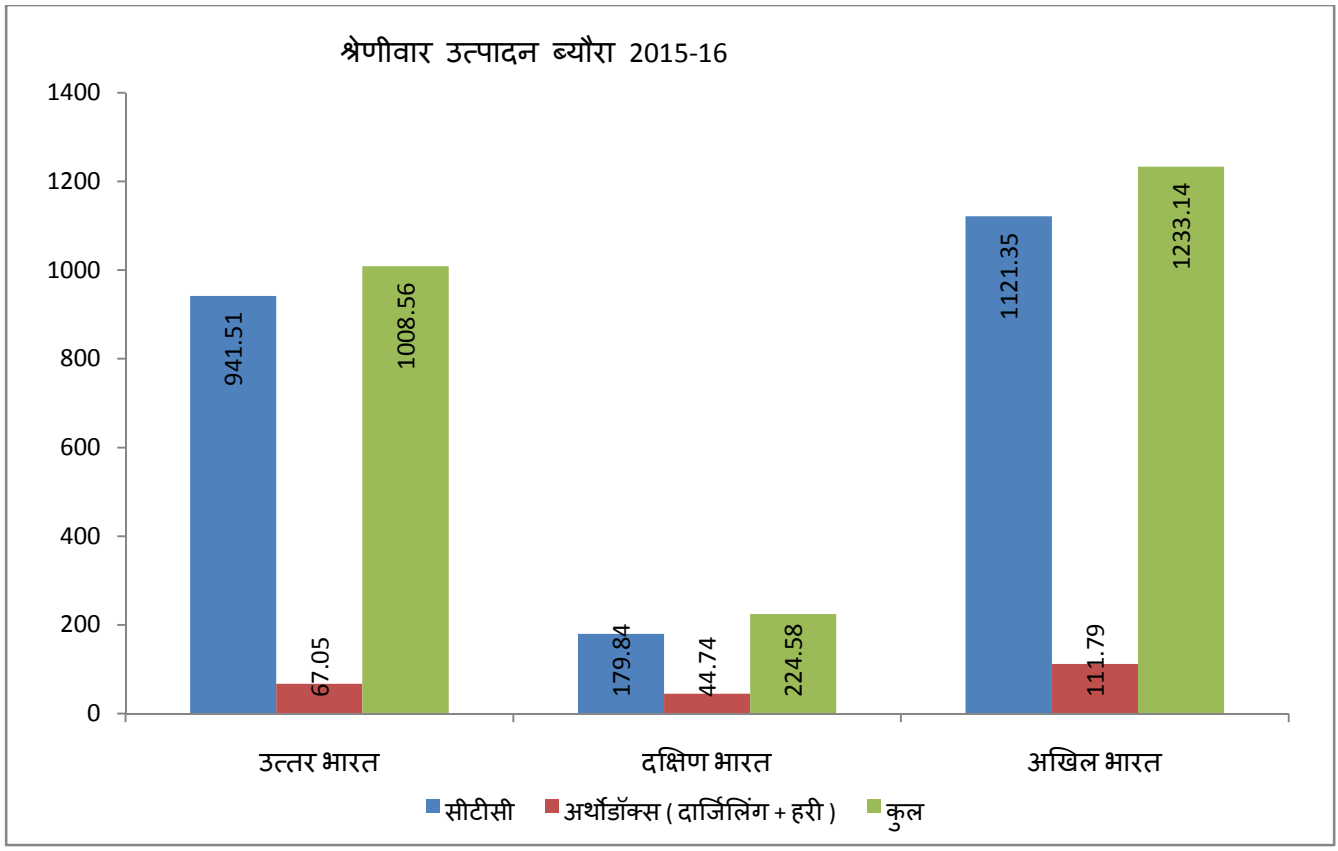

भारत से चाय का निर्यात

(मात्रा मि.किग्रा में., रु. करोड़ में मूल्य, इकाई मूल्य रु./किग्रा).

वर्ष	उत्तर भारत			दक्षिण भारत			अखिल भारत		
	मात्रा	मूल्य	ई.मू.	मात्रा	मूल्य	ई.मू.	मात्रा	मूल्य	ई.मू.
2013-14	133.28	3205.31	240.49	92.48	1303.78	140.98	225.76	4509.09	199.73
2014-15	111.59	2636.46	236.26	87.49	1187.18	135.69	199.08	3823.64	192.07
2015-16	136.68	3151.43	230.57	96.24	1341.67	139.41	232.92	4493.1	192.9

2015-16 के दौरान प्रमुख देशों को निर्यात

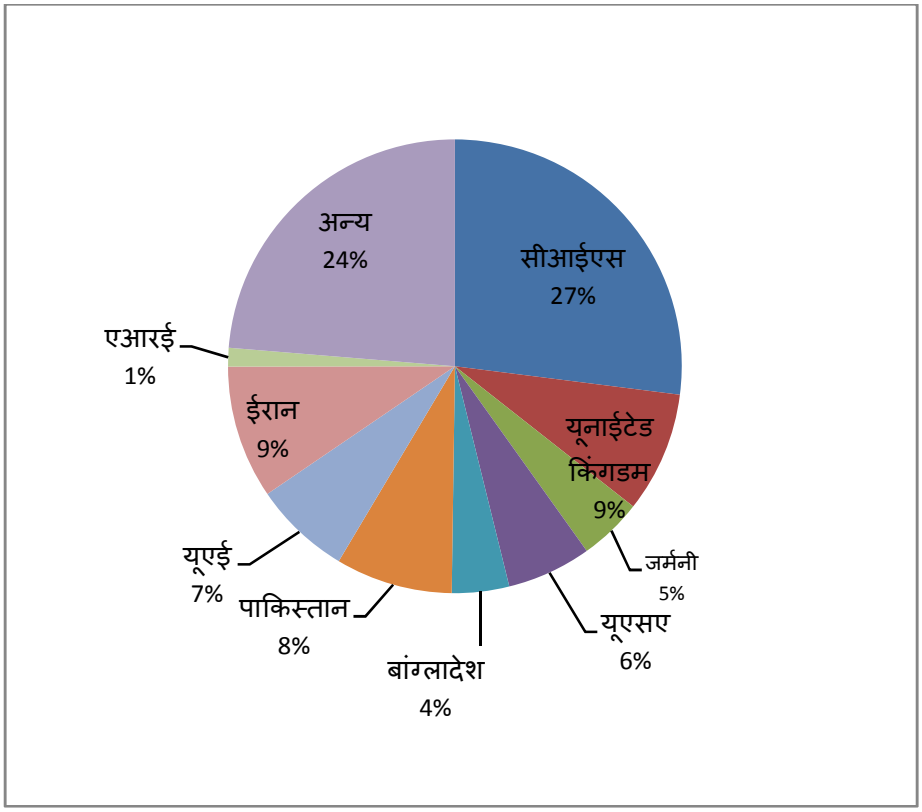

भारत में चाय का आयात :

वर्ष	**मात्रा(मि.कि.ग्रा)**	**सीआईएफ मू.** **(रु. करोड़)**	**इकाई मूल्य** **(रु./किग्रा)**
2013-14	19.23	237.33	123.42
2014-15	21.02	279.67	133.05
2015-16	18.43	244.48	132.65

नीलामी में चाय का मूल्य:

वर्ष	**उत्तर भारत**		**दक्षिण भारत**		**अखिल भारत**	
	मात्रा. **(मि.कि.ग्रा)**	**औसत मूल्य** **(रू. /किग्रा)**	**मात्रा** **(मि.किग्रा)**	**औसत मूल्य** **(रू./किग्रा)**	**मात्रा** **(मि.कि.ग्रा)**	**औसत मूल्य** **(रू /कि.ग्रा.)**
2013-14	385.12	137.61	145.96	95.82	531.08	126.12
2014-15	407.48	138.52	145.54	81.16	553.02	124.47
2015-16	392.93	141.70	143.15	85.65	536.08	127.01

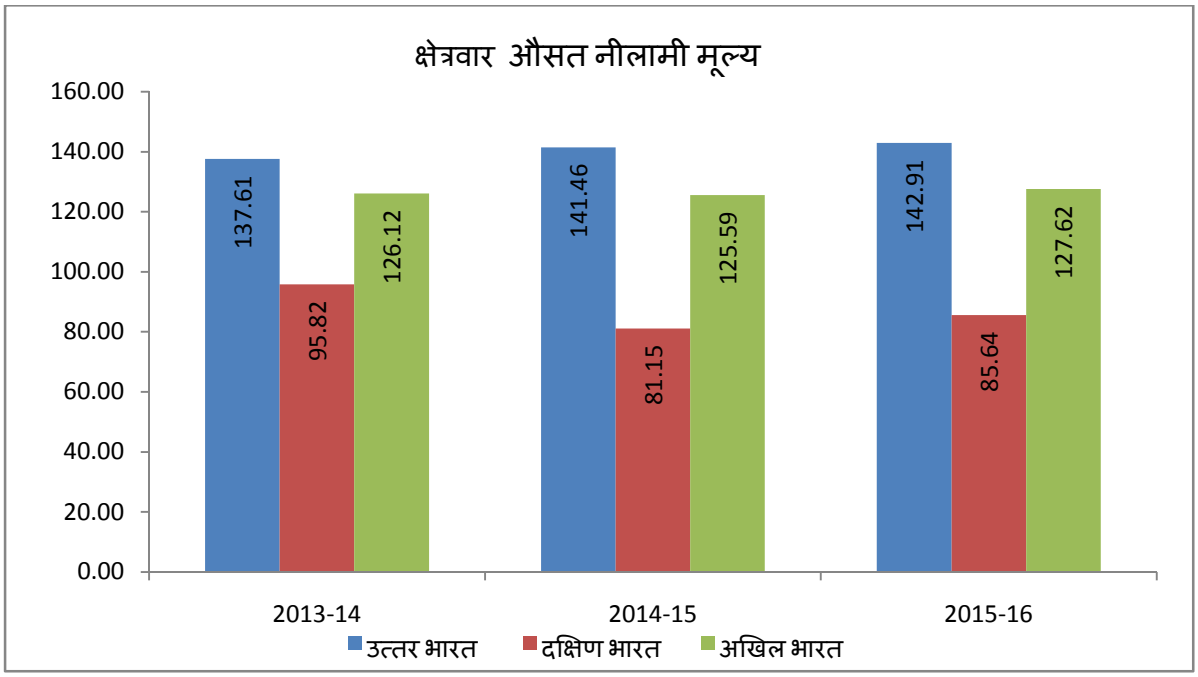

चाय संपदाओं पर श्रमिकों की भूमिका

राज्य	स्थायी श्रमिक			अस्थायी श्रमिक			कुल(स्थायी + अस्थायी)		
	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल	पुरूष	महिला	कुल
उत्तर भारत	310936	332868	643804	156087	226465	382552	467023	559333	1026356
दक्षिण भारत	30819	44795	75614	7444	13005	20449	38263	57800	96063
अखिल भारत	341755	377663	719418	163531	239470	403001	505286	617133	1122419

2015 में प्रमुख चाय उत्पादक देशों की उत्पादन की हिस्सेदारी

देश	**मि.कि.ग्रा. में**	कुल उत्पादन **(%)** में हिस्सेदारी
चीन	2230.00	42.74
भारत	1208.66	23.16
केन्या	399.21	7.65
श्रीलंका	328.96	6.30
वियतनाम	165.00	3.16
तुर्की	230.00	4.41
इंडोनेशिया	129.29	2.48
बांगलादेश	66.35	1.27
मालावी	39.45	0.76
यूगाण्डा	51.62	0.99
तंजानिया	31.66	0.61
अन्य	337.68	6.47
कुल	**5217.88**	**100.00**

2014 में प्रमुख उत्पादक देशों द्वारा निर्यात में हिस्सेदारी

देश	**2015 में मात्रा (मि.कि.ग्रा.)**	कुल उत्पादन में **(%)** हिस्सेदारी
केन्या	443.46	25.03
चीन	324.96	18.34
श्रीलंका	301.42	17.01
भारत	228.66	12.90
वियतनाम	120.00	6.77
अर्जेन्टीना	77.00	4.35
इंडोनेशिया	65.00	3.67
यूगाण्डा	48.56	2.74
मालावी	30.88	1.74
तंजानिया	27.50	1.55
जिम्बाबवे	11.00	0.62
अन्य	93.56	5.28
कुल	**1772.00**	**100.00**

(श्रोत : आईटीसी वार्षिक बुलेटिन, 2015, भारत को छोड़कर)

बिकी चाय का विश्व नीलामी मूल्य:

वर्ष	अंतर्राष्ट्रीय नीलामी मूल्य (यूएस$/कि.ग्रा)					
	भारत	बांगलादेश	श्रीलंका	इंडोनेशिया	केन्या	मालावी
2013	2.20	2.46	3.44	1.98	2.41	1.82
2014	2.08	2.19	3.53	1.66	2.03	1.43
2015	1.94	2.41	2.97	1.56	2.73	1.56

चाय की वैश्विक मांग एवं आपूर्ति

(आंकड़े मि.कि.ग्रा.में)

वर्ष	वैश्विक उत्पादन	प्रत्यक्ष वैश्विक खपत	(+) या (-)
2013	4993	4686	307
2014	5177	4810	367
2015	5218	4944	274

(श्रोत : आईटीसी वार्षिक बुलेटिन, 2015)

श्रम कल्याण

9. प्रस्तावना

टी बोर्ड की श्रम कल्याण शाखा, चाय रोपण कर्मियों एवं उनके आश्रितों के हितार्थ मानव संसाधन विकास योजना का कार्यान्वयन करती है । योजना के माध्यम से विस्तृत सहयोग अनुपूरक प्रकृति की है और ये उन क्षेत्रों पर लागू होता है जहाँ रोपण श्रम अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियम लागू नहीं होते हैं । समर्थित गतिविधियाँ बोर्ड के तीन शीर्षों के तहत आती है जैसे **(1) स्वास्थ्य (2) शिक्षा एवं (3) प्रशिक्षण ।**

9.1. स्वास्थ्य

इस शीर्ष के अधीन निम्नलिखित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है :

1. चाय बागान में स्थित अस्पतालों एवं चाय बागान के समीपस्थ क्षेत्र में स्थित सामान्य अस्पतालों, निदानशालाओं द्वारा चिकित्सा उपस्कर/उपसाधन के प्रापण हेतु
2. विशेषकर गैररंपरागत चाय क्षेत्रों में रोगियों को बागान से अस्पताल ले जाने हेतु एम्बुलेन्स का क्रय
3. उन संस्थानों के लिए पूंजीगत अनुदान जो चाय बागान जनसमूहों में से शारीरिक विकलांग व्यक्तियों हेतु पुनर्वास एवं चिकित्सा केन्द्र चलाते हैं ।
4. विकलांग व्यक्तियों हेतु काठ की बैशाखी, कैलीपर जूते, कृत्रिम अंग (लकड़ी), श्रवण यंत्र, व्हील कुर्सी तथा हाथ से चलाए जाने वाले तिपहिया साईकिल आदि खरीदने हेतु अधिकतम सहायता रू 5000/- प्रति व्यक्ति तक सीमित है ।

वर्ष 2015-16 के दौरान उपलब्ध कराए गए सहयोग का विवरण निम्नवत है:

	इकाई/लाभार्थियों की सं.	**रू/करोड़**
i) चिकित्सा उपस्कर	2(यू)	**15.99**
ii) विकलांग व्यक्तियों हेतु सहायता.	18(पी)	**0.44**
कुल	20	**16.43**

*(यू) इकाई को संकेतित करता है/(पी) व्यक्ति को संकेतित करता है ।

5. एस.बी. सेनेटोरियम कार्सियांग, दार्जिलिंग बोर्ड ने क्षयरोग से पीड़ित रोपण कर्मियों तथा उनके आश्रितों हेतु दार्जिलिंग, कार्सियांग, के एस.बी.दे सेनेटोरियम में 5 बिस्तर आरक्षित कराए । उत्तर बंगाल में ये विस्तर चाय उत्पादक संघों को आबंटित किए जाते हैं जो इसके रखरखाव प्रभार का 1/3 भाग का वहन करते हैं । शेष 2/3 भाग टी बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है ।

6. रामलिंगम टी.बी.सेनेटोरियम पेरूंदुरई, तमिलनाडू: क्षयरोग से पीड़ित चाय बागान कर्मियों तथा उनके आश्रितों हेतु तमिलनाड़, पेरूनदुराई के रामलिंगम टी.बी.सेनेटारेरियम में 17 विस्तर आरक्षित किए गए है । अस्पताल में ठहराव प्रभार को समय समय पर परिशोधित किया जाता है। 1.4.2011 से लागू प्रभार प्रति रोगी प्रति विस्तर की दर रू 92/- और एकमुश्त प्रवेश शुल्क रू 25/- है।

7. उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए 2(संख्या) चिकित्सकीय उपकरण खरीदने के बाबत कुल 15.99 लाख रूपए विनिर्मुक्त किया गये ।

9.1 **शिक्षा**:

चाय बागान कर्मियों के संतानों को प्राथमिक स्तर से आगे स्कूलों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों, तथा पेशेवर संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शिक्षा वृत्तिका दी जाती है । अधिकतम रू 20,000/- तक सीमित प्रति वर्ष वास्तविक टयूशन शुल्क और रू 20,000/- प्रति वर्ष तक सीमित छात्रावास प्रभार का 2/3 भाग का भुगतान किया जाता है । प्रति परिवार दो बच्चों को वृत्तिका दी जाती है बशर्ते कि पारिवारिक आय प्रति माह रू 25,000/- से अधिक न हो ।

कक्षा X और XII में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को क्रमश: रू 4,000/- तथा रू 5,000/- की दर से पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है बशर्ते कि परिवार की वार्षिक आय रू 3,00,000/- से अधिक न हो ।

छात्रों को रू 3,000/- प्रति वर्ष की दर से पुस्तके और पोशाकों के लिए भी अनुदान दिया जाता है ।

9.2 स्काऊटिंग एवं गाईडिंग:

इस योजना का उद्देश्य रोपण कर्मियों के बच्चों में अनुशासन आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, भयमुक्ति की भावना पैदा करना और स्काऊटिंग एवं गाईडिंग क्रियाकलापों को विकसित करना है । वित्तीय सहायताओं में शामिल है: (1) चाय रोपण क्षेत्र में जिला स्काऊट/गाईड संगठकों हेतु वेतन एवं यात्रा भत्ता (2) विविध प्रशिक्षण कैम्पों के आयोजन हेतु प्रभार (3) चाय बागान के स्काऊट/गाईड/कब/बुलबुल हेतु पोशाक अनुरूप अनुदान(4) रैलियों,रैली सह कैम्पों, कैम्पोरी, जम्बुरी आदि के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता । 2015-16 वर्ष के दौरान बोर्ड ने स्काउट व गाइडस की 12 क्रियाकलाप हेतु रू 4.53 लाख की धनराशि संवितरित की गई ।

9.3 क्रीड़ा:

जिला स्तर/राज्य स्तर/राष्ट्रीय स्तर के क्रीड़ा आयोजनों में भाग लेने हेतु चाय बागान कर्मियों एवं उनके संतानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

वर्ष 2015-16 के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का विवरण निम्नवत है ।

	इकाईयों/लाभार्थीयों की सं.	**रू./(लाख)**
1. शिक्षा वृत्तिका	**3684(**व्यक्ति**)**	**371.84**
2. नेहरू पुरस्कार	**518(**व्यक्ति**)**	**20.72**
3. पुस्तक एवं पोशाक अनुदान एवं छात्रवृत्ति	**305(**व्यक्ति**)**	**9.15**
4. स्काऊट एवं गाईड को सहायता	**12(**इकाई**)**	**4.53**
5. ग्यारहवीं योजना अवधि के पूंजीगत अनुदान के मामले	**4(**इकाई**)**	**12.80**
1. विविध प्रभार		**2.04**
कुल	**4523**	**421.08**

9.4.1 स्कूल: हॉस्टल भवन निर्माण/कॉलेज/

ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान संस्वीकृत पूंजीगत अनुदान के विरूद्ध लंबित दावों के पक्ष में वर्ष के दौरान निम्नलिखित संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान किया गया था । 12वीं योजना के बाद से विषयगत गतिविधियों हेतु अनुदान को बंद कर दिया गया है ।

1. **सेंट जोसेफ एच.एस. स्कूल, इडुक्की, केरल**: अस्पताल की ईमारत के निर्माण पर तृतीय किस्त के रुप में 2,51,850.00 रु. विर्निमुक्त किया गया ।
2. XI वी. योजना अवधि में उत्तर पूर्व से तीन (3) मामलों के पूंजीगत अनुदान के रुप में कुल 10.28 लाख रु. विर्निमुक्त किए गए ।

9.5.जलपाईगुड़ी पॉलीटेकनिक संस्थान में भर्ती:

जलपाईगुड़ी पॉलीटेकनिक संस्थान, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान चाय बागान कर्मियों के संतानों को भर्ती कराने हेतु तीन सीटें आरक्षित की गई है । समीक्षाधीन अवधि के दौरान इन आरक्षित सीटों पर चाय बागान कर्मियों के तीन-बच्चों को उनके प्रतिभा के आधार पर चयनित किया गया ।

9.6. प्रशिक्षण:

वर्ष के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम **जैसे: मोबाईल व सीडी/डीवीडी मरम्मत**, **फेब्रीकेशन**, **थैला निर्माण**, **प्लम्बींग**, **राजगीरी**, **इलेक्ट्रीकल/टीवी मरम्मत**, **बढ़ईगीरी**, **दो खान शौचालय का निर्माण**, **स्वास्थ्य**, **स्वास्थ्य विज्ञान**, **एड्स**, **ड्रग्स**, **मद्यजन्य रोग इत्यादि** में प्रशिक्षण हेतु 160 चाय बागानों के संतानों ने पाठ्यक्रम में हिस्सा लिया ।

चाय बागान कर्मियों साथ ही साथ उनके बच्चों हेतु बोर्ड के उपलब्ध विविध कल्याणकारी उपायों के प्रति कर्मियों में जागरूकता सृजन हेतु अनेकों जागरूकता अभियान आयोजित की गई ।

वर्ष 2015-16 के दौरान प्रशिक्षण हेतु किए गए व्यय का विवरण निम्नवत है:

राज्यवार	योजना का नाम	लाभार्थियों की सं0	(रू./लाख)
उत्तर पूर्व	1. नई कौशल एवं कर्मियों में जागरूकता उत्पन्न करने की दिशा में अभियान चलाने हेतु अल्पकालीन प्रशिक्षण का आयोजन	160 (पी)	17.67
उत्तर अंचल	- तदैव -	0	
दक्षिण अंचल	- तदैव-	0	
कुल		160(पी)	17.67

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान किए गए व्यय का सारांश

गतिविधि	**(रु. लाख)**
1. स्वास्थ्य	**16.43**
2. शिक्षा	**419.04**
3. प्रशिक्षण	**17.67**
4. विविध/अन्य व्यय	**02.04**
कुल	**455.18**

<u>लेखा वर्ष 16-2015 के दौरान किए गए व्यय</u>

गतिविधि	*इकाईयों/ लाभार्थीयों की सं.	रू (लाख)
(क) स्वास्थ्य		
1.चिकित्सा उपस्कर	2 (ईकाई)	**15.99**
2.अपंग व्यक्तियों की सहायता राशि	18 (व्यक्ति)	**0.44**
कुल	20	**16.43**
(ख) शिक्षा		
1) शिक्षा वृतिका	3684 (व्यक्ति)	**371.84**
2) नेहरू पुरस्कार	518 (व्यक्ति)	**20.72**
3) पुस्तक एवं पोशाक अनुदान, छात्रवृति	305 (व्यक्ति)	**9.15**
4) स्कॉउटस एवं गाईड हेतु सहायता	12(ईकाई)	**4.53**
5) ग्यारहवीं योजनावधि के मामलों को पूंजीगत अनुदान	4 (ईकाई)	**12.80**
कुल :		**419.04**
(ग) प्रशिक्षण		
1) नए दक्षता जैसे: प्लम्बींग, राजमिस्त्री, इलेक्ट्रीकल/टीबी मरम्त, बढ़ईगीरी, दो खान शौचालय का निर्माण, स्वास्थ्य विज्ञान में प्रशिक्षण, एडस, ड्रग्स मद्यजन्य इत्यादि में कर्मियों हेतु बैठक/संगोष्ठी एवं अल्प कालीन प्रशिक्षण ।	160 (व्यक्ति)	**17.67**
कुल प्रशिक्षण ©	**160**(व्यक्ति)	**17.67**
(घ) विविध/अन्य व्यय		**2.04**
कुल व्यय (क+ख+ग+घ)		

*(व्य) व्यक्ति के लिए है एवं (ई) ईकाई हेतु है ।

हिन्दी कक्ष (2015-2016)

10.1 प्रस्तावना

26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होते ही अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा बनी । भारत सरकार को यह दायित्व दिया गया कि वह राजभाषा हिन्दी का प्रचार एवं विकास इस प्रकार करें कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके ।हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु निरंतर प्रयास स्वभविक था । अपनी स्थापना के समय से ही हिन्दी कक्ष राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा नियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड में राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य का दायित्व निभा रहा है । राजभाषा नीति एवं बोर्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद संबंधी कार्यों का निष्पादन बोर्ड के उपनिदेशक(हिंदी) के पर्यवेक्षणाधीन की जाती है, जिन्हें सहायक निदेशक(हिंदी), वरिष्ठ अनुवादक(हिंदी), वरिष्ठ सचिवालीय सहायक, कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) एवं सहायक (हिंदी) द्वारा सहायता की जाती है ।

10.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

समीक्षाधीन वर्ष 2015-2016 के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) जो भारत सरकार की मुख्य नियामक अधिनियम है, में विहित सभी प्रलेखों को पूर्णरूपेण द्विभाषी रूप में अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी में एक साथ जारी किया गया ।

10.3 हिन्दी पुस्तकों का क्रय

राजभाषा कार्यान्वयन हेतु अनुकूल वातावरण बनाने तथा हिन्दी शिक्षण हेतु संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए हिन्दी कक्ष द्वारा एक हिन्दी पुस्तकालय चलाया जा रहा है । वर्ष के दौरान मुख्यालय एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये 35,000/- की पुस्तकें खरीदी गई । इनमें संदर्भ साहित्य एवं शब्दावली/कोश आदि सम्मिलित है ।

10.4 हिन्दी में पत्राचार

हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनिवार्यत: हिन्दी में ही दिये गए। वार्षिक कार्यक्रम 2015-2016 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सघन प्रयास किये गए ।

10.5 हिन्दी में रिपोर्ट

संसद में रखे जानेवाले सभी प्रतिवेदन जैसे वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आदि हिन्दी में भी तैयार किए गए । इसके अलावा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं वार्षिक रिपोर्ट भी हिन्दी में तैयार किए गए । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को इनका नियमित रूप से प्रेषण किया गया ।

10.6 हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समय समय पर राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित हुई, जिसमें सहायक/वरिष्ठ सहायक/सह प्रशासनिक अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को भी हिन्दी कार्य करने की शैली में प्रशिक्षित किया गया । विभिन्न सरकारी कार्यालयों से आगत प्रवक्ताओं ने सत्र संचालित किए । इसके फलस्वरूप कार्मिकों में व्यवहारिक/प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रति अभिरूचि पैदा हुई ।

10.7 मुख्यालय, कोलकाता को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अधीन अधिसूचना जारी करना

बोर्ड में तैनात कार्याधिकारियों में से 80 प्रतिशत कार्याधिकारियों को हिन्दी कार्यसाधक अथवा प्रवीणता प्राप्त होने के फलस्वरूप यह अपेक्षित हो गया था कि टी बोर्ड के मुख्यालय को अधिसूचित किया जाए । इसी क्रम में वाणिज्य एव उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया कि वे इस दिशा में उचित कार्रवाई कर टी बोर्ड मुख्यालय, कोलकाता को अधिसूचित करवाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें । तदनुसार, वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई तथा सभी संबंधितों को उसकी प्रतिलिपि प्रेषित की गई ।

10.8 हिन्दी सप्ताह का आयोजन

राजभाषा के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा कामकाज में इसे बढ़ावा देने हेतु सितंबर, 2015 में हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया । इस दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । क्षेत्रीय कार्यालयों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए ।

10.9 हिन्दी वेबसाईट

ई-गवर्नेंस के इस युग में नीति कार्यान्वयन की दिशा में इंटरनेट एक शक्तिशाली माध्यम बन गई है टी बोर्ड की भी हिंदी में अपनी वेबसाइट www.teaboard.gov.in है, क्योंकि आज भी हिन्दी अधिकांश भारतीय जनता की भाषा है । टी बोर्ड के हिंदी वेबसाईट को अंग्रेजी संस्करण से मेल रखने हेतु तथा हिंदी संस्करण को समय-समय पर अद्यतन किये जाने के संबंध गहन प्रयास किए गए, जो एक सतत प्रक्रिया है।

10.10 टॉलिक की गतिविधियों में सहभागिता

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढावा देने से संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता (नराकास) की गतिविधियों में बोर्ड सक्रिय रूप से भाग लिया ।

10.11 बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें :

बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति(ऑलिक) की वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में बैठके आयोजित हुई तथा बहुत ही उपयोगी निर्णय लिए गए।

10.12 कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी प्रयोग हेतु प्रोत्साहन योजना

बोर्ड ने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रोत्साहन योजना को प्रचारित किया जिसका उद्देश्य हिन्दी की कामकाज में गति लाना था । अधिकारी एवं कर्मचारियों ने इसका लाभ लिया । कुछेक कर्मचारियों ने इस योजना में हिस्सा लिया एवं उन्हें पुरस्कृत किया गया ।

10.13 संघ की राजभाषा में कार्य करने हेतु वार्षिक कार्यक्रम

वर्ष 1967 में संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह निर्देश दिया गया था कि भारत सरकार एवं अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार कर कार्यान्वित करेगी जिससे हिन्दी के प्रसार एवं विकास को गति मिले । वर्ष 2015-2016 का कार्यक्रम इसी क्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है । इस वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से हम संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की गति तेज की गयी । निर्धारित लक्ष्यों की कुछ हद तक प्राप्ति भी हुई है । फिर भी टी बोर्ड में बहुत हद तक कार्य अंग्रेजी में ही होता रहा ।

10.14 तिमाही प्रगति रिपोर्ट

टी बोर्ड, मुख्यालय द्वारा नियंत्रित सभी क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों ने विहित प्रपत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही रिपोर्ट भेजी । इनकी समीक्षा हुई तथा कमियों को दूर करने हेतु कार्रवाई की गई ।

आपूर्ति शाखा

चाय उद्योग के विभिन्न इनपुटों यथा उर्वरक (विशेष रुप से युरिया, पुरुलिया फॉस एवं रॉक फॉस्फेट) आदि की अधिप्राप्ति, आवगमन एवं संवितरण सम्बंधी मामलों में सहायता प्रदान करने का कार्य टी बोर्ड, कोलकाता की आपूर्ति शाखा का मुख्य कार्य है ।

1. <u>उर्वरक:</u>

राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आवश्यकता के आधार पर टी बोर्ड द्वारा चिन्हित चाय उद्योग के लिए भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा उर्वरक आबंटित किया जाता है । चाय बागानों का आबंटन अर्धवार्षिक आधार पर किया जाता है, पहली खरीफ के लिए (अप्रैल से सितम्बर) एवं दूसरी रबी के लिए (अक्टूबर से मार्च) ।

बोर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार चाय बागानों में प्रयोग किये जाने वाले अन्यतम महत्वपूर्ण उर्वरकों में नियंत्रित उर्वरक (यथा यूरिया) असम तथा अन्य राज्यों (यथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र) एवं पश्चिम बंगाल (यथा पूर्वी क्षेत्र के अधीन) चाय बागानों को निम्नलिखित विनिर्माताओं द्वारा आपूर्त किया गया यथा (1) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाईज़र कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल) (2) नागार्जुना फर्टिलाईजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (एनएफसीएल) एवं टाटा कैमिकल लिमिटेड जो निम्नवत है ।

एक अन्य महत्वपूर्ण उर्वरक जिसे सामान्यत: पुरूलिया फॉस कहा जाता है, चाय बागानों में भी इसका उपयोग किया जाता है । पुरूलिया फॉस की आपूर्ति पश्चिम बंगाल मिनरल डेवलपमेंट व ट्रेडिंग कॉरपरेशन लिमिटेड (डब्लुबीएमडीटीसीएल) द्वारा किया जाता है । पूर्वी क्षेत्र के तहत पश्चिम बंगाल एवं उ.पूर्वी क्षेत्रों के तहत असम में पुरूलिया फॉस की आपूर्ति डब्लूबीएमडीटीसीएल द्वारा की गई है ।

नियंत्रित उर्वरक के अतिरिक्त आपूर्ति शाखा अनियंत्रित उर्वरक यथा एमओपी, डीएपी, आदि की कम पूर्ति की समस्याओं को भी देख रहा है जिसे असम व अन्य राज्यों (उत्तर पूर्वी अंचल के अधीन) व पश्चिम बंगाल (पूर्वी अंचल के अधीन) में प्रयोग किया जाता है ।

2. <u>अन्य:</u>

आपूर्ति शाखा, चाय संपदाओं में ज़रुरी कोयला, खाद्य सामग्री, एलपीजी सिलिंडर/प्राकृतिक गैस, एचएसडी तेल आदि से सम्बंधी मामलों की देखरेख करता है ताकि चाय उद्योग द्वारा इन सामग्रियों की आपूर्ति में रुकावट से पनपी समस्याओं का सामना कर सके ।

मानव संसाधन विकास

बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के मानव संसाधन कक्ष एवं अन्य विभागों द्वारा कर्मचारियों, अधिकारियों व चाय उद्योग के हितधारकों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं, संगोष्ठियाँ आदि समय-समय पर आयोजित की जाती है ।

वर्ष 2015-16 के दौरान मानव संसाधन विकास सम्बंधी निम्नलिखित गतिविधियाँ टी बोर्ड द्वारा संचालित की

गई :-

- प्रख्यात सेवा प्रदाता द्वारा 09/01/2016 को टी बोर्ड, मुख्यालय, कोलकाता में कर्मचारियों में अग्नि शमन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था ।
- 03/08/2015 से 11/09/2015 तक कार्यालयी कार्यों में कंप्यूटरों में मूलभूत अनुप्रयोगों से सम्बंधित कंप्युटर प्रशिक्षण का आयोजन कर्मीयों के लिए किया गया था ।
- 06/08/2015 से 08/08/2015 के दौरान क्रय पद्धति व संविदात्मक प्रबंधन पर बोर्ड के तीन अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।
- बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित के लिए मुख्यालय, कोलकाता में लोकप्रिय अस्पताल की सहायता से एक मुफ्त स्वास्थय जांच कैम्प का आयोजन किया गया था ।

सतर्कता प्रकोष्ठ

केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में टी बोर्ड के उपाध्यक्ष को नियुक्त किया गया है । सतर्कता प्रकोष्ठ के सामग्रिक कार्यकलापों को मुख्य सतर्कता अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन किया जा रहा है । उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सतर्कता प्रकोष्ठ के कुल दो कार्याधिकारी हैं ।

सतर्कता प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य है सरकार/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित करना, जिसे नियमित रूप से अनुपालित किया जाता है । सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के साथ-साथ सरकार को मासिक व तिमाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है । मुख्य सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशानुसार बोर्ड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के सलाह पर निविदा और निवारक सतर्कता इत्यादि संबंधी सभी पहलुओं का अनुसरण बोर्ड द्वारा किया जाता है । बोर्ड के विधि अधिकारी ही सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं जो संपर्क प्रबंधन कार्य के लिए उत्तरदायी है । यह प्रकोष्ठ बोर्ड के सामग्रिक सतर्कता निगरानी का भी कार्य करता है । सतर्कता प्रकोष्ठ का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य; केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार बोर्ड में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना है, जिसमें चाय बोर्ड के सभी कार्याधिकारियों को चाय बोर्ड की बुनियादी सतर्कता मिशन की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए दक्षता एवं पारदर्शिता रूपी शपथ-संदेश के माध्यम से उन्हें शपथ दिलायी जाती है ।

वर्ष के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ को 2 (दो) शिकायत प्राप्त हुई, एवं आज की तिथि तक 13 सतर्कता मामले लंबित हैं ।

विधि प्रकोष्ठ पर वर्ष 2015-16 हेतु रिपोर्ट

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

चाय बोर्ड का विधि प्रकोष्ठ, विधि अधिकारी के अधीन कार्य करता है । उनकी सहायता अन्य कर्मचारियों द्वारा की जाती है । चाय बोर्ड का विधि प्रकोष्ठ बोर्ड के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा अग्रेषित सभी विधिक मामलों का पर्यवेक्षण करता है । प्रकोष्ठ बोर्ड के सॉलसिटर मेसर्स फॉक्स एंड मण्डल, मेसर्स पॉल एंड पॉल, राजेश खेतान एंड कं०, के. एण्ड एस. पार्टनर्स व अन्य विधिक सलाहकारों के साथ बोर्ड की ओर से सम्पर्क स्थापित करता है ।

यह प्रकोष्ठ बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी सभी मामलों की भी देखभाल करता है, कानूनों के अधीन इसमें बोर्ड द्वारा पंजीकृत भारत एवं विदेश में विभिन्न लोगो चिह्न/शब्द चिह्न शामिल है ।

यह प्रकोष्ठ नियत समय के भीतर सूचना का अधिकार 2005 के तहत आवेदनों के निपटान व अपील करने के लिए उत्तरदायी है साथ ही मंत्रालय को मासिक एवं वार्षिक विवरण भेजने के लिए भी उत्तरदायी है । दिनांक 31.03.2015 तक 57 मामले लंबित थे । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 11 नए मामले आए एवं 03 मामले वापस कर लिए गए । दिनांक 31.03.2016 तक कुल मामलों की संख्या 65 थी ।

FOR OFFICIAL USE ONLY

TEA BOARD INDIA
62nd ANNUAL REPORT 2015-16

14, B.T.M. SARANI
KOLKATA-700 001

INDEX

62ND ANNUAL REPORT OF THE BOARD: 2015-16

Chapter No.	Subject	Page No (s)
Chapter 1	Organisational Set-up & Functions	1 - 10
Chapter 2	India Tea in the International Perspective	11-19
Chapter 3	Finance	20-23
Chapter 4	Tea Development	24-45
Chapter 5	Tea Research	46-50
Chapter 6	Tea Promotion	51-65
Chapter 7	Licensing	66-78
Chapter 8	Statistics	79-84
Chapter 9	Labour Welfare	85-88
Chapter 10	Hindi Cell	89-90
Chapter 11	Supply Branch	91
Chapter 12	Human Resource Development	92
Chapter 13	Vigilance Cell	93
Chapter 14	Legal Cell & RTI Act,2005	94

ORGANISATIONAL SET-UP AND FUNCTIONS FOR THE YEAR 2015-16

Constitution of the Board

Tea Board of India was established on 1st April 1954 as per the provisions of Section 4 of the Tea Act 1953. The Board is charged with the overall development of the tea industry in India and it is functioning under the administrative control of the Central Government under Ministry of Commerce and Industry.

Organisation of the Board:

The Board comprises of a Chairman and 30 members appointed by Government of India representing different sections of the Tea Industry. The Board is reconstituted every three years.

As per Gazette notification dated November 2, 2015, new Board was constituted for 2015-2018.

Functions of Tea Board:

The functions of the Tea Board span across a wide spectrum as defined under Section 10 of the Tea Act and briefly include:

1. Increasing production and productivity of tea plantations
2. Improving quality of tea
3. Promoting co-operative efforts among small tea growers
4. Supporting Tea Research and Development
5. Undertaking promotion campaigns for increasing exports and domestic consumption
6. Regulatory functions - Registration of tea gardens, factories, primary buyers and issue of licenses for tea brokers, auction organizers, exporters and tea waste dealers
7. Welfare measures for plantations workers/their wards in the area of health, hygiene, training and education.
8. Collection and dissemination of tea statistics
9. Such other activities as are assigned from time to time by the Central Government.

Source of Funds:

Funds for the aforesaid functions are provided to the Board by the Government through Plan and Non-Plan Budgetary allocations.

Administrative Set-up:

The Head Office of the Board is located in Kolkata, West Bengal and it is headed by Chairman and being assisted by Deputy Chairman in Kolkata. Two Executive Directors are stationed at Guwahati (Assam) and Coonoor (Tamil Nadu). The Board has twenty two (22) offices within India and two (2) abroad i.e. Moscow & Dubai.

ADMINISTRATIVE SETUP OF TEA BOARD

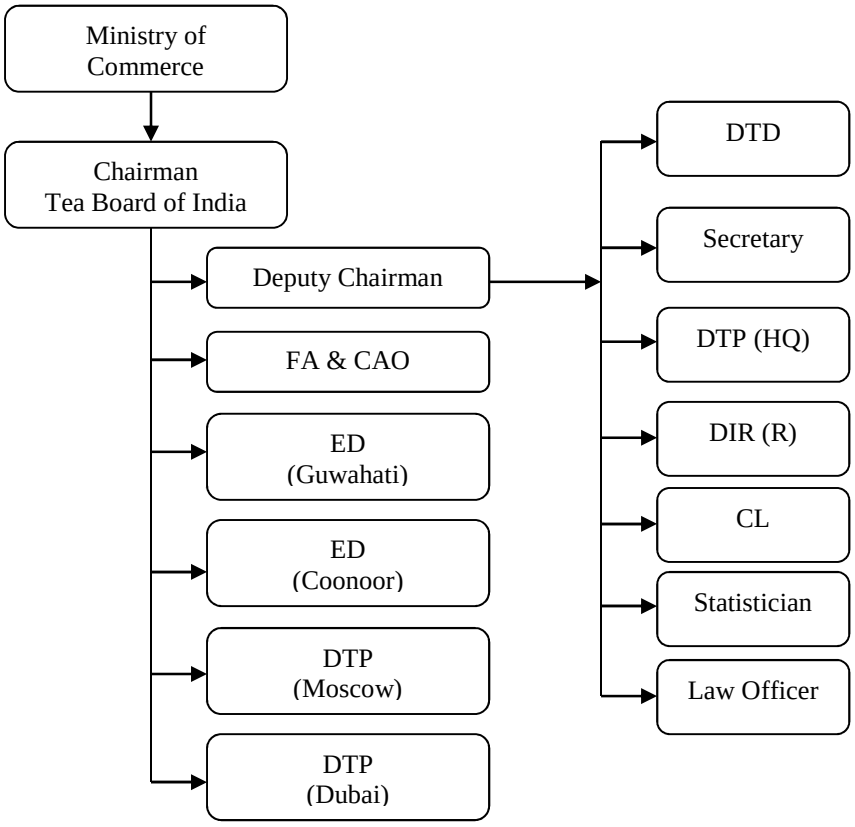

Offices within India:
Kolkata, Coonoor, New Delhi, Mumbai, Palampur, Kurseong, Jalpaiguri, Siliguri, Guwahati, Jorhat, Silchar, Dibrugarh, Tezpur, Agartala, Coimbatore, Kochi, Gudalur, Itanagar, Kotagiri, Kumily & Kundah (Annexure-1).

Small Grower Development Directorate: In order to meet the developmental needs of the small sector which accounts for more than 33% of national tea production, separate directorate is functioning. Under this directorate 67 sub regional offices are functioning in all the areas where small growers are concentrated to maintain a closer interface with the growers and provide developmental and extension services to the growers towards improving productivity and quality of tea produced from the small sector.

Overseas offices:

Two overseas offices are functioning from Dubai and Moscow. These are being managed by the Embassy officials in addition to their own duties. They undertake tea export promotional activities and liaise with importers of Indian tea of the respective regions as well as Indian Exporters.

directorate is functioning. Under this directorate 67sub regional offices are functioning in all the areas where small growers are concentrated to maintain a closer interface with the growers and provide developmental and extension services to the growers towards improving productivity and quality of tea produced from the small sector.

Overseas offices:

Two overseas office sare functioning from Dubai and Moscow. These are being managed by the Embassy officials in addition to their own duties. They undertake tea export promotional activities and liaise with importers of Indian tea of the respective regions as well as Indian Exporters.

Darjeeling Tea Research and Development Centre: The Board has its own Tea Research Centre at Kurseong (Darjeeling) for addressing location specific R&D needs of the hilly region of Darjeeling and North Bengal as a whole. The Quality Control Laboratory at Siliguri has started functioning w.e.f 5th January, 2016.

Functional activities of the Head Office:

a) **The Secretariat** headed by Secretary looks after Establishment / administrative work and co-ordinates with various departments.

b) **The Finance wing** headed by Financial Advisor and Chief Accounts Officer is responsible for the maintenance of accounts, release of funds under the developmental schemes to tea gardens and conducting internal/external audit.

c) **The Development Directorate** headed by Director of Tea Development is responsible for formulation and implementation of various developmental schemes and rendering assistance to the industry/tea estates in the procurement, distribution and movement of essential inputs/machineries etc.

d) **The Promotion Directorate** headed by Director of Tea Promotion looks after the work relating to Marketing and Promotion of tea in India and abroad.

e) **The Research Directorate** headed by Director of Research is responsible for co-ordination of tea research carried out by the different tea research institutions in the country and monitoring the functions of the Tea Board's own Quality Control Laboratory at Siliguri and Research Station at Kurseong headed by Project Director.

f) **The Licensing Department** headed by Controller of Licensing is responsible for permission and registration of tea estates and manufacturing factories and issue of licenses, to tea exporters, buyers, brokers, auction organizers, tea warehouses and monitoring the movement of “Tea Waste”.

g) **The Labour Welfare Department** is looked after by Welfare Liaison Officer under the supervision of DTD for the work relating to implementation of welfare schemes of the Board, which are not covered under the Plantation Labour Act, 1951.

h) **The Statistics Department** headed by Statistician is responsible for the collection of statistics relating to tea area, production, export and all other related data and dissemination of information to Government, trade and industry.

i) **Hindi Cell** headed by Deputy Director is responsible for the implementation of the provisions of Official Languages Act and various related measures.

j) **Establishment Branch:** The Establishment branch headed by Assistant Secretary looks after administrative / policy matter and deal with the staff matter of the Board's office.

k) **Vigilance & Legal Cell:** Legal cell is headed by Law Officer who looks after all legal matters arising in various functional departments mentioned above. Tea Board's Vigilance Cell is headed by the Deputy Chairman of the Board who has been appointed as the Chief Vigilance Officer of the Board by the Central Vigilance Commission. The Cell engages itself with surveillance and preventive vigilance, in addition to taking appropriate action in matters arising out of information / complaints. The Cell attends to queries of the Government of India and the Central Vigilance Commission as and when such queries are received. Monthly and Quarterly Reports are prepared and sent to the Ministry of Commerce and the Central Vigilance Commission. The overall vigilance activities are looked after by the Chief Vigilance Officer.

l) **IT Cell:** Headed by System Analyst and is responsible for developing software, computerization in various segments of Tea Board, regular maintenance and updation of Tea Board website etc.

Salient features of the services being rendered by Tea Board:

The activities undertaken during the year under report by the aforementioned departments are mentioned separately in separate section of this report. Brief summary of the services being extended by the Board to the tea industry is given below:

Tea Development:

In order to bring about overall improvement in tea productivity and production and creation of better tea processing facilities for qualitative improvement of the product, a number of financial assistance schemes are operated by the Board. The interests of all the sectors i.e., large, medium and small plantations are given due consideration. Like any other industry, some tea units also face sickness from time to time and the affairs of such tea gardens are looked into in terms of the provisions under the Tea Act. Besides financial assistance, fiscal incentives by the way of Tax concession (Section 33 AB of Income Tax Act) for better working of the tea gardens are considered by the Board.

One of the thrust areas for development is the small grower sector. Keeping in view the lower productivity of the small units, the Board has been extending financial assistance towards various developmental measures such as Training and Demonstration on improved methods of tea cultivation, setting up of tea nurseries for supply of planting materials at subsidized costs, study tours for the growers to visit various tea growing areas.

Tea Research:

Research is an essential input for development of tea industry. Traditionally, the research on tea is being carried out by the industry itself. Tocklai Experimental Station of Tea Research Association (TRA) and Tea Research Foundation of UPASI in South are the two important centers of research for tea in the country. Tea Board is maintaining a Research centre at Kurseong to look into specific requirements of Darjeeling tea. Some work is also undertaken by IHBT at Palampur and Himachal Pradesh Krishi Viswa Vidyalaya (HPKVV) in regard to the problems of Hilly area of Kangra region.

Tea Board provides substantial Grant-in-aid to TRA, UPASI-TRF, HPKVV, and Assam Agricultural University (Jorhat) for carrying out research and extending advisory service to the tea gardens. In addition to grant in aid, both TRA and UPASI TRF are given grant under plan schemes for undertaking various R& D Schemes.

In order to extend the research findings at the door steps of the tea gardens, both TRA and UPASI-TRF have a good network of advisory centers. UPASI is also running a KVK exclusively for supporting the causes of small growers in the South India.

To develop technical manpower in the North Eastern States, financial assistance is being provided by the Board towards imparting training on tea culture by TRA to the persons nominated for training by the State Governments. Tea Board also provides grants-in-aid to different Universities and technical institutions such as Indian Institute of Packaging, CFTRI for undertaking research on specific projects covering those items which are not included in the program of research of the TRA, and UPASI-TRF.

National Tea Research Foundation (NTRF) has been established with financial contribution from the tea industry and NABARD to strengthen research activities and to launch schemes on new and diversified fields of research.

In addition to conduct and promote research on multifarious technical matters relating to alternate tea packaging, ISO/FSSR 2011 specifications, quality barriers, development of specialized products, bio/eco teas etc are handled by the Research Directorate of the Board. The Board is being represented by the Director of Research in various technical committees on tea research.

Labour Welfare:

Tea Board has been extending support towards certain Labour welfare measures to tea plantation workers and these measures are confined to those areas which are not covered under the Plantation Labour Act and Rules made there under. The welfare measures of the Board are in the form of grant of educational stipend to the wards of the garden workers for pursuing studies as well as providing financial assistance for imparting scouting and guiding activities amongst students in the tea garden areas, purchase of ambulance and medical equipments for specialized treatment etc. Assistance is also being provided to tea gardens workers for safe drinking waters and safe and clean toilets at their houses.

Tea Promotion:

Tea Board's promotional work is carried out through Promotion Directorate at its HO as well as its foreign offices. While the promotional activities are confined to popularize Indian tea with emphasis on promoting teas in value-added form like packet, tea bags and instant tea, Tea Board also extends support to popularize tea as a beverage through Tea Councils in foreign countries, namely, U.K. USA, Canada and Germany.

The activities of the overseas offices include participation in international fairs and exhibitions, particularly food and beverage events, field sampling at specialty stores /super markets, media publicity, buyer–seller meets, providing promotional support to Indian exporters/foreign importers of value-added teas in their promotional and marketing efforts, P.R. activities to establish closer link between importer and exporter, and exchange of tea delegations between India and importing countries. Besides its regular marketing logo, Tea Board has successfully launched distinct tea logos to popularize the teas from various regions of the country:

Man-Power of Tea Board

The total man-power of the Board as on 31.03.2016 was 558 (excluding foreign offices of the Board). The breakup of existing strength of the Officers and staff members under different categories in offices of the Board in India is shown in the Table-1.

TABLE -1
Group-wise Man power of the Board in India as on (31.03.2016)

	Group A	Group B	Group C	Total
Head Office	17	74	151	242
Regional/Sub Regional Offices	54	107	151	312
Officers on deputation to Tea Board	4		-	4
Total	75	181	302	558

Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Class

	SC	ST	OBC	Total
Group A	11	04	16	31
Group B	33	05	33	71
Group C	53	19	24	96
TOTAL	97	28	73	198

Changes in Man power of the Board during the year under review:

1. **Promotions:**
   i) Shri Debi Prasad Sarkar, Asstt. Admin. Officer promoted to the rank of Section Officer (stores) w.e.f. 16.04.2015.
   ii) Shri Jagdish Prasad, A.D.T.D. promoted to the rank of Deputy Director of Tea Development (P) w.e.f. 14.09.2015.
   iii) Shri RameswarKujur, A.D.T.D. promoted to the rank of Deputy Director of Tea Development (P) w.e.f. 14.09.2015.

2. **Additional responsibilities:** Shri S Banerjee, System Analyst was given additional charge of the post of Assistant Secretary, Tea Board on ad-hoc basis with effect from 01.03.2016.

3. **Resignation and relinquishments:**
   i) Shri Anil Kr. Singh, Soil Scientist resigned w.e.f. 19.5.2015.
   ii) Shri AmbalavanamRamaswamy (IA & AS 94) was relieved from his charge as Executive Director, Tea Board, Coonoorw.e.f. 20.06.2015.
   iii) Shri Siddharth, IAS (WB: 83), Chairman relinquished charge of the post of Chairman w.e.f. 25.06.2015.

4. Appointments:

i) Shri C Paulrasu appointed as Executive Director, Coonoor w.e.f. 23.06.2015

ii) Shri Santosh Kumar Sarangi, IAS (OR: 94) has assumed the post of Chairman, Tea Board in addition to his existing charge as Joint Secretary, Department of Commerce w.e.f. 30.06.2015.

iii) Shri Sanjio Kumar, IFS appointed as Executive Director of Board's North-East Zonal Office for a period of five years w.e.f. 12.02.2016

5. Superannuation

i) Mr. Narendra Kumar, Sr. Scientific Officer superannuated from Board's service w.e.f. 31.8.2015

ii) Mr. B.K Biswas, Assistant Secretary superannuated from Board's service w.e.f. 30.11.2015

iii) Mr. Ranjan Das, DDTD superannuated from Board's service w.e.f. 31.1.2016

iv) Mr. D.P. Sarkar, Section Officer superannuated from Board's service w.e.f. 29.2.2016

v) Mr. D.T. Khade, Section Officersuperannuated from Board's service w.e.f. 29.2.2016

Annexure-I

Addresses of Tea Board Offices in India and Abroad:

OFFICES IN INDIA

KOLKATA
Tea Board
14, BTM Sarani,
Kolkata - 700 001
Tel. :033-22351411/Fax:033-22215715
E-mail: secyteaboard@gmail.com
Website: www.teaboard.gov.in

DELHI
Tea Board
13/2 Jam Nagar House, Sajahan Road,
New Delhi - 110 011
Tel.: 011-23074179, 23070322
Mob.: 09818007168

COONOOR
Executive Director, Tea Board,
Shelwood Coonoor Club Road,
Post Box No. 6,
Coonoor - 643 101, Nilgiri, South India
Tel.: 0423-2231638/2230316*[D]
Fax: 0423-2232332, 2231484-Res.
E-mail: teaboardcoonoor@rediffmail.com

KOCHI
Joint Controller of Licensing
Tea Board
Indira Gandhi Road, Willingdon Island,
Kochi - 682 003, Kerala.
Tel.:0484-2666523/2340481
Fax: 0484-2666648
E-mail:teaboardkochi@hotmail.com /
kpvkumar.tbi@nic.in

GUDALUR
Assistant Director of Tea Development,
Tea Board,
Aishwarya Building, T.K.Pet,
Calicut Road,
Gudalur-643212
E-mail: teaboardgudalur@gmail.com

KOTAGIRI
Assistant Director of Tea Development,
Tea Board,
Ramchand Square,
Kotagiri-643217,
Nilgiris, Tamilnadu.
E-mail: teaboardkotagiri@gmail.com

KUNDAH
Assistant Director of Tea Development,
Tea Board,
No. 3/253 C, KilKundah
Main Road, Manjoor,
Nilgiris-643219
Tamilnadu.
E-mail:regionalofficekundah@gmail.com

KUMILY
Assistant Director of Tea Development,
Tea Board,
No. 606-C, High Range Plaza,
1st floor, K.K.Road,
Kumily-685509
Kerala
E-mail:teaboardkumily@gmail.com

COIMBATORE
Labour Welfare Officer
Tea Board,
No.12/278,Tea Trade Association
Complex, G.N.Mills Post,
Mettupallayam Road,
Coimbatore-641029
E-mail :teaboardcoimbatore@gmail.com

GUWAHATI
Executive Director, Tea Board
Housefed Complex, 5th floor,
Beltola-Basistha Road,.
Dispur, Guwahati-781006
Tel: 0361-2234257/2234258
Fax: 0361-2234251
E-mail: teaboardghy@hotmail.com

JORHAT
Asst. Director of Tea Development,
North Eastern Zonal Office
Tea Board, Tea Research Association
Complex, Cinnamara Jorhat-785001,
Assam,
Tel: 0376-2360066/Fax 2360068
Email: teaboardjorhat@gmail.com

DIBRUGARH
Dy. Director of Tea Development
(Plantation),
Tea Board, West Chowkidingee
T.R. Phukan
Road, Dibrugarh – 786 001
Tele fax: 0373-2322932
E-mail: teaboarddibrugarh@gmail.com

TEZPUR
Asst. Director of Tea Development
Tea Board
Mission Charali, Opp. Trade & Industry
Building, P.O. Dekargaon,
Tezpur-784501, Dist. Sonitpur, Assam.
Tel: 03712-255664
E-mail: teaboardtezpur@yahoo.com

SILCHAR
Asst. Director of Tea
Development, Tea Board
Club Road, Silchar - 788
001, Dist : Cachar, Assam.
Tel.: 03842-232518
E-mail: silchar_tboard@rediffmail.com

AGARTALA
Assistant Director of Tea Development,
Akhaura Road, Fire Brigade,
Chowmuhani
Agartala - 799 001, Tripura (West)
Tel.: 0381-2324182

ITANAGAR
Assistant Director of Tea Development,
Tea Board, Regional Office,
Private Residence, 2nd Floor,
Near Kingcup School,
V.I.P Road,
Itanagar-791 111
Arunchal Pradesh
Tel & Fax: 0360-2292124
E-mail: teaboarditanagar@gmail.com

SILIGURI
Dy. Director of Tea Development (Plantation), Sahid Bhagat Singh Commercial Complex, (3rd floor), 2ndMile, Sevoke Road,
Siliguri, West Bengal
Tel/Fax: 0353-2544778/2540209
E-mail: kkbkolkata@gmail.com

JALPAIGURI
Assistant Director Tea Development,
Tea Board, Ruby Cottage
Shibajee Road, Hakimpara
Jalpaiguri
Te: 03561 225146
E-mail: teaboardjal@gmail.com

PALAMPUR
Assistant Director Tea Development,
Tea Board, Mission Road,
Palampur - 176 061
Kangra, Himachal Pradesh.
Tel: 01894-230524 Fax: 01894-231748
E-mail: csmteaboard@gmail.com

DARJEELING (DTR & D.C.)
Project Director,
Tea Board,
Acharya Bhanu Path,
Kurseong - 734 203,
Darjeeling. Tel.: 0354-230287
Fax: 0354-230218-Fax & Tel
E-mail: tea2darjeeling@yahoo.co.in

MUMBAI
Superintendent
Tea Board, Resham Bhavan,
78, Veer Nariman Road,
Mumbai - 400 020.
Telefax. 022-22041699
G.H. (Tel): 2367 5401
Email : mumtea@vsnl.net

CHENNAI
1. Tea Board Regional Office,
139, Eldams Road,
Teynampet (2nd floor),
Chennai – 600 002, Tamil Nadu.

2. Tea Room,
Tea Board Chenai Secretariat,
Shop No. 3, 4th St. George, Chennai-600 009,Fax: 044-24341650,Tel: 044-24342754
E-mail: teaboardchennai@sancharnet.in

THIRUMALA
In-charge, Tea Nook,
Near C.R.O.(G) Office,
(Opposite to Railway Reservation Counter),Tirumala– 517 504,
Andhra Pradesh

SMALL TEA GROWERS' DEVELOPMENT DIRECTORATE, DIBRUGARH
Deputy Director of Tea Development,
"Vijay Bhawan" Amolapatty,
P.O. Dibrugarh, Dist: Dibrugarh,
Assam-796 001
Tel: (0373) 2324982/2328941
Fax: (0373) 2325506
E-mail: teaboardsgdd@gmail.com

OFFICES ABROAD

DUBAI
Mr. V. George Jenner, IFS
Director of Tea Promotion
Tea Board of India, P.O. Box No. 2415, Flat No. 5, Al Abbas Buildings,
Bank Street, Bur Dubai, Dubai UAE.
Tel.: 009714 3522612/3522613
Fax: 00 9714 3522615
Mobile: 00971567449828
E-mail: teaboard@emirates.net.ae
vgjenner@gmail.com

MOSCOW
Dr Sakkeer Hussain, IRPS
Director, Tea Promotion,
Tea Board of India, 4, Vorontsovo Poyle
Indian Embassy, Moscow Russian Federation, Tel/Fax +7 (495)916 3724,
+7-495 783 7535 Ext: 293 + 7(495)917 1657, Res. +7(495)952 0524,
Mob +0079653862273
E mail: teaboard@indianembassy.ru , dtp@indianembassy.ru

Broad over view of the Global and Indian Tea Scenarios

Global Tea Scenario

More than 35 countries spread over all the continents except North America with wide range of agro-climatic conditions between 42'N (Georgia) and 35'S latitude (Argentina) grow tea. The global tea production and consumption during 2015 was 5305 million kg and around 4999 million kg respectively. Total exports from the producing countries during 2015 added upto1805 million kg. Major tea producing and exporting countries are China, India, Kenya, and Sri Lanka and they account for 79% and 73% of world production and exports respectively. (Table-1)

Table-1

Production and Export share of major producing and exporting countries

	2015			
Country	**Production**		**Export**	
	Million Kg	**%share**	**Million Kg**	**%share**
China	2278	43	325	18
India	1209	23	229	13
Kenya	399	7	443	25
Sri Lanka	329	6	301	17
Others	1090	21	507	27
World Total	**5305**	**100**	**1805**	**100**

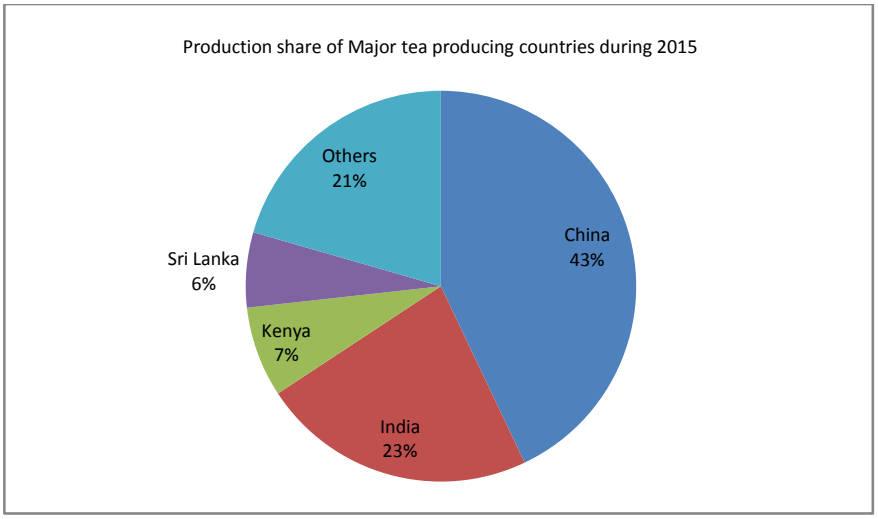

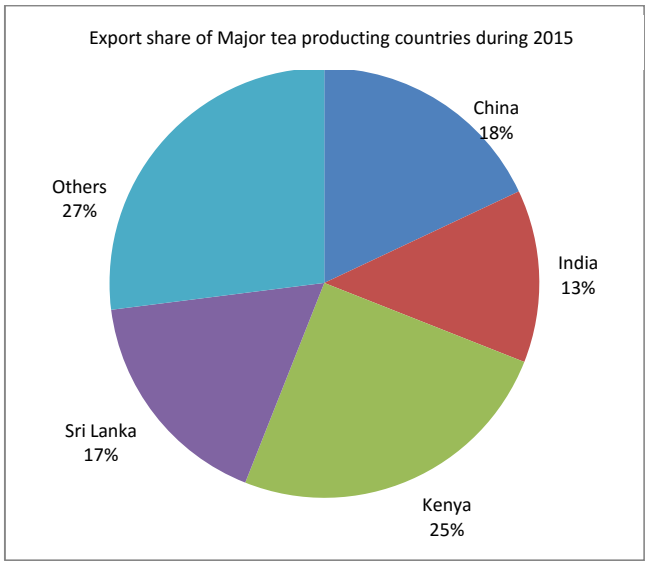

TABLE-2: WORLD AUCTION PRICE OF TEA

Year	World Auction price (US$/Kg)					
	India	Bangladesh	Sri Lanka	Indonesia	Kenya	Limbe
2013	2.20	2.46	3.44	1.98	2.41	1.82
2014	2.08	2.28	3.53	1.66	2.03	1.43
2015	1.94	2.41	3.01	1.56	2.73	1.56

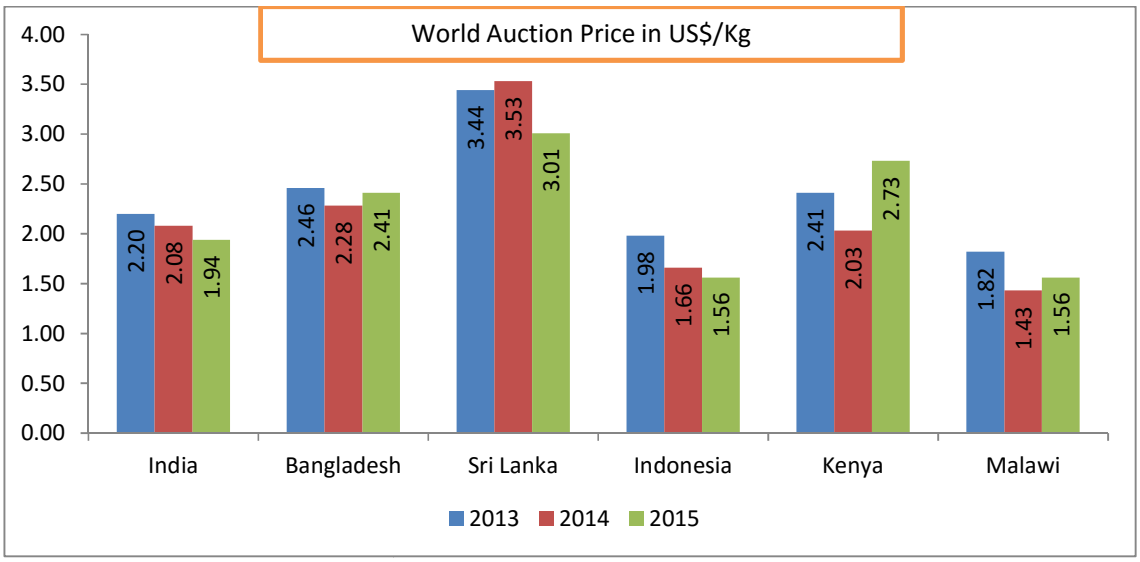

The average per head consumption of tea varies widely from country to country. The consumption is highest in Turkey (3.14 kg), Afghanistan (2.44 kg) and around 2 Kgs in United Kingdom Libya, Morocco, Qatar, Taiwan and Ireland. The consumption is around 1 kg in Hong Kong, Sri Lanka, Egypt, Chile, Iraq, China, New Zealand and Iran while in India it is around 800

Kong, Sri Lanka, Egypt, Chile, Iraq, China, New Zealand and Iran while in India it is around 800 grams. Even though per capita consumption of tea is lower in India as compared to other countries, due to its population the tea consumption in India accounts for 19% of the global consumption. Almost 78% of the total production is consumed within the country. This distinct position is in sharp contrast with other producing countries, particularly Kenya and Sri Lanka which hardly have any strong domestic demand and hence they are able to export most of their production.

The Global Tea situation in 2015

Production: Total tea production during 2015 increased by 109 M.Kgs as compared to the year 2014. It may be seen from Table-3 that black tea production reduced in all producing countries except marginal increase in India. However, China production was increased by 182 M.Kgs which shows increase in Green tea production.

Table-3:Tea production in major tea producing countries (MKgs)

Country	2015	2014	> over 2014
India	1209	1207	2
Sri Lanka	329	338	-8
Kenya	399	445	-46
China	2278	2096	182
Others	1090	1110	-20
Total	5305	5196	109

Source; ITC Annual Bulletin of Statistics 2016 (except India)

Exports: Total global exports in 2015 decreased by 27 million Kgs over 2014 (Table-4). However, India and China retained their leading position in the same order.

Table-4: Exports of major producing countries (Million Kgs.)

Country	2015	2014	> over 2014
Kenya *	**443**	**499**	**-56**
China	**325**	**302**	**23**
Sri Lanka	**301**	**318**	**-17**
India	**229**	**207**	**22**
Others	**507**	**506**	**1**
Total world Exports	**1805**	**1832**	**-27**

Source; ITC Annual Bulletin of Statistics 2016 (except India)

* Kenya's export include the neighboring African countries produce

Tea Prices:

The international tea prices remained stable during 2015. Average auction prices in India, Mombasa, Chittagong and Limbe were higher than the levels of 2014 except at Sri Lanka and Jakarta auction centre (Table-5).

Table-5: Tea prices during 2015 in respective currencies per kg

Auction Center	2014	2015	>/< over 2014
India	126.88	124.48	-2.40
North India			
Kolkata Rs	161.40	158.35	-3.05
Guwahati Rs	139.41	138.90	-0.51
Siliguri Rs	125.55	119.89	-5.66
South India			
Kochi Rs	101.70	99.30	-2.40
Coimbatore Rs	80.41	77.08	-3.33
Coonoor Rs	73.06	72.41	-0.65
Bangladesh			
Chittagong Taka	177.30	187.16	-9.86
Sri Lanka			
Colombo Sl.Rs	461.35	402.14	59.21
Indonesia			
Jakarta US $ c	165.70	156.15	9.55
Kenya			
Mombasa US $ c	203.00	273.00	70.00
Malawi			
Limbe US $ c	142.89	156.09	-13.20

(Source; ITC Annual Bulletin of Statistics 2016 except Indian auction)

Indian Tea Scenario

In India tea is cultivated in 15 states of which Assam, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala are the major tea growing states. They account for 97% of the total production. Other traditional states where tea is grown are Tripura, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar and Karnataka. The non-traditional states that have entered the tea map of India include Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, and Sikkim.

World's finest teas like Darjeeling, Assam, Nilgiris and Kangra which are famous for their delicate flavor, strength and brightness are produced in India. With diverse agro climatic conditions, India produces medley of teas suited to different tastes and preferences of consumers. The characteristics of each region are distinct, which sets them apart from one another in many different ways.

Production: During 2015-16, overall tea production increased by 36.00 m.kg over 2014-15 because of better climatic conditions that prevailed in major tea growing areas in North India. (Table-6).

Table-6 Production of Tea in India (in Million Kgs)

Calendar Year	North India	South India	All India	Financial Year	North India	South India	All India
2013	958.62	241.79	1200.41	**2013-14**	965.07	243.71	1208.78
2014	965.2	242.11	1207.31	**2014-15**	955.82	241.36	1197.18
2015	981.09	227.57	1208.66	**2015-16**	1008.56	224.58	1233.14

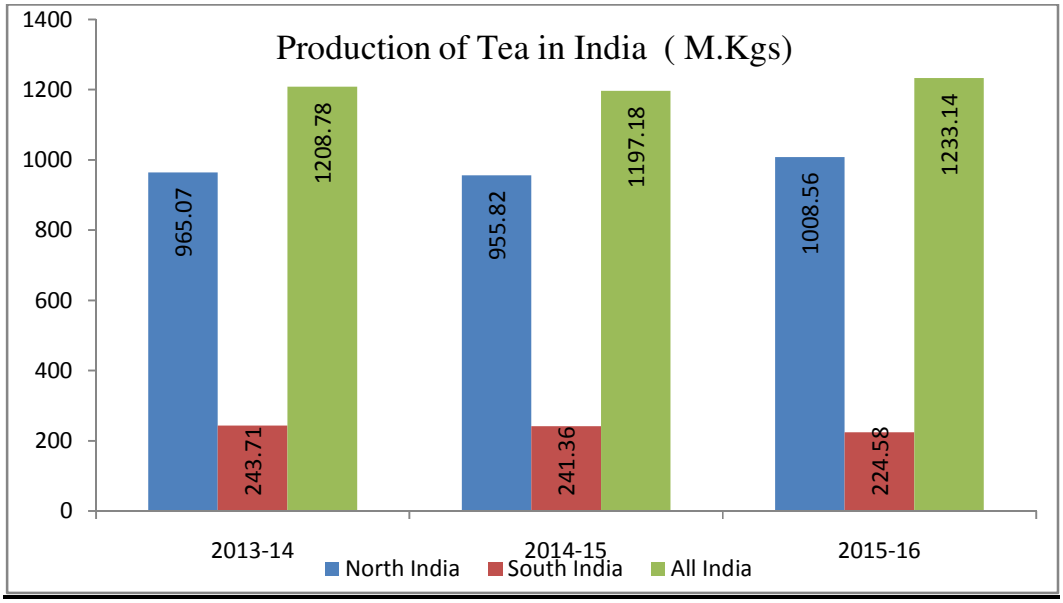

Exports: Tea exports from India during both calendar and financial year were up by 21.22M.Kgs., and 33.84M.Kgs., respectively with increase in price realization compared to previous year. (Table-7)

Table-7: Exports of Tea from India during the last 3 years
Qty= Million Kgs; Value=Rs. In crores U.P= unit price in Rs./kg

Calendar Year	Qty.	Value	U.P.	Financial Year	Qty.	Value	U.P.
2013	219.06	4355.23	198.81	**2013-14**	225.76	4509.09	199.73
2014	207.44	4054.02	195.43	**2014-15**	199.08	3823.64	192.07
2015	228.66	4355.32	190.47	**2015-16**	232.92	4493.10	192.90

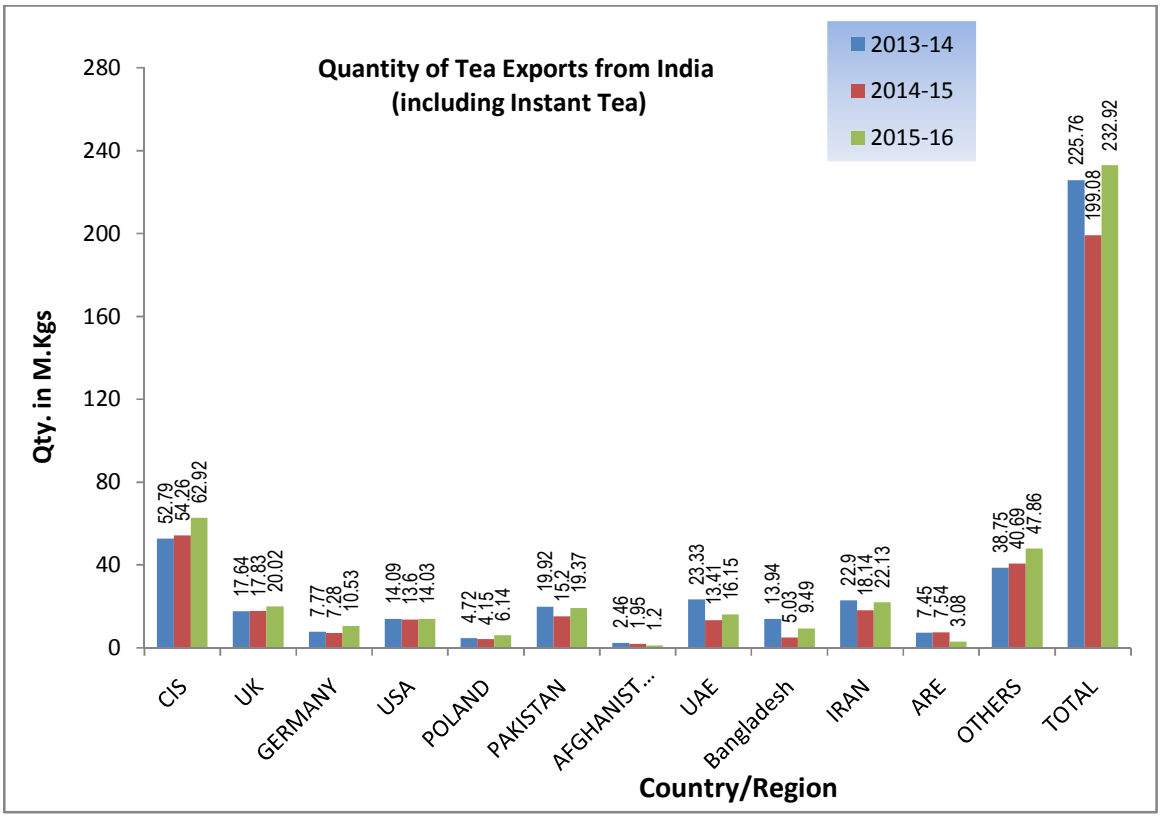

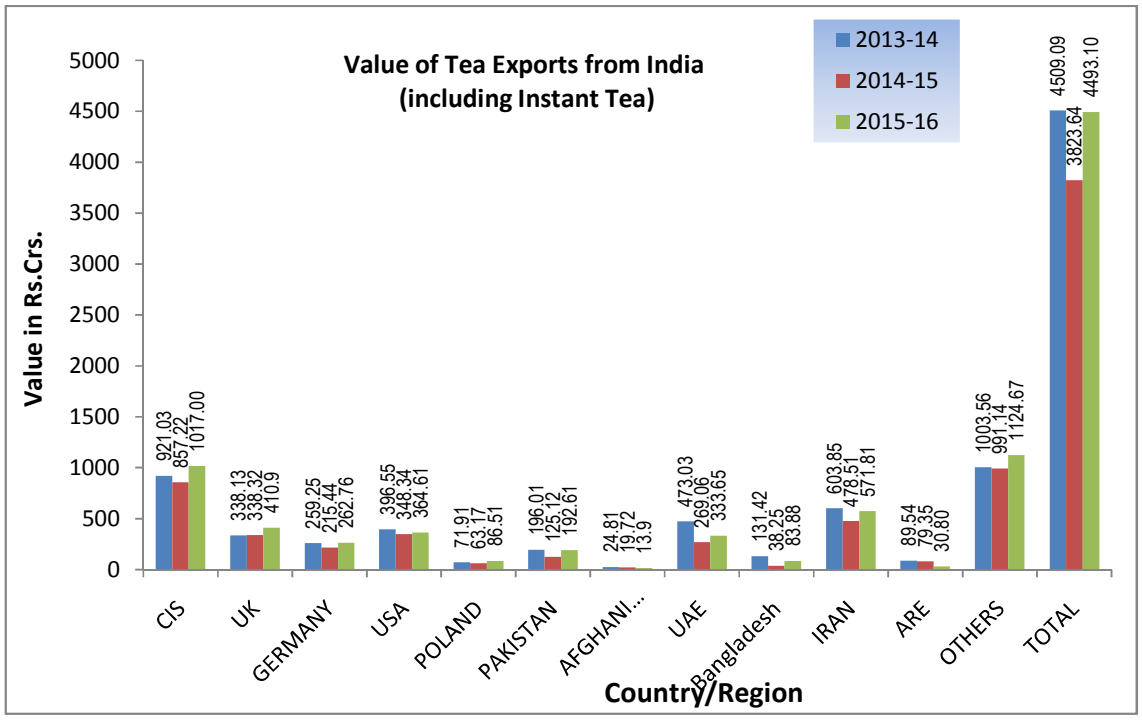

Quantity of Tea Exports from India
(including Instant Tea)
2013-14
2014-15
2015-16
Qty. in M.Kgs
280
240
200
160
120
80
40
0
52.79
54.26
62.92
17.64
17.83
20.02
7.77
7.28
10.53
14.09
13.6
14.03
4.72
4.15
6.14
19.92
15.2
19.37
2.46
1.95
1.2
23.33
13.41
16.15
13.94
5.03
9.49
22.9
18.14
22.13
7.45
7.54
3.08
38.75
40.69
47.86
225.76
199.08
232.92
CIS
UK
GERMANY
USA
POLAND
PAKISTAN
AFGHANIST...
UAE
Bangladesh
IRAN
ARE
OTHERS
TOTAL
Country/Region

Value of Tea Exports from India
(including Instant Tea)
2013-14
2014-15
2015-16
Value in Rs.Crs.
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
921.03
857.22
1017.00
338.13
338.32
410.9
259.25
215.44
262.76
396.55
348.34
364.61
71.91
63.17
86.51
196.01
125.12
192.61
24.81
19.72
13.9
473.03
269.06
333.65
131.42
38.25
83.88
603.85
478.51
571.81
89.54
79.35
30.80
1003.56
991.14
1124.67
4509.09
3823.64
4493.10
CIS
UK
GERMANY
USA
POLAND
PAKISTAN
AFGHANI...
UAE
Bangladesh
IRAN
ARE
OTHERS
TOTAL
Country/Region

Exports over last three years in different forms (Tables 08 to 11)

Table-8: Bulk Tea Export

Year	Quantity (M.Kgs.)	Value (Rs Crs.)	Unit Price (Rs /Kg)
2013-14	199.55	3534.36	177.13
2014-15	173.28	2938.58	169.58
2015-16	206.12	3522.33	170.89

Table-9: Packet Tea Export

Year	Quantity (M.Kgs.)	Value(Rs Crs.)	Unit Price (Rs /Kg)
2013-14	12.36	351.39	284.30
2014-15	13.15	343.35	261.08
2015-16	12.59	347.71	276.14

Table-10: Tea Bags Exports

Year	Quantity (M.Kgs.)	Value(Rs Crs.)	Unit Price (Rs /Kg)
2013-14	10.27	448.21	436.43
2014-15	10.15	423.42	417.20
2015-16	10.40	435.24	418.46

Table-11: Instant Tea Exports

Year	Quantity (M.Kgs.)	Value(Rs Crs.)	Unit Price (Rs /Kg)
2013-14	3.59	175.13	487.83
2014-15	2.50	118.29	474.11
2015-16	3.81	187.82	493.09

Primary Marketing:

The different modes through which the tea gardens sold their teas over the last three years and the average price fetched in public auctions are shown in Table-12& 13.

During the year under report 46% of total tea produced in the country was sold through public auctions, increased to last year and the remaining through other modes.

Table-12: Mode of disposal of Teaproduced India

Year	Qty. of tea sold through Auction	Ex-garden export under forward contract	Ex-garden private sale
2013	532 (44.33)	90 (7.50)	578 (48.17)
2014	542 (44.90)	61 (5.05)	604 (50.05)
2015	562 (46.48)	62 (5.13)	585 (48.39)

(Volume in Million Kgs. Figures in brackets denote % to the total production)

Table-13: Average price Rs per kg of tea sold through Auctions

Calendar Year	North India	South India	All India	Financial Year	North India	South India	All India
2013	139.95	98.75	128.46	2013-14	137.61	95.82	126.12
2014	143.07	82.89	126.88	2014-15	141.46	81.15	125.59
2015	139.79	81.40	124.48	2015-16	142.91	85.64	127.62

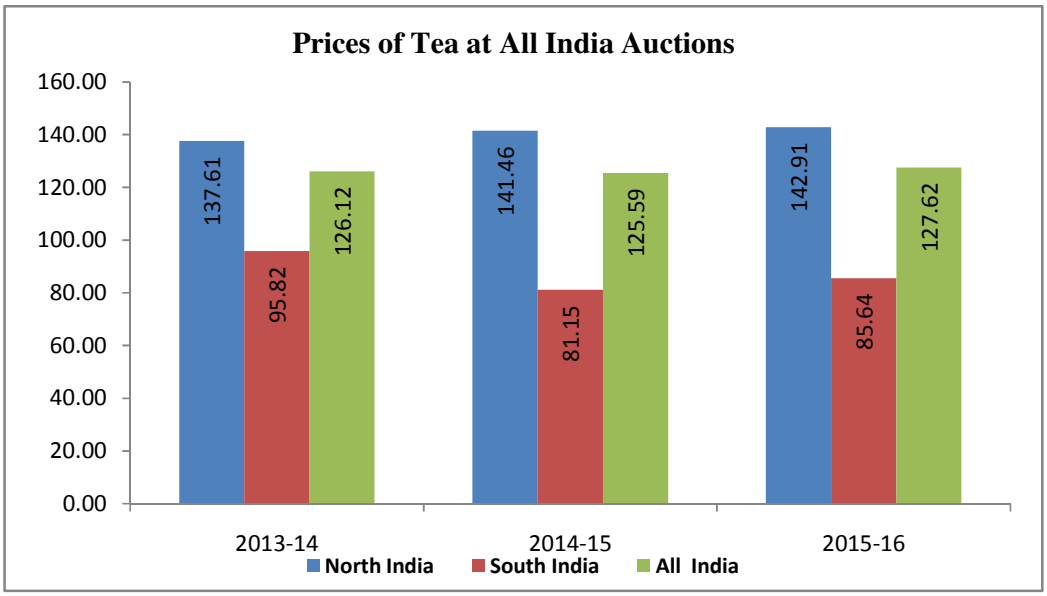

Domestic Retention:

The estimated domestic retention of tea for the year 2015-16 was around 1018 M.Kgs. as against 1019 M.Kgs in 2014-15.

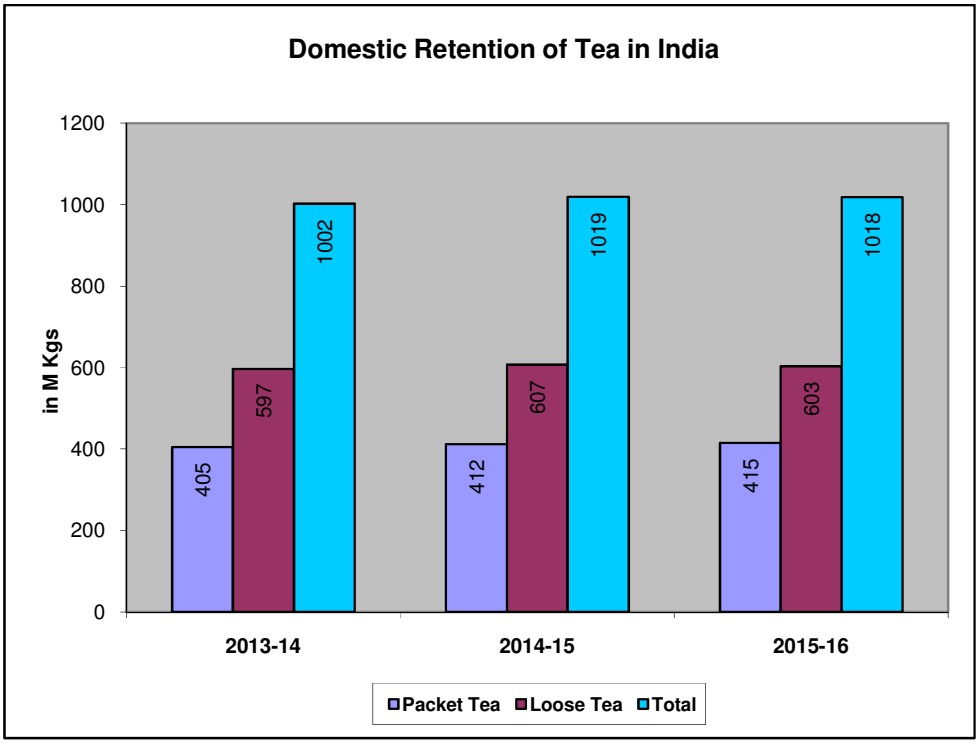

FINANCE

Introduction

As per Sections 25 and 26 of Tea Act the proceeds of tea cess levied and collected by Central Excise Department on all teas made in the country get credited to the Consolidated Fund of India and Central Government as deemed necessary provides funds to the Board under Annual Budget of Ministry of Commerce & Industry. At present the rate of cess charged on Darjeeling and other than Darjeeling varieties of made teas are @ Re. 0.20 per kg and Re. 0.50 per kg respectively with effect from 1st June 2011 in terms of the enabling provision contained in Section 25 of the Tea Act.

The other major sources of income of the Board are the plan funds by way of grants & subsidy released to it by the Government of India under Section 26 A of the said Act. The Board also has some other minor sources of revenue generation such as fees on licenses, interest on loans& advances and miscellaneous receipts such as sale of liquid tea,sale of green leaves, sale of application forms and other publications etc. Proceeds on such accounts go to IEBR.

Thus, all funds available to the Tea Board under Section 25 and 26 A of the Tea Act are routed through the medium of the Annual Union Budget. Such funds are then applied to the functions of the Board as enshrined in Section 10 of the Tea Act subject to the delegation of financial powers of the Government and/ or under the provision of the Act and subordinate legislation thereto.
The Budget of the Board comprises of two constituent elements viz. Non-plan and plan.

Cess Proceeds

The collection of cess during the year under review was Rs. 5286.00 lakh as per receipt budget of Department of Revenue, Ministry of Finance. During the year 2015-16 an amount of Rs.5245.50 lakh (excluding opening balance) was released by the Government towards proceeds of cess under section 26 of Tea Act,1953 as Non-Plan contribution to the Tea Board.

Research & Development Grants

During the year 2015-16, a sum of Rs. 1550.00 lakh was received from Government towards Research and Development Grants.

Research (Aside)

During the year no amount was received from Govt. under this head. However, there was an opening balance of Rs. 50.00 lakh.

Subsidy

A sum of Rs. 11150.00 lakh was received from Govt. towards subsidy during the year.

Special Purpose Tea Fund - Capital

During the year, no amount was received from Govt. towards SPTF Capital Contribution.

NON-PLAN RECEIPTS &EXPENDITURE

A. Receipts

Receipts during the year 2015-16 under different heads of Non –Plan are as under:

(Rs. in lakh)

Money received under Section 26 of Tea Act	5245.50
Fees realized on account of licenses/ TMCO 2003	21.08
Fees realized on account of HACCP	00.00
Miscellaneous Receipts including sale of liquid tea, sale of green leaves, sale of publications, interest on fixed deposit etc.	568.38
Interest on Advance	6.66
Registration fees realized on account of DCTM, Assam Trade Mark, Nilgiri Trade Mark & Logo Administration	20.80
Other Receipts	128.22
TOTAL	5990.64

B. Expenditure

Non-Plan Expenditure during the year 2015-16 was as under:

(Rs. in lakh)

Administration including Library	2720.53
Tea Promotion in India	449.64
Tea Promotion outside India	46.96
Pension including Gratuity	1715.36
Advances to Employees	(-)10.35
Employer's contribution to New Pension Scheme	85.01
Works	7.48
Other Administration Expenses	473.36
Loan Payment	493.18
Fixed Assets Purchased	9.53
TOTAL	**5990.70**

C.Expenditure- Research & Development Grants.

(Rs. in Lakh)

Grant in aid to TRA /UPASI	1252.39
Research Grant to IHBT	34.85
Research Grant to Other Institutes	10.49
Expense in coonoor	19.78
Financial Support to AAU	3.00
Financial Support to CSKHPKV	5.06
Financial Support to NBU	2.98
Financial Support to SU	1.36
Upgradation of DTR & DC	58.24
Workshop / Seminbar etc.	3.16
Salary to Contractual Staff (HO)	4.92
QCL Siliguri Expenses	73.66
Research Project other than TRA/UPASI	40.03
Evaluation & Monitoring	8.86
Other miscellaneous expenditure	56.35
Total	**1575.13**

D. Expenditure- Subsidy

(Rs. in lakh)

Plantation Subsidy Scheme	4900.90
Quality Up-gradation & product Diversification Scheme	360.03
Human Resource Development Scheme	491.84
Orthodox Tea Production Subsidy Scheme	3007.44
Market Promotion Scheme	1432.74
Scheduled Caste Sub Plan	260.92
SGDD	545.12
NPTR	125.01
TOTAL	**11124.00**

E. Expenditure – Research Scheme (Aside)

(Rs. in Lakh)

Expenditure	33.96
TOTAL	33.96

F. Expenditure – L O A N Scheme

(Rs. in lakh)

Revolving Corpus Fund For Loan Scheme	460.15
SPTF	3706.19
TOTAL	4166.34

TOTAL EXPENDITURE ON PLAN DURING THE YEAR 2015-16

= (C +D + E) = Rs.12733.09 lakh

Tea Development

Introduction:

One of the primary functions of Tea Board is to bring about improvement in tea production, productivity, quality up gradation, value addition, change of product mix, capacity building of small growers to move up in the value chain, improving skills at all levels from workers to managers etc.

Development Committee:

The Development Committee of the Board guides in its capacity as an Advisory body The Board is assisted towards implementation of the various developmental activities by the Development Committee of the Board which comprised of the following members during the year under report :

1. Shri. S. Sarangi, Chairman, Tea Board, Ex-officio Chairman of the Committee
2. Shri P. Nagarajan, Hon'ble Member of Parliament
3. Shri D. Hegde, The Nilgiris, Tamil Nadu
4. Shri Dilip Moran, Hon'ble Member of .Legislative .Assembly, Assam
5. Shri P. Mohanan, Kerala- Member
6. Vacant
7. Vacant

During the year under report the Development Committee met on the following date:

Meeting Number	Date of the meeting	Place
227th of the Board	9th February, 2016	Kolkata

XII plan scheme of Tea Board:

Modalities of Tea Board's Tea Development and Promotion Scheme were approved by the Government for implementation w.e.f. 10.12.2014. Prior to this date, the applications received under different plan schemes from 1st April 2012 onwards were processed in accordance with the XI plan guide lines as per Government order upto 30.10.2014. For the applications received during this interim period a letter was sent to the Government for continuation of XI plan guidelines till 09.12.2014.

The approved outlay for XII plan Tea Development & Promotion Scheme covering different components is furnished below:

Table 1

Sl. No.	Activity	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	Total
1	**Plantation Development**						
1		63.5	70	80	90	96.5	**400**
2	**Quality Up-gradation and Product Diversification including Orthodox Production**						
2		52.5	38.25	65.35	69.45	74.45	**300**
3	**Market Promotion**						
3		22.75	32.35	47.7	49.3	47.9	**200**
4	**Research and Development**						
4		10.85	26	43.15	38	32	**150**
5	**Human Resource Development**						
5		**10.4**	**17.4**	**33.7**	**44.25**	**44.25**	**150**
6	**Small Grower's Development**						
6		0	5	54	65	76	**200**
7	**National Programme of Tea Regulation**						
7		0	1	10	7	7	**25**
Total		**160**	**190**	**333.9**	**363**	**378.1**	**1425**

The following components of the Tea Development & Promotion Scheme were implemented during the year under review**.**

Table 2

Sl. No	Name of the component	Financial Outlay (Amount Rs. In Crore)	Actual Received (Amount Rs. In Crore)
1	Plantation Development	**90.00**	**52.42**
2	Quality Up-gradation and Product Diversification including Orthodox production	**69.45**	**29.94**
3	Developmental of Small Growers	**65.00**	**5.02**

Physical and Financial achievements

The year 2015-16 marks the 4th Year of the XII Plan. The physical and financial achievements during the year under report of the aforementioned schemes were as under:

1. Plantation Development:

The main objective is to increase production and field productivity and quality of Tea by encouraging replantation/ replacement planting/ rejuvenation pruning/ extension planting/ irrigation and mechanisation. The nature of financial assistance that was made applicable and extended to the beneficiaries are as under:

Table 3

Replanting & Replacement Planting (Rs./ha)					
A. Conventional					
Sl No	**Region**	**Unit Cost**	**Subsidy @30%**	**1st Installment @ 60% of Subsidy**	**2nd Installment @ 40% of Subsidy**
1	Assam	633790	190137	114082	76055
2	Dooars&Terai	648775	194633	116780	77853
3	Cachar	544840	163452	98071	65381
4	Tripura	493224	147967	88780	59187
5	Darjeeling	873615	262085	157251	104834
6	Tamil Nadu Karnataka.	820188	246056	147634	98423
7	Kerala	853288	255986	153592	102395
B. Organic cultivation					
25% more than the conventional rate					
New Planting (Rs./ha)					
A. Conventional					
Sl no	**Region**	**Unit Cost**	**Subsidy @25%**	**1st Installment @ 60% of Subsidy**	**2nd Installment @ 40% of Subsidy**
1	Assam	633790	158448	95069	63379
2	Dooars&Terai	648775	162194	97316	64878
3	Cachar	544840	136210	81726	54484
4	Tripura	493224	123306	73984	49322
5	Darjeeling	873615	218404	131042	87362
6	Tamil Nadu &Karnataka	645055	161264	96758	64506
7	Kerala	662055	165514	99308	66206

B. Organic			
25% more than the conventional rate			
Rejuvenation (Rs./ha)			
Unit Cost	**Subsidy@30%**	**1st Installment @ 60% of Subsidy**	**2nd Installment @ 40% of Subsidy**
203794	61138	36683	24455
Irrigation			
Unit Cost		Subsidy	Installment
Capital cost not exceeding Rs.80000/ha with the ceiling limit of 200 ha per garden in the plan period		25% of the actual cost	One installment
Field Mechanization			
Actual Cost	25% of the actual cost	One installment	

Physical and Financial Achievements under PDS during 2015-16.

Table 4

	Target		**Achievement**	
Activities	**Physical (Ha/No)**	**Financial (Amount in crore)**	**Physical (Ha/No)**	**Financial (Amount in Crore)**
Replanting /Replacement Planting (Ha.)	9000	46	3282.32	39.58
Rejuvenation (Ha.)	1500		327.89	1.40
New Planting (Ha)	1500		0.26	0.0034
Irrigation (Ha)	1000		14343.70	7.48
Field mechanisation(No.)	__		25	0.37
Total				48.83

State wise Physical and Financial achievement under PDS during 2015-16
Replanting, Replacement Planting & Rejuvenation
Table 5

	Replanting			Replacement Planting			Rejuvenation			Total
State	**No**	**Area (Ha.)**	**Amount (Rs. in Lakhs)**	**No**	**Area (Ha.)**	**Amount (Rs. in Lakhs)**	**No**	**Area (Ha.)**	**Amount (Rs. in Lakhs)**	**Amount (Rs. in Lakhs)**
Assam	211	2112.44	2626.16	25	324.11	318.77	16	140.57	67.98	3012.91
Tripura	1	4.66	6.44	-	-	-	3	13.78	2.33	8.77
West Bengal	44	702.22	769.95	2	52.96	40.18	6	46.16	10.59	820.72
Karnataka	1	13.84	22.20	-	-	-	-	-	0.57	22.77
Kerala	6	31.33	114.68	-	-	7.88	2	35.83	15.03	137.59
Tamil Nadu	4	40.76	52.18	-	-	0.00	3	73.43	36.47	88.65
Himachal Pradesh	-	-	-	-	-	-	3	18.12	6.90	6.90
Grand Total	**267**	**2905.25**	**3591.61**	**27**	**377.07**	**366.84**	**33**	**327.89**	**139.87**	**4098.32**

State wise Physical and Financial achievement under PDS during 2015-16
Irrigation, New Planting & Field mechanization
Table 6

State wise Physical and Financial achievement under - 2015-16									
	Physical					**Financial**			
State	**Irrigation**		**New Planting**		**Field mechan -isation**	**Irrigation**	**New Planting**	**Field mechan -isation**	**Total**
	No.	**Area (Ha.)**	**No.**	**Area (Ha.)**	**No.**	**Amounts in lakhs.**	**Amount Rs. in lakhs.**	**Amount Rs. in lakhs.**	**Amount Rs. in lakhs.**
Assam	76	8724.51	-	-	1	476.18	-	6.24	482.42
Cachar	25	2192.47	-	-	1	147.27	-	0.37	147.64
Tripura	1	37.21	-	-	1	1.97	-	0.29	2.26
West Bengal	25	2733.94	-	-	-	101.46	-	-	101.46
HO-West Bengal	6	655.57	-	-	-	20.78	-	-	20.78
Tamil Nadu	-	-	-	-	16	-	-	21.34	21.34
Kerala	-	-	-	-	5	-	-	8.72	8.72
Himachal Pradesh	-	-	1	0.26	1	-	0.34	0.2850	0.63
Grand Total	**133**	**14343.70**	**1**	**0.26**	**25**	**747.66**	**0.34**	**37.25**	**785.25**

2. Quality Up-gradation and Product Diversification including Orthodox Production:

The main objective of the scheme is to enhance the quality of made by way of giving incentives for modernization of tea manufacturing units, warehouses, units dealing with value addition of tea such as blending, packing, tea bagging, flavor tea, setting up of specialty tea units/ orthodox or green tea manufacturing units to acquire quality certifications, organic tea production and production of orthodox/green tea. The nature of financial assistance that was made applicable and extended to the beneficiaries are as under:

Table 7

Sl.No	Activity	Remarks
1	Factory Modernization by replacement of the old, worn out tea machineries of XI Plan/ large scale modernization initiatives during XII plan period	**For XI Plan spill over cases:** @ 25% of total value or Maximum ceiling limit up to Rs.25 lakhs whichever is lower **For XII Plan cases:** i) minimum investment on any single machinery item shall not be less than Rs.5 lakhs; ii)) the minimum investment to be made in a year shall not be less than Rs.25 lakhs iii) the total subsidy payable @25% shall not exceed Rs150 lakhs for the entire plan period v) For procurement and installation of machinery for manufacturing orthodox tea in 100% CTC factories subsidy shall be paid @40%subject to aforementioned conditions.
2	Value addition by way of creating additional infrastructure for cleaning, blending, color sorting, packaging etc	Subsidy @ 40% on the actual cost provided the minimum investment on modernization is not less than Rs. 25 Lakh , subject to a ceiling of Rs.150 Lakhs per factory for the period of 5 years.
3	Setting up of new factories for production of green tea, orthodox tea and specialty teas etc (product diversification):	Subsidy @ 40% of the actual cost of plant and machinery (except land cost) subject to a ceiling of Rs 200lakhs/factory for the entire plan period.
4	Quality assurance certification for ISO/HACCP and Organic Tea	Quality certification viz., for HACCP, certification for ISO 22000 and other food safety standard certifications. Subsidy @ 50% of the certification fee subject to a ceiling of Rs. 1.00 lakh per certificate including renewals per annum.
5	Warehousing for proper storage of tea	Construction of new warehouse or creation of additional space in the existing warehouse / renovation / allied infrastructure / weighing scales / weighing bridge/ forklifts/ cargo lifts etc., Subsidy @ 25% on the actual cost provided the minimum investment is not less

		than Rs. 25 Lakh , subject to a subsidy ceiling of Rs.150 Lakhs per warehouse for the period of 5 years.
6	Incentive for orthodox and Green tea production	Subsidy at uniform rate of Rs.3 per kg of actual production for both leaf and dust grades. For incremental production, the incentive will be determined by taking into account the moving average production over the five years immediately proceeding the application year which will be treated as base production. If the actual production in the applied year is more than this base production, the difference is treated as increment volume eligible for additional incentive.

Physical and Financial Achievements under QUPDS during 2015-16
Table 8

A.QUPDS	Target		Achievement	
Activities	Physical (Million Kg/No)	Financial (Amount in Crore)	Physical (Million Kg/No)	Financial (Amount in Crore)
Factory Modernisation	160	43	15	1.34
Value Addition	12		16	2.00
Certification	100		45	0.16
Administrative Charges etc for QUPDS	NA		NA	NA
Sub-Total QUPDS	NA		76	3.5
B. Orthodox Tea Production Subsidy Scheme	115		Achievement	
Coonoor			43.62	13.09
Guwahati			46.71	14.02
HO/Palampur			2.41	0.72
Siliguri			5.86	1.76
Administrative charge etc for Orthodox subsidy Scheme	NA	NA	NA	NA
Sub-Total Orthodox	115	NA	98.60	29.58
Grand Total(A+B)	387	43	174.60	33.08

State wise Physical and Financial achievement under QUPDS for the F Y 2015-16
Table 9

QUPDS	Factory modernisation		Value addition		Setting up of new factories		Certification		Total	
State Name	No.	Amount (Rs. in Lakhs.)	No.	Amount (Rs. in Lakhs.)	No.	Amount (Rs. in Lakhs.)	No.	Amount (Rs. in Lakhs.)	No.	Amount (Rs. in Lakhs.)
Assam	8	55.74	10	112.01	0	0	28	9.35	18	177.10
Tripura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
West Bengal	-	-	2	28.42	-	-	-	-	2	28.42
Head Office (WB)	7	78.15	1	15.12			13	4.49	21	97.75
Tamilnadu	-	-	1	25.00	-	-	-	-	1	25.00
Kerala	-	-	2	19.69	-	-	-	-	2	19.69
Karnataka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Himachal Pradesh	-	-	-	-	-	-	2	1.36	2	1.36
Uttarakhand	-	-	-	-	-	-	2	0.73	2	0.73
Total	15	133.89	16	200.24	0	0	45	15.92	48	350.05

State wise Physical and Financial achievement under ORPD for the F Y 2015-16
Table 10

ORPD	Orthodox		
State Name	**No.**	**Prod.(MKG)**	**Amount (Rs. in Lakhs.)**
Assam	361	46.4	1391.89
Tripura	2	0.30	9.18
West Bengal	80	5.865	175.95
Head Office (West Bengal)	15	1.61	48.28
Tamilnadu	88	31.62	948.47
Kerala	35	12	360.12
Karnataka	-	-	-
Himachal Pradesh	38	0.8	24.04
Uttarakhand	4	0.0164	0.4912
Total	**623**	**98.60**	**2958.421**

Closed Tea Estates:

The key reasons for sickness / closure can be attributed to :

- Poor yield
- Ageing bush profile and high vacancy
- Negligible (usually nil) uprooting / replanting
- Poor garden management practices
- Falling quality and price realizations
- Uneasy (though usually not volatile) industrial relations scenario
- Overall lack of development perspective
- Highly debt oriented funding strategy
- Ownership disputes

During the year under review the gardens that were closed are as under:

Closed Tea Estates					
No	**Name of the T.E**	**Plantation region/ State**	**Date of closure**	**No. of Workers including permanent & temporary**	**Remarks**
1	Dheklapara	Dooars, West Bengal	11.03.2006	804	The estate was officially liquidated by the Hon'ble Calcutta High Court. The garden was put up for e-auction by the Hon'ble Calcutta High Court (Official Liquidator) on 11th May,2012, but no prospect buyer was available.
2	Bundapani	Dooars West Bengal	13.07.2013	1283	The State Govt. has taken possession of the land on 15th Oct,2014, on expiry of lease of land.
3	Dharanipur	Dooars West Bengal	19.10.2013	807	The State Govt. has taken possession of the land on 18th Nov,2014.
4	Redbank	Dooars West Bengal	19.10.2013	1588	The State Govt. has taken possession of the land on 21st Nov,2014, on expiry of lease of land.
5	Surendranagar	Dooars West Bengal	19.10.2013	451	The State Government has cancelled the Land Lease by an order dated 14/11/2014 and the Land has been taken over by the state Government on 13.01.2015.
6	Madhu	Dooars West Bengal	23.09.2014	947	As per unofficial information, the process of sale of the property is under process.

Tea Estates under suspension of work					
7	Panighata	Terai, West Bengal	10.10.2015	787	Suspension of work due to workers' demand for puja bonus and demonstration.
8	Rahimabad	Dooars, West Bengal	5.1.2016	669	Suspension of work due to workers' demand for bonus and demonstration.

Major Events:

Stakeholders Consultations On Tea Sector at Siliguri, West Bengal: A meeting of different Stakeholders of the Tea Sector was held under the Chairmanship of Smt. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister of State (Independent Charge), Commerce & Industry, Government Of India, at Siliguri on 17th May 2015 to review development in the tea sector and recommend a course of action for future growth in consultation with the stakeholders on various issues. The meeting was organized by the Department of Commerce, Govt. of India and the Tea Board of India.

Stakeholders' consultations on closed/stressed tea plantations of West Bengal held at Siliguri : A meeting of Government Officials, Bankers, Closed Tea Estates and Producers' Associations of TEA Sector was held under the Chairmanship of Smt. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister of state (independent charge), Commerce & Industry, government of india, at Siliguri on 4th January, 2016, to review the state of development in the closed/stressed tea plantations and recommend a course of action for future growth in consultation with the stakeholders on various issues. The meeting was organized by the Department of Commerce, Govt. of India and Tea Board, India.

3.Small Grower Development Directorate:

The small tea growers have emerged as an important sector contributing nearly one third of the country's production of made tea. Considering growing contribution of the small grower sector and for increased attention for overall development of Small Growers, a separate Directorate, named Small Grower Development Directorate has been set up by Tea Board during April 2013 and became functional with the Headquarters at Dibrugarh, Assam. There are 67 sub-regional offices (SRO) in all the major areas where small growers are concentrated.

Details of Sub Regional Offices and Regional Offices under SGDD:
Table 11

Regions / Sectors	SROs headed by Development Officers	SROs headed by Factory Advisory Officers	Setups headed by Assistant Directors of Tea Development (ADTDs)	Sector-wise Total
North Eastern Region	29	9	7	45
North Indian Region	1	Nil	Nil	1
North Bengal-Bihar Region	11	4	2	17
South Indian Region	1	Nil	3 (Regional Offices Kotagiri, Kundah & Gudalur under SGDD remittance arrangement)	4
Grand Total				**67**

State wise breakup of offices under SGDD:
Table 12

Sl. No.	State	Total
1	Assam	39
2	Tripura	3
3	Mizoram	1
4	Arunachal Pradesh	1
5	Meghalaya	1
6	West Bengal	15
7	Bihar	2
8	Uttarakhand	1
9	Tamil Nadu	3
10	Kerala	1
	Grand total	**67**

The presence of Board extended to the tea clusters through the SROs have touched upon tea farming communities' life in an all pervasive manner, through the spread, closer interface, the whole STG fraternity has benefitted, including the BLF sector and other stakeholders.

The Small Grower Development Directorate has been functioning with the following mandates:

- ✓ Enumeration and issue of smart cards to each and every small grower in the country.

- ✓ Empowerment or capacity building through imparting training programmes on good agricultural practices (GAP) in the field and Good Manufacturing Practices (GMP) in the factories to ensure quality tea production and higher remunerative prices for a secured livelihood of growers and workers employed in field and factories.
- ✓ To promote collective farming among growers and to build up their bargaining capacity in marketing their produce. Prime emphasis is given for formation of Self Help Groups. and Producers Societies and

The Regulatory functions include the following:

- ✓ Registration of small holdings and Bought Leaf Factories.
- ✓ Implementation of Quality norms, minimum Green Leaf price and Price sharing formula.
- ✓ Implementation of Tea Marketing Control Order(TMCO) and Tea Waste Control Order(TWCO)
- ✓ Implementation of the schemes under the Plan schemes for the small Tea sector.
- ✓ To emerge as a resource centre for undertaking marketing and feasibility studies. To provide input to governmental policy making regarding the issues related to STGS.

In an effort to provide more focused and tailor made services for extending all possible assistance a separate component “Small Tea Grower Development” under Tea Development &Promotion Scheme has been approved in the XII plan. The nature of financial assistance that was made applicable and extended to the beneficiaries are as under:

Table 13

New Planting (Rs./ha)					
Conventional					
Slno	Region	Unit Cost	Subsidy @25%	1st Installment @ 60% of Subsidy	2nd Installment @40% of Subsidy
1	Assam	633790	158448	95069	63379
2	Dooars &Terai	648775	162194	97316	64878
3	Cachar	544840	136210	81726	54484
4	Tripura	493224	123306	73984	49322
5	Darjeeling	873615	218404	131042	87362
6	Tamil Nadu &Karnataka	645055	161264	96758	64506
7	Kerala	662055	165514	99308	66206

Organic					
25%morethan the conventional rate					
Replanting (Rs./ha)					
Conventional					
Slno	Region	Unit Cost	Subsidy @30%	1st Installment @ 60% of Subsidy	2nd Installment @ 40% of Subsidy
1	Assam	633790	190137	114082	76055
2	Dooars &Terai	648775	194633	116780	77853
3	Cachar	544840	163452	98071	65381
4	Tripura	493224	147967	88780	59187
5	Darjeeling	873615	262085	157251	104834
6	Tamil Nadu & Karnataka	645055	193517	116110	77407
7	Kerala	662055	198617	119170	79447

Organic			
25% more than the conventional rate			
Rejuvenation (Rs./ha)			
Unit Cost	Subsidy@30 %	1st Installment @ 60% of Subsidy	2nd Installment @ 40% of Subsidy
20374	61138	36683	24455

Irrigation		
Unit Cost	Subsidy	Installment
Capital cost not exceeding Rs.80000/ha	40% of the actual cost	One installment
Field Mechanization		
Actual Cost	25% of the actual cost	One installment

Table 14

Self Help groups		
Sl No.	**Item**	**Remarks**
1	Revolving fund for field inputs	Ceiling limit of Rs.15,000 per ha.
2	Capital cost for Input Storage godown and office.	Ceiling limit of Rs.100,000per SHG
3	LeafCollectionShed@1 Shed for every5000kgleaf harvested in a day.	100% of the actual cost or the Maximum ceiling amount of Rs. 50,000/shed whichever is lower
4	Two weighing scales per SHG.	100% of the actual cost or the maximum ceiling amount of Rs. 3500/- whichever is lower
5	Plastic crates and nylon carry bags for carrying the green leaf .	Plastic crate @ Rs. 300/- for each crate and Rs. 40/- for each nylon bag. The number of crates will be limited @ 1 crate for every 20 kg of green leaf handled in a day and nylon bags @1 bag for every 15 kg of green leaf.
6	Pruning Machines @one pruning machine for every 10 Ha of tea area owned by the members of the SHG.	100% of the actual cost or the maximum ceiling amount of Rs. 40,000/ machine whichever is lower
7	Transport Vehicle (Tractors/ Trailers/ LCV @ one vehicle for every 2000 Kg. of green leaf handled (during June to Sept.).	@ 50% subsidy on actual cost.
8	Harvesting Machine.	@1 machine for every 10 ha owned by the members of SHG. 50% of the actual cost of the machine to be provided as subsidy.
9	For setting up new factory by SHG/ or Co-operative / Producers Company.	Subsidy will be provided @4 0% of the actual cost of plant and machineries with overall ceilinglimitofRs.200 Lakhs per factory.
10	Desktop Computer for maintaining records of the society	One Desktop computer along with one printer and other accessories / peripherals for each society. Subsidy limited to 80% of the actual cost subject to a ceiling of Rs.40,000.

11	Tea Nursery grant	Tea nursery grant @Rs. 2 per plant to be raised by SHG
12	Welfare of labourers attached to member growers of the SHG.	Support for the welfare of the labourers of STG and their dependents. This will comprise: i) Group insurance for STG labourers and their dependents, ii. stipend to the children of the workers
13	Annual Awards for best performing SHGs	The best SHG, STG and BLF from each tea region will be given a recognition certificate and cash awards ranging from Rs. 25,000 to Rs. 1 Lakh at appropriate functions to be organized by Tea Board annually.
14	Engagement of NGOs for forming SHGs	NGOs / accredited Institutions with good track records will be empanelled by the Board for motivating small growers to organize themselves in to primary producer groups/self Help groups. A group formation incentive @Rs.500 per ha will be paid to the NGO provided each PPG/SHG owns a command area of at least 20 ha and the membership of small growers is not less than 30.
15	Micro Irrigation	Subsidy will be paid @40% of the investment made towards irrigation facilities including procurement of water pumps, sprinkler irrigation equipment, check dams etc.
16	Training of the trainer (extension service provider for small growers)	A team of Tea Board certified independent field advisors will be put in place through focused and intensive training at TRA/ UPASI-TRF.
Micro / Mini Tea Factories		
17	Setting up of Micro/ Mini tea factories	Micro and mini factories will be provided subsidy @ 25% of the actual cost
18	Study tours/ tea conventions/ workshops	Designed at giving exposure and covering the skill gaps

Physical and Financial achievement under Small Growers development during 2015-16

Table 15

Small Growers Development	Physical		Financial
Activity	**No.**	**Area (ha.)**	**Amount (Rs .in lakhs)**
New planting(ha)	170	63.70	73.54
Replanting	40	9.11	12.92
Rejuvenation pruning	964	330.01	127.92
Irrigation(ha)	3	7.77	1.16
Grant to Self Help Groups(no)	26	1116.72	98.41
Study tour	41	322.00	15.19
Workshop / Training	488	30124	52.43
Strengthening of field office	-	-	153.2
Total	**1732**	**31973**	**534.77**

State wise Physical & Financial Achievement Small Growers Development 2015-16

Table 16

	New planting			Replanting			Rejuvenation pruning			Irrigation			SHG	
	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical		Financial	Physical	Financial
Activity	**No**	**Area (ha.)**	**Rs. in lakhs**	**No.**	**Area (ha.)**	**Rs. in lakhs**	**No**	**Area (ha.)**	**Rs. in lakhs**	**No**	**Area (ha.)**	**Rs. in lakhs**	**No.**	**Rs. in lakhs**
Assam	36	39.15	41.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	75.49
Cachar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.17	0.56	-	-
Mizoram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.32
Tripura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
Tamil Nadu	57	5.93	13	25	7.11	9.39	752	238.37	96.76	-	-	-	7	17.6
Kerala	74	18.12	16.03	15	2	3.53	195	82.3	24.73	1	.60	0.6	-	-
Karnataka	1	-	0.47	-	-	-	2	1.05	0.39	-	-	-	-	-
Himachal Pradesh	2	0.5	2.62	-	-	-	15	8.289	6.04	-	-	-	-	-
Grand Total	170	63.70	73.54	40	9.11	12.92	964	330.01	127.92	3	7.77	1.16	26	98.41
													Total	**313.96**

State wise Details of Study tour Workshops /Training organized by Tea Board during 2015-16
Table 17

State	Study Tour			Workshop/ Training/ Seminar		
	Number of programs	Beneficiary number	Amount Rs. in Lakh	Number of programs	Beneficiary number	Amount Rs. in Lakh
Assam	32	264	11.99652	194	15209	32.97192
Arunachal Pradesh	2	13	0.89005	7	700	1.48979
Mizoram	2	6	0.78	7	650	1.805
Meghalaya	1	7	0.46	4	150	0.57
Tripura	-	-	-	19	970	2.768
Nagaland	2	10	0.963	-	-	-
Manipur	-	-	-	2	75	0.26075
West Bengal				59	4925	8.2900
Bihar				3	145	0.3400
Hiamachal Pradesh	2	22	0.10	15	666	1.3397
Uttrakhand				2	160	0.3780
Tamilnadu	0	0	0.00	169	5713	1.0100
Kerala	0	0	0.00	6	461	1.0300
Karnatak	0	0	0.00	1	300	0.1800
Grand Total	**41**	**322**	**15.18957**	**488**	**30124**	**52.43318**

4. Scheduled Caste Sub-Plan Scheme:

A Special Scheme called Scheduled Caste Sub Plan Scheme is being implemented for small growers belonging to the SC Community. The benefits as applicable to Self Help Groups under Small Grower Development is being extended to individual SC small growers.

The details of Physical and financial achievement of SCSP funds in 2015-16 is furnished below;

Financial Achievement under SCSP FY 2015-16 - Disbursing office wise
Table 18

Disbursing Office	Amount (Rs.)
Coonoor	3,809,818
Guwahati	19,412,159
Tezpur	67,867
Palampur	91,600
SGDD	2,940,978
Total	**26,322,422**
Siliguri (2014-15) re-disbursement in 2015-16	758,789
Grand Total	**27,081,211**

State wise physical and financial achievement under SCSP during 2015-16
Table 19

State	SCSP-Activity	No of beneficiaries	Amount paid (in Rs.)
Assam	Input cost	194	1930250
	Input cost, Leaf Shed, Leaf Bags, Weighing Scale, Godown storage	102	4220600
	Input cost, Leaf Shed, Leaf Bags, Weighing Scale, Transport vehicle and Pruning Machine	326	12440806
	Input Subsidy	342	1212550
	LCV	2	229105
	Study Tour	167	970528
	WORKSHOP (Including Seminar, training etc)	1751	1076352
	Total	**2884**	**22080191**
Himachal Pradesh	Pruning Machine	3	91600
	Total	**3**	**91600**
Tamil Nadu	Input Subsidy	31	124680
	LCV	14	3685138
	Total	**45**	**3809818**
Tripura	Input cost	12	220503
	Study Tour	13	98800
	WORKSHOP	100	30500
	Total	**125**	**349803**
	Grand Total	**3057**	**26331412**

Major Activities:

The major activities performed by the Small Tea Growers Directorate of Tea Board during 2014-15 is summarized below;

A. Enumeration of STG & issue of identification card:

Enumeration of Small Tea growers by the Boards' offices and Identification cards distribution as an area of emphasis continued to be dealt with for improved coverage of Small Tea Growers under the program. So far, **151741** numbers of growers identified and **82332** number of identification card issued to the Small Tea Growers throughout the country. State wise details of progress made (up to the Month of March 2016) on small tea growers enumeration programme and identification card issued to the growers are furnished in the following table;

Enumeration position as on 31-03-2016

Table 20

State	No of growers Enumerated	No of biometric card / smart card issued
Assam	87816	53211
Arunachal Pradesh	451	0
Meghalaya	482	443
Mizoram	814	0
Tripura	2709	2447
Total	**92272**	**56101**
Himachal Pradesh	1300	843
Uttarakhand	748	0
Total	**2048**	**843**
Tamilnadu	41196	18102
Kerala	6671	2756
Total	**47867**	**20858**
Bihar	986	667
West Bengal.	8568	3863
Total	**9554**	**4530**
Grand Total	**151741**	**82332**

B. Publication of CHAYAN – A news letter for the Small Tea Growers;

The first edition of CHAYAN Tea Magazine, a news letter for the small tea growers was published in various languages for the different tea producing States where the small growers are present. The agro-techniques for undertaking seasonal field operations were given in detail.

C. Fixation of Green leaf price: District Level Price Monitoring Committee

District Level Price Monitoring Committee meetings (DLPMC) were held at different tea growing districts for fixation of green leaf price.

PHOTOGRAPHS

Workshop for popularizing HRD component Under SRO Moran, Assam

Tea manufactured in Bamboo container designed by small grower in Assam

Small tea Growers workshop under SRO Teloinagar Assam

Study tour of Small tea growers from Assam to Organic tea estate in Sikkim

Awareness Programme on PPC at Lepetkata TE Assam

Demonstration of Manufacture of Hand made Green tea by Small tea growers Assam.

Demonstration on pruning

Demonstration on compose making

Photographs for Annual Report 2015-16

Chapter-4 (Tea Development)

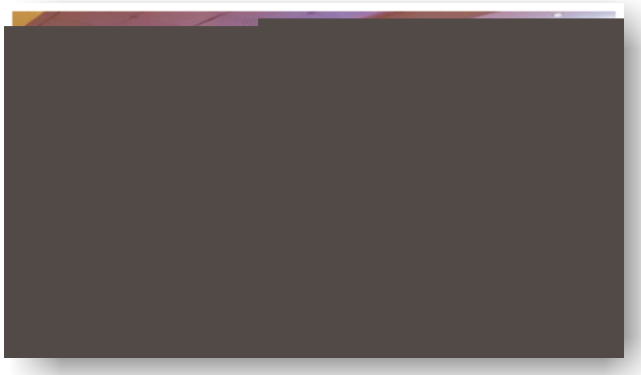

Smt. NirmalaSitharaman, Hon'ble Union Minister of State (Independent Charge), Commerce & Industry, along with other dignitaries, holding a consultation with the stakeholders of the tea industry at Siliguri on 17th May 2015

Smt. NirmalaSitharaman, Hon'ble Union Minister of State (Independent Charge), Commerce & Industry, addressing the stakeholders of the tea industry at Siliguri on 17th May 2015

Smt. NirmalaSitharaman, Hon'ble Union Minister of State (Independent Charge), Commerce & Industry, holding a press meeting after the consultation with the stakeholders of the tea industry at Siliguri on 17th May 2015 as Shri S.S. Ahluwalia, Hon'ble MP, Darjeeling (extreme right), Shri R.R. Rashmi, the then Additional Secretary, Ministry of Commerce & Industry, and ShriSiddharth, the then Chairman Tea Board (extreme left), are also present

ShriSantoshSarangi, ChairmanTea Board (centre), along with Shri S. Soundararajan, Director of Tea Development (left), and ShriPaulrasu, Executive Director Coonoor (extreme left), at theHavukal Tea Factory on 16th November 2015

Success story of small tea growers using machine harvesting being demonstrated to ShriSantoshSarangi, Chairman Tea Board, on 16th November 2015, by Shri S. Soundararajan, Director of Tea Development& also Shri Palrasu, Executive Director was present

Workshop conducted by Tezpur Regional Office for Small Tea Growers on 16th February 2016

Workshop conducted by Tezpur Regional Office for Small Tea Growers on 16th February 2016

ShriSantoshSarangi, Chairman Tea Board, inaugurating the new Palampur office building of Tea Board on 5th December 2015, as Shri A.K. Das, Deputy Chairman, Tea Board (extreme right), and Shri S. Soundararajan, Director of Tea Development (centre), look on

Shri Santosh Sarangi, Chairman Tea Board, cutting the ribbon during inauguration of the new Palampur office building of Tea Board on 5th December 2015, as Shri S. Soundararajan, Director of Tea Development, Shri A. K. Das, Dy. Chairman and Shri Gagnesh Sharma, Deputy Director of Tea Development, Palampur look on

Shri SantoshSarangi, Chairman Tea Board, at the tea tasting session after inauguration of the new Palampur office building of Tea Board on 5th December 2015

Shri Santosh Sarangi, Chairman Tea Board, interacting with planters after inauguration of the new Palampur office building of Tea Board on 5th December 2015, as Shri A.K. Das, Deputy Chairman, Tea Board (extreme right), and Shri S. Soundararajan, Director of Tea Development (extreme left), look on

ID card distribution for Small Tea Growers at Balla (Nagri), Himachal Pradesh, on 20th January 2016

Mechanized plucking at Mansimble Tea Estate, Himachal Pradesh,on 28th June 2015

Annual Report 2015-16 (Tea Research)

Tea Board of India as a regulatory body of Indian tea industry has been pioneering sustained contribution for research activities for increasing tea production and improvement of quality besides other developmental and regulatory activities. Research Directorate been contributing significantly towards requirements and fast growing knowledge of tea industry by coordinating and evaluating all the thrust areas of basic, applied and regulatory research catering the requirements of tea producers and industry through various Tea Research Institutes, namely Darjeeling Tea Research and Development Centre (DTR&DC), Kurseong, Darjeeling, West Bengal; Tea Research Association (TRA), Jorhat, Assam and United Planters' Association of Southern India – Tea Research Foundation (UPASI-TRF). More emphasis have been given on the broad areas of Quality and tea manufacturing, research in productivity, development of drought resistant tea through genetic and bioengineering ,pest and disease management etc. Research Directorate of Tea Board has been coordinating, monitor and evaluating tea research in the country and facilitating tea research by addressing the need based requirements of the tea industry and formulating specific research projects from time to time. These efforts are likely to enhance growth and development of tea industry especially in the emerging scenario and competitive economy. In the wake of the recent developments and the new demands being placed by regulatory bodies and Industry, the policy and approach of this directorate are as follows:

- To prioritize the areas of tea research based on the needs of stakeholders
- To ensure that the research outcomes are disseminated to the stakeholders.
- Regular monitoring and evaluation of research
- To coordinate with the needs of national and international regulatory bodies

Grant-in-aid:

The fund allocation to R&D for the year 2015-2016 was Rs.15.50 Crore. Grant-in-aid @ 49% to TRA and UPASI was given Rs.9.81Crore and Rs.2.71 Crore respectively. In addition, Rs.73.65 lakh was incurred for up gradation of the Quality Control Laboratory, Tea Park, Siliguri including procurement of modern equipment and engagement of scientists etc.

Research Highlights of the TRIs:

The following activities are continuing and some achievements made in the field of Research during last one year.

Tocklai Tea Research Institute, TRA:

- Climate-smartening Assam's tea plantation landscapes for future sustainability are being continued.TRA has filed Patent application filed for SMART (Application No. 323/KOL/2014 dtd. 15.3.14)

- Studies have revealed that gallocatechin has critical role in the formation of digallate the aflavin. It was also found that with the increase in EGCG content, formation of the aflavin

digallate is enhanced. The increase in leaf temperature beyond 30-32^{o}C during withering, resulted in degradation of chlorophyll resulting in undesirable effect in the made tea appearance. It was also found that duration of withering affected cup character of white tea.

- Planting materials comprising of elite clones and selected clones were supplied to the Advisory center, TRA, Megahlaya and North Bank Advisory center for propagating them in the respective Agro-climatic conditions .The growth characters are also being observed. Subculture of *in vitro* shoots of TS450 was induced with different concentrations of ethyl methane sulphonate to initiate the genetic variation and conduct studies using molecular marker.

- Microbial consortium is under second year of field evaluation for better utilization of inorganic nutrients. Analyses of soil samples, data on yield and quality parameters are being recorded regularly.

- A Collaborative project with Unilever is being undertaken on mechanization. The manufacturing trials with special reference to on roller setting and change in maceration techniques are under in progress. In another collaborative project with Kawasaki Japan on Mechanical Harvesting, the results indicated that the continuous use of machine in light prune tea brought about a marginal increase in yield compared to hand plucking.

- At TRA studies on drought trait are being continued. Progenies of population TS463 were found to be diverse with ISSR markers. Further screening in progenies were done using drought EST-SSR primers. DNA was extracted from TS463 population samples, to study the genetic relationship in the population.PCR analysis was carried out on TS463 population together with parents TV1 and TV19 using drought related SSR primers. The role of WRKY transcription factors regulators for responses to biotic and abiotic stresses including drought was studied by comparative bioinformatics of C*amellia sinensis* sequences along with *Arabidopsis thaliana*. WRKY sequences are now available in the public domain databases.

- "Code of Practice & Recommendations for GMP in Black Tea Production" have been developed at TRA

UPASI TRF:

- Kairomone traps developed for shot hole borer control in tea fields.

- Pheromone traps with glue for the control of tea mosquito bug are tested with success in tea gardens of south India. Studies have revealed that a new herbicide molecule, saflufencil has been tested and found useful to replace banned herbicide 2,4-D for weed control in south Indian tea fields.

- Code of Practice & Recommendations for GMP in Black Tea Production have been developed at UPASI TRF.

- Several batches of tea have been analysed to document the quality profile of orthodox and green tea in Munnar region. Different grades of orthodox and green tea were analysed for total polyphenol, catechin, caffeine, flavour index,TF (Theaflavin),TR (Thearubigin),HPS

(high polymerized substance) and TLC (Total liquor colour). The results reveal that flavour index values of green teas are on the higher side.

- At UPASI - TRF mature seeds were collected from the female parents where controlled hybridization programme was carried out and germinated in the sand bed in the UPASI Experimental Farm Nursery. Rapid mother bushes establishment programme was carried out by grafting the potential accessions selected for high anthocyanin pigmentation. All the accessions with high anthocyanin pigmentation were collected through the clonal screening programme in the Anamallais.

- Embryoid callus of anther derived callus was subcultured onto different concentrations of TDZ (Thidiazuron) and incubated at 4° C and 22 ° C for organogenesis. The embryoids incubated at 4° C, increased in size, while the embryoids incubated at 22° C showed protrusions after two weeks. Another trial on Isabion, (a commercial product of natural origin for the balanced nutrition of plants) was initiated in one of the member estates and first round of foliar application has been executed as per proposed study plan. The sponsored trial of Samaratha (organic *plant* growth vitalizer) have been done.

DTR & DC:

- At DTR&DC clonal teas were manufactured in the miniature unit for analysis of various biochemical parameters. Made tea samples sent to IIT, Kharagpur for VFC, analysis and to QCL, Siliguri for analysis of quality parameters.

- Studies were conducted on green leaf yield. Highest green leaf (310.5 kg/ha) was recorded in Gopaldhara Tea Estate (Inorganic tea garden) in 5 year pruning cycle and minimum green leaf was found in 6 and 7 year cycle (258.9 kg/ha).

- Soil samples were collected from Phosphorus Solubilizing Bacteria (PSB) experimental plots treated with different PSB consortium and sent to UBKV for microbiological study. Samples of integrated nutrient management experiment were also analyzed for potassium content.

XII Plan Research Projects:

Tea Board has sanctioned the following four XII Plan coordinated projects involving Tea Research Institutes and universities for long term benefit of the tea industry.

1. Development of new clones through integration of conventional and nonconventional methods of breeding for productivity, quality and stress tolerance

2. Development of machines for tea harvesting and mechanization of cultural operations

3. Approaches on enhancing quality of tea and capacity of existing tea processing machineries

4. Development of bio-pesticides against fungal disease of tea using phosphate solubilizing rhizobacteria”

In addition to the above long term research projects two short term need based projects were also funded during 2015 to TRA.

1. **Study in the soil properties of selected dolomite affected garden in Dooars:** The preliminary observations on the soil physico-chemical properties of the selected tea gardens indicated that there is a drastic variation in the pH, Calcium and Magnesium contents resulting in large scale causality of Tea bushes.

2. **Bio-sensory computing detection of pesticide in Tea:** Under this project, enzyme based assay of samples in 96 well plate and analysis by scanner based system and Cell Free Extract (CFE) of OPH producing bacteria were evaluated using tea shoot samples spiked with pesticides.

Regulatory Issues:

- **MRL fixation:** Residue data of 12 pesticides has been submitted to JMPR through national Codex Point for inclusion in the next CCPR priority list of chemicals along with a Guidance document for fixation of MRL in tea brew. Similar types of data were submitted to CIB&RC for label claim and to FSSAI for fixation of MRL (including representation against draft notification by FSSAI).

- **SPS TBT issues:** Replies to 10 SPS TBT notifications forwarded by APJ SLG were given in 2015-16.

- **PPC:** Version 4 and 5 of PPC has been released with addition of 2 more PPFs in the list.

- **Iron filings:** In response to the draft notification issued by FSSAI on 4th December 2015, Tea Board had submitted representation against the draft notification requesting FSSAI to increase the maximum limit to 250mg/Kg with proper justification.

  FSSAI was also appraised that Standard Operating Procedures (SOP) followed in the laboratories for estimation of Iron Filings have certain flaws resulting in detection of higher amount of iron filing than actually present in made tea.

  In view of the above, FSSAi has notified vide order no 12(4)2016/Miscellaneous/Enf /FSSAI/2016 dated 19.05.2016 that until method assessment is finalized the enforcement authorities may carry out inspections in tea factories rather than on retail outlets to ensure FBOs operate with requisite equipments for removal of iron filings.

- **Anthraquinone issue:** Presence of Anthraquinone in Indian tea beyond the limit stipulated by EU has become a concern for tea export to EU and EU has informed that any import tolerance application should be underpinned by toxicological data on Anthraquinone. As per the requirement of EU for toxicological data, CSIR-IITR institute has been contacted for generating required data on Anthraquinone.

- **Iran issue:**
  - Two Joint working group meetings were held in India (November, 2015) and Iran (February, 2016)
  - Residue data for 5 pesticides were submitted to Iran with a request for their views and harmonization of MRLs.
  - Discussions on limits of Heavy Metals are continuing.

Quality Control Laboratory: Tea Board has established a hi tech Quality Control Laboratory (QCL) at Tea Park, Siliguri under ASIDE scheme of the Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India. Quality Control Laboratory was inaugurated in 5th January, 2016 by the Hon'ble Minister of State (Independent Charge), Smt. Nirmala Sitharaman. This laboratory has been a long felt need of the North Bengal Tea Industry. The Quality Testing laboratory aims to undertake testing of quality parameters, pesticide residue, biopesticides, biofertilizer, pesticide residue, and heavy metal, microbiological contaminants etc in tea samples in accordance with standards of the national and international regulatory bodies. The laboratory is in process of NABL Accreditation for tea testing.

Important meetings:

- A 7-member Iranian delegation visited India for attending the 1st Indo-Iran Joint Working Group meeting during 22-27 November, 2015. The issues, concerns and the viewpoint of India on pesticide residues, heavy metals and other quality related regulatory issues were discussed with the Iranian delegation.
- Director (Research) visited Milan, Italy to attend the FAO IGG meeting from 14-16 October, 2015.He participated in discussions at various technical groups.
- Research Officer attended Shadow Committee meeting for the follow up action for the 47th session of CCPR held on 13 November, 2015 at Krishi Bhawan, New Delhi. The issues discussed with respect to tea included GAP data submission by Tea Board for some pesticides as per Schedule of CCPR in 2016.
- Director (Research) visited New Delhi to attend interactive meeting between representatives of National Boards and ICAR officials on 22nd December, 2015 where the need to develop strong linkages between Agricultural Universities and various national commodity board for accelerated promotion of agriculture based commodities were discussed .
- Research Officer visited DTR&DC and TRA, Nagrakata during 20-22 January, 2016 for on spot verification of research activities in both the centres. He also visited New Delhi on 29th January, 2016 for attending a meeting called at APEDA to review of response to SPS notification issued by WTO member countries.
- Under the leadership of Chairman, Tea Board, a 22 member Indian tea delegation comprising Sr. members of the tea industry (producer & merchant exporters)and scientists visited Iran (Tehran & Tabriz) during14-18February,2016. The delegation had several meetings with different Govt. departments including 2nd Indo-Iran Joint Working Group (JWG) meeting, Ministry of Health, Iranian National Standards Organization (ISIRI), Islamic Republic of Iran Customs, Tehran Chamber of Commerce and buyer seller meet (BSM) etc.

Smt. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Union Minister for Commerce & Industry (Independent Charge), inspecting the newly inaugurated Quality Control Laboratory at Tea Park, Siliguri, on 5th January 2016 as Shri S.S. Ahluwalia, Hon'ble Member of Parliament, Darjeeling, and Shri R.R. Rashmi, the then Additional Secretary, Ministry of Commerce & Industry, look on

Dr.BiswajitBera, Director (Research), explaining the functioning of various scientific equipment to Smt. NirmalaSitharaman, Hon'ble Union Minister for Commerce & Industry (Independent Charge), at the newly inaugurated Quality Control Laboratory at Tea Park, Siliguri, on 5th January 2016, as Shri S.S. Ahluwalia, Hon'ble Member of Parliament, Darjeeling, and Shri R.R. Rashmi, then Additional Secretary, Ministry of Commerce & Industry, look on

INDIA TEA
World's Gold Standard

The façade of the newly inaugurated Quality Control Laboratory at Tea Park, Siliguri, on 5th January 2016

Meeting of the Tea Research Liaison Committee (TRLC) held at the Tea Board headquarters during March 2016

Tea Promotion

Introduction:

One of the main functions of the Tea Board is to carry out promotional activities aimed at making India the leading supplier of quality tea in the global market. Promotional efforts are geared towards increasing awareness of the many varieties and types of Indian teas with an objective to increasing market share of Indian teas in the targeted markets and also increasing domestic consumption. Focused attention was given to selected countries, where there is higher potential for increasing export. Indian exporters were also provided with all possible support to encourage exports and marketing of Indian brands abroad. The year 2015-16 saw a surge in exports with 232.92 m kg, which is around 34 m.kg (17%) higher as compared to 2014-15. The volume so reached is the highest export volume achieved during the last 35 years.

Overview of Tea consumption in India and exports from India during 2015-16

India recorded total tea production of 1233.14 million kg during the financial year 2015-16, which is the highest ever recorded by the country so far. As compared to 2014-15, the total tea production registered an increase of 35.96 million kg (3%).

Indian tea achieved another milestone during the financial year 2015-16 when it registered export figures of 232.92 million kg valued at Rs. 4493.10 crore, breaching the 230 million kg mark after 35 years. During 1980-81, India had exported 231.74 million kg. Prior to that, during 1976-77 and 1956-57, India exported 242.42 and 233.09 million kg respectively.

As compared to the financial year 2014-15, the quantity of tea exports increased by 33.84 million kg (17%), while in value terms, the increase was by Rs. 669.46 crores (17.51%).

Increase of tea exports were registered mainly to Russia, Iran, Germany, Pakistan, Bangladesh, UAE, U.K., Poland and China.

The major country wise export details for the year under report over the corresponding period in the previous year are furnished at Annexure-2. In brief the comparative position is delineated below:

2015-16					2014-15				
Qty in m. kg	Value in Rs. crs.	Value in m. USD	UP Rs/Kg.	UP Kg / USD	Qty in m. kg	Value in Rs. crs.	Value in m. USD	UP Rs/Kg.	UP ($/Kg.)
233	4493	687	192.90	2.95	199	3824	626	192.07	3.14

Overview of Promotional activities during 2015-16:

During 2015-16, Tea Board carried out various promotional activities through its three overseas offices located at Moscow & Dubai and the Head Office to enhance demand for Indian tea and increase market shares in the key markets of Russia, Kazakhstan, Iran, Egypt, USA, Germany, UK, Japan, UAE, Australia and China. Other activities included sustainability of Indian Tea promotion programmes in important five markets viz., Russia, Kazakhstan, Iran, USA and Egypt, market analysis and tracking of consumer preferences, popularizing the usage of Board's logos in various promotional activities in order to enhance the equity of Indian Tea and its various single-origin teas.

One of the significant achievements during the year under report was the sustainability of the envisaged activities under the 5-5-5 Project in the identified countries of Iran, Russia, Kazakhstan, U.S.A and Egypt. This project is aimed at positioning "Indian Tea" as an over-arching umbrella brand to connect with the trade and the consumers alike. This is expected to result in prominent brand recall for "Indian Tea" over the medium to long term so as to translate into significant increase in market shares in the targeted markets.

Exchanges of trade delegations along with dedicated buyer-seller meets were given sustained thrust for key orthodox markets of Iran and Russia and the major CTC market of Egypt. For Iran, there was one inbound technical delegation to India during November 2015 and one outbound delegation headed by the Chairman during February 2016 to address various issues concerning quality & safety protocols being followed in India & Iran (ISIRI Standards), GMP registration & renewal, Iranian Customs valuation etc.

For Russia, the outbound trade delegation to that country was mounted during September 2015 coinciding with our participation in "World Food Moscow" to deliberate on strategic issues relating to Rupee-Ruble trade mechanism, promotion of Indian tea through reputed retail chains, arbitrary customs valuation as well as difficulty faced in sending tea samples, possible tie-ins with some prospective buyers for sustained sourcing of Indian tea etc.

For Egypt, the outbound trade delegation mounted under the leadership of Dy. Chairman during March 2016 proved to be hugely successful in terms of strong possibility of Indian tea import by Ministry of Supply & Internal Trade (MSIT), collaboration for setting up a JV unit with Egyptian buyers for undertaking value-addition activities and partnership for substantive promotion of Indian tea through Chamber of Commerce in Cairo and Alexandria.

Implementation of the New Export Strategy in a staggered manner for the next three years had also been given shape in consultation with the industry.

Both overseas and domestic tea promotional activities are supervised by the Tea promotion department in order to augment exports of Indian tea as well as increasing consumption of Indian tea in the domestic market. Promotional activities in the overseas markets are supervised from the overseas offices based in Moscow, Dubai as well the Head office.

India continued with the memberships of the Tea Councils of USA, Japan and Canada and benefited from the generic tea promotion conducted by the Tea Councils.

During 2015-16, Tea Board India participated in eleven (11) International Trade fairs and one (1) International conference for effecting two-way exchanges in-between buyers & sellers and for propagating the health and wellness benefits of India tea amongst the streaming visitors. Advertisements depicting the virtues of tea had also been released in important publications of the overseas countries. Moreover, Tea Board of India participated in seventeen (17) domestic Trade fairs on various locations during the same period.

Promotional activities were carried out under the Market Promotion Scheme (MPS) under the following heads:

1) Overseas promotion

- The activities undertaken by the Board from the H.O. and the three foreign offices primarily included generic promotion through Tea Councils in U.S.A. & Canada, Japan Tea Association, participation in fairs & exhibitions, trade facilitation through arranging Buyer-Seller Meets, dissemination of market information.
- Activities under Project 5-5-5 were drawn up with regard to the five identified countries, where focused activities are being implemented with a specific objective of inducing brand recall for “India Tea”

2) Domestic promotion

- Generic tea promotion campaign which included participation in domestic fairs & exhibitions (a list is placed at Annexure – 1) and insertion of advertisements in various print media. The list of domestic events Tea Board participated during the year under review is placed at Annexure - 2
- Sustainability of the B-2-C campaign in cities targeted at engaging youth and house-wives
- Tea Board’s “Tea Centre” in Mumbai continued to serve and sell quality teas for propagating the quality image of Indian tea amongst the consumers

Production of publicity material

- Various publicity material/brochures on different facets of Indian tea were produced and printed, which were well-accepted by the Industry

Incentive to exporters

- Transport subsidy given for teas exported from ICD Amingaon, Assam
- Reimbursement of travel and participation costs to the eligible exporters in trade exhibitions in the overseas markets was also effected

IPR protection and enforcement

- Close monitoring mechanism was put in place for protecting Darjeeling teas and enforcing its equity in key export markets which ensured (i) all sellers of genuine Darjeeling tea are licensed under Certified Trade Mark Regime, and (ii) Teas being sold as Darjeeling tea in India and abroad are genuine.

- **Expenditures incurred during the first three years of the 12th 5-Year Plan Period:**

(Rs. crores)

Major head	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	11-th Plan Total (2007-12)
Domestic Promotion	1.56	1.15	0.86	1.49	19.48
Overseas Promotion	5.59	6.99	9.14	7.18	19.71
Trade Related Activities	0.32	1.22	0.38	0.76	13.39
Incentive to Exporters /Associations	2.58	2.67	5.94	0.11	23.20
Publicity Material	1.18	2.09	1.72	1.94	5.27
Legal / Consultancy	0.94	1.24	0.49	1.40	3.43
E-auction	0.01	3.99	1.21	3.86	16.39
Miscellaneous	1.07	1.39	0.94	0.43	7.61
Total	**13.25**	**20.74**	**20.68**	**17.17**	**108.48**

Activities under taken by Board's Headquarters:

1. Organising the Board's participation in Trade Fairs and Exhibitions not covered by the Overseas Offices as well as in the domestic market
2. Arranging visits of the Board's representatives, undertaking tea delegations to important countries like Russia & Iran to participate in international meetings and Buyer-Seller Meets, organizing inbound trade delegations from important countries like Iran
3. Maintaining liaison work with the tea trade, attending to trade enquiries, addressing various issues related to quality & safety regulations for key markets like Iran, keeping the tea trade informed of developments related to exports as well as dissemination of market and trade information
4. Various publicity functions initiated for maintaining the image of India Tea and for influencing public attitude in a positive manner toward Tea Board of India

As part of information dissemination, the trade enquiries received at various fairs and exhibition as well as those received from time to time from various sources, were shared with the industry members.

OVERSEAS PROMOTION

Promotional activities through the overseas offices

MOSCOW OFFICE

Countries under the jurisdiction of Moscow Office
The Tea Board Moscow office looks after the promotion of India tea in the CIS countries such as Russia, Kazakhstan, Ukraine, Uzbekistan, Azerbaijan, Turkmenistan, Belarus, Kyrgyzstan, Tajikistan, Georgia, Armenia, Moldova and the Baltic states of Latvia, Estonia & Lithuania

The Tea Market Size in the major countries of CIS Region

Country	Market size m. kg	PCC Kg/pa
Russia	151	1.27
Kazakhstan	31	1.50
Ukraine	19	0.94
Uzbekistan	17	0.80

The total tea market size in the CIS region is estimated to be 241 million kg and the above countries collectively account for 90% of the import market for tea in that region.

During the period under report, Tea Board of India's participation was organized for the following events:

(A) Promotion through trade fairs and exhibitions

1) **World Food Moscow during 14-17 September 2015:**

2) **Participation in World Food Kazakhstan in Almaty during 3-8 November 2015**

Tea Board of India participated in World Food Kazakh 2015, at Almaty Kazakhstan during, 4-6 November 2015 with following exporters co-exhibiting from the Tea Board Pavilion:

(i) M/s Vikrma Impex
(ii) M/s Jayashree Tea & Industries Ltd
(iii) M/s Chrometan Exports
(iv) M/s Girnar Food Products
(v) M/s Premier's Tea Ltd.

The Board's pavilion witnessed a brisk footfall particularly during the tea sampling organized at the booth. Also a sizable number of business enquiries were generated.

(B) The following were the outcomes of the visit of India Tea Delegation to Russia during 14-17 September 2015:

1. One-on-one meetings held with reputed packers like Ahmed Tea Company, Orimi Trade, Food Empire for supply of Indian Tea

2. Meetings also held with renowned retails chains like 7 Continent, Magnit,Ekos for possible tie-in regarding in-store promotion
3. One-on-one meeting was also held with Mr. Ramaz Chanturia, Director General, RusTea Coffee Association for initiating substantive promotion of Indian tea in future.

DUBAI OFFICE

Countries under the jurisdiction of Dubai Office
The Tea Board Dubai office looks after the promotion of India tea in West Asia and North Africa comprising Kuwait, Iran, Iraq, Bahrain, UAE, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Yemen, Jordan, Syria, ARE (Egypt), Libya, Sudan, Tunisia, Algeria, Morocco, Turkey ,South Africa, Afghanistan and Pakistan

Market overview

Around 35% of Indian teas are exported to West Asia and North Africa (WANA) countries. These countries especially UAE, Iran, Egypt, Pakistan, Saudi Arabia and Afghanistan have high per capita consumption and continue to import teas as a commodity in bulk from and exhibit good potential for future growth.

UAE (Dubai), Iran, Iraq, Saudi Arabia, Egypt, Pakistan, Afghanistan and Libya are the prominent markets in the WANA Region (with a combined import market size of 518 m.kg. or 84% of total market size in the region). Middle East market is very competitive in terms of price and quality. Here tea is drunk mostly without milk and the appearance & the colour of tea is the foremost yardstick for choice. Being a major tea consuming area, African teas are finding their way into the market due to their price competitiveness and very little climate-induced variations in quality. It has, however, been noticed that in some countries like Iran, Syria, Saudi Arabia, which traditionally show preferences for orthodox teas, has a growing demand for CTC teas in recent times. In UAE, CTC variety is popular due to the large expatriate population from India and Pakistan.

United Arab Emirates (UAE):

UAE continues to play a key role in the international tea trade due to its unique geographic location and provision of excellent logistic and storage services, particularly through the Dubai Tea Trading Centre (DTTC) in Jebel Ali Free Zone under Dubai Multi-Commodities Centre (DMCC). DTTC, being one of the most important international tea re-export hubs, offers world-class facilities for storage, blending, tasting, and packaging for the Tea traders and merchants. Its market size is around 86 m.kg. The UAE's tea re-exports account for approximately 70% of the global tea re-exports. Around 86% of the geographic distribution of UAE re-exports was directed at three countries: Iraq (42%), Iran (21%) and Russia (23%).

While the UAE domestic market for tea is not very large due to its small population, the market as a hub for tea re-exports is huge. This market is largely dominated by tea bags & packed teas and orthodox teas (leaf/brokens) have a steady market here. CTC grades viz. BOP, BP, PD are mainly used in tea bags. While in packet tea, pure Assam CTCs are available, the tea bag market comprises largely blends of Indian and Kenyan teas or pure Sri Lankan teas.

Arab Republic of Egypt:

The Arab Republic of Egypt with a population of 83 million has a market size 103 m. kg and per capita consumption of 1.22 kg p.a. The Government imports around 20-25 m. kg for public distribution and the private players import the balance quantity. The General Authority for Supply Commodity (GASC) was the body responsible for deciding the quantity of tea required by the Govt. and the same was procured through two public sector organization viz. M/s El Nasr Export & Import Co. and M/s Misr Export & Import Co. Now, mostly the private companies are importing the tea. Recently the Egyptian Army has started importing tea directly from India for its uses.

The market demand is primarily for CTC Dust and Fannings. Tea is the most preferred beverage with 95% being consumed as CTC (Dust and Fannings). Generally teas are imported in bulk form and then blended & packed for domestic consumption by the private players. Small proportion of packet teas is also imported. “Tea Bags” is a small and slowly growing segment. Kenya still holds the overwhelming majority with 88% of import share on average as compared to India’s 6% and Sri Lanka’s 3%.

Iran

Iran is a tea producing country with annual tea production of about 14 m. kg. Annual tea consumption is 68 m. kg (primarily orthodox tea) with a per capita consumption of 1.05 kg p.a. Iran imported around 61 m. kg of orthodox tea in 2014 as compared to 80 m. Kg in 2013 (24% decline). Iran re-exported around 9% its total output to CIS countries, UAE, Afghanistan etc. As Iranian tea is of poor quality, it is blended with the imported tea to make it suitable for consumption in the domestic market. Consumption wise, the mix is 90% Orthodox and 10% CTC. Tea bag market is also growing with absorption of high-quality CTC tea.

During 2014, Iran had imported 16.60 m. kg tea from India (27%). Major supplier of tea to Iran is Sri Lanka (44%) followed by India.

Saudi Arabia

The tea culture remains very strong in Saudi Arabia, which is an integrant of its family and social life. Although coffee shows faster volume growth, tea remains the preferred one in the hot beverage section. The import of black tea (estimated size of 16 million kg) remained healthy with four countries collectively accounting for 69% share viz. India (18%), Sri Lanka (27%), Kenya (20%) and Vietnam (9%).The consumers mainly prefer orthodox tea, although there is a steady market for CTC dust.

Pakistan and **Afghanistan** are the other two important markets for export of India tea (primarily CTC tea) with market sizes and per capita consumption of 152 m. kg & 0.73 kg p.a and 53 m. kg & 2.73 kg p.a. respectively.

During the year 2015-16, Pakistan imported 19.37 million kg of Indian tea, mainly CTC variety, which was 4.17 m. kg more that in 2014-15 (27.43% increase). Afghanistan imported around 1.2 m. kg from India during 2015-16.

During the period under report, Tea Board of India's participation was organized for the following events:

A. Promotion through trade fairs and exhibitions

1) Participation in World of Tea, Tehran, November 14-17, 2015

Tea Board of India participated in World of Tea, Tehran 2015 during November 14-17, 2015 with the following exporters co-exhibiting from the Tea Board Pavilion constructed in a 72 sq.m. of built-up stand:

(i) Shah Brothers

(ii) J. V. Gokal Pvt. Ltd.

(iii) Luxmi Tea Ltd.

(iv) Team united Marketing Pvt. Ltd.

(v) United Nilgiri Tea Estate Co. Ltd. (Chamraj)

(vi) Inderchand Sitaram.

The much specialised exhibition on "Tea" was held in a unique format with intensive and focused interactions. Stream of visitors poured in at the TBOI Board's Lounge put up in a nice and aesthetic manner including the two Iranian MoH officials and Iranian Tea Association President.

The exhibition proved to be a success in terms of generation of business leads for seasoned exporters like Shah Brothers, J. V. Gokal Pvt. Ltd, Luxmi Tea, Team united Marketing Pvt. Ltd. as well as the new exporters for the Iranian market - United Nilgiri Tea Estate Co. Ltd. (Chamraj) and Inderchand Sitaram.

2) Participation in Gulf Food, Dubai during 21-25 February, 2016

Tea Board of India participated in the Gulf Food 2016, the largest food show in Middle East, with the following eight exporters in a 57 sq. m space:

(i) Premier's Tea Ltd - has brand presence in 37 countries
(ii) Golden Tips Tea Co P Ltd - brand presence in China, Middle East, Japan and CIS
(iii) J V Gokal Ltd - largest private label packer catering to major international tea brands
(iv) Saket impex - bulk exporter
(v) United Nilgiri Plantations - major plantation of South exporting bulk and packets
(vi) Variety Food Products - manly catering to cafe segment
(vii) Aditya Trading Co - bulk and packaged product concentrated in Gulf
(viii) Jayashree Tea Industries Ltd - very large producer having gardens all parts of India manly dealing in bulk.

Tea Board Pavilion was graced by the presence Shri Santosh Sarangi, Jt. Secretary (Dept. of Commerce, GoI) & Chairman, Tea Board and Smt Anita Karn, Director (Plantations, Dept. of Commerce, GoI).

Salient features of the participation are as follow:

- ✓ Continuous liquid tea sampling and tasting was organized at the Tea Board booth
- ✓ Number of trade inquires was very encouraging including enquiries from Iran, Pakistan, Afghanistan, Syria, Kuwait
- ✓ Maximum trade inquires were for Assam CTC Tea
- ✓ Some of the old business relations which we lost to Sri Lanka have shown willingness to come back to India
- ✓ India Tea has a great demand in the Dubai Market and people are willing to pay for good quality India Tea
- ✓ On the side line of the event a tour to Dubai Tea Trading Centre, a part of Dubai Multi Commodity Centre situated at Jebel Ali Free Zone was organized. During the visit interactions were held between Chairman Tea Board along with Director (Plantations) and Ms. Sunitha Murthy (Customer Relations Manager) & Mr. Ajay Kumar (Business Development Manager) representing the representatives of DTTC.
- ✓ Chairman Tea Board India expressed an opinion to explore a possibility to have JV partnership between Tea Board and DMCC /DTTC for setting up a similar kind of common facility centre for tea in India

- ✓ A further visit of India Pavilion at Global Village, Dubai was organized and Director (Plantations) suggested to Consul (Commerce) & acting DTP-Dubai to explore the possibility of setting up a tea boutique/serving centre at the location since this area has a heavy tourist footfall.

B. The following were the outcomes regarding the delegations mounted vis-a-vis Iran and Egypt during 2015-16:

(1) Delegation from Iran during 23-26 November 2015

In the course of negotiations, the Joint Working Group (JWG) formed with technical experts from India and Iran agreed to the following:

i. Harmonization/upward revision of MRL's for 6 pesticides not in the CIB & RC list
ii. Upward revision of MRL's for 4 heavy metals viz. lead, cadmium, arsenic and mercury
iii. Submission of risk assessment data and methodology regarding the identified pesticides

(2) Delegation to Iran during 14-18 February 2016

(i) For five pesticides the data submitted by India will be used by Iran for upward revision of their MRLs to realistic levels
(ii) Data for additional pesticides to be submitted to Iran for fixation of MRL in tea
(iii) Low MLs proposed by Iran for heavy metals (lead, cadmium, arsenic and mercury) will be addressed by resorting to ALARA principle without significantly affecting trade
(iv) Registration of GMP certificate and its validity issued for one year at present will be renewed for 3 years after the quality assessment of export units by Iran
(v) Submission of application for renewal of GMP certificate is to be done 3 months in advance
(vi) Submission of monthly average auction price data for grades imported by Iran will be submitted to Customs, Iran to continue for determining minimum customs valuation (MCV).

(3) Delegation to Egypt during 19-23 March 2016

(i) Possibility of export of Indian Tea by developing strategic alliance between Ministry of Supply & Internal Trade (MSIT), Egypt and Tea Board & ITA. Egyptian Govt. imports about 30 Million kg and supplies to various outlets.

(ii) A Committee comprising Tea Board officials, ITA members and designated officials from the Ministry of Supply & Domestic Trade formed to work out the modalities.

(iii) Govt. of Egypt is open for all types of alliances. Possibility to set up JV unit for value addition activities partnering with Egyptian companies for export to Egypt & further re export from Egypt. They are also proposing for signing an MOU with Egyptian Sugar and Integrated Company for cooperation.

(iv) Participation at 'India by Nile Week' during April 23 – May 7, 2016 to showcase India teas

(v) Engagement of a local experienced Consultant to promote and liaison for Indian tea in Egypt

(vi) Substantive promotion of Indian tea through Chamber of Commerce in Cairo and Alexandria.

Promotional activities in countries other than those covered by the Overseas Offices

The Board's Head Office with active co-operation from the respective Indian Missions abroad carried out various promotional activities and monitored the market conditions in the following major countries:

USA

USA had an estimated market size of around 130 million kg during 2015 with India's exports at around 14.61 million kg. The primary driving force propelling tea sales is health benefit of tea consumption, where Organic, Green teas evoke keen interest. Specialty teas is another category which holds promise as the consumers are getting more interested about the origin specific teas . Globally it ranks 3rd in tea consumption. The tea consumption pattern in the USA is mostly in the form of iced tea (95%). USA holds out a very high promise for the export of Indian tea.

India, being a founding member of the **US Tea Council**, took part in some important deliberations with the key stakeholders of the US Tea Industry on different occasions.

Some of the activities under 5-5-5 project were undertaken as mentioned below:

- Advertisements in Tea magazines and promotion through their social and digital platform e.g facebook, teamag.com, digital magazine edition
- Promotion of Indian tea through the programme TEXSOM of Specialty Tea Institute in USA
- Promotion through Sara Moulton's cookery show on television aided by Tea Association of USA
- Participation in "6th North American Tea Conference" during September 2015

Tea Board's participation at 5th Annual North American Tea Conference during 22-24 September, 2015, San Antonio, Texas, USA

Tea Board of India participated at the 6th Annual North American Tea Conference – 22-24 September, 2015, San Antonio, Texas, USA. Tea Board sponsored the welcome evening event

and dinner on the 22nd September, which was attended by all the delegates at the conference comprising of the top players of the US tea fraternity and other global players. . It was a great platform to network with the International delegates from the tea circle and to reinforce the presence of Indian tea in the US market. At the "Gold Medal Tea Competition "in the country category, it was an impressive show by M/s Ambootia who won the 1st position.

Canada

Canada is a hot tea market having import volume of 17.28 million kg, where India exported 2.2 m. kg during 2015-16. About 60% of the population in Canada consumes hot tea unlike USA. The volume of Indian tea export to Canada is around 1.38 million kg. However, the silver lining is that even though the volume of export was low, the unit value realization was high thereby indicating that specialty teas are becoming popular and the segment is poised for growth.

Australia

With around 11 million kg imported and less than 1% share in world imports, India is the leading exporter to Australia with 3.47 m kg exports presents a small market with a scope for lot of value-added teas, especially branded black teas.

This market is now being viewed more positively as the new destination that has great potential for further penetration and expansion. Indian tea export has been mostly in the form of Instant Tea, Tea Bags & Packet teas.

Tea Board India participated at 'Fine Food Australia', Sydney through active help of the Indian Embassy in September 2015 along with 5 exporters.

Japan

Japan imports around 31 million kg of tea, of which black tea and Green tea account for 44% and 15% respectively and the rest are other types. Indian export to Japan was 3.27 million kg during 2015-16. Japan is a market for quality Darjeeling teas. Apart from the high quality leaf grades, the market has gradually cultivated the use of Assam CTC teas, used either in tea bags or for the production of canned milk teas - a favourite consumption item for the younger generation.

The promotional work for 'India tea' in Japan is carried out mainly through the Embassy of India in Tokyo with the assistance of Japan Tea Association (JTA). Seminars on Indian tea have been held every quarter with joint effort of Indian Embassy and Japan Tea Association.

Tea Board India participated in Foodex, March 2015 along with a team of exporters and a buyer seller meet was also conducted.

China

It has been noted from recent trends in tea market in China that Instant tea market has risen considerably in the last few years both in terms of volume and value. It is now the biggest category way ahead of Green tea, which dominated the market in the past. Instant tea is particularly popular among young population. Consequently, black tea is getting imported for manufacturing ready-to-drink or instant tea for the younger population. India's export volume to China during 2015-16 was 4.79 m. kg. Even though it is the world's largest producer of tea (mainly Green tea accounting for 70% of total production), China has started importing sizeable amount of black tea for domestic consumption, especially youth.

Tea Board of India participated in China (Xiamen) International Tea Fair during October 15-19, 2014 along with 5 exporters and through Hong Kong International Tea fair, 13-15 August, 2015 along with 9 exporters with a dedicated India pavilion.

Wholesome participation by the leading exporters in these two important trade fairs enabled presentation of various packet sizes encompassing various grades to the importers as well as consumers from mainland China, Taiwan and other South East Asian countries leading to the generation of a number of business leads and exploration of business opportunities. Free sampling of Indian-origin teas of Darjeeling, Assam and Nilgiri varieties across the stands attracted large visitors, who made beeline for having a taste of the exquisite varieties, especially Darjeeling .Successful Indian tea tasting sessions were the hallmark of both these events.

Germany

With a total import of 58 m. kg during 2014 (out of which about 2/3 is black tea and the rest green tea), Germany is the second largest tea market in the EU region after U.K. It is a quality-conscious premium market with a penchant for India's high-end Darjeeling teas. Unit value realization of Indian tea, especially Darjeeling tea is high in Germany (around 5.5 USD on average). In 2015-16, India exported 10.53 million kg of tea to Germany. Germany has emerged as the leading trading hub for organic commodities including tea. Most of Darjeeling tea is now organic and Biofach is an important event for promoting organic foods and beverages.

Biofach 2016 was a premier trade fair for Organic food where producers, distributors and buyers of food, beverages & drinks industry meet to share information and do business with many influential professionals from the food, beverages & drinks sector to build the foundations of an international network of partnerships. Tea Board of India had participated in this renowned fair along with five organic players in a 52 sq. m of space to sustain the visibility and promotion of Indian tea in the organic space substantively.

Samples of quality origin teas like Darjeeling, Assam, Nilgiri, Munnar Green tea (organic), Sikkim tea (organic) having different grades of orthodox types were exhibited with focused promotion across the counters. This attracted sizeable number of visitors during all the four days, who were ecstatic about pure Indian tea. The free sampling of Indian-origin teas of the Darjeeling, Assam, Nilgiri and Munnar Green tea across our stall attracted large visitors, who made beeline for having a taste of the exquisite varieties, especially those from Darjeeling.

The companies exhibited their brands in various packet sizes having the organic varieties.

The salient characteristics of our show were generation of a number of business leads and exploration of business opportunities as a consequence of intense deliberations in distinct groups for the five exporters.

In order to network and bond in a fruitful manner, an interactive session-cum-get together was arranged at a reputed Indian Restaurant in the evening of 12th Feb'16, where a number of sellers and buyers participated. The interaction proved to be highly useful in exchange of fruitful information amongst the guests regarding India tea and its future prospects.

Tea Board India also participated along with 2 exporters through India pavilion at Anuga, Cologne during 10-14, October 2015.It is the most important and largest trade fair in the world with a diverse and international spectrum of exhibitors including the food and beverages bringing national and international suppliers together in their relevant fields. The counters of the participating companies at the TBOI stand witnessed moderate to good footfalls and the companies had been able to secure several business leads in the process. Lot of interactions regarding multi-faceted dimensions of Indian Tea, especially Darjeeling & Assam varieties like their origin & taste, continuous product innovation, sound manufacturing practices etc took place with the surging visitors on all the five days.

Poland

Poland is a good CTC market and re-exporting hub for Eastern Europe. It is a market of 34 m kg. India has exported 6.14 m. kg of tea during 2015-16as compared to 4.15 m. kg during 2014-15 (48% increases).

Tea Board India participated along with one exporter through India pavilion at Polagra,Poznan, during 21– 24 September, 2015.

Annexure - 1

Participation in domestic events in 2015-16

Sr. No.	Event Name	Venue	Date
1	North-East Development Summit	Guwahati	26-27 May 2015
2	11th Food & Technology Expo	New Delhi	29-31 July 2015
3	Annapoorna - India	Mumbai	14-16 September 2015
4	India Pack	Mumbai	8-11 October 2015
5	16th National Exhibition	Kolkata	7-9 Sept 2015
6	BIOFACH India	Kochi	5-7 November 2015
7	World Tea & Coffee Expo	Mumbai	1-3 October, 2015
8	Intl. Agrcultural Technology Fair	Nasik	26-30 November, 2015
9	India Intl. Trade Fair	New Delhi	14-27 November, 2015
10	Intl. Agri-horti & Food Tech. Expo	Bhopal	29-30 October, 2015
11	Uttarakhand Srajan National Expo & Seminar	Uttarakhand	15-18 October, 2015
12	Rural Promotion in Cuttack	Odhisha	27th November, 2015
13	Meri Dilli Utsav	Delhi	31 Oct - 2 Nov 2015
14	Tea Promotion at Konark Dance Festival	Konark	1-7 December
15	Vision Jammu & Kashmir 2016	Jammu	22-24 Jan 2016
16	International Agri Horti Show	Guwahati	6-9 Jan 2016
17	India Food Forum	Mumbai	19-21 Jan 2016

Annexure – 2

MAJOR COUNTRY WISE EXPORTS DURING 2015-16

Country Name	2015-16					2014-15				
	Qty (M.Kgs.)	Value (Cr.)	Value (Mill US$)	Unit Price (Rs/Kg)	Unit Price ($/Kg)	Qty (M.Kgs.)	Value (Cr.)	Value (Mill US$)	Unit Price (Rs/Kg)	Unit Price ($/Kg)
Russian Fed	48.23	670.57	102.48	139.04	2.12	39.40	582.28	95.26	147.79	2.42
Ukraine	3.21	45.03	6.88	140.28	2.14	2.68	40.09	6.56	149.59	2.45
Kazakhstan	10.20	271.36	41.47	266.04	4.07	11.48	220.16	36.02	191.78	3.14
Other CIS	1.28	30.04	4.59	234.69	3.59	0.70	14.69	2.40	209.86	3.43
Total CIS	**62.92**	**1017.00**	**155.42**	**161.63**	**2.47**	**54.26**	**857.22**	**140.24**	**157.98**	**2.58**
United Kingdom	20.02	410.90	62.80	205.24	3.14	17.83	338.32	55.35	189.75	3.10
Netherlands	3.31	82.11	12.55	248.07	3.79	2.87	86.64	14.17	301.88	4.94
Germany	10.53	262.76	40.16	249.53	3.81	7.28	215.44	35.25	295.93	4.84
Ireland	1.98	70.18	10.73	354.44	5.42	1.86	72.33	11.83	388.87	6.36
Poland	6.14	86.51	13.22	140.90	2.15	4.15	63.17	10.33	152.22	2.49
U.S.A	14.03	364.61	55.72	259.88	3.97	13.60	348.34	56.99	256.13	4.19
Canada	2.22	64.73	9.89	291.58	4.46	1.48	39.56	6.47	267.30	4.37
U.A.E	16.15	333.65	50.99	206.59	3.16	13.41	269.06	44.02	200.64	3.28
Iran	22.13	571.81	87.39	258.39	3.95	18.14	478.51	78.29	263.79	4.32
Saudi Arabia	3.23	77.37	11.82	239.54	3.66	3.04	71.69	11.73	235.82	3.86
Egypt (ARE)	3.08	30.80	4.71	100.00	1.53	7.54	79.35	12.98	105.24	1.72
Afghanistan	1.20	13.90	2.12	115.83	1.77	1.95	19.72	3.23	101.13	1.65
Bangladesh	9.49	83.88	12.82	88.39	1.35	5.03	38.25	6.26	76.04	1.24
China	4.79	93.18	14.24	194.53	2.97	3.27	65.15	10.66	199.24	3.26
Singapore	0.44	11.23	1.72	255.23	3.90	0.40	11.53	1.89	288.25	4.72
Sri Lanka	1.86	28.65	4.38	154.03	2.35	2.93	37.15	6.08	126.79	2.07
Kenya	2.69	27.51	4.20	102.27	1.56	1.71	16.90	2.76	98.83	1.62
Japan	3.27	139.82	21.37	427.58	6.53	3.20	145.74	23.84	455.44	7.45
Pakistan	19.37	192.61	29.44	99.44	1.52	15.20	125.12	20.47	82.32	1.35
Australia	3.47	119.51	18.26	344.41	5.26	3.23	107.22	17.54	331.95	5.43
Other countries	20.60	410.38	62.72	199.21	3.04	16.70	337.23	55.17	201.93	3.30
Total	**232.92**	**4493.10**	**686.67**	**192.90**	**2.95**	**199.08**	**3823.64**	**625.55**	**192.07**	**3.14**

Wo

Shri Santosh Sarangi, Chairman Tea Board, at the Buyer-Seller Meet organised in Iran on 15th February 2016

Iranian Tea Importers at the Buyer-Seller Meet organised in Iran on 15th February 2016

Shri Santosh Sarangi, Chairman, Tea Board, interacting with members of the inbound delegation from Iran on 25th November 2015

Shri A.K. Das, Deputy Chairman, Tea Board (second from left), and Shri Joydip Biswas, Deputy Director of Tea Promotion (extreme right),at the Biofach 2016 held in Nuremberg, Germany, during February 10-13, 2016

The Indian Tea Delegation, led by Shri A.K. Das, Deputy Chairman, Tea Board (centre), visits Egypt from 19-23 March 2016

Buyer-Seller Meet organised in Cairo, Egypt on 20th March 2016

Tea Board's pavilion being inaugurated by Shri Sanjay Sudhir,CGI,Sydney, Australiaat the Fine Food Australia exhibition held from 20-23 September 2015, as Shri A.K. Das, Deputy Chairman, Tea Board, looks on

Shri J. Biswas, DDTP atTea Reception at the Hong Kong International Tea Fair held from 13-15 August 2015

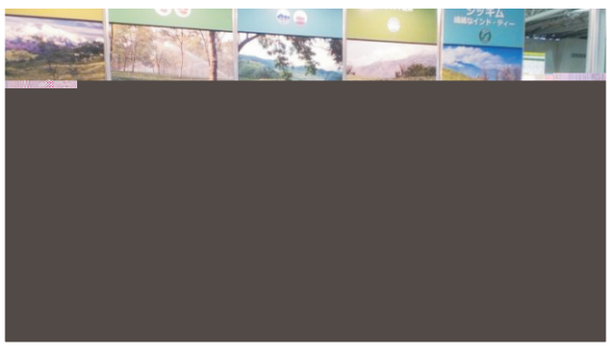

Smt. Nandini Datta, Deputy Director of Tea Promotion (extreme left), at Tea Board's stall at Foodex Tokyo held from March 8-11, 2016

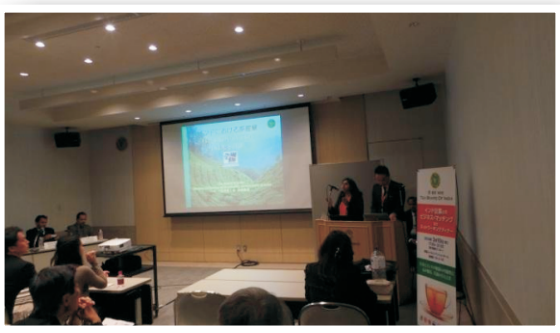

Smt. NandiniDatta, Deputy Director of Tea Promotion, addressing the Buyer Seller Meet at Foodex Tokyo held from March 8-11, 2016

The India Tea Pavillion at World Food Kazakhstan in Almaty during 3-8 November, 2015

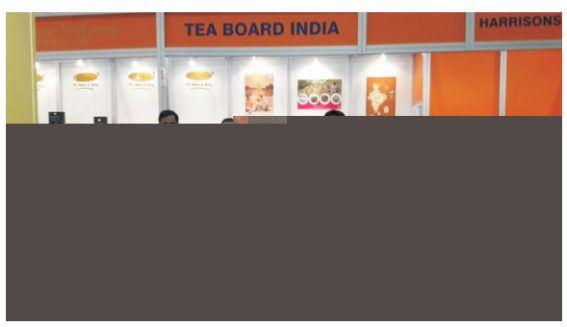

Shri Ajay Bisaria, Indian Ambassador to Poland (centre), visited the Tea Board stall at the Polagra Food Fair held at Poznan, Poland from 21st to 24th September, 2015, as Shri S. Soundararajan, Director of Tea Development (extreme left), and Smt. Rajanigandha Seal Naskar, Controller of Licensing (second from left), look on

The Canadian delegation interacting with officials at the Tea Board headquarters on 27th May 2015

Tea Board's Branding at 12th South Asian Games held from 5th February to 16th February 2016

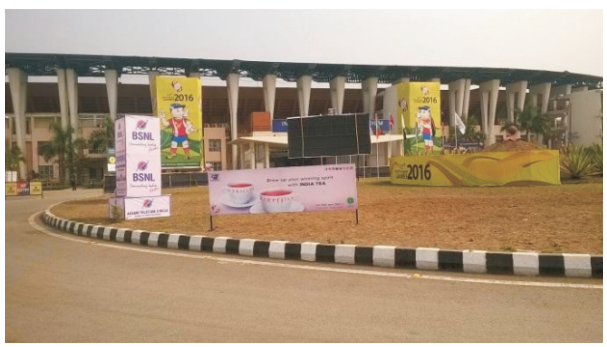

Tea Board's Branding at 12th South Asian Games held from 5th February to 16th February 2016

Licensing

7.1 Introduction:

The Licensing Branch is a vital wing of the Board for implementation of various statutory and regulatory orders issued by the Government of India from time to time. One of the key activities of the Branch also includes monitoring and regulation of the activities of stakeholders to ensure proper implementation of different directives of Central Government and Tea Board issued from time to time. In addition, Licensing Branch provides necessary clarification and guidance to the Tea Industry and trade in relation to different legislation concerning tea under The Tea Act and various Control Orders. The department is also responsible for formulating various regulatory policies, amendment of existing Control Orders, preparation of guidelines for issuance of licenses, monitoring of auction system, etc. which are significant to the tea trade.

The different statutory activities performed by the branch during the year 2015-2016 are enumerated below:-

7.2 Regulatory Provisions

In exercise of the powers conferred by Sub-Section (3) and (5) of Section 30 of the Tea Act, the following statutory provisions were notified by Central Government:-

1. **The Tea (Marketing) Control Order, 2003**
2. **The Tea (Distribution & Export) Control Order, 2005**
3. **The Tea Waste (Control) Order, 1959**
4. **The Tea Warehouse (Licensing) Order, 1989**

7.2.1 The Tea (Marketing) Control Order, 2003:

Under the provision of the Tea (Marketing) Control Order, 2003, stakeholders like manufacturers, buyers, auction organizers and brokers were required to obtain registration/licence from the Tea Board before manufacturing tea and/or participating / conducting auctions.

Clause No 21 of TMCO stipulates provision for registered manufacturers for sale of specified percentage of made tea as may be specified from time to time by the Registering Authority, manufactured by him in a calendar year or such period as may be specified in the direction through public auctions. Vide Gazette Notification dated 01.10.2015 published by Ministry of Commerce & Industry (Department of Commerce), every manufacturer has been directed to sell not less than fifty percent of the total tea manufactured in a calendar year through public tea auctions in India, held under the control or auspices of organizers of tea auction licensed to do so under the provisions of this order

Clause No. 22 of TMCO stipulates provisions for sale of made tea outside public auctions by registered manufacturers to registered buyers (including consignee or commission agent) or through his own retail outlets or branches directly to consumers or by way of direct exports.

Clause No. 30 of TMCO stipulates provisions in relation to fixation of price sharing formula for sharing of sale proceeds between the manufacturers and the tea leaf suppliers based on sale proceeds of made tea.

Vide Gazette Notification dated 01.04.2015 & 01.10.2015 published by Ministry of Commerce & Industry (Department of Commerce), few other modifications have been made in the Tea (Marketing) Control Order, 2003. The major amendments are as under;

1. **"**Bought Leaf Factory" means a tea factory which sources not less than fifty-one percent of its tea leaf requirement from other tea growers during any calendar year for the purpose of manufacture of tea.
2. Notifying of outturn percentage separately for CTC & Orthodox by Registering Authority from time to time.
3. Formation of district green leaf price monitoring committee in each tea growing district under collector or Deputy Commissioner of the district with representatives from industry and Tea to monitor the average price payable to the small tea growers of such district by applying the price sharing formula and to oversee the compliance of payment of such average price to the small tea growers.

7.2.1(a) Registration of Tea Manufacturers Unit:

In accordance with the provisions of the Tea (Marketing) Control Order, 2003, no person shall set up the factory for manufacturing made tea before obtaining NOC from Tea Board or shall carry on the activities of manufacturing tea except under valid registration granted by Tea Board in respect of tea manufacturing unit owned or controlled by him. The registration fee for obtaining a manufacturer license is Rs.2500/- whereas no amount is charged for obtaining NOC.
During the year under review, Tea Board granted the following no of NOC and registration to new manufacturing units:

Nature of License	No. of licenses issued	Amount Collected (in Rs.)
NOC	64	Nil
Registration Certificate	42	1,05,000/-

7.2.1(b) Registration of Buyers:

Clause 4 (1) of TMCO 2003 stipulates that no buyer (with a place of business in tea in India) shall carry on the activity of buying tea from any public tea auction licensed by the Tea Board or directly from the manufacturer of tea except under a valid registration obtained from Tea Board. This registration certificate once granted by the Tea Board remains valid unless cancelled. The registration fees charged for registration is Rs. 2500/-.

During the period under review, Tea Board granted the following no of buyer's registration to new buyers:

Nature of License	No. of licenses issued	Amount Collected (in Rs.)
Buyer Registration	267	6,67,500/-

7.2.1(c) Registration of Auction Organiser/ Auction Brokers:

Clause 9 of the TMCO 2003 stipulates that no organizer of tea auction shall carry on the business of organizing, holding or conducting public tea auction under its control /auspicious except under a licence obtained from the Tea Board. Such license is renewable every year and is valid up to 31st December each year. During the year under review, Tea Board renewed licence in respect of 06 (six) Auction Organizers and issued no fresh licence in favour of new auction organizer. The total amount collected during the period under review was Rs.3000/- (Rupees three thousand only) for renewal (@ Rs.500/-) per Auction Organizer.

Clause 10 of the TMCO 2003 stipulates that no person shall carry on the business of a broker of any public tea auction except under a license obtained from the Tea Board. Such license is also valid up to 31st December of each year and is renewable each year. During the year 2015-2016, Tea Board renewed licence in favour of 11 brokers and one (01) fresh licence was issued in favour of broker. Total amount collected during the period for renewal purpose was Rs. 5500/- (Rupees Five Thousand and five hundred only) for renewal (@ Rs.500/-) per Broker and for fresh license purpose was Rs.2500/- (Rupees Two Thousand & Five hundred only).

7.2.2: The Tea (Distribution & Export) Control Order, 2005:

The Tea (Distribution and Export) Control Order, 2005, stipulating the provision for obtaining license as a tea exporter from Tea Board prior to export of tea from India, is in force in exercise of the powers conferred under sub section 3 and 5 of section 30 of the Tea Act 1953 (29 of 1953). The following are the salient features of the Order:-

- Issuance of Exporter and Distributor license for carrying out export of Indian Tea and distribution of imported in tea within the Country.
- Issuance of Certificate of Origin for teas designated as Geographical Identification.
- Issuance of Non preferential Certificate of Origin.
- Empanelment of Inspection Agencies
- Provisions for suspension/cancellation of various licenses
- Other regulatory provisions to be complied by the above stated licensees.

7.2.2(a):- Exporter License:

In accordance with the provisions of the Tea (Distribution & Export) Control Order, 2005 any person desiring to carry on trading in tea as an exporter needs an Exporter's Licence. The period of validity of Exporter's Licence has been made effective for 3 (three) years from the date of its issue and every business licence once renewed shall also remain valid for a further period of three years from the date of its renewal unless the business licence is suspended or cancelled during the validity period. A license fee of Rs.1000/- is required to be paid by the applicant for issuance/renewal of his license.

Every licensee being an exporter, desiring to convert his business licence into a Permanent Business Licence, shall make an application, in duplicate, to the Licensing Authority before 3 (three) months of the expiry of the validity of the business licence. The Licensing Authority shall on receipt of such application convert the Licence into Permanent Licence if:

a) The business licensee is an exporter,

b) Such licensee has not violated any of the provisions of the Tea Act, 1953 or Tea Rules, 1954 or Tea Board Bye-laws 1955 or any other rules made under the Act and

c) The volume of export of tea by the exporter holding the valid business licence during the last three years was not less than 1,00,000 kgs annually.

A fee of Rs.2500/-(Rupees two thousand five hundred only) is to be paid by the applicant for conversion of Temporary Exporter's Licence to Permanent licence.

Table-1: The Status of Exporters' Licenses during 2014-15 & 2015-16:

Sl No.	Exporters' Licenses	2014-15		2015-16	
		Issuance of License (Number)	Amount collected (Rs)	Issuance of License (Number)	Amount collected (Rs)
1.	Valid Fresh License (Temporary)	242	2,42,000/-	236	2,36,000/-
2.	Renewal of License (Temporary)	46	46,000/-	40	40,000/-
3.	Permanent License	4	10,000/-	2	5,000/-
Total		**292**	**2,98,000/-**	**278**	**2,81,000/-**

Under the provision of The Tea (Distribution & Export) Control Order, 2005, every business licensee shall furnish the monthly returns to the Licensing Authority. Moreover, as per Clause 27(1)(e) of the said order, if the business licensee fails to comply with the directives issued by the Licensing Authority, the business license shall be liable for suspension or cancellation.

7.2.2(b): Distributor Licence:

Under the Tea (Distribution & Export) Control Order, 2005 Govt. of India has introduced Tea Distributors' Licence with effect from 01.04.2005. Under the provision of Clause 3 of the Order, no distributor shall carry on the business of distributing imported tea except under a valid business license obtained in accordance with the provision of this Order. Fees for distributor's Licence is Rs.2500/-(Rupees two thousand five hundred only). The total no. of Distributor Licence issued during the year 2015-2016 is 12 and the fees collected against the licenses amounting to Rs.30000/-(Rupees Thirty Thousand only).

7.2.2(c) :Enlistment of tea testing laboratory:

Under the provision of The Tea (Distribution & Export) Control Order, 2005, Licensing Authority provides approval to Inspection Agencies to inspect tea along with its container or packs and other documents meant for export to ensure conformity with the provision of this Order.

During the year 2015-2016, the total no of tea testing laboratories enlisted and renewed are as follows:

Nature of License	No. of license issued	Amount Collected (Rs.)
Fresh Enlistment	2	40000/- (Rs. 20000/-*2)
Renewal	9	50000/-

7.2.3 The Tea Waste (Control) Order, 1959:

The granting of Tea Waste Licence and renewal thereof are considered in accordance with the provisions of the Tea Waste (Control) Order, 1959. The main objectives of the Tea Waste (Control) Order, 1959 are to check any misuse of tea waste as also to regulate disposal of tea waste for certain gainful purposes. Accordingly, licenses are granted only to bonafide persons including buyers and sellers of the tea waste after proper investigation and scrutiny of the application. Under this Order, no person shall purchase, hold in stock, sell or offer for sale any tea waste except under and in accordance with the terms and conditions of a licence granted by Tea Board in this regard. Tea Waste is generally used by the caffeine and instant tea manufacturers.

For caffeine manufacturers, tea waste is used in denatured form, while for instant tea manufacturers tea waste is used in un-denatured form. Un-denatured tea waste is also being used by the manufacturers of Bio-nutrient and Bio-fertilizer. Tea Waste Licence remains valid up to 31st December of the year of issue, unless suspended or cancelled earlier and is renewable every year. During the year 2015-2016 total amount of Rs.8600/- was collected against issuance of 86 fresh tea waste licences and 991 licenses renewed for which amount collected was Rs.49550/- as against 127 fresh tea waste licence (amount collected Rs.12700/-) and 979 renewed (amount collected Rs.48950/-) during the year 2014-2015.

In accordance with the amendment made on 31.08.2001, Tea Board Zonal office located in Coonoor and Guwahati are also issuing Tea Waste Licenses and renewing Tea Waste Licence on the basis of receipt of applications by the respective office after observing norms. As per the amendment effected from 05.03.2002, there should be a minimum volume of tea waste and made tea at the ratio of 2:100 kgs when processed out of the tea leaves, buds and tender stems of plant *Camellia Sinensis*(L) O Kuntze in a factory.

Table-3: Position of issuance/renewal of Tea Waste License during the year 2015-2016 is indicated below:

Region	Fresh License issued @ Rs. 100/-		License renewed @ Rs. 50/-		Total
	Number	Amount (Rs.)	Number	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
North India	57	5700/-	723	36150/-	41850/-
South India	29	2900/-	268	13400/-	16300/-
All India	86	8600/-	991	49550/-	58150/-

7.2.4: The Tea Warehouse (Licensing) Order, 1989:

This order stipulates the provisions for obtaining license by a warehouse owner before commencement of the activities of storing, blending or packaging of teas.

Table-4: Position of issuance/renewal of Tea Warehouse License during the year 2015-2016 is indicated below:

Region	Fresh License issued @ Rs. 1,000/-		License renewed @ Rs. 200/-		Total
	Number	Amount (Rs.)	Number	Amount (Rs.)	Amount (Rs.)
North India	24	24000/-	79	15800/-	39800/-
South India	27	27000/-	58	11600/-	38600/-
Total	51	51000/-	137	27400/-	78400/-

7.3 Registration– Cum- Membership Certificate (RCMC):

Every registered exporter of bulk tea, packet tea, tea bags and instant tea is required to be registered with Tea Board for obtaining Registration-cum Membership Certificate under the Export Import Policy of the Government of India with a view to availing import/export entitlement benefits.

Although issuance/renewal of RCMC was earlier done by Tea Board with "Nil" charge, a proposal was approved in the Board meeting dated 9th February, 2016 where members approved collection of Rs. 5000/- as registration charge for issuance/renewal of RCMC by Tea Board.
During the year 2015-2016, the total no of RCMC issued and renewed are as follows:

Nature of License	No. of license issued	Amount Collected (Rs.)**
Fresh RCMC	30	Nil
Renewal	223	Nil

**Since no certificate was there to issue/renew after 9th February, 2016.
The number of such registered exporters who have obtained/renewed Registration-cum-Membership-Certificate from the Tea Board during the period from 01.04.2014 to 31.03.2015 was 276.

7.4 Registration of Manufacturers of tea with Added Flavour:

The sales of flavoured tea in the domestic market remain banned for a long time. Following a directive from the Supreme Court in the case of Niligiris Tea Emporium *vs.* Union of India & Others, the Government of India examined the matter relating to sale of flavoured tea in the domestic market in consultation with the experts of Central Committee for Food Standards for allowing additional flavour in tea for domestic market.

Consequently, Government of India, Ministry of Health and Family Welfare, issued notification no. GSR 847(E) dated 7th December, 1994 amending the PFA Rules 1955. As per the provisions of these amendments, the condition for sale of flavoured tea has been notified as follows:

i) Flavoured tea shall be sold or offered for sale only by those manufacturers who are registered with Tea Board; Registration No. shall be mentioned on the label.

ii) It shall be sold only in packed condition with label declaration, viz. I) FLAVOURED TEA common name of permitted flavour/ percentage/Registration No. Initially only one flavour viz Vanillin flavour up to maximum extent of 8.5% by weight has been allowed for sale of flavoured tea in the domestic market.

Subsequently, Government of India vide notification no. GSR698 (E) dated 26/10/1995 allowed few more flavours in addition to Vanillin flavour and their respective percentage in flavoured teas which are as follows.

Table-5: Flavours allowed in tea:

Flavour	% by weight (Max)
Vanillin	8.5
Cardamom	2.8
Ginger	1.0
Bergamot	2.0
Lemon	1.6
Cinnamon	2.0
Mixture of above flavour with each other	The level of individual shall not exceed the quantity indicated above

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India amended further the PFA Rules by notification No. GSR 694(E) dated 11/10/1999 which has been effective from 11/ 4/2000. The said notification was aimed allowing all natural flavours and natural flavouring substances singly or in combination. The definition of 'Natural flavour and Natural Flavouring Substance' is indicated in sub-rule (A) or rule 63 of PFA Rule. The other condition which has been stipulated in the said notification is that 'Flavoured Tea manufacturers shall register themselves with the Tea Board before marketing Flavour Tea'.

In addition to the above condition laid down in notification dated 11.10.1999. Directorate General of Health Services, Govt. of India vide letter No. P-1501/5/97PH-(Food) dated 18/2/2000 stipulates the following conditions:

a) Methodology for estimation of flavours in tea shall be supplied by the manufacturer to Tea Board.
b) The methodology supplied by manufacturer will be tried in Central Food Laboratories for Verification.
c) The manufacturers will be registered thereafter only.

The amendment dated 11.10.1999, in fact, sought to enlarge the scope for use of flavours in tea by linking it to an existing and unaltered definition as mentioned in rule 63 of PFA Rules which was applicable to all food items including tea. While the definition as mentioned in rule 63 of PFA Rules may lead to confusion of using flavours of animal origin in any food item, it is not possible for use flavour of animal origin in flavoured tea because of the condition of registration by Tea Board and Tea Board's reservation of allowing such flavour.

However, to avoid any such confusion Ministry of health and Family Welfare, Govt. of India further amended the PFA Rule by issuing notification No. GSR 770(E) dated 4/10/2000. It aims

at using only those “Natural flavours and Natural Flavouring Substances” which are obtained exclusively by physical process from materials of plant origin in their natural state or after processing for human consumption.

During the year 2015-2016, 42 manufacturers of flavoured tea registered with Tea Board and total fees collected for this purpose was Rs. 288000/-(Rupees two lakhs & eighty eight thousand only).

7.5 Extension /Replacement Planting Permit:

Permit for Extension and Replacement planting of tea are issued to the existing tea estate by the Licensing Branch. Permit for planting tea to new comer are also issued. Such permits are issued within the framework of the Tea Act and Tea Rules.

Table-6: The Position of Permits issued during 2015-2016:

Office-wise	Extension Permit		Replacement Permit	
	Number	Area in Hect.	Number	Area in Hect.
North India	02	23.35	07	86.74
South India	Nil	Nil	06	42.30
Total All India	**02**	**23.35**	**13**	**129.04**

Permission for planting tea:-
Licensing Branch is granting permission for planting tea in favour of tea estates as New Comer under Section 12 of Tea Act 1953

Table-7: The position of granting permission for planting tea during the year 2015-2016 is as follows:

Registration of Tea Garden in All India	Total	
	No	Area in Ha
a) In Non-Traditional tea growing areas (up to 10.12 hac)	0	0
b) In non-traditional tea growing areas (above 10.12 hac)	0	0
c) In other than non-traditional tea growing areas (up to 10.12 hac)	46	26.63
d) In other than non-traditional tea growing areas (above 10.12 hac)	1	16.154
Total=	**47**	**42.784**

7.6 Recording of change of ownership:

Tea Board also records the change of ownership in respect of all licenses as and when the applications are filed.

Table-8:The change of ownership recorded during the year 2015-2016 is as follows:

Change of ownership			Total	
	Number	Amount in Rs.	Number	Amount in Rs.
Estates	**40**	400000/-	**86**	860000/-
Factories	46	460000/-		

7.7 E – Auction Status:

Tea Auction is a way of marketing the produce to a wide range of buyers in a competitive manner for fair discovery of price. Public tea auctions has always played a key role as the main vehicle for primary marketing of tea in India for more than a century ever since the first tea auction centre set up in Calcutta in 1861. The stakeholders involved are Auction organizers, Producers of 'made tea' (sellers), Auctioneers/Brokers, Buyers and warehouses.

Prior to 1984, auction procedure and auction rules were formulated by the concerned auction organizers time to time. Tea Board intervened in the matter of auction rules only in 1986 for the first time on the basis of Ahuja Committee Report required to be followed by tea auction organizers in view of representation from auction stakeholders.

The manual auction system had certain limitations like limited auction Hall Space, shorter time for 'Fair Price Discovery' due to Serial Bidding, no record of Bid History except the winning bid and the name of winning bidder, not possible to analyze the nature of competition for different Types/Category/Grade of tea separately for taking Policy Decision, reduction in the Quality of bidding due to Serial Bidding and visibility of other buyers' identification & their extent of participation during bidding time for any Lot etc. Therefore the need of converting the manual system to electronic mode was felt in order to remove the existing outcry in the system. A. F Ferguson had also recommended for such move to electronic mode in the study report submitted in the year 2002. Electronic auction for tea, for the first time, was finally introduced only in India in the year 2009. Sale of teas through auctions are continued to be held through manual "outcry" system in other tea producing countries.

The followings are the benefits of the E-Auction system over the manual one:

- Broad basing the participation of buyers since it is a web-based auction.
- E-auction provides facility for participation of large number of bidders/buyers against the limited number in manual auction system due to limitation of space in any auction hall.
- E-auction helps in ensuring Fair Price since it provides facility to the buyer/bidder to buy required quantity at desired level of price in view of the quality of the commodity, overall Demand-Supply status of the said commodity and the level of quantum requirement of buyer for such commodity against the quantum available for buying at any time
- Improvement in dissemination of auction sale information.
- Reduction in transaction time and cost for pre-auction, auction process and post-auction activities.
- Planning tool in the hands of buyers and other stakeholders as bid history and its analysis is easily available.

Table-3: Live e-auction started as mentioned below:

Auction Centre	Status of live e-auction
Kolkata	100% live e-auction for Orthodox Leaf tea since 20th /21st July 2011, for CTC Leaf since 3rd April 2010, Kangra Tea since May,2012 and for All Dust tea since 17th June 2009 **
Guwahati	100% live e-auction for CTC Leaf & Orthodox Leaf tea since 5th January 2010 and for All Dust tea since 20th May 2009
Siliguri	Fully electronic auction for both Leaf and Dust teas since 8th October 2010

Jalpaiguri	Fully electronic auction for both Leaf and Dust teas since 9th May 2012
Cochin	Fully electronic auction for both Leaf and Dust teas since 14th July 2009
Coonoor	Fully electronic auction for both Leaf and Dust teas since 7th May 2009
Coimbatoreore	Fully electronic auction for both Leaf and Dust teas since 8th May 2009
	**Darjeeling leaf is being sold manually

Table-4: The sales of tea through E-Auction during the financial year 2015-2016 vis-a-vis 2014-2015 is as under:

Auction Centre	**April 2015 to March 2016**		**April 2014 to March 2015**	
	Qty (MKgs)	**Price (Rs/kg)**	**Qty(MKgs)**	**Price (Rs/kg)**
Kolkata Leaf	93.35	162.59	103.59	157.94
Kolkata Dust	35.00	156.54	40.48	153.69
Total Kolkata	**128.36**	**160.94**	**144.07**	**156.75**
Guwahati Leaf	100.40	138.21	96.09	136.33
Guwahati Dust	43.58	146.93	42.87	142.91
Total	**143.98**	**140.85**	**138.96**	**138.36**
Siliguri Leaf	103.34	123.31	106.01	124.89
Siliguri Dust	14.63	117.91	15.58	119.50
Total Siliguri	**117.97**	**122.64**	**121.59**	**124.20**
Cochin Leaf	9.40	115.46	8.17	105.42
Cochin Dust	44.92	101.09	46.44	98.41
Total Cochin	**54.32**	**103.58**	**54.61**	**99.46**
Coonoor Leaf	39.02	73.90	38.62	70.67
Coonoor Dust	18.00	80.34	18.21	75.31
Total Coonoor	**57.02**	**75.93**	**56.83**	**72.15**
Coimbatore Leaf	5.40	75.52	5.16	73.36
Coimbatore Dust	10.96	84.03	11.35	80.47
Total Coimbatore	**16.36**	**81.22**	**16.51**	**78.24**
Jalpaiguri Leaf	0.07	96.89	0.0982	108.96
Jalpaiguri Dust	0.00	92.16	0.0019	119.00
Total Jalpaiguri	**0.07**	**96.64**	**0.1001**	**109.16**
Grand Total	**518.08**	**128.74**	**532.67**	**127.18**

Table-5: The sale of Darjeeling tea through manual auction during the financial year 2015-2016 vis-a-vis 2014-2015 is as under:

Year	**Quantity (in Mkgs)**	**Price (Rs/kg)**
2014-15	2.724	262.49
2015-16	2.548	290.02

Pan India Auction:

From the available production data and the auction sale figures for the last five years, it has been observed that no significant increase in the volume of tea auctioned has actually been taken place in spite of introduction of electronic auction system. Ideally electronic auction system was conceptualized with the idea of increased participation from buyers as well as offerings of different varieties of teas in larger volumes since it eliminates the auction hall space limitation and encourages participation through a web enabled system.

Therefore, in order to overcome the constraints of the existing auction system, Tea Board has conceptualized Pan India Auction system which will increase participation of buyers in the system with improved processes. The major advantages of the system are:

1. Participation of buyers in all auction centres with a single registration.
2. Uniform auction rules across all auction centres
3. Introduction of electronic auction of Darjeeling Tea.
4. Introduction of online post settlement process.
5. Ensuring generation of delivery orders from the system only ***after actual realization of payments.***

Present status:

The final rule on Pan India E-Auction was circulated by Tea Board vides its circular dated 18th February, 2016. However, several representations in respect to certain rules have been received by the Board which have been scrutinised for further incorporation or otherwise. The final rule on Pan India E-Auction is being prepared now for circulation and further implementation.

The development/modification of the system as per the circulated Pan India E-Auction Rule is also completed and mock testing by end users have been done. The suggestions given by the stakeholders during the mock session and through written representations as stated above in relation to the developed system have been analysed by Tea Board and NSEIT is working to incorporate the changes accepted by the Board.

The new system is expected to be implemented in the 1st half of the next financial year.

7.8 Tea Council:

Tea Board has been enforcing The Tea (Distribution & Export) Control Order, 2005 and The Tea (Marketing) Control Order, 2003 to ensure the quality of tea meant for export and import are as per prescribed national and international standards. In line with this, the Tea Council of India, an Advisory body was set up by the Tea Board of India during the FY 2012-13, to monitor specifically the Import and Export of Tea. The main aim was to ensure and maintain the authenticity and compliance of the tea as per the standards stipulated by FSSAI and Tea Board. The stakeholders of Tea Council are- Exporter, Importer, Inspection Agency and Customs. Tea Council acts as administrator. To track and monitor the standard of the tea meant for export or import throughout India the Board constituted two Committees- A) Tea Council of North India (TCNI) and B) Tea Council of South India (TCSI). The system is operational since 1st June, 2013.

Before exporting or importing of teas into the country, the concerned exporter or importer has to mandatorily submit details of his consignment in the Tea Council portal (www.teaauction.gov.in/teacouncil) and obtain a clearance certificate. The applications of exporters so logged in are randomly selected by the system for sampling as per predefined logic. The importers submitting applications with net weight of teas more than 1000 kgs are subjected to testing. The randomly selected applications are analysed as per standards prescribed by FSSAI and any other notifications issued by the Board from time to time.

A graphical presentation of the number of applications complied to prescribed standards against the actual number of samples tested during April 2015 to March, 2016 are presented below:

Status of Exporter Applications in Tea Council during 2015- 16

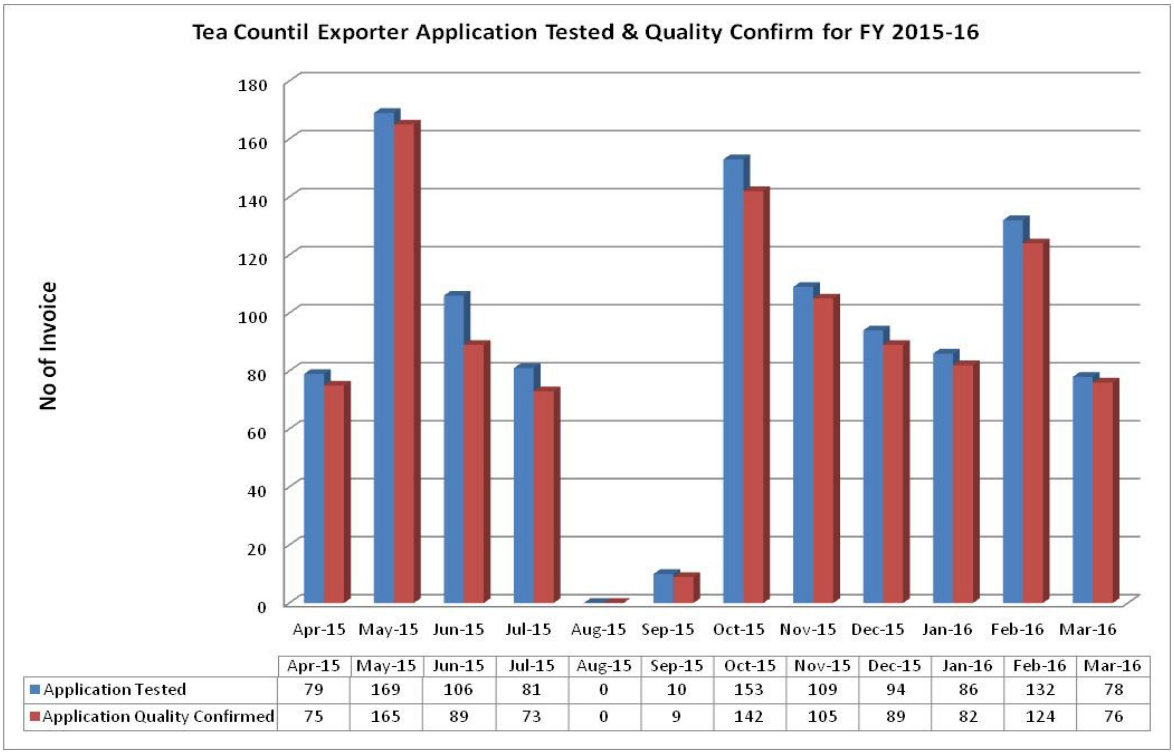

	Apr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16
Application Tested	79	169	106	81	0	10	153	109	94	86	132	78
Application Quality Confirmed	75	165	89	73	0	9	142	105	89	82	124	76

Status of Importer Applications in Tea Council during 2015- 16

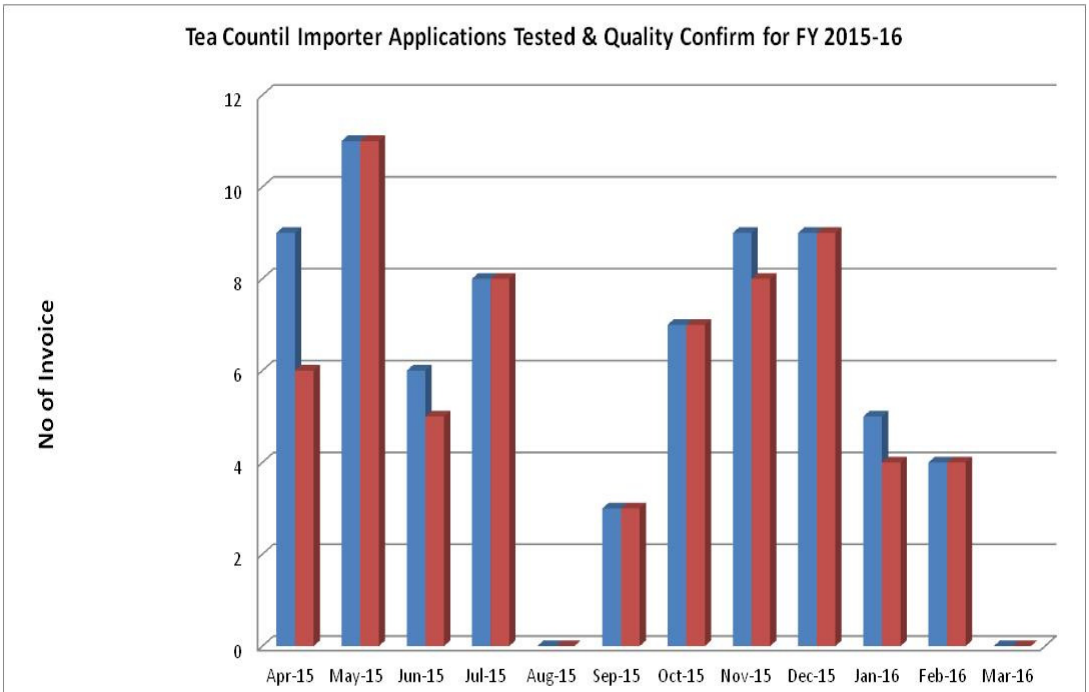

	Apr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16
Application Tested	9	11	6	8	0	3	7	9	9	5	4	0
Application Quality Confirmed	6	11	5	8	0	3	7	8	9	4	4	0

STATISTICS

Introduction:

Primary functions of Statistics Branch of Tea Board is to collect, collate and dissemination of statistical information relating to all aspects of tea industry and trade covering area under cultivation, production, productivity, types of tea produced in the country, primary market prices, export and destination of exports, taxes and levies on tea, workers employed in tea plantations etc. Such information forms a crucial input for the policy matters of the Board, the Government and the Industry.

Information on weekly auction prices, monthly production and export data are disseminated in the website of the Board - www.teaboard.gov.in in the public domain for the trade, industry, research scholars etc.

Monitoring of Tea Prices:

The Statistics Branch has been monitoring and providing required information on auction prices to Ministry of Commerce, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution in connection with the construction of Wholesale Price Indices (WPI) of Plantation Crops and Index of Industrial Production (IIP) respectively. The retail price of tea at different cities/towns is also being monitored by the Statistics Branch.

Taxes & Duties:

Excise Duty: 10% ad-valorem on Instant Tea falling under heading 2101.20

Export Duty: Nil

Import Duty: Nil on teas imported by Export Oriented Units (EOU) and Special Economic Zone (SEZ) units for the purpose of re-export. However, teas imported for domestic markets would attract basic import duty of 100% plus 10% surcharge plus special additional duty of 4% on basic duty and surcharge (w. e. f. 1st March, 2002).Concessionary rate of 7.5% basic duty plus other normal surcharges apply to imports from Sri Lanka up to a volume of 15 M Kgs per calendar year.

Tea Cess: Cess is levied on all teas produced in India under Section 25(1) of the Tea Act, 1953. The rate of Cess levied on Darjeeling teas was 20 paise and on all other teas at 50 paise.

STATUS OF TEA INDUSTRY AND TRADE DURING THE YEAR 2015-16
AREA & PRODUCTION IN 2015-16

State Name	Area (Th.Hect)*	Production (M.Kgs)
Assam	307.08	652.95
West Bengal	140.44	329.70
Other NI States (Tripura, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Arunachal Pradesh, Nagaland, Meghalaya, Mizoram and Sikkim)	12.29	25.91
Total North India	459.81	1008.56
Tamil Nadu	69.62	161.46
Kerala	35.01	56.63
Karnataka	2.22	6.46
Total South India	106.85	224.58
All India	566.66	1233.14

*Provisional, subject to revision.

PRODUCTION OF TEA IN INDIA DURING LAST THREE FINANCIAL YEARS

(in M.Kgs)

Year	North India	South India	All India
2013-14	965.07	243.71	1208.78
2014-15	955.82	241.36	1197.18
2015-16	1008.56	224.58	1233.14

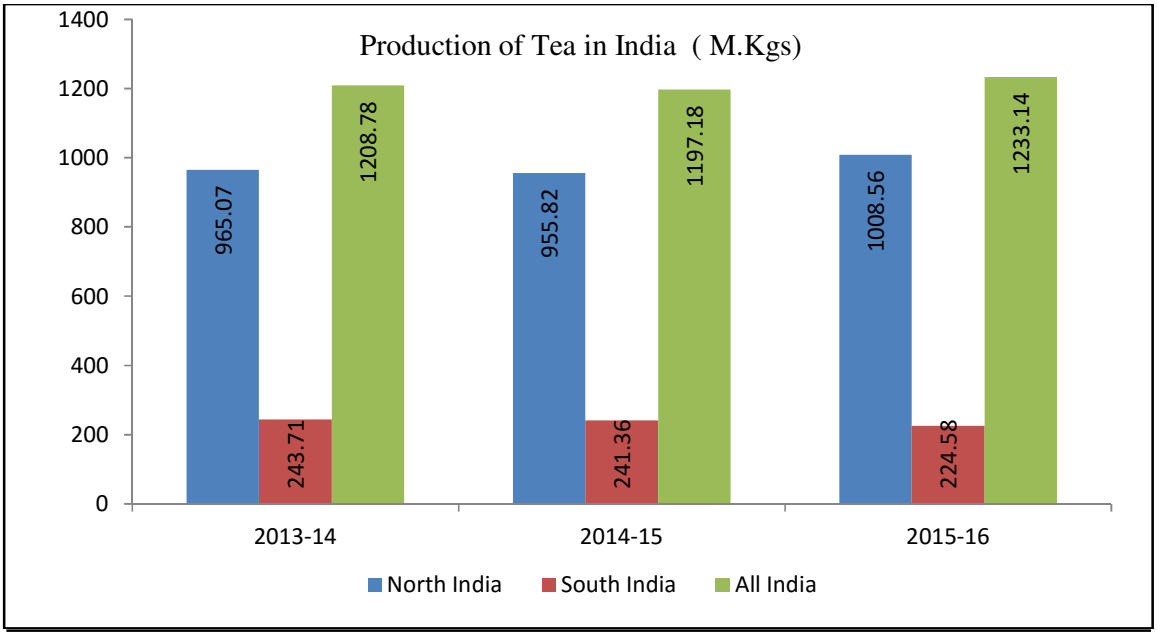

CATEGORY WISE PRODUCTION OF TEA IN INDIA DURING 2015-16

(in M Kgs)

Category	North India	South India	All India
C T C	941.51	179.84	1121.35
Orthodox (Darjeeling + Green)	67.05	44.74	111.79
T O T A L	**1008.56**	**224.58**	**1233.14**

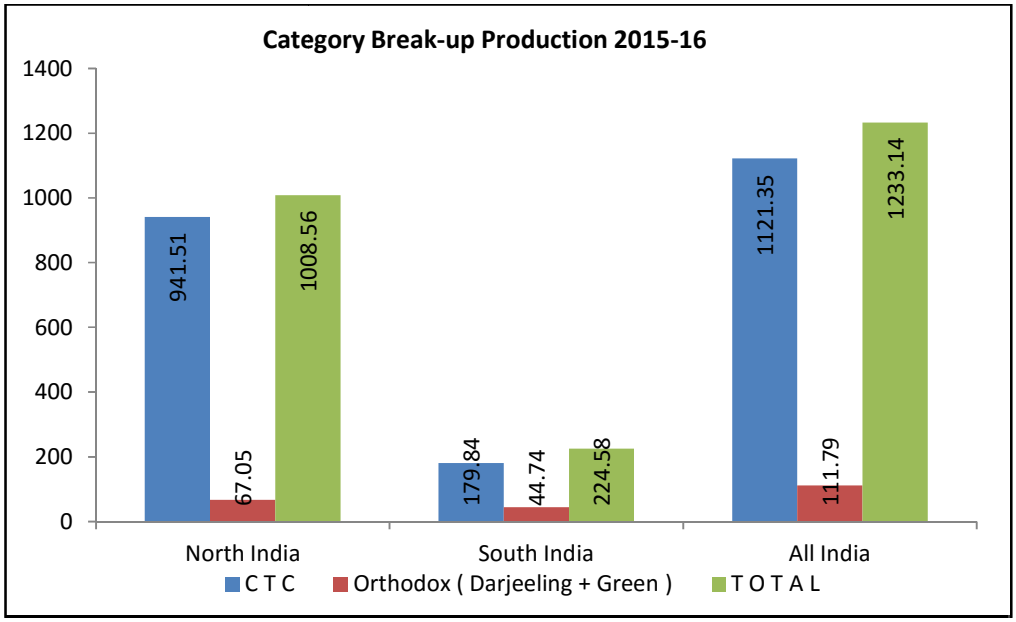

EXPORTS OF TEA FROM INDIA

(Qty in M. Kgs., Value in Rs Crs, U. Price in Rs /Kg)

Year	North India			South India			All India		
	Qty	Value	U. P.	Qty	Value	U. P.	Qty	Value	U. P.
2013-14	133.28	3205.31	240.49	92.48	1303.78	140.98	225.76	4509.09	199.73
2014-15	111.59	2636.46	236.26	87.49	1187.18	135.69	199.08	3823.64	192.07
2015 -16	136.68	3151.43	230.57	96.24	1341.67	139.41	232.92	4493.1	192.9

EXPORTS TO MAJOR COUNTRIES DURING 2015-16

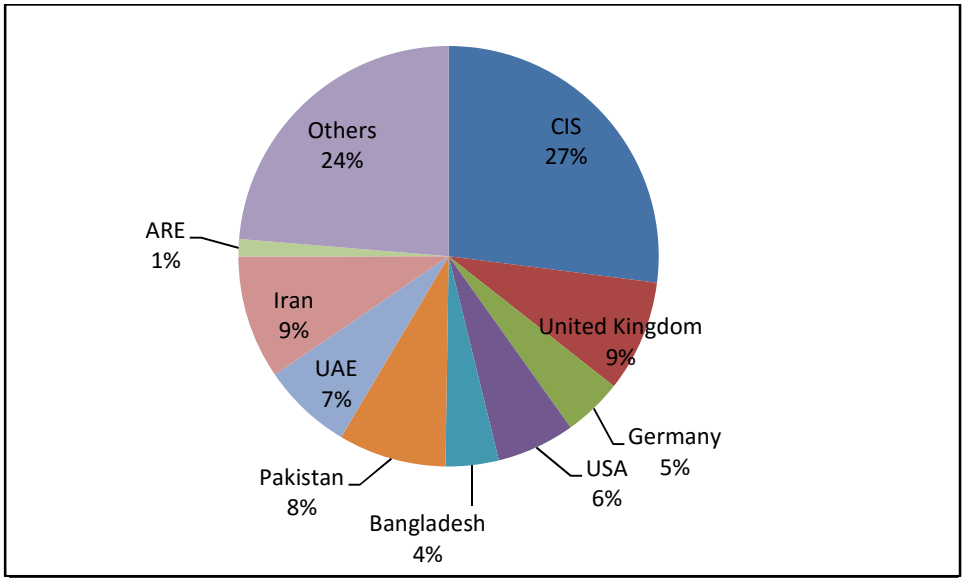

IMPORT OF TEA INTO INDIA

Year	Quantity (M.Kgs.)	CIF Value (RsCrores)	Unit Price (Rs /Kg)
2013-14	19.23	237.33	123.42
2014-15	21.02	279.67	133.05
2015-16	18.43	244.48	132.65

TEA PRICE AT AUCTION

Year	North India		South India		All India	
	Qty. (M.Kgs)	Avg. Price (Rs/Kg)	Qty. (M.Kgs)	Avg. Price (Rs/Kg)	Qty. (M.Kgs)	Avg. Price (Rs/Kg)
2013-14	385.12	137.61	145.96	95.82	531.08	126.12
2014-15	407.48	138.52	145.54	81.16	553.02	124.47
2016-16	392.93	141.70	143.15	85.65	536.08	127.01

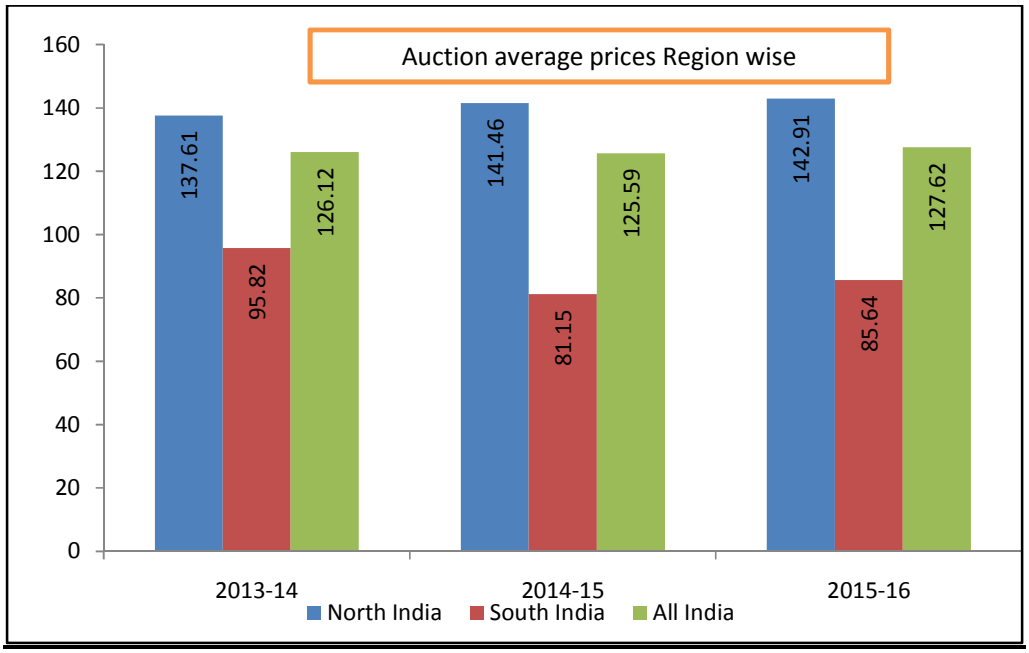

WORKERS ON THE ROLLS OF THE TEA ESTATES

State	Permanent workers			Temporary workers			Total(Permanent + Temporary)		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
North India	310936	332868	643804	156087	226465	382552	467023	559333	1026356
South India	30819	44795	75614	7444	13005	20449	38263	57800	96063
All India	341755	377663	719418	163531	239470	403001	505286	617133	1122419

PRODUCTION SHARE OF MAJOR PRODUCING COUNTRIES IN 2015

Country	Quantity in 2015 (M.Kgs)	% to total production
China	2278.00	42.94
India	1208.66	22.78
Kenya	399.21	7.53
Sri Lanka	328.96	6.20
Vietnam	170.00	3.20
Turkey	258.54	4.88
Indonesia	129.29	2.44
Bangladesh	66.35	1.25
Malawi	39.45	0.74
Uganda	58.59	1.10
Tanzania	31.66	0.60
Others	336.10	6.34
Total	**5304.81**	**100.00**

EXPORTS SHARE BY MAJOR PRODUCING COUNTRIES IN 2013

Country	Quantity in 2015 (M. Kgs)	% to total exports
Kenya	443.46	24.57
China	324.96	18.00
Sri Lanka	301.32	16.70
India	228.66	12.67
Vietnam	133.50	7.40
Argentina	78.03	4.32
Indonesia	61.92	3.43
Uganda	54.79	3.04
Malawi	30.88	1.71
Tanzania	33.18	1.84
Zimbabwe	13.96	0.77
Others	100.26	5.55
Total	**1804.92**	**100.00**

(Source: ITC Annual Bulletin of Statistics, 2016 except India)

World Auction Price of Tea sold

Year	World Auction price (US$/Kg)					
	India	Bangladesh	Sri Lanka	Indonesia	Kenya	Limbe
2013	2.20	2.46	3.44	1.98	2.41	1.82
2014	2.08	2.28	3.53	1.66	2.03	1.43
2015	1.94	2.41	3.01	1.56	2.73	1.56

World Demand and Supply of Tea

(Figures in M. Kgs)

Year	World Production	Apparent Global Consumption	(+) or (-)
2013	4991	4684	307
2014	5196	4845	351
2015	5305	4999	306

(Source : ITC Annual Bulletin of Statistics, 2016)

LABOUR WELFARE

Introduction:

The Welfare Branch of the Board implements the Human Resource Development Scheme for the benefit of tea plantation workers and their dependants. The support extended through the scheme is supplemental in nature and cover such areas not specifically addressed by the Plantation Labour Act and the rules framed there under. The activities supported fall under three broad heads e.g. (1) Health (2) Education and (3) Training.

9.1. Health

Under this head financial assistance is provided for the following:

1. For procuring medical equipments/accessories by hospitals located in tea gardens and also general hospitals, clinics in areas contiguous to the tea gardens.

2. Purchase of Ambulance for transportation of patients from tea gardens to Hospitals especially in non- traditional tea areas.

3. Grant to the Institutions that are running rehabilitation and therapy center for the physically challenged persons amongst tea garden population.

4. Assistance for disabled persons for purchasing wooden crutch, calipers shoes, artificial limb(wooden), hearing aids, wheel chairs and tri-cycle with hand pedaling system etc. Maximum pay is limited to Rs. 5000/-/- per persons.

The particulars of assistance rendered during the 2015-16 are as under:

	* No. of Units/Beneficiaries.	Rs./ (lakhs)
1. Medical Equipment.	**2(u)**	**15.99**
2. Assistant to disabled persons	**18(p)**	**0.44**
Total:	**20**	**16.43**

***(u) indicates units/(p) indicates Persons**.

5. S.B. Sanatorium Kurseong, Darjeeling: 5 beds have been reserved for treatment of tea plantation workers and their dependants suffering from Tuberculosis. The beds have been allotted to Tea Producers' Associations in North Bengal who share 1/3rd of maintenance charges. The balance 2/3rd share is being borne by the Board.

6. Ramalingam T.B. Sanatorium Perundurai, Tamilnadu: 17 beds have been reserved in the Ramalingam T.B. Sanatorium, for the benefit of tea garden workers and their dependants suffering from Tuberculosis. The hospital stoppage charges are being revised from time to time. The charges applicable w.e.f. 1.4.2011 are @ Rs. 92/- per patient per bed plus Rs. 25/- as one time admission fee.

7. Total sum of Rs. 15.99 Lakhs were incurred being the grant of purchase of Medical Equipments, (2) nos from North East.

9.2. Education:

The wards of tea garden workers are given educational stipend for pursuing studies from primary level in schools, colleges and higher studies at universities and also in professional institutions. Actual tuition fees subject to a ceiling of Rs. 20,000/- per annum and 2/3rd of hostel charges subject to a ceiling of Rs. 20,000/- per annum are paid. The stipend is limited to two children per family provided. The ceiling limit of family income should not exceed Rs. 25,000/- per month.

Students securing a minimum of 60% of the marks in class X and XII are given with Prize Money @ Rs. 4000/- and Rs. 5000/- respectively provided they pursue higher studies and the annual income of the family does not exceed Rs. 3,00,000/-.

Students are also provided grant @ Rs. 3000/-per annum towards Books and Uniforms.

9.3. Scouting and Guiding: The purpose of this scheme is to inculcate a sense of discipline, self-reliance, self-respect, freedom from fear and development of scouting and guiding activities amongst the tea plantation workers. The financial assistance includes (I) Salary and conveyance allowance for district Scouts/Guides Organizers Scouts/Guides Organizers in tea plantation area, (ii) charges for holding various training camps; (iii) uniform matching grant for the tea garden scout/guides/cubs and bulbuls and (iv) financial assistance for holding rallies, rally-cum-camps, compare, jamboree etc. During the year under review the Board has disbursed a sum of Rs 4.53 lakhs for scouting and guiding activities 12 nos. during the year 2015-16.

9.4. Sports:

Financial assistance is provided to tea garden workers and their wards excelling in District level/State level/National level sports.

The particulars of assistance rendered during the year 2015-16 are as under:

	*** No. of Units/Beneficiaries**	**Rs./(lakhs)**
1.Education stipend	3684(p)	371.84
2.Nehru Award	518(p)	20.72
3.Book,uniform grant & scholarship	305(p)	9.15
4. Assistance to scouts & guides.	12(u)	4.53
5. Capital grant of XI plan period cases.	4(u)	12.80
6.Miscellaneous charges		2.04
Total:	**4523**	**421.08**

9.4.1. Construction of school/college/Hostel Building:

The following institutions were provided with financial assistance during the year, towards the pending claims against the Capital grant sanctioned during XI plan period. From XII plan onwards the grant towards the captioned activities has been discontinued.

1. St. Joseph H.S. School, Idukki, Kerala: A sum of Rs.2,51,850.00 was released being the 3rd installment of grant towards construction of hospital building.

2. Total sum of Rs. 10.28 Lakhs were released being the grant of Capital grant of XI plan period cases, (3) nos from North East.

9.5. Admission in Jalpaiguri Polytechnic Institution:

Three seats have been reserved in the Jalpaiguri Polytechnic Institute, Jalpaiguri, W.B. for the wards of tea garden employees for admission during each academic year in diploma courses. During the period under review, three (3) wards of tea garden employees were selected against these reserved seats on merit basis.

9.6. Training:

During the year, approval was accorded for vocational Training courses on Viz. Mobile & CD/DVD Repairing, Fabrication, Bag making, plumbing, masonry, electrical/TV repair, carpentry, construction of two pit latrines. Training in health, hygiene, AIDS, drugs, alcoholism etc.160 Words of tea garden workers attended the courses. Several awareness campaigns have been organized for creating awareness amongst the workers as to the various welfare measures of the Board available for them as well for their child

The particular of expenditure incurred towards training during the year 2015-16 are as under:

State wise	Name of the Scheme	No. of Beneficiaries.	(Rs./Lakh)
North East	Short term training for workers in new skill and Organizing campaigns in creating awareness among the workers	160(p)	17.67
North zone	- do -	0	0
South zone	- do -	0	0
Total		**160(p)**	**17.67**

Summary of Expenditure incurred during A/c year 2015-16:

Activity	(Rs. lakhs)
1. Health	16.43
2. Education	419.04
3 Training	17.67
4. Miscellaneous/other expenditure	02.04
Grant Total:	**455.18**

Expenditure incurred during A/c. year 2015-16

Activity	*No. of Units / beneficiaries	(Rs. Lakhs))
(a) HEALTH		
1) Medical equipments	2(u)	15.99
2) Assistance to disable persons	18(p)	0.44
Total	20	16.43
b) EDUCATION 1) Educational Stipend	3684(p)	371.84
2) Nehru Award	518(p)	20.72
3) Book and Uniform grant scholarship.	305(p)	9.15
4) Assistance to Scouts and Guides	12(u)	4.53
5) Capital grant of XI plan period cases.	4(u)	12.80
Total :	4523	419.04
(c) TRAINING		
1) Meetings/Seminars and short term training for workers in new skill like plumbing, masonry, electrical/TV repair, carpentry, construction of two pit latrines. Training in health, hygiene, AIDS, Drug, Alcoholism etc.,	160(p)	17.67
Total Training ©	160(p)	17.67
(d) Miscellaneous/other expenditure.		2.04
TOTAL EXPENDITURE (a+b+c+d)		
		455.18

* (p) Stand for person and (u) stand for unit.

HINDI CELL

10.1 Introduction

With the enforcement of the constitution on 26 January, 1950, Hindi became the Official Language of the Union of India according to Article 343(1) of the constitution of India. Government of India was entrusted with the duty to promote the propagation and development of the Official Language Hindi, so that it may serve as a medium of expression of all the elements of the composite culture of India.

The Hindi Cell of the Board has the nodal responsibility for effective implementation of Official Language Policy of the Government of India, the Official Language Act 1963 and rules 1976 made there under. The work related to Official Language Policy and translation of important documents of the Board, is being performed under the supervision of Deputy Director(Hindi) who is assisted by Asstt Director(Hindi), one Senior Translator(Hindi), one Senior Secretarial Assistant, Junior Translator(Hindi) and Assistant(Hindi).

10.2 Compliance of Sec.3 (3) of O.L .ACT 1963:

During the period 2015-2016 provisions/sections including section 3(3) of the Official Language Act,1963 which is the main regulatory Act guiding Official Language Policy of the Government of India, were fully complied with.

10.3 Purchase of Hindi Books:

In order to create a favorable atmosphere for implementation of Official Language and to make reference literature for Hindi teaching available, a Hindi Library is being maintained by the Hindi Cell. During the year books worth Rs. 35,000/- were bought for the Head Office as well as Regional Offices. Among these reference materials and Glossaries/Dictionaries are included.

10.4 Correspondence in Hindi:

All letters received in Hindi were invariably replied to in Hindi itself during the year under review. Vigorous efforts were made for achievement of Programme 2015-16 and target laid therein.

10.5 Reports in Hindi:

Various reports like Annual Administrative Report, Annual Accounts, and Annual Audit Report of the Board were prepared in Hindi for submission to the parliament. Apart from this, Quarterly Progress Report and Annual Assessment Report regarding progressive use of Hindi, were prepared in Hindi and sent regularly to Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry.

10.6 Organising Hindi Workshop

During the year under review four Hindi Workshop were organized from time to time in which Assistants/Senior Assistants/Asstt Administrative Officers and other officers of the Board were trained in doing official work in Hindi. Faculties from different Government offices conducted the classes. This resulted in a favourable orientation and inclination amongst officials towards functional Hindi.

10.7 Notification of Head Office, Kolkata under Rule 10(4) of the Official Languages Rules,1976:

Since more than 80% of our officials posted in Head Office have got either proficiency in Hindi or got working knowledge in Hindi. As such during the year under review we approached Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry to issue a notification in respect of Tea Board of India, Head Office, Kolkata. Accordingly, notification has been issued and copies of which has been endorsed to concerned Department/offices.

10.8 Organising Hindi Week:

With a view to create awareness regarding official Language and accelerate its use in Official work, Hindi week was organized in the month of September,2015. During the course of the week, several competitions were held and there was active participation of the employees. Similar programmes were organized in regional offices of the Board in India.

10.9 Hindi website

In the era of e-governance when internet has become a powerful medium, Tea Board is running its website in Hindi also on www.teaboard.gov.in because even today Hindi is the language of the most of the Indian populace. Vigorous efforts were taken to update the Hindi website of the Board and make it match with English version, which is a continuous process.

10.10 Participation in TOLIC activities:

Board actively participated in the various promotional activities pertaining to usage of Official Languages, co-ordinated by Town Official Language Implementation Committee (TOLIC), Kolkata.

10.11 Meeting of OLIC of the Board:

The meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC) were held in each quarters wherein useful decisions were taken.

10.12 Incentive Scheme for Use of Hindi in Official Work:

Tea Board promoted and propagated the incentive scheme in Head Office as well as its regional offices in India in order to accelerate the use of Hindi. The officials and employees were benefited by these Schemes. Some employees participated and were awarded with cash prize.

10.13 Annual Programme for transacting the Official work in Hindi

In pursuance of Official Language Resolution 1967, department of OL issues programme every year to speed up propagation and development of OL Hindi and also to accelerate its progressive use for official purpose. The Annual programme of the year 20015-16 is a continuation of this, whereby considerable progress has been made in the use of Hindi in the Official transaction. The prescribed target has been achieved to some extent. However, English continues to be in use in the Board.

10.14 Quarterly Progress Report:

All regional/Sub-regional offices controlled by Tea Board, Head office, submitted quarterly progress reports regarding progressive use of Hindi in the prescribed proforma. All reports were reviewed and actions were taken to remove the deficiencies.

SUPPLY

The main functions of the Supply Branch, Tea Board, Kolkata is to render assistance to the Tea Industry in the matter of procurement, movement and distribution of various inputs, viz., Fertilizers (especially Urea, Purulia Phos and Rock Phosphate) etc.

1. FERTILIZER:

Fertilizer for the Tea Industry is allocated by the Ministry of Agriculture, Government of India under the Essential Commodities Act on the basis of the requirements indicated by the Board, through the respective State Government. Allocation of Fertilizer to Tea Gardens is done on half-yearly basis – one for Kharif Season (i.e.,from April to September) and the other for Rabi Season (i.e., from October to March).

Controlled fertilizer (i.e. Urea) which is used in Tea Gardens as one of the important fertilizers are supplied to Tea Gardens of Assam and other States (i.e., under North Eastern Zone) and West Bengal (i.e., under East Zone) by the manufacturers, viz.,(1) Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited (BVFCL), (2) Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited (NFCL) and Tata Chemical Limited .

Another important Fertilizer which is commonly known as Purulia Phos is also used in Tea Gardens. Purulia Phos is supplied by M/s West Bengal Mineral Development & Trading Corporation Ltd., (W.B.M.D.T.C.L.). The Purulia Phos are supplied to the tea gardens in Assam (under North Eastern Zone) and North Bengal (under East Zone).

Besides the controlled Fertilizer, Supply Branch is also looking after problems of short supply of de-controlled Fertilizer viz., MOP , DAP etc., which are used in the Tea Garden in Assam and other States (under North Eastern Zone) and West Bengal (under East Zone).

2. OTHERS.

Supply Branch is also looking after and resolved the matters relating to Coal, Food Grain, LPG Cylinder / Natural Gas , HSD Oil etc., required by the tea estates in case of any problems faced by the Tea Industry due to disruption of supply of the same to Tea Gardens.

Human Resource Development

Human Resource Development Cell of Tea Board Head Office in Kolkata and other departments arrange various types of training programmes, workshops, seminar etc., from time to time for the employees, officers of Tea Board and different stakeholders of Tea Industry.

During the year 2015-16, the following activities were undertaken by Tea Board relating to HRD:

- A fire Fighting Training was organized among the officials of the Tea Board, Head Office, Kolkata on 09/01/2016. The training was conducted by a reputed service provider.

- Computer training was organized for employee regarding fundamental application of computers in official work from 03/08/15 to 11/09/15.

- Three officers of the Board participated in the training programme on Purchase Procedure & Contract Management during 06/08/15 to 08/08/15.

- A free health check-up camp was organized on 02/04/2015 with the help of a renowned Hospital at Head Office, Kolkata for the benefit of Board's officers and employees.

Report on Vigilance Cell for the year 2015-16

The Deputy Chairman of Tea Board acts as Chief Vigilance Officer of the Board which is appointed by the Central Vigilance Commission. The overall activities of the Vigilance Cell are being done under the supervision of Chief Vigilance Officer. The total strength of vigilance Cell is two apart from Deputy Chairman.

The main function of the Vigilance Cell is to implement the directives of the Government/the Central Vigilance Commission, all of which is done on a regular basis. The Vigilance Cell also attends various queries and submits monthly and quarterly report to the Government. As per the advice of Chief Vigilance Officer the directives of CVC in respect of tender and preventive vigilance etc. are being followed in the Board in every respect. The Law Officer is also working as Vigilance Officer. This Cell is also functioning on overall Vigilance Surveillance activities of the Board. Another important activity of vigilance cell is the observance of Vigilance Awareness Week every year as per directive of the Central Vigilance Commission during which all the employees of Tea Board are administered oath in the form of message of efficiency and transparency of the activities of Tea Board for highlighting the basics mission of the awareness. During the year the Vigilance Cell received 02 (two) complaints and total number of pending Vigilance cases are 13.

Report on Legal Cell RTI Act, 2005

LEGAL CELL for the year 2015-16

Tea board's Legal Cell is working under the Law Officer. He is being assisted by other staff members. The Legal Cell of Tea Board is attending to all legal matters of the Board as and when referred to by the officers of Tea Board in Head Office / Regional Offices. The Cell is also maintaining liaison with the Board's Solicitors/Law Firms viz. M/s. Fox & Mandal, M/s. Paul & Paul, Rajesh Khaitan & Co., K&S Partners and other legal consultants on behalf of the Board. The Cell is also looking after all matters relating to Intellectual Property Rights including Administration of Various logo mark/word mark registered by the Board under different statues in India and abroad. This cell is also responsible for performing the job relating the disposal of applications and appeal made under the Right to Information Act, 2005 and sending monthly as well as yearly return to the Ministry. The number of cases pending as on 31.03.2015 was 57. During the year under review, 11 new cases arose and 03 cases were disposed of. As on 31.03.2016 the total number of pending cases was 65.